म माला, खंड 14, अंक 19

सोमवार, 3 अगस्त, 1992
12 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 14 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 14, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 19, सोमवार, 3 अगस्त, 1992/12 श्रावण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 367 से 369, 372 और 373	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—257
तारांकित प्रश्न संख्या : 370 और 374 से 386	22—32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3776 से 3824 और 3826 से 4006	32—250
राज्य सभा से सन्देश	257
विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन विधेयक —पुरःस्थापित	257
विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला विवरण	258
नियम 377 के अधीन मामले	258—260
(एक) तिरूवेन्नामलाई और उत्तर आरकॉट अम्बेडकर जिले में धान की बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री एम० कृष्ण स्वामी	258
(दो) बिहार में रांची के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता बहाल किए जाने की आवश्यकता	
श्री नीतीश कुमार	258
(तीन) मणिपुर आकाशवाणी केन्द्र से हिन्दी गीतों का प्रसारण पुन: आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
श्री उदय प्रताप सिंह	259
(चार) तमिलनाडु में तिरूवेन्नामलाई और चिन्नासलेम को रेल द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री पी० पी० कालियापेरूमल	259

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(पांच) राजस्थान की लंबित पड़ी विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री दाऊ दयाल जोशी	259
(छः) पश्चिम बंगाल के राणाघाट में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार किए जाने और वहां उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
डा० असीम बाला	260
नियम 193 के अधीन चर्चा	260—274 और 276—328
सरकारी प्रतिभूतियों में अरबों रुपये का घोटाला	
श्री के० पी० रेड्डय्या यादव	260
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	263
डा० देवी प्रसाद पाल	276
श्री सोमनाथ चटर्जी	283
श्री राम नाईक	297
श्री मुरली देवरा	302
श्री जार्ज फर्नान्डीज	312
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	274—275
श्री माधवन द्वारा समयपूर्व सेवा निवृत्ति	
श्री पी० वी० नरसिंह राव	274
सभा पटल पर रखे गए पत्र	276

लोक सभा

सोमवार, 3 अगस्त, 1992/12 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

पर्यटन संस्थान

367. **श्री राजेश कुमार :**
श्री मुमताज अंसारी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जापान सरकार से भारत में पर्यटन संस्थान स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

नागर विमानन एवं पर्यटन मन्त्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुखबंस कौर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह जो मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है यह कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है और इनके उत्तर में है ही कुछ नहीं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विश्व स्तर के संगठनों के प्रस्तावों और योजनाओं के बावजूद क्या इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट को दिल्ली से ग्वालियर में स्थानान्तरित किया जा रहा है। जबकि जापान सरकार ने इस संस्थान को नोएडा में स्थापित करने के लिए 16 करोड़ रुपए का अनुदान देने की पेशकश की है और विश्व पर्यटन संगठन इस संस्थान को मान्यता प्रदान करने को भी इच्छुक है ।

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर : मैं पहले दूसरे भाग का उत्तर दूंगी। विदेशी सरकारों द्वारा दी जाने वाली सहायता सम्बन्धी सभी प्रस्तावों पर सरकारों की ओर से आर्थिक विभाग द्वारा बातचीत की जाती है।

जापान सरकार ने एक पर्यटन संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

दूसरे, ग्वालियर को आई० आई० टी० एम० के आवंटन के बारे में, पर्यटन क्षेत्र में जनशक्ति के विकास की समूची आवश्यकता को देखते हुए······(व्यवधान)

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : महोदय, मैं पहले ही साढ़े तीन पृष्ठ का एक लम्बा वक्तव्य दे चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न न० 1 में दो खण्ड थे, पहला था कि ग्वालियर में ट्रांसफर कर दिया गया है······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि पहले प्रश्न का लम्बा जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेश कुमार : मेरे पहले प्रश्न का जवाब ठीक नहीं है। (व्यवधान) यह तो ठीक नहीं है कि राजा की जगह में जाए और गरीब की जगह में न जाए, (व्यवधान) यह सरकार की क्या नीति है ?

दूसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार जापान की सहायता से बौध स्थलों का विकास कर रही है, यदि हां तो सरकार को बौध स्थलों के विकास के लिए जापान सरकार द्वारा कितनी राशि की सहायता दी गई और इसमें से सरकार द्वारा इंटरनेशनल प्लेस बौध गया को, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एवं बौध गया में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार राशि की सहायता देने का विचार रखती है और यदि देने का विचार रखती है तो कब तक देने का विचार रखती है ?

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना 5 पेज का वक्तव्य दोबारा पढ़ देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप दूसरे पूरक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बुद्धिस्ट सर्किट का सवाल है, इसकी वस्तुस्थिति यह है कि इसके लिए सेपरेट नोटिस की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रश्न इसके अंतर्गत नहीं आता है। मुझे जितना याद है, औरंगाबाद का जो बुद्धिस्ट सर्किट है, इसके लिए शायद,···

[अनुवाद]

मैं उत्तर को स्पष्ट करता हूं। समूची परियोजना 81 करोड़ रुपए की है जिसमें से लगभग 70 करोड़ रुपये ओ० ई० सी० एफ० सहायता के रूप में प्राप्त हो रहे हैं।

[हिन्दी]

और जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बुद्धिस्ट सर्किट्स के बारे में मुझे याद है, 220 करोड़ का प्रोजेक्ट है और लगभग 100 या 110 करोड़ रुपया जापान गवर्नमेंट का है।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने बोधगया के बारे में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए सेपरेट नोटिस चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, जापान के ओवरसीज इकानामिक कारपोरेशन फण्ड के साथ एक परियोजना के बारे में समझौता हुआ था। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में 'बुद्धिस्ट सर्किट के विकास से सम्बन्धित इस समझौते पर 9 जनवरी, 1992 को हस्ताक्षर हुए थे। ये परियोजना कार्यान्वित भी की जा रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह प्रश्न टूरिज्म इंस्टीट्यूट के बारे में है, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वह इसमें से नहीं निकलता है। इसको खींचकर निकालने की कोशिश मत करिए।

[अनुवाद]

श्री मुमताज अंसारी : यह बात उसी विषय से सम्बन्धित है। बिहार की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है। वहां कई बर्फीली पहाड़ियां और वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या तोपचाची और बाघमारा जैसे सभी क्षेत्रों के विकास के लिए, जिनके लिए परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, एक पर्यटन संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

दूसरे, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के साथ भारी भेदभाव बरता गया। बिहार के लिए केवल 49 लाख रुपए मंजूर किए गए थे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अंसारी जी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे आशंका है कि आपने प्रश्न पढ़ा भी है या नहीं।

[अनुवाद]

श्री मुमताज अंसारी : सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि में से ही इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। इससे संस्थान की स्थापना कहां हो पाएगी ? इसीलिये मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा को जारी किए गए 345 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश को 388 लाख रुपए और पश्चिम बंगाल को 202 लाख रुपए की तुलना में बिहार के लिए केवल 49 लाख रुपए मंजूर किए गए। ऐसा भेदभाव क्यों है ? बिहार में पर्यटन संस्थान स्थापित किए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या बिहार में पर्यटन संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर की जाएगी ?

श्री माधवराव सिंधिया : मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री मुमताज अंसारी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। महोदय, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि जहां तक वे समझते हैं और जितनी उन्हें जानकारी है इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

श्री के० पी० सिंह देव : बौद्ध केन्द्रों की यात्रा करने वाले भारी संख्या में जापानी पर्यटकों को देखते हुए शायद 80 के दशक के अन्त में उड़ीसा, बिहार तथा अन्य बौद्ध केन्द्रों में 'हुकू क्लब' स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था।

मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है और इसमें क्या प्रगति हुई है।

श्री माधवराव सिंधिया : पर्यटन संस्थान के लिए यह प्रश्न विशेष रूप से जापानी सहायता से सम्बन्धित है। इसके बारे में इस प्रकार विस्तृत रूप से पूछे जाने पर मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

श्री के० पी० सिंह देव : यह एक जापानी संस्थान था। 1985-86 में उड़ीसा सरकार द्वारा उड़ीसा के सभी संसद सदस्यों को संक्षिप्त रूप से यह बताया गया था कि सरकार इस सम्बन्ध में उड़ीसा में किसी एक स्थान पर विचार कर रही है।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी तक जापान की सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और भारत में किसी पर्यटन संस्थान को सहायता दिए जाने के बारे में भी अभी तक कोई सरकारी प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार यह बात यहीं समाप्त हो जाती है।

[हिन्दी]

श्री रमेश चन्द्र तोमर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है, 30 मार्च, 1989 को टोया मेनका केसा लिमिटेड जो जापान सरकार के अधीनस्थ संस्थान है, उसने श्री रमेश चन्द्र, ज्वांइट सैक्रेट्री टूरिज्म को पत्र लिखकर यह कहा है कि साढ़े 16 करोड़ रुपये की सहायता भारतीय पर्यटन संस्थान जो नोयडा में स्थित है, उसको देने जा रहे हैं, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने 2 दिन पहले वक्तव्य दिया था कि उस इन्स्टीट्यूट को ये ग्वालियर ले जा रहे हैं।

मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या साढ़े सोलह करोड़ की सहायता जो नोयडा को जापान की सरकार देने जा रही थी, वह ग्वालियर में मिलेगी ? क्या इसके स्थानान्तरण की सूचना जापान सरकार को दे दी है ? माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि कोई ऐसी असिसटैंस का परपोज़ल नहीं है, मेरे पास दस्तावेज हैं, आप अनुमति दें तो मैं इसको सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। 943 मिलियन येन्स उपकरण खरीदने के लिये, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध संस्थान, जिसका नोयडा में कम्पलेक्स बनने वाला था, सहायता के रूप में जापान सरकार देने जा रही थी, आप अनुमति दें तो मैं यह दस्तावेज सभापटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए भी नियम होते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं दोबारा दोहराऊंगा कि जहां तक मेरी जानकारी है...

[अनुवाद]

मेरे उत्तर में शुद्धि की जा सकती, परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

जापान सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोई भी ऐड इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टूरिज्म मैनेजमेंट को देने के लिए परपोजल नहीं है। एक परोपोजल हमसे गया था डिपार्टमेंट आफ इकोनोमिक अफेयर्स को, वह घरेलू मामला है, देश का मामला है। जापान गवर्नमेंट से इस प्रस्ताव के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है, शायद डिपार्टमेंट आफ इकौनौमिक अफेयर्स से यह प्रस्ताव गया भी न हो। जापान गवर्नमेंट से कोई प्रस्ताव इस संबंध में हमें नहीं आया।

डा० रमेश चन्द्र तोमर : अध्यक्ष महोदय, टोया मेनका केसा लि० जापानी सरकार का संस्थान है। 943 मिलियन येन्स, जो साढ़े सोलह करोड़ रुपये के बराबर हैं, किस-किस मद पर देना चाहते हैं, मदवार ब्यौरा उन्होंने दिया है। उनकी टीम तीन बार नोयडा में, जहां पर कम्पलेक्स बनना था, उसका विजिट कर चुकी है। उसका नक्शा भी दिया हुआ है।...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में उनका रवैया बड़ा स्पष्ट है। आप यह बात समझ लें।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : यह बड़ा गम्भीर विषय है। मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह गलत है या जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह गलत है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैं कोई रास्ता निकाल रहा हूं और आप बीच में बोल रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य निश्चित रूप से बैठ कर मेरे साथ इस बारे में चर्चा कर लें। जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई परपोजल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप मंत्री जी से बात कर लें।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह विश्व के बौद्ध अनुयायियों का सबसे पवित्र स्थान है और टूरिज्म प्लेस है। वहां पर पहले से हवाई अड्डा बना हुआ है, टूरिस्ट बंगले भी बने हुए हैं, भारत सरकार भी उसके लिए रुपया दे रही है। हमें पता चला है कि जापान सरकार और वहां के लोग उस नगर के विकास के लिए अरबों रुपयों देना चाहते हैं और शायद इसके बारे में डिसकशन भी सरकार से किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि वे अरबों रुपया दे रहे हैं ? इस परपोजल को एक्सैप्ट करके क्या सरकार उस नगर का विकास करेगी ? यदि नहीं, तो क्या उसके विकास के लिए बुद्धिस्ट उसका निर्माण करना चाहते हैं उसमें अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैंने पहले कह दिया है कि यह इंस्टीट्यूट से संबंधित प्रश्न है।

श्री राम नगीना मिश्र : प्रश्न केन्द्र के संबंध में है ।

अध्यक्ष महोदय : सेंटर और इंस्टीट्यूटी में फर्क होता है ।

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : भारत सरकार का प्रस्ताव जापान सरकार की सहायता से नोएडा में एक पर्यटन प्रबन्ध संस्थान स्थापित करने के बारे में है । जापान सरकार मेरे जिले क्योंझर से लौह अयस्क का आयात करती है । उक्त क्षेत्र के लगभग 69 प्रतिशत लौह अयस्क का जापान को निर्यात किया जाता है । जापान सरकार मेरे चुनाव क्षेत्र क्योंझर में यह संस्थान स्थापित करने की क्यों इच्छुक नहीं है ? क्यों नहीं ? मैं इस संबंध में भारत सरकार की नीति के बारे में जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उनसे पूछकर आपको बताएंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रबन्धन पाठ्यक्रम देश के सभी भागों में चल रहे हैं और वहां पर्यटन प्रबन्ध संस्थान भी चल रहे हैं । उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ऐसा संस्थान क्यों है इसका एक कारण यह भी है । मध्य प्रदेश में ऐसा संस्थान नहीं है । ऐसा सोचा गया था कि इसे विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा और मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा । नोएडा में इससे भी बड़ी परियोजना लगाई जाएगी । ऐसा उसी नीति के अनुकरण में किया गया है, हम इसका अध्ययन करेंगे । **(व्यवधान)** हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे पाठ्यक्रम समूचे भारत में चलाए जाएं ।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द्र तोमर : बिगर को ग्वालियर ले जाओ मंत्री जी ।······**(व्यवधान)**······

श्री राजवीर सिंह : इनका बस चले तो ये लोक सभा को भी ग्वालियर ले जाएं ।

अध्यक्ष महोदय : आप डिरेल कर रहे हैं, सब कुछ ।······**(व्यवधान)**······

[अनुवाद]

श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये : अध्यक्ष महोदय, जापानी दल ने गोवा का दौरा किया है। उन्हें वह जगह बहुत पसन्द आई और वहां उन्होंने एक स्थल का चयन किया है । उनकी वहां एक नगर क्षेत्र बनाने की बहुत बड़ी योजना है जिसमें एक पर्यटन संस्थान भी होगा। गोवा के साथ जापान के काफी लम्बे समय से बड़े अच्छे सम्बन्ध रहे हैं । आपके जरिये मैं यह जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को क्या कहना है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हर जगह इंस्टीट्यूट नहीं बना सकते हैं । यूनिवर्सिटी को कुछ ट्रेनिंग के लिए बोल सकते हैं ।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : हम एक जल क्रीड़ा संस्थान खोल रहे हैं ।**(व्यवधान)** महोदय, आज आप उदार हो गए हो ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, सभा में सदस्यों की संख्या पर नजर डालिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी ने पूरक प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में बुद्धिष्ट-सर्किट की चर्चा की है। कृपा करके मुझे रोका न जाए। अगर इनके पास सूचना नहीं होगी तो आप निर्देश दें कि हम लोगों को बाद में सूचना भेज दें। मन्त्री जी सैप्रेट नोटिस का जिक्र बार-बार कर रहे हैं। पूरक प्रश्न के उत्तर में बुद्धिष्ट सर्किट की चर्चा की है। इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, वरना नहीं पूछता।

अध्यक्ष महोदय : आपका पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न पर नहीं होता है, मुख्य प्रश्न पर होता है।

श्री नीतीश कुमार : पूरक प्रश्न से कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो पूरक प्रश्न पूछ ही सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। यह मेन-क्वैश्चन पर डिपैण्ड होना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बुद्धिष्ट सर्किट की चर्चा की है, जिसमें सारनाथ, वैशाली, राजगृह और बौद्ध गया सम्मिलित होगा। उस बुद्धिष्ट सर्किट के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती रही है कि तमाम बुद्धिष्ट प्लेसेज को, उन जगहों को, दर्शनीय स्थलों को रेल के द्वारा और चौड़ी सड़कों के द्वारा जोड़ने का भी प्रस्ताव है। रास्ते में विश्राम के लिए मोटल्स बनाने और दूसरी तरह की यात्री सुविधायें देने का प्रस्ताव जापान सरकार और भारत सरकार के बीच में है, बातचीत हुई है। हम माननीय पर्यटन मन्त्री जी से जानना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हो रही है और बुद्धिष्ट सर्किट रोड-रेल और यात्री सुविधाओं की दृष्टि से पूरा किया जाएगा तथा हाथ में यह कब लिया जाएगा ?

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न का जवाब देने की पूरी चेष्टा की थी, हालांकि यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है, इसलिए सैप्रेट नोटिस की आवश्यकता है, लेकिन इसका लाभ उठाया जा रहा है। निश्चित रूप से एक व्यापक योजना है, ओसीईएफ के माध्यम से जापान सरकार उसमें भागीदार रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगी और सैण्ट्रल गवर्नमेंट भी रहेगी। उसमें सड़क के चौड़ीकरण, रेल की सुविधायें और एयरपोर्ट—ये तमाम बातें उस योजना में है। इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे, तो इसके लिए सैप्रेट नोटिस की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

कायमकुलम तथा मंगलौर विद्युत परियोजनाएं

*368. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कायमकुलम और मंगलौर की ताप विद्युत परियोजनाओं को त्याग देने का कोई प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केरल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कौन-कौन-सी वैकल्पिक परियोजनाएं बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कायमकुलम परियोजना के लिए स्वीकृत विश्व बैंक ऋण की पहली किस्त का उपयोग किन्हीं अन्य परियोजनाओं के लिए करने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक के माध्यम से वित्तपोषण सुनिश्चित नहीं किया गया है । अतः व्यपवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एम० रमन्ना राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है । लेकिन बड़ा रूखा उत्तर दिया है । मेरे प्रश्न के पहले भाग का उन्होंने उत्तर केवल 'ना' में दिया । महोदय, मेरे प्रश्न का पहला भाग यह था कि क्या मन्त्री जी परियोजना को स्थगित करना चाहते हैं । निस्सन्देह उन्होंने 'ना' में उत्तर दिया । लेकिन इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि पर्यावरण और वन मन्त्रालय ने 6 से अधिक शर्तों के तहत मंजूरी दी है । यदि इन शर्तों को नहीं माना जाता है, उन्हें पूरा नहीं किया जाता है, तो कोई परियोजना स्थापित नहीं हो पाएगी, यहां तक कि वहां एक लघु ताप परियोजना भी नहीं बनेगी । इन शर्तों के कारण केरल सरकार और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विद्युत मन्त्रालय से छूट देने हेतु अनुरोध किया है और ऐसा कहा गया है कि मन्त्री महोदय ने भी छूट देने हेतु पर्यावरण और वन मन्त्रालय को लिखा है । मैं जानना चाहता हूं कि छूट देने के बारे में केरल सरकार और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अनुरोध पर पर्यावरण और वन मन्त्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार कायमकुलम परियोजना को स्थगित नहीं कर रही है । सरकार ने इस परियोजना को स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

जहां तक पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी का प्रश्न है, माननीय मन्त्री, श्री कमल नाथ जी ने 20 जुलाई को पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी दे दी है और जो कुछ सुझाव उन्होंने मेरे मन्त्रालय को दिए हैं, मेरा मन्त्रालय उनसे सहमत है । तकनीकी-आर्थिक मंजूरी दे दी गई है, योजना आयोग ने भी अपनी मंजूरी दे दी है और रूस सरकार के साथ इस प्रयोजनार्थ वित्त पोषण सम्बन्धी समझौता हो गया है । निकट भविष्य में इसे मन्त्रिमण्डल की मंजूरी दे दी जाएगी और बजट सत्र से पहले इसकी आधारशिला रख दी जाएगी ।

श्री एम० रमन्ना राय : महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि मूलतः इस परियोजना का वित्तपोषण पूर्व सोवियत संघ द्वारा किया जाना था । अब जैसा कि सभी जानते हैं, सोवियत संघ नहीं रहा । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्रालय किस स्रोत से वित्त पोषण

करवा रहा है, क्या वित्त पोषण विश्व बैंक से किया जायेगा या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के पास अपने स्रोत हैं। इस प्रकार इसका वित्त पोषण का स्रोत क्या होगा ?

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, यह सही है कि अब सोवियत संघ नहीं रहा, लेकिन रूस तो है। एक उच्च अधिकार प्राप्त शिष्ट मण्डल जनवरी, 1992 में रूस गया था और रूस कायमकुलम परियोजना का वित्त पोषण करने पर सहमत हो गया है तथा इस प्रयोजनार्थ रूस से एक दल भी यहां आया है। रूस इस कायमकुलम परियोजना का वित्त पोषण करने पर सहमत हो गया है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अभी-अभी बताया हैं कि इस परियोजना को पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति और अन्य औपचारिकताएं भी पूरी हो चुकी है। दुर्भाग्यवश, इस पर पिछले एक वर्ष से तैनात सभी अधिकारियों को इस स्थान से पिछले दिनों स्थानांतरित कर दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से इसका कारण जानना चाहता हूं। दूसरे, पहले यह संयत्र किसी विशेष स्थान पर स्थापित किया जाना था; परन्तु अब हमें पता चला है कि उसे कहीं अलग स्थापित किया जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि संयंत्र स्थापना के लिए मूल रूप से निर्धारित स्थान को बदलने की क्या आवश्यकता है।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, मूलभूत कार्य चल रहा था, तथा इमारतों और सड़कों का निर्माण हो रहा था। मैं नहीं जानता कि इसके निर्धारित स्थान में परिवर्तन किया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार कायमकुलम परियोजना की स्थापना पूर्व निर्धारित स्थान पर ही की जायेगी और इसके लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। इसलिए इस परियोजना का निर्माण कार्य उसी स्थान पर ही किया जाना चाहिए।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : महोदय, क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकती हूं कि क्या मंगलौर विद्युत परियोजना की नींव रखने के लिए भी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, मंगलौर विद्युत परियोजना को भी सी० ई० ए० की मंजूरी मिल चुकी है। तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। योजना आयोग ने भी मंजूरी दे दी है। परन्तु वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय ने अभी तक इसके लिए मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही यह मंजूरी प्राप्त हो जायेगी, हम निर्माण कार्य पर विचार आरम्भ कर देंगे।

श्री थाइल जॉन अंजलोज : महोदय, एन० टी० पी० पी० ने परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य तीन साल पहले आरम्भ किया था तथा इस पर छः करोड़ से भी अधिक राशि खर्च की थी। अब वहां से कुछ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और कुछ कार्यालय बन्द कर दिए गये हैं······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री थाइल जॉन अंजलोज : महोदय, इसका उत्तर नहीं दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इससे यह संकेत नहीं मिलता कि इस परियोजना को बन्द किया जा रहा है। अगर नहीं तो क्या सरकार बन्द कार्यालयों में पुनः कार्य आरम्भ करने तथा स्थानांतरित अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश रद्द करने का निर्देश देगी।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, हम वर्तमान सरकार के अति आभारी हैं। कुछ अड़चनें थीं। एक अड़चन 'फ्लाई एश' के उपयोग की थी जिसका समाधान निकाल लिया गया है। पिछले

सप्ताह मन्त्री महोदय ने स्पष्ट कहा कि जल्दी ही नींव का पत्थर रखा जायेगा ? इसलिए हम उनके आभारी हैं। मैं इसका एक पहलू स्पष्ट करना चाहता था। केरल में विद्युत की अत्यन्त कमी है। वर्तमान समझौते के अनुसार इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात भी केवल 20 प्रतिशत उत्पादित विद्युत ही केरल को दी जायेगी। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केरल में विद्युत की कमी तथा किसी अन्य परियोजना की स्थापना की शून्य सम्भावनाओं को देखते हुए क्या केरल के लिए अधिक विद्युत आबंटन पर विचार किया जायेगा ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, केरल में ऊर्जा की कमी 67.9 प्रतिशत है तथा इसकी अधिकतम कमी 23 प्रतिशत है। पूरे केरल में 1476 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। उन्हें 245 मेगावाट बिजली रामगुण्डम सुपर ताप बिजली परियोजना से, 25 मेगावाट बिजली कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयत्र से, 87 मेगावाट निवेली लिगनाईट परियोजना से प्राप्त होती है। उनके जल विद्युत परियोजनाओं को सी० ई० ए० ने मंजूरी प्रदान की है। योजना आयोग ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। एक मुश्त आर्थिक सहायता पर भी विचार किया जा रहा है। जैसे ही यह सब परियोजनायें आरम्भ हो जायेंगी, केरल में बिजली का संकट समाप्त हो जायेगा······ **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शायद उन्होंने 'न' में उत्तर दिया है।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

*369. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी :**

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से राज्य में विद्युत संयन्त्र लगाने के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री० कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश की निम्नलिखित चार विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तावों की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु जांच की जा रही है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)
1.	रायलसीमा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार चरण-2	2 × 210
2.	मनुगुरू सुपर ताप विद्युत केन्द्र	2 × 500
3.	नागार्जुन सागर टेल पूल बांध	50
4.	लोअर जुराला	147.6

(ग) तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति एवं निवेश सम्बन्धी स्वीकृति कई पहलुओं पर निर्भर करती हैं जिनमें ये शामिल हैं: परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त परियोजना रिपोर्टों की व्यापकता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और/अथवा केन्द्रीय जल आयोग की विभिन्न टिप्पणियों/उनके प्रेक्षणों का उत्तर देने में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा लिया जाने वाला समय, विभिन्न निवेशों एवं स्वीकृतियों जैसे ईंधन की उपलब्धता, कोयले की ढुलाई, गैस, बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधाएं, जल की उपलब्धता, पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति आदि की उपलब्धता और निधियों सम्बन्धी समस्याएं आदि ।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : महोदय, मन्त्री का उत्तर स्पष्ट नहीं है। मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि इन सभी परियोजनाओं पर विचार चल रहा है।

महोदय, लगभग सारे आन्ध्र प्रदेश में विद्युत संकट बना हुआ है। आज भी आन्ध्र प्रदेश में छः से नौ घण्टे तक बिजली में कटौती की जा रही है। बिजली की इस कटौती के कारण अनेक उद्योग तथा कृषि में लगे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आन्ध्र प्रदेश सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 12 परियोजनायें केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी गई हैं। ये परियोजनायें हैं: विशाखापत्तनम ताप विद्युत परियोजना, 300 मेगावाट क्षमता वाली विजेस्वरम परियोजना, 300 मेगावाट क्षमता वाली काकीनाड़ा परियोजना, 375 मेगावाट क्षमता वाली अमालपुरम परियोजना, 400 मेगावाट क्षमता वाली जेगरूपाडू परियोजना, 100 मेगावाट क्षमता वाली जेगरूपाडा चरण-II परियोजना, 300 मेगावाट क्षमता वाली राजमुन्द्री वाममगिरि परियोजना, नागार्जुन सागर में परमाणु विद्युत घर, 400 मेगावाट क्षमता वाला रायलसीमा ताप विद्युत घर, 1000 मेगावाट क्षमता वाला कृष्णापटमम ताप बिजली विद्युत घर, 420 मेगावाट क्षमता वाला कोठागुदाम ताप विद्युत घर 420 मेगावाट क्षमता वाला रामगुण्डम ताप विद्युत घर, रेणुगुण्टा में 100 मेगावाट क्षमता वाला डीजल विद्युत घर।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र प्रदेश में इनमें से किसी परियोजना को मंजूरी दी गई है तथा क्या इनमें से किसी परियोजना को आठवीं योजना में सम्मिलित किया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री कल्पनाथ राय : ऊर्जा का संकट तथा भारी कमी सारे देश में बनी हुई है। आन्ध्र प्रदेश में भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चार नई परियोजनाओं को केन्द्र ने स्वीकृति दे दी है। तीन परियोजना में स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 4200 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। 1700 मेगावाट ताप विद्युत परियोजनाओं द्वारा और 2500 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा। महोदय, रामगुण्डम में एक नया सुपर ताप विद्युत घर भी विद्युत की आपूर्ति कर रहा है और रामगुण्डम से 580 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति आन्ध्र प्रदेश को की जा रही है। 145 मेगावाट की निवेली तथा 40 मेगावाट कलपक्कम परियोजना से उपलब्ध करवाई जा रही है।

महोदय, चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। निजी क्षेत्र में, 1000 मेगावाट क्षमता की परियोजना विशाखापत्तनम के लिए सी० ई० ए० तथा योजना आयोग ने मंजूर की है। पी० आई० बी० की मंजूरी भी मिल गई है। अब मैसर्स अशोक लेलैण्ड

तथा मिशन एनर्जी 1000 मेगवाट क्षमता वाला विद्युत घर विशाखापत्तनम में स्थापित करने जा रहे हैं । 400 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाला एक विद्युत घर आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा मैसर्स जी० वी० के रेड्डी इण्डस्ट्रीज की साझेदारी में आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किया जायेगा । तीसरा मैसर्स स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजी तथा एन० टी० पी० पी० की साझेदारी में 400 मेगावाट क्षमता का विद्युत घर गोदावरी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश में पांच परियोजनायें स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं । वे परियोजनायें हैं : (1) रायलसीमा ताप विद्युत घर एक्सटैंशन चरण-2—420 मेगावाट क्षमता; (2) मनुगुरू सुपर ताप बिजली घर—1000 मेगावाट क्षमता; (3) नागार्जुन सागर टेलपूल डैम - 50 मेगावाट क्षमता; (4) लोअर जुराला—147 मेगावाट क्षमता; (5) प्रियदर्शिनी जुराला—221 मेगावाट क्षमता । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत कि आन्ध्र प्रदेश में बिजली का संकट है। मुझे आशा है कि अगर यह सभी परियोजनायें चालू हो जाए तो आन्ध्र प्रदेश में बिजली की समस्या काफी हद तक सुलझ जायेगी ।

श्री जी० एम० जी० बालयोगी : महोदय, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तटीय क्षेत्रों में की गई खुदाई से पता चलता है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में गैस संसाधन उपलब्ध है । मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई विदेशी निवेशक अथवा अनिवासी भारतीय ने आन्ध्र प्रदेश में विशेषकर गोदावरी क्षेत्र में गैस पर आधारित परियोजना लगाने के लिए पेशकश की है, जहां कि गैस उपलब्ध है । इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई अनिवासी भारतीय काकीनाडा के उपड्डा गांव में गैस पर आधारित परियोजना स्थापित करने के लिए आगे आया है जिसके लिए कि 600 एकड़ भूमि का अधिगृहण हो चुका है, 5-6 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, कर्मचारी तैनात कर दिए गये हैं तथा इमारत बनाई जा चुकी है । काकीनाडा के लोगों के मन में यह शंका है कि यह परियोजना किसी अन्य राज्य में स्थापित की जा रही है । अमलापुरम के सुरसनयनम में चल गैस टरबाईन के सम्बन्ध में भी मैं जानना चाहता हूं । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि गोदावरी क्षेत्र में विद्युत परियोजनायें संयुक्त क्षेत्र में लगाई जा रही हैं। काकीनाडा परियोजना के लिए मैसर्स स्पैक्ट्रम टैक्नोलौजी तथा एन० टी० पी० सी० के बीच समझौता हुआ है जिसके लिए 1.5 मीटरिक टन गैस उपलब्ध है । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यह परियोजना अन्यत्र स्थापित नहीं की जायेगी तथा इसे एन० टी० पी० सी० तथा एक विदेशी कम्पनी स्पैक्ट्रम टैक्नौलोजी मिलकर स्थापित करेंगी ।

डॉ० विश्वनाथम कनिथी : महोदय, विद्युत उत्पादन में जल-विद्युत उत्पादन सबसे सस्ता है । आन्ध्र प्रदेश के सरीकाकुलम तथा सीमावर्ती उड़ीसा क्षेत्र में डाडुमा जल विद्युत परियोजना स्थापित है । इसकी क्षमता कम करके 10 मेगावाट कर दी गई है जबकि पहले इसकी क्षमता 100 मेगावाट है । क्या सरकार इसकी क्षमता बढ़ाने तथा उत्तरी क्षेत्र के पिछड़े हुए सरीकाकुलम जिले में आवश्यक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव रखती है ?

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप ठीक कह रहे हैं ।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, मैं नई परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब के कारणों को समझता हूं। परन्तु रायलसीमा ताप विद्युत घर, मनुगुरू सुपर ताप विद्युत घर, तथा नागार्जुन सागर रेल पूल डैम परियोजनाओं का पहला चरण पूरा हो चुका है। क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इन परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब क्यों हो रहा है जबकि इनका पहला चरण पहले ही स्वीकृत होकर पूरा हो चुका है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सी० ई० ए० अथवा पर्यावरण मन्त्रालय कुछ सूचना राज्य सरकार से मांगते हैं तथा राज्य सरकार यह साधारण सूचना उपलब्ध करवाने में ही समय लगा देती है। इतना सब कुछ करने की बजाय क्या आप राज्य सरकार के सभी विभागों को बुलाकर उन्हें सी० ई० ए० के अधिकारियों के समक्ष बातचीत के लिए आमने-सामने बिठाकर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तथा परियोजनाओं को शीघ्रता से मंजूरी प्रदान नहीं कर सकते? यह परियोजनाएं 1987, 1988 और 1989 से लंबित हैं। आंध्र प्रदेश में गंभीर स्थिति को देखते हुए क्या माननीय मंत्री इसमें रुचि लेंगे और चरण दो के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति देंगे?

श्री कल्पनाथ राय : माननीय सदस्य के प्रश्न में, मैं यही कहना चाहता हूं कि रायलसीमा परियोजना, मानुगुरु परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना और लोअर जुराला परियोजना इसलिए लंबित है क्योंकि जिस भी परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक है, उसके लिए योजना आयोग की स्वीकृति लेनी होगी। मुख्य मुद्दा इन परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध कराने का है। वित्तीय कारणों के कारण ही इन परियोजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।

योजना आयोग इन परियोजनाओं को स्वीकृति देगा। जैसे ही योजना आयोग इन्हें स्वीकृति देगा राज्य सरकार इन पर कार्यवाही आरम्भ कर देगी।

श्री ए० वेंकट रेड्डी : रायलसीमा ताप विद्युत परियोजना के लिए अगस्त, 1990 में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

आंध्र प्रदेश में कोयले की कमी के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस परियोजना को स्वीकृति कब दी जाएगी।

श्री कल्पनाथ राय : जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह रायलसीमा ताप विद्युत परियोजना 420 मे०वा० की है जिसमें 1,200 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। योजना आयोग ने इसे स्वीकृति नहीं दी है। जैसे ही इस परियोजना को स्वीकृति दे दी जाएगी इसे क्रियान्वित कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 370, श्री चिन्मयानन्द स्वामी—अनुपस्थित, श्रीमती शीला गौतम—अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या 371 हस्तांतरित कर दिया गया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मुझे हस्तांतरण के बारे में जानकारी नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में सचिवालय से पूछूंगा।

श्रीमती मालिनी भट्टार्य : भारतीय इस्पात प्राधिकरण के शेयरों के अपनियोजन के बारे में यह एक गंभीर प्रश्न है। इसे अंतरित कैसे कर दिया गया है?

मैं चाहती हूं कि आप मेरे हितों की रक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि इसे किस मंत्रालय को और कैसे अंतरित किया गया। मैं आपको बाद में बताऊंगा।

इसे 12-8-92 में अंतरित कर दिया गया है। उस दिन इसका क्रम संख्या यही रहेगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह 12 अगस्त में कैसे आ सकता है ? यह इस्पात मंत्रालय का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसे दूसरे मंत्रालय को अंतरित किया जा रहा है।

श्री हरि किशोर सिंह : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : इन प्रश्नों का सभा में उत्तर नहीं दिया जा सकता है। आपको इन बातों पर मेरे साथ चर्चा करनी होगी।

दुर्भाग्यवश, कभी-कभी सदस्य उपयुक्त मंत्रालय के बारे में नहीं जानते हैं और ये दूसरे मंत्रालय का नाम दे देते हैं। जब वह मंत्रालय उत्तर देने से इंकार कर देता है और दूसरा मंत्रालय उसका उत्तर देना स्वीकार कर लेता है तब इसे अंतरित किया जाता है। यह बातें सभा पटल पर स्पष्ट नहीं की जाती चाहिए। आप कृपया मेरे कक्ष में आ जाइए, मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूंगा।

[हिन्दी]

पानी के बंटवारे के लिए समिति

*372. **श्री रामलखन सिंह यादव** + :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) पानी का बंटवारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में करने की दिशा में समिति ने अब तक क्या प्रगति की है; और

(घ) किन-किन राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का प्रश्न अभी लम्बित है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जल संसाधन से संबंधित अन्तर्राज्यीय मुद्दों पर एक स्थायी समिति अप्रैल, 1990 में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गयी है, जिसमें राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद से सदस्य लिए गए हैं।

(ग) स्थायी समिति की पहली बैठक सितम्बर, 1990 में आयोजित की गयी। इसमें ओखला तक यमुना जल के बंटवारे से संबंधित मुद्दे पर विचार किया गया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल संसाधन मंत्री मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे तथा इस मामले

को दोबारा समिति के समक्ष रखेंगे ताकि यमुना जल के आबंटन पर सबकी सहमति पर पहुंचा जा सके। जल संसाधन मंत्री ने दिसम्बर, 1991 से जुलाई, 1992 के बीच संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ चार बैठकें आयोजित की हैं।

(घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	नदी बेसिन, जहां जल के बंटवारे से संबंधित मुद्दा है		शामिल राज्य संघ राज्य क्षेत्र
1.	कावेरी	—	तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी
2.	रावी और व्यास	—	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
3.	ओखला तक यमुना	—	हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली
4.	सोन	—	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार

श्री राम लखन सिंह यादव : महोदय, उत्तर में जिन राज्यों की चर्चा की गयी है उसमें बिहार भी एक प्रमुख स्थान रखता है और उसकी बदकिस्मती यह है कि जहां बिहार में सोन नदी से जो पानी निकलता था, उससे बिहार के 8 जिले—औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, भोजपुर, बक्सर और सासाराम आदि—लाभान्वित होते थे और इन सारे जिलों की लगभग 25 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होती थी। जो समझौता हुआ था, तीन राज्यों के बीच में, उसमें केन्द्र भी एक पार्टी है, उसमें बिहार के साथ बहुत अन्याय किया गया है। उसका नतीजा यह हुआ है कि बिहार को आधा पानी भी अब नहीं मिल रहा है। समझौते में जो भी बातें कही गयी थीं, उसके आधार पर भी आप देखेंगे कि उसे जो पानी मिलना था, उसका आधा पानी भी उसे नहीं मिलता है। पानी उसको मिलना था उसके साथ-साथ गड़वा, पलामू और जहां-जहां सूखाड़ क्षेत्र है उनमें पांच परि-योजनाओं को लागू करने की बात कही गई थी कि जल लागू किया जाएगा। वह आज तक लागू नहीं किया गया है। उसके बाद जो पटवन का पानी आता था वह भी रेहन्द बांध में किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न, कमेटी जो पानी का बंटवारा करने वाली है, उसके संबंध में है।

श्री राम लखन सिंह यादव : उसी के बारे में कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अलग बात बोल रहे हैं।

श्री राम लखन सिंह यादव : जो समझौता हुआ था उस समझौते का उल्लंघन करते हुए उत्तर प्रदेश ने दूसरी परियोजना बना दी और रेहन्द बांध का पानी बिजली ताप पर ले गए। नतीजा यह हुआ कि सब तरफ से बिहार को पंगु बना दिया गया है। ऐसी हालत में जो समझौता किया गया था वहां भी बिहार के साथ अन्याय हुआ था। उस समझौते को पूरी तरह से लागू करने

के लिए केन्द्र सरकार और मंत्री जी क्या यह समझते हैं कि बिहार के साथ अन्याय को दूर किया जाएगा ? यदि किया जाएगा तो उसे कितनी देर से लागू करेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, सोन नदी के जल के आबंटन की बात सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर 1973 में हुई। वैसे सोन नदी से जल का उपयोग सिंचाई के लिए बहुत पहले से हो रहा है, सौ वर्षों से अधिक से हो रहा है। उस वक्त इस जल की उपलब्धि का पता लगाया गया। फिर सोन नदी के पानी का उपयोग रेहन्द के साथ जोड़कर करने की बात सोची गई। उसके बाद इसके एक आयोग का भी गठन किया गया 1980 में, जिसकी रिपोर्ट 1988 में आई। उसमें दो महत्वपूर्ण पहलू सामने आए जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। इसमें पूरी जल की उपलब्धता कितनी है, टोटल एवेलेविलिटी ऑफ वाटर के बारे में कुछ नई बात आई जिसको फिर से आंका गया और उसके आधार पर अब आगे इसकी योजना बनाई गई है। पहले जब इसकी योजना 1973 में बनाई गई थी तो ताप योजना थर्मल पावर स्टेशन के लिए कितने जल की आवश्यकता है वह तथा इसके ताप विद्युत उत्पादन और घरेलू उपयोग में कितनी आवश्यकता है उसको, इन दोनों की ओर जो उपयोगिता है उसका फिर से मूल्यांकन किया गया। इसकी पृष्ठभूमि में 1979 में फिर से चार संबंधित राज्यों की बैठक हुई। उसमें फिर से जो समझौता किया गया उसका पूरा विवरण मैं बता देता हूं। उन निर्णयों के अनुसार काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस समझौते के आधार पर यह काम चल रहा है वह शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो समझौता हुआ था उसके बाद, जैसा मंत्री जी ने कहा, हम लोग स्वयं मुख्यमंत्री से मिले, आपस में बातचीत हुई और तीनों प्रदेशों से संबंधित मुख्य अभियंताओं और सचिवों की बैठक दो बार 1983 तक हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि जहां बिहार को 105 लाख एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए था वहां मात्र 77 लाख एकड़ फीट मिला। इस अन्याय को दूर करना चाहिए। इस संबंध में क्या मंत्री जी बताएंगे कि कुछ कदम उठाए गए हैं या नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां, कई कदम उठाए गए हैं और जैसा मैंने कहा कि इस संबंध में बात हुई है और अभी भी इसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक अभी इसी महीने के आखिरी सप्ताह में होने वाली है। मुझे विश्वास है कि उस बैठक में हम काफी इस संबंध में प्रगति कर सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, कुछ राज्यों में पानी के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है लेकिन मुख्य समस्या वित्त की है, विशेष रूप से महाराष्ट्र सहित मध्य प्रदेश के सात सीमा राज्यों में यह समस्या प्रमुख है। दो परियोजनाएं बहुत समय से लम्बित पड़ी हैं। यह खरीगुटी और नवथा परियोजनाएं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय ताप्ती नदी का जल इस्तेमाल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को सिंचाई बांड जारी करने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह बात मन्त्री महोदय पर छोड़ दी है कि वह यह निर्णय करें कि यह उचित है अथवा नहीं।

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, जल बंटवारे के बारे में विवाद नहीं है लेकिन हम इसमें आने वाले खर्च के कारण इसे बांट नहीं सकते हैं। यह मुद्दा धन से ही जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है यह एक पूरक प्रश्न है। इस प्रश्न के बारे में नहीं है। यदि मन्त्री महोदय इसका उत्तर देना चाहते हैं तो वह उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राज्य ने कई बार सोन नदी के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव रखे हैं, विचार रखे हैं, लेकिन धनाभाव के कारण या कई बार बैठकें लगातार होने के बाद समझौता न होने से किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने के कारण मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी हानि हो रही है। अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि कोई बैठक बुलाने जा रहे हैं, उस पर विचार होगा। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, अभी कुछ समय पूर्व इस प्रकार की एक बैठक आयोजित की गई थी, यदि आयोजित की गई थी तो उसका क्या निष्कर्ष रहा और कब तक इसके बारे में अन्तिम निर्णय ले लेंगे ताकि मध्य प्रदेश को उचित भागीदारी मिले।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैंने पूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि पहले जो सभायें हुईं, बैठकें हुईं, उसमें कुछ निष्कर्ष निकाले गए और उन निष्कर्षों के आधार पर चार मुद्दों पर चर्चा हो रही है। उसमें सन्तोषजनक प्रगति हुई है। इस प्रगति को मूर्त रूप देने के लिए इस महीने के अन्त में हमने एक बैठक बुलाई है। मुझे विश्वास है कि हम लोग उसके बारे में अच्छी प्रगति कर सकेंगे।

[अनुवाद]

डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्द्रम : महोदय, कावेरी जल न्यायाधिकरण ने एक अन्तरिम आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि कावेरी बेसिन से 205 टी० एम० सी० जल तमिलनाडु को दे दिया जाए ताकि तमिलनाडु में फसलें उगाई जा सकें।

मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहती हूं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल के बंटवारे से सम्बन्धित समिति ने अब तक क्या प्रगति की है।

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, कावेरी न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश को लागू किया जा रहा है। हम एक निगरानी समिति गठित करना चाहते थे ताकि इस निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें। केन्द्रीय जल आयोग की इस समिति के लिए चारों राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। हमें चारों राज्यों की सहमति प्राप्त नहीं हुई है इसलिए यह समिति गठित नहीं की गई। हमें आशा है कि सम्बन्धित राज्य कावेरी जल न्यायाधिकरण के निर्णय को उचित प्रकार से लागू करेंगे। न्यायाधिकरण के निर्णय की अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए, यह भी कानून के समान ही है। न्यायाधिकरण द्वारा अन्तिम निर्णय देने के लिए अन्तरिम निर्णय की संवीक्षा की जा रही है। तब तक मैं सभी राज्यों से अपील करता हूं कि वह यह देखें कि कावेरी जल के बारे में न्यायाधिरकण के निर्णय का उल्लंघन न हो।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : प्रश्न (क) और (ख) के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा है :

"जल संसाधन से सम्बन्धित अन्तर्राज्यीय मुद्दों पर एक स्थायी समिति अप्रैल 1990 में

केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री की अध्यक्षता में गठित की गयी है, जिसमें राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद से सदस्य लिए गए हैं।"

क्या मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि चार अन्तर्राज्यीय नदियों : कावेरी, रावी, व्यास, यमुना, ओकला और सोन, में से कितने मामलों में न्यायाधिकरण गठित किए गए हैं और कितने मामलों में न्यायाधिकरण ने निर्णय दिए हैं, दिए गए निर्णयों में से कितनों के बारे में भारत सरकार ने अधिसूचनाएं जारी कीं ? यदि उन्होंने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ? इसमें दो बातें हैं—

अध्यक्ष महोदय : इसमें अनेक प्रश्न निहित हैं।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : यदि आप मुझे एक या दो प्रश्नों की अनुमति देंगे तो मैं केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा (**व्यवधान**)। आपने अपने उत्तर में चार अन्तर्राज्यीय नदी न्यायाधिकरणों का उल्लेख किया है। क्या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, विवरण में जिन चार विवादों का उल्लेख किया गया है उन्हें सभा पटल पर रख दिया गया है। पहले और दूसरे विवाद के लिए न्यायाधिकरण गठित किए गए थे, उन्होंने अपने निर्णय दिए थे तथा राज्यों ने अधिसूचना जारी की थीं।

ओखला तक यमुना जल तथा सोन नदी के लिए कोई न्यायाधिकरण गठित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके लिए एक समझौता हुआ था और उस समझौते को लागू करने में कुछ कठिनाइयां हैं। हम इन समझौतों को अद्यतन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इन समस्याओं को सुलझाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो माननीय मन्त्री महोदय कुशल और कुशाग्र हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि यमुना जल विवाद पर जो अभी उन्होंने चार बैठकें की हैं, अन्तिम निष्कर्ष क्या रहा है, कृपया वह अभी बतायें। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि राजस्थान की भाग्य रेखा रावी-व्यास पर निर्भर है। राजस्थान का सारा रेगिस्तान उससे नष्ट हो सकता है। इसलिये 15-20 सालों से सारा विवाद अटका हुआ है। इस जल विवाद के लिये जिस समिति का गठन हुआ, क्या उसकी एक भी बैठक आयोजित की गई है ? अगर की गई है तो उसके क्या निष्कर्ष रहे ? क्या यह भी सही है कि पंजाब के दबाव के कारण हम रावी-व्यास विवाद का निर्णय लेने में असमर्थ रहे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, यमुना जल विवाद के ऊपर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा चार बैठकें हो चुकी हैं। हम समझौते के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। मुझे इस बात की आशा है कि अगली बैठक जो इसी महीने में आयोजित होनी है, उसमें समझौता हो सकेगा। जहां तक रावी-व्यास का सवाल है, उस पर भी किसी प्रकार का कोई अनुचित दबाव पंजाब की तरफ से नहीं आया है। इस सम्बन्ध में जो हम लोगों की बातचीत चल रही है, वह काफी आशाजनक है। एक बात का उल्लेख मैं विशेष रूप से यह करना चाहूंगा कि राजस्थान की

जो स्थिति है, उसके देखते हुए अन्य सम्बन्धित राज्य सरकारों का जो दृष्टिकोण रहा है, वह बहुत उदार रहा है। इसमें जितना राजस्थान का अधिकार बनता है, उतना जल देने के लिये तीनों राज्यों ने अपनी सहमति इसके बारे में जाहिर की है।

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्य मन्त्री तथा राज्यपाल द्वारा यमुना नदी जल के बंटवारे सम्बन्धी बातचीत में पंजाब को न बुलाने के लिए विरोध पत्र लिखने के बावजूद भी पंजाब के मुख्य मन्त्री तथा पंजाब सरकार को यमुना जल विवाद सम्बन्धी बातचीत के लिए अभी तक आमन्त्रित नहीं किया गया है। इस बारे में मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई नदी तटवर्ती सिद्धान्त लागू किया जा रहा है ? इस मामले में पंजाब को नजरअन्दाज किया जा रहा है। क्या इसका कोई अन्य कारण भी है क्योंकि पंजाब यमुना बेसिन के अन्तर्गत आता है और हमें उस नदी से पानी मिल रहा है। यदि पंजाब को यमुना जल विवाद सम्बन्धी बातचीत के लिए आमन्त्रित नहीं किया जाता है तो मैं माननीय मन्त्री को बताना चाहता हूं कि अन्य राज्यों के साथ रावी-ब्यास जल के बंटवारे के सम्बन्ध में असन्तोष व्याप्त हो जाएगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं। यह चर्चा अभी भी चल रही है। मैंने पंजाब के माननीय संसद सदस्यों को इस विषय पर चर्चा के लिए आमन्त्रित किया है। माननीय सदस्यों को जब भी सुविधा होगी हम बैठक बुलाएंगे और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य के मन में जो भी गलतफहमियां हैं वह दूर हो जाएंगी।

[हिन्दी]

चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधन

*373. **श्री मृत्युंजय नायक**+:

श्री छेदी पासवान :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चलचित्र अधिनियम, 1952 में कोई और संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारणमन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

चलचित्र अधिनियम, 1952 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य रूप से प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार हैं :—

(1) बोर्ड के सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 35 करना;

(2) अनिवार्य तथ्यों को दबाने अथवा धोखाधड़ी के परिसिद्ध मामलों में सेंसर प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए एक उपबन्ध जोड़ना;

(3) फिल्म प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं पर कानूनी जिम्मेदारी डालना कि ये फिल्म की कोई प्रति तब तक जारी न करें जब तक कि उस फिल्म का प्रमाणीकरण नहीं कर दिया जाता और उल्लंघन करने पर दण्ड देना;

(4) अप्रमाणित फिल्म दिखाना, गैर वयस्कों को "वयस्क" फिल्म दिखाना, किसी व्यवसाय अथवा वर्ग के सदस्यों के लिए प्रमाणित किसी विशिष्ट फिल्म को अन्य व्यवसायों/वर्गों को दिखाना, प्रमाणीकरण के बाद बदली गई या काट-छांट की गई अन्य फिल्म दिखाना और केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड के किसी आदेश का अनुपालन न करने पर दण्ड को बढ़ाना।

(5) शिकायत मिलने पर किसी फिल्म के प्रिंट को पुलिस अधिकारियों के अलावा बोर्ड के प्रादेशिक अधिकारियों को कब्जे में लेने का अधिकार प्रदान करना और आवेदक के लिए अनिवार्य कर देना कि दृश्य जोड़े जाने के कारण प्रिंट को कब्जे में लिए जाने के मामले में सभी प्रिंटों की जांच कराएं; तथा

(6) अपील की अधिकतम फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करना।

श्री मृत्युंजय नायक : विवरण में प्रस्तावित संशोधन प्रमाणीकरण, सेंसर, जुर्माना, सजा आदि से सम्बन्धित है। इसमें ऐसे नये संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे कि नये उद्यमियों को फिल्म बनाने के लिए कार्य क्षेत्र तथा अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। निजीकरण के बारे में सरकार की नई नीति को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि फिल्म बनाने के लिए विदेशी हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए मन्त्रालय द्वारा क्या विशेष संशोधन करने का प्रस्ताव है?

कुमारी गिरिजा व्यास : ये संशोधन स्वदेशी निर्माताओं तथा स्वदेशी फिल्म बनाने वालों के लिए है। हम विदेशी लोगों को अधिक प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। हमारे पास उनके लिए अलग से नियम है समय-समय पर, 1952 से इसमें सात संशोधन किये गये थे और हम सेंसर बोर्ड को अधिक अधिकार दे रहे हैं।

श्री मृत्युंजय नायक : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस मन्त्रालय के पास इस बात की जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कैसेट कैसे बेची जाती है? कितने छापे मारे गये हैं और कितने मामले दर्ज किये गये और इसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : मुख्य प्रश्न का यह पूरक प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चलचित्र अधिनियम, 1952 के अनुसार पुराने कुछ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन और आर्टिस्ट्स एसोसिएशन या ऐसे किसी एसोसिएशन द्वारा इन्होंने कोई ऐसे संशोधन मंगाए हैं

और यदि नहीं मंगाए तो उसके क्या कारण हैं ? जिस प्रकार गुजरात के अन्दर फिल्में बनती हैं, उसके लिए अलग सेंसर बोर्ड देने की उनकी कोई इच्छा है या इन्होंने ऐसा कोई अधिनियम बनाया है कि गुजरात को अलग सेंसर बोर्ड दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार अलग-अलग स्टेट्स में सेंसर बोर्ड दिए जाते हैं गुजरात में इतनी फिल्में बनती हैं कि वहां अलग सेंसर बोर्ड दे सकते हैं ।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि ऊटी के अन्दर हमारी एक बहुत बड़ी लैबोरेटरी है वह बेकार पड़ी हुई है, वहां कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या उसके लिए कोई अधिनियम बनाया हुआ है जो ऊटी की फैक्ट्री को ज्यादा कार्यरत बनाए ?

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी अमेंडमेंट या बिल लाने से पूर्व विभिन्न प्रोड्यूसर्स और आफिसर्स से वार्ता की जाती है । इस बार भी जो नए बिल लाने की बात है, उस पर निश्चित रूप से प्रोड्यूसर्स और एसोसिएशंस के साथ विस्तृत वार्ता की गई है जहां तक गुजरात का प्रश्न है अभी तक बाम्बे रिजनल से गुजरात की फिल्मों का सेंसर होता है लेकिन आपकी मांग को देखते हुए मैंने इस बात को नोट कर लिया है और जब भी समय आएगा तब इस चीज को नजर में रखा जाएगा । जहां तक ऊटी का प्रश्न है यह मामला देखा जाएगा ।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : चूंकि यह चलचित्र अधिनियम बहुत पुराना है तथा इसमे समय-समय पर खण्डशः संशोधन किये गये हैं, अतः मैं मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है तथा इसमें लोकतन्त्र की कमी के आरोप लगाये गये हैं। ऐसे आरोपों को ध्यान में रखते हुए, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या वे चलचित्र अधिनियम में व्यापक समीक्षा के लिए न केवल विशेषज्ञों की सलाह से बल्कि, इस विषय पर राष्ट्रीय वाद-विवाद के आधार पर विचार करेंगे ।

श्री अजित पांजा : वास्तव में यह संशोधन, समिति बनाने के बाद समूचे अधिनियम पर अध्ययन करने के बाद, लाया गया था। इसमें 1952 से 1953, 1957, 1959, 1960, 1973 1981 तथा 1984 में संशोधन किये गए थे । इसके अलावा इस सदन के तथा राज्य सभा के माननीय सदस्यों तथा महिला संगठन के सदस्यों द्वारा उठाई गई इन मांगों के बारे में हमने एक समिति बनाई थी कि सेक्स तथा हिंसा अनावश्यक रूप से दिखाई जा रही है जिसके फलस्वरूप बिना कारण अश्लीलता पैदा होती है और लोग प्रभावित होते हैं । अतः श्री सिंघल की अध्यक्षता में गठित समिति ने समूचे अधिनियम का अवलोकन किया और कुछ संशोधन का सुझाव दिया है इन परिस्थितियों में यह संशोधन लाया गया है । जब यह समिति इसका अध्ययन कर रही थी तो वे सिनेमा उद्योग के विभिन्न प्रतिनिधि ग्रुपों से मिले थे जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा पहले प्रश्न में भी पूछा गया था । वे सिनेमा उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तियों से मिले थे लेकिन कोई सार्वजनिक वाद-विवाद नहीं किया गया ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : दर्शकों के ग्रुप के बारे में क्या हुआ है ? क्या उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया गया था ?

श्री अजित पांजा : एक मायने में दर्शकों के ग्रुपों को नहीं। दर्शकों का कोई संगठित ग्रुप नहीं है। लेकिन कुछ संगठित जाने-माने ग्रुप हैं। जैसा कि 'मोशन पिक्चर एसोसिएशन' तथा अन्य ऐसे ही ग्रुप संगठित ग्रुप हैं तथा उनके कुछ विचारों पर ध्यान दिया गया—बल्कि अधिकतर पर ध्यान दिया गया।

हालांकि यह 1952 का पुराना अधिनियम है। यह अधिनियम 1950 के संविधान के तुरन्त बाद लाया गया था। अत्यधिक आवश्यकता के बावजूद भी इस अधिनियम के लिए सभी पहलुओं पर विस्तार से अध्ययन किया गया था। अतः समूचे अधिनियम में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, कुछ संशोधनों की आवश्यकता महसूस की गई थी, अतः उसी के अनुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कश्मीर में विदेशी पर्यटक

[अनुवाद]

*370. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के दौरान कश्मीर में कुल कितने विदेशी पर्यटक आए और इससे पहले के वर्ष की तुलना में यह संख्या कम है या अधिक ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1991-92 में 5,134 विदेशी पर्यटक जम्मू और कश्मीर की यात्रा पर आए थे जबकि वर्ष 1990-91 में इनकी संख्या 3,494 थी ।

कालीकट विमानपत्तन में उत्प्रवासन और माल ढुलाई सुविधाएं

*374. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट में उत्प्रवासन जांच कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि कालीकट विमान-पत्तन पर माल-ढुलाई सुविधा प्रदान की जाये;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) कामगारों के अनेक वर्गों को उत्प्रवासन सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट दी गई है। अतः इस समय श्रम मन्त्रालय कालीकट में उत्प्रवासी संरक्षक का कार्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं समझता है।

(घ) से (च) कालीकट हवाई अड्डे पर हवाई कार्गो काम्पलैक्स की स्थापना के लिए मालाबार वाणिज्य मण्डल से अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस हवाई अड्डे पर स्थान की अत्यधिक कमी है और इसलिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की हवाई कार्गो काम्पलैक्स की स्थापना के लिए तत्काल कोई योजना नहीं है।

द्वीप पर्यटन कार्यक्रम

*375. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक** : **क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "द्वीप पर्यटन कार्यक्रम" शुरू करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार अण्डमान निकोबार और लक्षद्वीप में आधारभूत पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध करने का है; और

(ग) क्या ये सुविधाएं इस प्रकार तैयार की गई हैं कि ये इन दो द्वीपसमूह की पारिस्थितिकी के पूर्णतः अनुरूप हों ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) सरकार की यह नीति रही है कि पर्यटन का संवर्धन मुख्यतः प्राइवेट क्षेत्र से कराने को प्रोत्साहित किया जाए। हाल ही में लक्षद्वीप और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में से प्रत्येक में दो-दो स्थानों पर विहार-स्थलों की स्थापना करने के लिए प्राइवेट पार्टियों से प्रस्ताव आमन्त्रित किए गए हैं। इन प्रस्तावों पर निवेश नीति, पर्यावरण विनियमों और देश में पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं का विकास करने की जरूरत से जुड़े अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर निजी निर्माताओं के लिए समय-सीमा का निर्धारण

*376. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निजी निर्माताओं हेतु समय सीमा निर्धारित करने के लिए हाल ही में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु प्रसारण परिषद गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) : जी, हां। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में दूरदर्शन के मैट्रो चैनलों तथा वहाँ पर आकाशवाणी के एफ० एम० चैनलों पर समय आवंटित करने की स्कीम की परिकल्पना है। स्कीम में एक प्रसारण परिषद की भी परिकल्पना है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा आठ सदस्य होंगे, जो सार्वजनिक सूचना देकर निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाली इच्छुक पार्टियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित करेगी तथा इसके बाद इन आवेदकों में से चयन करेगी।

गैस टर्बाइन एकक

*377. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु गैस टर्बाइन एकक स्थापित करने के लिए अनुमति दे दी है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग के प्रश्न पर भी विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) : राज्य क्षेत्र के विमान गैस टर्बाइन विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	क्षमता (मे० वा०)	राज्य
1	2	3	4
1.	कथलगुडी मोबाइल जीटी एवं गोलाकी	21	असम
2.	लाकवा जीटी	60	असम
3.	नामरूप जीटी	103	असम
4.	बारामुरा जीटी	16	त्रिपुरा
5.	रोखिया जीटी	16	त्रिपुरा
6.	डेसू जीटी	180	दिल्ली

1	2	3	4
7.	धुवरण	54	गुजरात
8.	उरण जीटी	672	महाराष्ट्र
9.	विज्जेश्वरम	99	आन्ध्र प्रदेश
10.	उतराण	39	गुजरात
11.	नारिमन	10	तमिलनाडु
12.	पम्पोर जीटी	75	जम्मू एवं कश्मीर
13.	सिलिगुड़ी	20	प० बंगाल
14.	हल्दिया	40	प० बंगाल

राज्य क्षेत्र की स्वीकृत एवं निर्माणाधीन गैस टर्बाइन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	क्षमता (मे० वा०)	राज्य
1.	लाकवा जीटी	3 × 20	असम
2.	लाकवा अपशिष्ट ऊष्मा परियोजना	1 × 22	असम
3.	अमगुड़ी सीसीजीटी	8 × 30 जीटी + 4 × 30 एसटी	असम
4.	दिल्ली अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी परियोजना	3 × 34	दिल्ली
5	उतराण सीसीजीटी	3 × 33 जीटी + 1 × 45 एसटी	गुजरात
6.	करैकाल सीसीजीटी परियोजना	3 × 5 जीटी + 1 × 7.5 एसटी	पाण्डिचेरी
7.	रामगढ़ जीटी	1 × 3	राजस्थान
8.	पम्पोर जीटी चरण-2	4 × 25	जम्मू एवं कश्मीर
9.	उरण अपशिष्ट ऊष्मा परियोजना	3 × 120	महाराष्ट्र
10.	बेसिन ब्रिज जीटी	4 × 30	तमिलनाडु

बेसिन ब्रिज गैस टर्बाइन विद्युत परियोजना (तमिलनाडु) के लिए जापान के ओवरसीज़ इकोनामिक कोआपरेशन फण्ड (ओ० ई० सी० एफ०) के माध्यम से तथा उरण अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी परियोजना (महाराष्ट्र) के लिए जर्मनी से विदेशी सहायता उपलब्ध है। असम सरकार द्वारा अमगुरी परियोजना को एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

इण्डियन एयरलाइन्स की सेवायें

*378. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून 1992 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं में कमी के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान में विलम्ब/व्यवधान की घटनाओं, औद्योगिक अशान्ति, अन्तर-सम्बद्ध विभागों में समन्वय का अभाव, विमान के पुर्जों की कमी, विमान अनुरक्षण एवं यात्री संचालन व्यवस्था में खामियों का उल्लेख किया गया है।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स ने परिचालन विश्वसनीयता में सुधार करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) समय-पाबन्दी सम्बन्धी कार्य-निष्पादन पर निकटता से निगरानी रखना;

(2) उड़ानों के बीच अन्तराल के रूप में संशोधित ब्लाक टाइम और बर्धित ग्राउण्ड टाइम का समावेश करते हुये समयावलि को युक्ति-संगत बनाना;

(3) क्षेत्रों और मुख्यालयों में खामियों को ठीक करने के लिये की गई कार्रवाई की समीक्षा;

(4) उत्पादकता में सुधार लाने की दृष्टि से कर्मचारियों के साथ बातचीत;

(5) समय पर आपूर्ति के लिये कल-पुर्जों के निर्माताओं के साथ निकट सम्पर्क रखना;

(6) आरक्षण, उड़ान सूचना, हवाई अड्डे पर यात्री और सामान के संचालन सम्बन्धी क्षेत्रों में ग्राहक सेवाओं को सुव्यवस्थित करना;

(7) उड़ान-गत खान-पान सेवा में सुधार।

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

*379. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे दर्जे के 12 विमानपत्तनों के और दिल्ली और मुम्बई में विमान यातायात नियंत्रण सुविधाओं के आधुनिकीकरण संबंधी राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना का कार्यान्वयन इस समय किस स्तर पर है:

(ख) आधुनिकीकरण के इस कार्यक्रम में कलकत्ता को शामिल न करने तथा वहां पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्य के लिए विभिन्न निविदादाताओं ने व्यक्तिगत आधार पर क्या दरें दी थीं और इसके लिए चुनी गयी निविदाओं की दरें क्या हैं;

(घ) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक लिमिटेड को कोई ठेका दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अनुमानित कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी तथा इन निविदादाता विदेशी कम्पनियों द्वारा आसान शर्तों पर कितना-कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और क्या वे भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड को अपनी प्रौद्योगिकी देने को तैयार हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने माडल हवाई अड्डों के रूप में विकसित किये जा रहे 12 हवाई अड्डों में से, 11 हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवनों के विस्तार/निर्माण के लिये संकल्पनात्मक योजनाएं तैयार कर ली हैं। कोयम्बतूर में हाल में चालू किये गए टर्मिनल भवन में तत्काल विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिये बोलियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) हवाई अड्डों पर टर्मिनल और अन्य आधारभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रचालक (एयर लाइन) द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एक चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कलकत्ता हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के विस्तार की योजना पहले ही शुरू कर दी है।

(ग) से (च) चूंकि बोलियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है, अतः अलग-अलग बोली के ब्यौरे बताना अभी समय-पूर्व होगा।

इस्पात क्षेत्र में मजदूरी समझौता

*380. **श्री हाराधन राय** :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग में मजदूरी समझौता बहुत पहले हो जाना चाहिए था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस्पात उद्योग में मजदूरी समझौता 31-12-1991 को समाप्त हो गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन को सलाह दी है कि जब तक नई मजदूरी-नीति बनाई और घोषित नहीं की जाती है तब तक वे अपने कामगार संघों के साथ प्रतिबद्धता अथवा कोई समझौता ज्ञापन न करें।

[हिन्दी]

उड़ीसा में सार्वजनिक नलकूप

*381. **श्री श्रीकान्त जैना** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से उड़ीसा में सार्वजनिक नलकूप लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विश्व बैंक से प्राप्त हुई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस सहायता से कितने नलकूप लगाये गए; और

(ङ) 1992 के दौरान राज्य में विश्व बैंक की सहायता से कितने नलकूप लगाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से सार्वजनिक नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आठवीं योजना में विद्युत क्षेत्र को धनराशि का नियतन

*382. **श्री महेश कनोडिया :**

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या इस योजना परिव्यय में कोई कटौती की गई है;

(ग) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हेतु तथा राज्यों में वर्तमान विद्युत संयंत्रों के रख-रखाव के लिए कितनी धनराशि का निर्धारण किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस हेतु निर्धारित योजना परिव्यय में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन किए अनुसार, 8वीं योजना में विद्युत क्षेत्र हेतु कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 79589.32 करोड़ रुपये है जिसमें राज्य क्षेत्र में 48407.74 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 31181.58 करोड़ रुपये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) स्कीमवार अनुमोदित परिव्यय सम्बन्धी ब्यौरा, योजना आयोग द्वारा राज्य एवं केन्द्रीय क्षेत्र एजेंसियों के परामर्श से तैयार किया जाना है।

(घ) और (ङ) परिव्यय में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ऊर्जा के क्षेत्र में पारिस्थितिकी के अनुकूल प्रौद्योगिकी

*383. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में पारिस्थितिकी के अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाने पर खर्च होने वाली धनराशि का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जायेंगे ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) सभी विद्युत परियोजनाओं के मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है। इस सम्बन्ध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट पदार्थों और वायु प्रदूषण के नियंत्रण सम्बन्धी प्रावधान किया गया है। पारिस्थितिकी दृष्टि से अनुकूल विभिन्न प्रौद्योगिकियों सम्बन्धी लागत को परियोजना लागत का एक अभिन्न अंग माना जाता है और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के दौरान पर्यावरणीय पहलुओं को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाता है। चूंकि परियोजनाओं की लागत में परिवर्तन होता रहता है, अतः पारिस्थितिकी दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकियों के सम्बन्ध में व्यय आदि का अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिला विमानचालक

*384. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिला विमानचालकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का महिला विमानचालकों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) महिलाओं को विभिन्न श्रेणियों के 263 पायलेट लाइसेंस जारी किये गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा प्रचार पर व्यय की गई राशि

*385. **श्री रामदेव राम :**

श्री ललित उरांव :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विज्ञापन और प्रचार पर कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस बारे में दिये गये निर्देशों का बोकारो इस्पात संयंत्र ने पालन किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा प्रति वर्ष विज्ञापन और प्रचार पर निम्नलिखित राशि व्यय की गई है—

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	वर्ष	व्यय*
1.	1989-90	37.65
2.	1990-91	27.71
3.	1991-92	35-02

*(विज्ञापन और प्रचार पर हुए व्यय में भर्ती और निविदाओं के लिए वाणिज्यिक विज्ञापन जैसे विज्ञापन शामिल नहीं हैं।

(ख) जी, हां। बोकारो इस्पात संयंत्र समय-समय पर सरकार द्वारा इस विषय पर जारी निर्देशों का पालन करता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन सुविधाएं

*386. **श्री के० प्रधानी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन सुविधा देने के मामले में सरकार की क्या उपलब्धि रही है;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं योजना के लिए इस सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार रहीं—

—स्थानीय स्विचन क्षमता में 19.6 लाख लाइनों की निवल वृद्धि।

—सीधी एक्सचेंज लाइनों में 16.9 लाख लाइनों की निवल वृद्धि।

—ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी दूरी के 6808 सार्वजनिक टेलीफोनों की निवल वृद्धि।

—10760 टेलेक्स लाइनों तक क्षमता में वृद्धि।

—54 उपग्रह भू-केन्द्र चालू करना।

(ख) जी हां।

(ग) आठवीं योजना (1992-97) प्रस्ताव इस प्रकार हैं—

—स्थानीय स्विचन क्षमता में 93 लाख लाइनों की निवल वृद्धि।

—सीधी एक्सचेंज लाइनों में 75 लाख लाइनों की निवल वृद्धि।

—31200 टेलेक्स लाइनों तक क्षमता में वृद्धि।

—सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करना।

—सभी एक्सचेंजों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा का विस्तार करना।

—ग्राहक सेवाओं जैसे डायरेक्टरी पूछ-ताछ, मैनुअल ट्रंक सेवाओं, बिलिंग तथा दोष मरम्मत सेवाओं का कंप्यूटरीकरण।

पांच लाख अथवा इससे अधिक आबादी वाले सभी शहरों में निम्नलिखित मूल्य वर्धित सेवाएं मुख्यतया प्रस्तावकों के आधार पर प्रदान करने की योजना है—

—सेलुलर माबाइल सर्विस

—वॉयस मेल सर्विस

—इलेक्ट्रानिक मेल सर्विस

—आडियो कॉनफ्रेंसिंग सर्विस

—रेडियो पेजिंग

—वीडियोटेक्स

(घ) योजना आयोग ने दूरसंचार सेवाओं सहित दूरसंचार सेक्टर के लिए 25137 करोड़ रुपए के परिव्यय की मंजूरी प्रदान की है।

केरल के अलेप्पी जिले में स्वचालित टेलीफ़ोन एक्सचेंज

3776. **श्री थाइल जान अंजलोज :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा केरल के अलेप्पी जिले में एस०टी०डी० सुविधायुक्त स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय के उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) अलेप्पी के सभी 38 वर्तमान एक्सचेंज ऑटोमेटिक हैं और इस जिले में फिलहाल कोई नया एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

इस समय अलेप्पी जिले के 14 स्थानों पर एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध है। तीन अन्य एक्सचेंजों अर्थात् मुथुकुलम, कोल्लाकांडवू तथा कट्टानम में मार्च, 1993 तक प्रदान करने की योजना है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में हड़ताल

3777. **श्री एन० डेनिस :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने सितम्बर, 1991 में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पर्यावरण हेतु इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यमों पर दिया गया समय

*3778 : **श्री गुमानमल लोढ़ा** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपने विनिर्णय में सरकार को पर्यावरण हेतु इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यमों पर समय के आवंटन के बारे में निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यमों के द्वारा पशु कल्याण और निरामिषता को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) पुनर्प्रयोज्य और प्रदूषण रहित पशु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : आकाशवाणी केन्द्रों से पशु कल्याण पर प्रति सप्ताह 3-4 कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। हर रोज सुबह, दोपहर और शाम तीन बार कृषि और अपना घर कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। हर साल आकाशवाणी के सभी केन्द्रों द्वारा 14 जनवरी से 28 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाता है जिसमें इस विषय पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में निरामिष भोजन की उपादेयता का महत्व बताया जाता है और पोषाहार शिक्षा अभियान कार्यक्रमों में प्रोटीन के वानस्पतिक स्रोतों पर जोर दिया जाता है।

दूरदर्शन पशु कल्याण और निरामिषता पर विभिन्न रूपों में कार्यक्रम प्रसारित करता रहा है। दूरदर्शन द्वारा नवीकरणीय और गैर-प्रदूषक पशु ऊर्जा के विषय पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। दूरदर्शन के प्रादेशिक केन्द्रों से विभिन्न अन्तरालों में स्पाटों का प्रसारण करने के अलावा प्रत्येक सप्ताह पर्यावरण विषयक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं।

फिल्म उद्योग में फिल्मों की खपत

3779 : **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के फिल्म उद्योग में रंगीन पॉजीटिव और नेगेटिव फिल्मों की वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन फिल्मों का कितना आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का विचार देश में एक फिल्म निर्माण एकक स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सूचना संलग्न विवरण 1 में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ने पहले ही इस सम्बन्ध में व्यावहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। साधनों की कमी के कारण सातवीं योजना के दौरान इस परियोजना को हाथ में नहीं लिया जा सका।

विवरण-1

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रंगीन पाजीटिवों और रंगीन निगेटिवों की आवश्यकता इस प्रकार है :—

रंगीन पाजीटिव फिल्में :

भारी उद्योग विभाग (हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स) ने बताया है कि सिनेमा उद्योग अपनी आवश्यकता के लिए सीधे मांग नहीं करता। तथापि, जम्बो परिवर्तन कार्यक्रम के जरिए वे सिनेमा उद्योग की रंगीन पाजीटिव फिल्म की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान फोटो फिल्म द्वारा सिनेमा रंगीन पाजीटिव जम्बो की सप्लाई का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (लाख वर्ग मीटर)
1989-90	47.46
1990-91	38.45
1991-92	33.73

रंगीन निगेटिव फिल्में :

फिल्म उद्योग के लिए रंगीन निगेटिव की वार्षिक आवश्यकता मोटे तौर पर इस प्रकार है :—

35 एम० एम० (1000 फुट रोल) — 45000 रोल

16 एम० एम० (400 फुट रोल) — 10000 रोल

विवरण-2

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आयात की गई फिल्म की मात्रा और इस पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा की राशि इस प्रकार है :—

रंगीन पाजीटिव फिल्में :

गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा सिनेमा रंगीन पाजीटिव जम्बो के आयात का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (लाख वर्ग मीटर)	जी० आई० एफ० मूल्य (लाख रुपये)
1989-90	46.60	2780
1990-91	41.16	2659
1991-92	28.25	3577

रंगीन निगेटिव फिल्में :

गत तीन वर्षों में किए गये आयात के आंकड़े नीचे दिए गये हैं :

चूंकि रोलों का आयात या तो हजार फुट में अथवा चार सौ फुट में किया जाता है अतः नीचे दी गई मात्रा केवल हजार फुट में दर्शाई गई है।

वर्ष	रोलों में मात्रा	मूल्य (करोड़ रुपये)	
——	(प्रति हजार फुट)	जी० सी० ए०	आर० सी० ए०
1989-90	41,500	12.50	1.50
1990-91	44,160	13.55	1.18
1991-92	30,610	17.30	—

टिप्पणी :

जी० सी० ए०—जनरल करेंसी एरिया

आर० सी० ए०—रुपी करेंसी एरिया

1990-91 तक पूर्वी जर्मनी से औरवो स्टाफ एकीकरण तक आर० सी० ए० के तहत आयात किया गया इसके बाद इसे जी० सी० ए० के अन्तर्गत लाया गया।

सरकार द्वारा 91-92 में किया गया कुल आबंटन 20 करोड़ रुपये था जिसे प्राधिकृत डीलरों में वितरित किया गया था किन्तु हमें पता चला है कि इस आबंटन का केवल करीब 17.30 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। अप्रैल, 1992 इस मद का विसरणीकरण (डिकैनलाइजेशन) किया गया तब विशेष आबंटन की आवश्यकता नहीं थी।

[हिन्दी]

दूरसंचार सर्किलों के प्रमुखों का सम्मेलन

3780 **श्री एन० जे० राठवा : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1992 में दूरसंचार सर्किलों के प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वालों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई तथा इसमें दिए गए सुझावों और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में भाग लेने वाले इस प्रकार हैं :—

अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग,

दूरसंचार आयोग के सभी सदस्य

दूरसंचार आयोग के सभी सलाहकार

दूरसंचार सर्किल/मेट्रो जिलों तथा

अन्य कार्यकारी यूनिटों के सभी मुख्य महाप्रबन्धक ।

दूरसंचार विभाग के अपर सचिव, विशेष कार्य अधिकारी

(एस. पी.), दूरसंचार विभाग, बेतार सलाहकार

ओ. सी. एस. दूरसंचार निदेशालय तथा टी. ई. सी. के सभी

वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक, एम. टी. एन. एल./

आई. टी. आई./एच. टी. एल./वी. एस. एन. एल./टी. सी. आई. एल/

सी-डॉट के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक/दूर-संचार विभाग के संयुक्त सचिव

प्रशासन एवं संसदीय सभी मुख्य इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मुख्य वास्तुविद ।

(ग) (1) ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी एक्सचेंजों को मार्च, 93 तक पूर्ण रूपेण आटोमेटिक कराना ।

(2) सभी तहसील मुख्यालयों पर समयबद्ध रूप से एस. टी. डी. सुविधाएं प्रदान करना ।

(3) इस वर्ष के अन्त तक राजमार्गों पर हर 50 कि० मी० की दूरी पर एस० टी० डी० पी० सी० ओ० की व्यवस्था करना ।

(4) ओ० वाई० टी० श्रेणी की प्रतीक्षा सूची को 6 महीने तक तथा सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार करना ।

(5) सभी शार्ट डिसटेंस चार्जिंग एरिया (एस० डी० सी० ए) क्षेत्रों में सभी आटोमेटिक

एक्सचेंजों के बीच इण्टर डायलिंग करने की योजना को प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ।

(6) 1992-93 में 8.5 लाख टेलीफोन कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

(7) सेवा सम्बन्धी अन्य मामले ।

(घ) सभी मदों पर अनुवर्ती कार्रवाही शुरू कर दी गई है ।

उत्तर प्रदेश में और अधिक दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराना

3781. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में और अधिक दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

टेलीफोन सुविधाएं

1992-93 के दौरान लगभग 52500 निवल टेलीफोन लाइनों की वृद्धि की जाने की योजना है । इसके अन्तर्गत आने वाले कुछ बड़े (एम एएक्स-1) एक्सचेंजों के स्थानों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. शाहदरा ईस्ट
2. राजेन्द्र नगर
3. कौशाम्बी
4. बाराबंकी
5. शामली
6. हरिद्वार
7. रुड़की
8. ऋषिकेश
9. हलद्वानी
10. अलीगढ़
11. कोटद्वार
12. अलमोड़ा
13. चंदौसी

14. बदायूं

15. बस्ती

16. आगरा

इसके अतिरिक्त 18 स्थानों पर 1000 लाइन वाले सी-डॉट एक्सचेंज तथा विभिन्न स्थानों पर छोटे और मध्यम आकार वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की लगभग 377 यूनिटें स्थापित करने की योजना है।

टेलेक्स सुविधाएं

1992-93 के दौरान तेरह केन्द्रों में कुल 670 टेलेक्स लाइनों का विस्तार करने की योजना है।

एसटीडी सुविधाएं

1992-93 के दौरान 50 से भी अधिक स्थानों पर एसटीडी सुविधा प्रदान करने की योजना है।

संचार सुविधाएं

1992-93 के दौरान विभिन्न स्थानों पर 40 से भी अधिक पराउच्च आवृत्ति (यूएचएफ) और 150 से भी अधिक वाहक (कैरियर) प्रणालियां प्रदान करने की योजना है।

इसके अलावा लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन और ग्राम पंचायतों को टेलीफोन प्रदान करने की योजना भी है।

[अनुवाद]

राजस्थान से प्रकाशित समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन

3782. **श्री राम नारायण बैरवा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के लिए क्या मानक नियम व विनियम अपनाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मानकों को सरल बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) राजस्थान से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के लिए कोई अलग से मानदण्ड/नियम/विनिमय नहीं अपनाए जाते। प्रचार की अपेक्षाओं और राशि की उपलब्धता के अनुसार ही उन्हीं समाचार पत्रों को विज्ञापन दिए जाते हैं जिनके नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में दर्ज होते हैं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

नई इस्पात वितरण नीति

3783. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री एस० वी० थोरात :

क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1992 से लागू की जाने वाली नई इस्पात वितरण नीति के दिशा निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या इसके अन्तर्गत 100 प्रतिशत विकासोन्मुखी एककों को कोई वरीयता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय को सरकारी/गैर सरकारी एककों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित और विद्युत क्षेत्र से सम्बन्धित कार्य में लगे हुए एककों को वरीयता के आधार पर कच्चे माल के तदर्थ आवंटन की अनुमति देने के लिए कोई प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन अनुरोधों के आधार पर कच्चे माल का आवंटन न किये जाने का कोई मामला प्रकाश में आया है; और

(छ) यदि हां, यो उसके क्या कारण हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) लोहे और इस्पात के विवरण पर से दिनांक 16-1-1992 से नियन्त्रण हटा लिया गया था। तथापि, मुख्य उत्पादकों द्वारा समय-समय पर घोषित मूल्यों पर रक्षा, रेलवे, इंजीनियरी सामग्री के निर्यातकों, लघु उद्योग क्षेत्र तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों को सप्लाई करने में प्राथमिकता दी जाएगी। विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त मुख्य उत्पादकों द्वारा तैयार किए जाएंगे।

(ख) और (ग) इंजीनियरी माल के निर्यातकों को सप्लाई में प्राथमिकता दी जा रही है। जिसमें इंजीनियरी माल के क्षेत्र में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयां भी शामिल होंगी।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विद्युत बोर्डों की निम्नलिखित मांगें विकास आयुक्त लोहा और इस्पात को भेजी हैं :—

1.	असम राज्य विद्युत बोर्ड	—	7168 टन
2.	त्रिपुरा विद्युत विभाग	—	300 टन
3.	उत्तर-पूर्वी इलेक्ट्रीसिटी पावर कारपोरेशन (निपको) लि०	—	229 टन
4.	मणिपुर विद्युत विभाग	—	2290 टन
5.	मिजोरम विद्युत विभाग	—	2516 टन
6.	नागालैण्ड बिजली विभाग	—	620 टन
7.	सिक्किम विद्युत विभाग	—	1232 टन
		कुल :	14355 टन

(च) और (छ) चूंकि राज्य विद्युत बोर्डों ने अपने सम्बन्धित राज्यों के नोडल प्राधिकारियों के माध्यम से भी अपनी मांगें भेजी हैं। अतः सम्बन्धित राज्यों के नोडल प्राधिकारियों के लिए तैयार की गई आपूर्ति योजना के माध्यम से उनकी मांगों को सम्भव सीमा तक पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

आगरा, उत्तर प्रदेश में नये टेलीफोन कनेक्शन

3784. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा में अब तक श्रेणीवार कितने लोग टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आगरा में प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों को 10 हजार कनेक्शन दिलाने के लिए 13 हजार कनेक्शनों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से जोड़ने का है (अमर उजाला दिनांक 7 जुलाई, 1992); और

(ग) यदि हां, तो इन लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) आगरा में, 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार, टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदन पत्रों की संख्या श्रेणीवार नीचे दी है :

ओ वाई टी	706
विशेष	1327
सामान्य	13832

प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या उपर्युक्त संख्या से थोड़ी-सी कम हो सकती है क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने एक से अधिक टेलीफोनों के लिए आवेदन दिया होगा।

(ख) और (ग) आगरा में 5000 लाइनों के क्रास बार एक्सचेंज की संस्थापना का कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च, 1993 तक चालू हो जाने की आशा है। आगरा के लिए 5000 लाइनों के ई 10 बी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की भी योजना बनाई गई है और इसके मार्च, 1993 तक चालू हो जाने की आशा है। इनके अलावा, 12500 लाइनों वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के मार्च, 1994 तक चालू किये जाने की आशा है। वर्तमान प्रतीक्षा सूची को 1995 तक निपटाए जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में दूरसंचार तथा डाक और तार विभाग के स्टाफ क्वार्टर

3785. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के श्रीनगर और पौड़ी में दूरसंचार तथा डाक और तार विभाग के स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों पर निर्माण कार्य की मंजूरी कब दी गयी थी;

(ग) क्या कार्य के कार्यान्वयन में कोई देरी हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पौड़ी में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) दूरसंचार विभाग :

(i) श्रीनगर के लिए : जी हां।

(ii) पौड़ी के लिए : जी नहीं।

डाक विभाग : जी नहीं।

(ख) दूरसंचार विभाग : (i) श्रीनगर के लिए : 10-4-90।

(ii) पौड़ी के लिए : प्राक्कलन अभी मंजूर नहीं किए गए हैं।

डाक विभाग : श्रीनगर के संबंध में अभी तक कोई मंजूरी जारी नहीं की गई है। तथापि, पौड़ी के मामले में 14-1-92 को एक मंजूरी जारी की गई थी।

(ग) दूरसंचार विभाग : (i) श्रीनगर के लिए : जी नहीं। अब स्टाफ क्वार्टर करीब-करीब पूरे बन चुके हैं।

(ii) पौड़ी के लिए : जी नहीं। अभी कार्य की योजना बनाई जा रही है।

डाक विभाग : जी हां।

(घ) दूरसंचार विभाग : (i) श्रीनगर के लिए : लागू नहीं होता।

(ii) पौड़ी के लिए : लागू नहीं होता।

डाक विभाग (घ) श्रीनगर में राज्य सरकार से कोई भूमि उपलब्ध नहीं हुई थी। अत: निजी भूमि की खरीद के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। जहां तक पौड़ी का संबंध है, नगर-पालिका के अनुमोदन इत्यादि की प्रतीक्षा है।

(ङ) निर्माण स्थल के लिए मास्टर प्लान मंजूर हो गया है। आरंभिक नक्शे तैयार किये जा रहे हैं। भवन के 1995 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

बिहार में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विस्थापित किए गए लोगों को मुआवजा

3786. **श्री विजय कुमार यादव : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने बिहार के नालन्दा जिले के बिहार शरीफ में एक उच्च ताप विद्युत ग्रिड स्थापित करने के लिए जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया था उन्हें उनकी भूमि के बदले पर्याप्त नौकरियां और मुआवजा नहीं दिया है;

(ख) क्या इससे किसानों में असंतोष है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन किसानों को रोजगार और पर्याप्त मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) नालन्दा जिले के बिहार शरीफ में 400/200 के० वी० का निर्माण किए जाने के लिए बिहार सरकार के जरिए राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम (एन० पी० टी० सी०) द्वारा 149 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई थी। भूमि अधिग्रहण संबंधी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुआवजे की राशि के बारे में लिये गये निर्णय और बिहार राज्य सरकार द्वारा, जिसकी मांग की गई, अधिकृत भू-विस्थापितों को भुगतान न किये जाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा जिला प्रशासन को इस राशि का भुगतान कर दिया था। इस राशि के बारे में निर्णय स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा ही लिया जाता है। इस मामले में भी जिला प्रशासन द्वारा जब कभी भी मुआवजे की राशि के बारे में मांग की गई है परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तुरन्त ही इसका भुगतान किया गया है। जहां तक भू-विस्थापितों को रोजगार दिये जाने का संबंध है, सरकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अकुशल श्रमिक संबंधी शक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भू-विस्थापितों द्वारा भरा जाना अपेक्षित होता है। अकुशल श्रेणियों से संबंधित उपलब्ध शक्तियों को भू-विस्थापितों के द्वारा भरे जाने के लिये एन०टी०पी०सी०/एन०पी०टी०सी० द्वारा सभी अपेक्षित कदम उठाए गए हैं।

(ख) और (ग) किसानों में असंतोष व्याप्त होने का मुख्य कारण दोधा के लिये भुगतान की गई मुआवजे की राशि की अपेक्षा कमारपुर-पहाड़पुर और औशुकमौजास के लिये मुआवजे की राशि में विसंगतियों का होना है। जिला प्रशासन द्वारा भूमि मुआवजे के लिये भुगतान में बरती गई विसंगतियों का मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और न्यायालय के निर्णय के अनुसार, जिला प्रशासन को इस मामले में अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करना पड़ा था। जहां तक भू-विस्थापितों को रोजगार दिये जाने का संबंध है यह देखा जा सकता है कि भू-विस्थापितों की अत्यधिक संख्या की अपेक्षा उपलब्ध सीमित रिक्तियों को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई अभ्यर्थियो की सूची के अनुरूप भरती संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज को बदलना

3787. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला गया है;

(घ) क्या इन मामलों में निर्धारित मानदंडों का पालन किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) चालू वर्ष के दौरान किन-किन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है; और

(छ) इन एक्सचेंजों को कब तक बदले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने के संबंध में सरकार ने कोई विशेष मानदण्ड निर्धारित नहीं किया है। तथापि, वर्तमान नीति/उद्देश्यों के अनुसार मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण और उन्नयन जहां कहीं सम्भव है इलेक्ट्रानिक किस्म के उपस्कर द्वारा ही किया जाना है। नये एक्सचेंज भी इलेक्ट्रानिक किस्म के खोले जा रहे हैं।

(ग) राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में निम्नलिखित एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक में बदला गया है—

जिले का नाम	एक्सचेंज का नाम
कोटा	1. सुमेरगंज मण्डी
	2. कैथून
	3. सुकोट
	4. सुल्तानपुर
बूंदी	1. बूंदी
	2. लखेड़ी
	3. अल्फानगर
	4. हिण्डोली
	5. तलेरा
	6. किशोराईपटन
झालावाड़	1. झालावाड़
	2. झलरापाटन शहर
	3. चौमहला
	4. खानपुर
	5. मनोहर थाना
	6. अकलेरा

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपर्युक्त जिलों में, छः एक्सचेंज अर्थात् रामगंज मण्डी, सांगोड़, नैनवा, भवानी मण्डी, बाकानी और पिरावा को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इलेक्ट्रानिक में बदले जाने की सम्भावना है।

तथापि, सारे राजस्थान राज्य में 1992-93 के दौरान विभिन्न आकार के 121 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संस्थापना करने की योजना है।

(छ) 31-3-93 तक उत्तरोत्तर रूप से बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन

3788. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण के संयंत्रों में हॉट मेटल इनगॉट स्टील, सेटियेबल स्टील और सेटियेबल पिग आयरन के मासिक लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन का क्रमशः ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि इसमें कोई कमी आई है तो उसके क्या कारण हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में तप्त धातु, पिंड (अपरिष्कृत) इस्पात, विक्रेय इस्पात और कच्चे लोहे के संबंध में सेल के मासिक लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) उत्पादन में कमी के प्रमुख कारण गुणता और मात्रा की दृष्टि से कोयले और बिजली की सप्लाई में कमी थे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक संबंधों से संबंधित समस्याओं और उपस्करों की बिगड़ती हुई स्थिति भी इसके लिए भागीदार हैं। इस संबंध में उठाए सुधारात्मक कदमों में ये शामिल हैं, स्वदेशी कोयले और बिजली के सप्लायरों के साथ परस्पर सतत् संबंध, अच्छे कोककर कोयले के आयात के लिए बेहतर प्रबंधन, वर्धित निजी विद्युत उत्पादन, संयंत्र और उपस्करों का आधुनिकीकरण और बेहतर अनुरक्षण और बेहतर कार्य अनुशासन की चेतना आदि।

विवरण

वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 में तप्त धातु, पिण्ड (अपरिष्कृत) इस्पात, विक्रय इस्पात और कच्चे लोहे के सम्बन्ध में 'सेल' के मासिक लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार हैं :—

उत्पादन निष्पादन-रिपोर्ट 1989-90

(हजार टन)

मद		प्रथम				द्वितीय				तृतीय				चतुर्थ				कुल
		अप्रैल	मई	जून	तिमाही	जु.	अग.	सित.	तिमाही	अक्तू.	नव.	दिस.	तिमाही	जन.	फर.	मार्च	तिमाही	
तप्त धातु	योजना	864	894	856	2613	921	872	820	2613	847	879	946	2672	936	840	959	2735	10632
	वास्तविक	794	727	774	2295	795	743	762	2301	794	789	880	2463	915	790	922	2627	9686
अपरिष्कृत	योजना	775	769	754	2297	783	769	720	2271	751	771	815	2336	824	750	836	2409	9313
इस्पात	वास्तविक	689	585	591	1865	652	608	667	1927	707	707	764	2178	781	693	825	2299	8269
विक्रय इस्पात	योजना	604	599	592	1794	659	671	657	1988	686	679	625	1990	695	627	717	2039	7811
	वास्तविक	496	500	470	1465	555	575	529	1659	633	631	621	1875	669	604	790	2063	7063
विक्रय कच्चा	योजना	95	131	108	334	143	104	101	348	96	109	136	342	119	96	123	338	1362
लोहा	वास्तविक	81	115	168	364	131	120	88	338	79	73	103	255	15	72	90	277	1234
									1990-91									
तप्त धातु	योजना	871	798	792	2462	873	920	875	2669	922	886	925	2734	936	845	972	2753	10617
	वास्तविक	811	730	759	2300	786	747	782	2314	829	827	872	2528	933	819	930	2682	9825
अपरिष्कृत	योजना	787	767	768	2323	831	834	810	2475	839	806	846	2491	850	778	873	2501	9790
इस्पात	वास्तविक	694	632	648	1974	689	652	692	2033	750	750	794	2294	843	742	875	2460	8762

मद		प्रथम				द्वितीय				तृतीय				चतुर्थ				कुल.
		अप्रैल	मई	जून	तिमाही	जु.	अग.	सित.	तिमाही	अक्तू.	नव.	दिस.	तिमाही	जन.	फर.	मार्च	तिमाही	
विक्रय इस्पात	योजना	535	595	588	1718	666	677	629	1972	689	667	688	2044	696	634	713	2043	7776
	वास्तविक	550	452	499	1500	590	589	576	1755	645	629	679	1953	711	639	806	2157	7365
विक्रय कच्चा	योजना	91	39	37	166	55	95	74	224	92	87	89	267	92	78	105	274	932
लोहा	वास्तविक	85	62	91	238	78	76	72	226	74	63	68	195	81	71	63	214	873
									1991-92									
तप्त धातु	योजना	821	795	761	2377	855	925	885	2665	920	865	945	2761	941	883	969	2793	10596
	वास्तविक	813	795	780	2387	813	880	929	2622	954	924	963	2841	939	876	946	2781	10611
अपरिष्कृत	योजना	764	748	717	2229	791	857	825	2473	856	840	880	2576	886	822	884	2592	9870
इस्पात	वास्तविक	740	721	712	1273	747	810	814	1372	867	835	874	2575	845	795	871	2511	9631
विक्रय इस्पात	योजना	597	580	586	1762	649	667	662	1978	699	666	717	2082	726	670	733	2129	7951
	वास्तविक	633	593	580	1805	631	637	655	1922	706	685	716	2107	720	692	783	1195	8028
विक्रय कच्चा	योजना	62	52	50	163	70	73	65	208	70	62	72	204	61	87	88	215	790
लोहा	वास्तविक	58	69	54	181	64	61	101	226	79	71	76	226	89	63	60	212	845

बिहार में जयनगर में टेलीफोन एक्सचेंज में एस०टी०डी० सुविधा

3789. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1992 में, भारत-नेपाल, सीमा पर उत्तर बिहार में जयनगर में कोई इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस एक्सचेंज में एस०टी०डी० की सुविधा भी उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं तो वहां एस०टी०डी० सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) जयनगर एक्सचेंज में 384 उपभोक्ता लाइनों की क्षमता का एक आई०एल०टी० 512 पी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज है जिसमें 208 कनेक्शन काम कर रहे हैं और यहां की प्रतीक्षा सूची में एक भी नाम शेष नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) मार्च, 1993 तक।

[अनुवाद]

बिहार की ग्राम पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शन

3790. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार कितने प्रतिशत ग्राम पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शन हैं, तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार की ग्राम पंचायतों में कितने अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं तथा 1992-93 के दौरान कितने कनेक्शन दिये जायेंगे; और

(ग) बिहार के किशनगंज, अरेरिया और पूर्णिया जिलों में 1991-92 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गए तथा 1992-93 के दौरान कितने कनेक्शन दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये हैं।

(ख) 1991-92=1005, 1992-93=2000।

(ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

जिला	1991-92 में संस्थापित	1992-93 के लिए प्रस्तावित
किशनगंज	4	50
अरारिया	5	50
पूर्णिया	4	50
जोड़	13	150

विवरण

क्र०सं०	सर्किल/राज्य	1-4-91 की स्थिति के अनुसार ग्राम पंचायतों का प्रतिशत जिन्हें टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई	1-4-92 की स्थिति के अनुसार उन ग्राम पंचायतों का प्रतिशत जिन्हें टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	42.1	51.8
2.	असम	12.9	26.7
3.	बिहार	28.3	36.9
4.	(i) गुजरात	18.0	30.1
	(ii) दादर, नागर, दमण और दियू	16.0	16.0
5.	हरियाणा	22.9	44.5
6.	हिमाचल प्रदेश	31.3	35.5
7.	जम्मू और कश्मीर	23.7	32.3
8.	कर्नाटक	40.4	53.2
9.	केरल	97.8	100.0
	लक्षद्वीप समूह		
10.	मध्य प्रदेश	18 2	35.2
11.	महाराष्ट्र	17.9	26.5
	गोवा	87.5	
12.	उत्तरपूर्व		
	अरुणाचल प्रदेश	00.6	7.3
	मणिपुर	13.8	49.3
	मेघालय	10.8	27.5
	मिजोरम	2.1	3.5
	नागालैण्ड	5.4	1.2
	त्रिपुरा	*	18.3
13.	उड़ीसा	33.2	57.3
14.	पंजाब	9.3	17.4
15.	राजस्थान	33.2	50.7

1	2	3	4
16.	(i) तमिलनाडु	50.0	58.9
	(ii) पाण्डीचेरी	100.0	100.0
17.	उत्तर प्रदेश	5.0	8.7
18.	(i) पश्चिम बंगाल	27.8	45.6
	(ii) अंडमान निकोबार द्वीप समूह	25.0	38.6
	(iii) सिक्किम	21.0	26.8
19.	दिल्ली संघ राज्य	24.0	95.2
	देश का कुल प्रतिशत	20.00	29.3

महाराष्ट्र में मैक्स-III एक्सचेंजों को बदलना

3791. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विशेषकर शोलापुर जिले में तथा शोलापुर जिले के आसपास ग्रामीण संचार के लिए पुराने मैक्स-III एक्सचेंज अभी भी कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष तथा आगामी वर्षों में ऐसे उपकरणों को बदलने तथा ग्रामीण संचार के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मैक्स-III एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। शोलापुर जिले के एक्सचेंजों के नाम संलग्न विवरण में दिये हैं।

(ग) शोलापुर जिले के उन एक्सचेंजों की सूची, जिन्हें 1992-93 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है, नीचे दी गई है :

1. कारकंब
2. पून्नूर
3. होटगी
4. गुड़साले
5. भालवानी
6. पिलिव
7. वाटाम्बरे
8. तंदुथवाड़ी
9. कलमोन

10. करजगी
11. अजानसोंद
12. चालेस

शेष मैक्स-III एक्सचेंजों की आठवीं पंचवर्षीय योजना (मार्च, 1997) के अंत तक उत्तरोत्तर रूप से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों द्वारा बदलने की योजना बनाई गई है।

विवरण

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल

शोलापुर में मैक्स-III एक्सचेंजों की सूची

क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम	क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम
1.	हानहूर	22.	कुरूल
2.	काराजागी	23.	पन्नूर
3.	कीनी	24.	औराड
4.	मैंदारागी	25.	डॉनगांव
5.	शिरवाल	26.	कालमौन
6.	कारी	27.	अजानसोंड
7.	शेलगांव (आर)	28.	बंदीशेगांव
8.	उदाला शुमालो	29.	भलवानी
9.	जिन्थी	30.	चलेस
10.	कंधार	31.	गडेगांव
11.	केट्टूर	32.	कारकाम
12.	सादे	33.	अहेरबाड़ी
13.	बांगी	34.	होतगी
14.	गुड़साले	35.	कुम्भारी
15.	खंडाली	36.	मुस्ती
16.	नीमगांव	37.	नीम्बारंगी
17.	पिलीव	38.	आलेगांव
18.	तंदुलवाडी	39.	कीले
19.	भोसे	40.	नजारे
20.	लक्मीडाहीबाड़ी	41.	बाकी
21.	अंगार	42.	वालमबारे

[हिन्दी]

दिल्ली और गोरखपुर के बीच विमान सेवाएं

3792. **श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और गोरखपुर के बीच नियमित विमान सेवाएँ नहीं चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन विमान सेवाओं को कब तक नियमित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) विमान क्षमता की कठिनाई के कारण इण्डियन एयरलाइंस ने 20-5-1992 से दिल्ली-कानपुर-गोरखपुर-दिल्ली मार्ग पर अपनी सेवाएं बन्द कर दी हैं। इस समय इस सेवा को पुनः आरम्भ करने की उसकी कोई योजना नहीं हैं।

[अनुवाद]

केरल में कडकल और पूथ्याप्पल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

3793. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कडकल और पूथ्याप्पल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन एक्सचेंजों की वर्तमान तथा प्रस्तावित क्षमता सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1992 के दौरान इन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधाएं दिए जाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) कडाक्कल और पूयाप्पल्ली में प्रत्येक में इस समय 90-90 लाइनों के छोटे स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। कडाकक्कल और पूयाप्पल्ली में 1992-93 के दौरान कमशः 1400 और 10C0 लाइनों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू करने की योजना है, बशर्ते उपस्कर उपलब्ध हों।

(ग) से (ङ) किलोन में प्रस्तावित डिजिटल ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज चालू होने तथा स्थिर पारेषण माध्यम उपलब्ध होने के बाद, आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के उत्तरार्द्ध में कडाक्कल और पूयाप्पल्ली के लिए एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है।

[हिन्दी]

रियायती दर पर इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा रात्रि सेवा

3794 : **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स में प्रमुख विमान मार्गों पर रियायती दर पर रात्रि सेवा शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एयर इण्डिया द्वारा अपनी अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों के अन्तर्देशीय मार्गों पर अन्तर्देशीय यातायात को आकृष्ट करने की दृष्टि से, इस समय प्रस्तुत राशि किराये 23.00 बजे से 05.00 बजे के बीच अनुसूचित उड़ानों पर लागू है। इण्डियन एयरलाइन्स की 23.00 बजे से 05.00 बजे के बीच कोई अनुसूचित उड़ानें नहीं हैं।

[अनुवाद[

आठवीं योजना में आकाशवाणी केन्द्र

3795. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में आकाशवाणी के कितने केन्द्रों क स्थापना की जायेगी;

(ख) क्या उड़ीसा में आकाशवाणी का कोई केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आठवीं योजना के दौरान देश में 73 नए आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) उड़ीसा में भवानीपटना, राऊरकेला, बोलनगीर और बेहरामपुर में एक एक अर्थात कुल चार आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना है।

आन्ध्र प्रदेश में लिफ्ट सिंचाई योजनाएं

3796 .**श्री धर्मभिक्षम** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में नीदरलैंण्ड की सहायता से शुरू की जाने वाली लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश के छः जिलों में साठ हजार एकड़ क्षेत्र को लाभ प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर नीदरलैण्ड सहायता से शुरू की जाने वाली प्रस्तावित 107 लिफ्ट सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा संलग्न है।

इस परियोजना के घटकों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही, सहायता की राशि का पता चलेगा।

विवरण

नीदरलैण्ड सहायता परियोजना के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली प्रस्तावित लिफ्ट सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	स्कीम/स्रोत का नाम	मण्डल	प्रस्तावित अयाकट (एकड़ में)	सम्भावित लागत (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5
I.	गुण्टूर जिला			
1.	वोट्टीवेगू पर अन्नूटूर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	अमरावती	730	46.36
2.	कृष्णा (नदी) पर मद्दीपाडू लि० सिं० स्कीम	अचम्पेट	1000	63.50
3.	कृष्णा (नदी) पर रेगुलागड्डा लि० सिं० स्कीम	माचावरम	600	38.10
4.	सेकुरू नाला पर सालापाडु लि० सिं० स्कीम	चेबरोलू	600	38.10
5.	गुन्टूर चैनल पर चिन्काकानी लि० सिं० स्कीम	मंगलागिरि	1000	63.50
6.	एन एस आर सी पर एगनीगुन्डाला लि० सिं० स्कीम	आयीपुर	300	19.05
7.	नागालेरू वेनू पर चिन्तापल्ली लि० सिं० स्कीम	पलनाडू	300	19.05
8.	गडीडालावागू पर इम्माजीगुडेम लि० सिं० स्कीम	बेल्लामकोंडा	1000	63.50

1	2	3	4	5
9.	कप्पागंजीवेगू पर मुकुन्दावारीपालेम लि० सिं० स्कीम	चिलाकायुरापेट	400	25.40
10.	नल्लामाडा ड्रेन पर नागलपाडू लि० सिं० स्कीम-1	पेदानन्दीपाडू	700	44.45
11.	नल्लामाला ड्रेन पर नागलपाडू लि० सिं० स्कीम	—वही—	700	44.45
12.	ओगूस्वागू पर नागाव्यरावारी लि० सिं० स्कीम	चिलाकस्युरीपेट	100	65.50
13.	कृष्णा नदी पर वैकुण्टपुर लि० सिं० स्कीम	तेल्लुरू	670	42.25
		कुल :	900	571.51

II. प्रकास्सम जिला

1.	पलेरू (नदी) वर कोम्मापाडू लि० सिं० स्कीम	कण्डुगुरु	200	12.70
2.	पलेरू (नदी) पर जिल्लेल्लागुडी लि० सिं० स्कीम	—वही—	800	50.80
3.	कोनन्की पर खंकी लि० सिं० स्कीम	अद्दनकी	200	12.70
4.	गुसी (नदी) पर रामुलावेगू लि० सिं० स्कीम	पोदिला	300	19.05
5.	संडलाकम्मा (नदी) पर दोड्डावारम लि० सिं० स्कीम	मद्दीपाडू	1020	64.77
6.	टीगालेरू परकेसीनेनीपल्ली लि० सिं० स्कीम	येरागोंडापालेम	300	19.05
7.	पलेरु (नदी) पर लिंगारेड्डीपल्ली लि० सिं० स्कीम	कानीगिरि	250	15.88
8.	मुन्नेरू (नदी) पर रोल्लापाडू लि० सिं० स्कीम	कांडापुर	300	19.65
9.	आलूरू (नदी) पर सनमुरू लि० सिं० स्कीम	मारीपाडू	80	5.08

1	2	3	4	5
10.	मादीगोंडा पर नेल्लाटूर लि० सिं० स्कीम	मद्दीपाडू	300	19.05
11.	गुंडालाकम्मा (नदी) पर मल्लावरम लि० सिं० स्कीम	मद्दीपाडू	450	28.58
12.	गुंडालाकम्मा (नयी) पर अम्मारबरोलू-1 लि० सिं० स्कीम	एम० जी० पाडू	800	50.80
13.	—वही—II	—वही—	1000	63.50
14.	—वही—III	—वही—	800	50.80
15.	—वही—IV	—वही—	500	31.75
16.	गुंडलाकम्मा (नदी) पर टी० अग्रहरम लि० सिं० स्कीम	—वही—	150	9.53
17.	गुंडलाकम्मा (नदी) पर गारलापाडू लि० सिं० स्कीम	मद्दीपाडू	600	38.10
18.	गुंडलाकम्मा (नदी) पर गुंडलापाली-II लि० सिं० स्कीम	मद्दीपाडू	600	38.10
19.	गुंडलाकम्मा (नदी) पर पेदानागुलावरम लि० सिं० स्कीम	मार्कापुर	350	22.23
		कुल :	9000	571.52
III.	महबूबनगर जिला			
1.	कृष्णा (नदी) पर मनचलकाता लि० सिं० स्कीम	कोलापुर	1000	63.50
2.	श्रीसेलम परियोजना के अग्रतट पर रेवूलागीदा लि० सिं० स्कीम	कोलापुर	500	31.75
3.	कृष्णा (नदी) पर मुसलईपाली-I लि० सिं० स्कीम	मकथल	1000	63.50
4.	—वही—II	—वही—	1000	63.50
5.	कृष्णा (नदी) पर माधव स्वामी नगर लि० सिं० स्कीम	कोलापुर	1000	63.50
6.	कृष्णा (नदी) पर सोमसिला-I लि० सिं० स्कीम	कोलापुर	1000	63.50
7.	—वही—II	—वही—	1000	63.50

1	2	3	4	5
	8. श्रीसेलम बी० डब्ल्यू० पर बेकाम-I लि० सिं० स्कीम	वीदाना गन्दाला	700	44.45
	9. —वही—II	—वही—	650	41 28
	10. श्रीसेलम बी० डब्ल्यू० पर गुंडीमाला लि० सिं० स्कीम	आलमपुर	650	41.28
		कुल :	8500	539.76
IV. **वारांगल जिला**				
	1. गोदावरी (नदी) पर इतूरू लि० सिं० स्कीम	इतूरूनगरम	300	19.05
	2. गोदावरी (नदी) पर लक्ष्मीपुर लि० सिं० स्कीम	इतुरूनगरम	650	41.28
	3. लक्नावरम प्रवाह पर मरलापुर लि० सिं० स्कीम	तदवई	550	34.93
	4. लकनावरम पर कनईगुदंम लि० सिं० स्कीम	इतरूनगरम	600	38.10
	5. इलूगू वागू पर फानीकला लि० सिं० स्कीम	नारसमपेट	400	25.40
	6. मोरानचा वागू पर पुरुषोथमगुदेम लि० सिं० स्कीम	मारीपाडू	200	12.70
	7. मोरानचावागू पर धर्मरावपेट लि० सिं० स्कीम	मुलूगू	200	12.70
	8. गोदावरी (नदी) पर बुटाइगुदेम लि० सिं० स्कीम	इयरूनगरम	400	25.40
	9. मुनेरू (नदी) पर कोलापुर लि० सिं० स्कीम	महबूबाबाद	800	50.80
	10. मुनेरू (नदी) पर अपाराजपानी-1 लि० सिं० स्कीम	—वही—	800	50.80
	11. मुनेरू (नदी) पर गद्दीगुदेम लि० सिं० स्कीम	—वही—	300	19.05
	12. मुनेरू (नदी) पर डोरनाकल लि० सिं० स्कीम	—वही—	300	19.05
		कुल :	5500	349.26

V. खम्माम जिला

1	2	3	4	5
1.	एन एस वल सी पर तालापेन्टा-I लि० सिं० स्कीम	पेपुबाली	900	57.15
2.	—वही—II	—वही—	900	57.15
3.	एन एस एल सी पर तेकुबापली लि० सिं० स्कीम	—वही—	1000	63.50
4.	एन एस एल सी पर एनकुरन लि० सिं० स्कीम	बंकऊ	1000	63.50
5.	कईकोनदागुदेम-I लि० सिं० स्कीम	खम्माम	800	50.80
6.	—वही—II	—वही—	800	50.80
7.	—वही—III	—वही—	750	47.65
8.	—वही—IV	—वही—	750	47.63
9.	एन एस एल सी पर कपलाबन्दी/ लि० सिं० स्कीम	कलुरू	1000	63.50
10.	एन एस एल सी बी सी पर मुथापुरम-I लि० सिं० स्कीम	नेलकोमदपली	750	47.63
11.	—वही—II	—वही—	750	47.63
12.	—वही – III	—वही—	750	47.63
13.	—वही—IV	—वही—	750	47.63
14.	—वही—V	—वही—	750	47.63
15.	—वही—VI	– वही—	750	47.63
16.	पेडावागु पर मुथयालपाडु लि० सिं० स्कीम	तेकुलापली	250	15.88
17.	मारेदुवागु पर कोथुरू लि० सिं० स्कीम	मलकपली	250	15.88
18.	गोदावरी (नदी) पर चन्द्रुपतला लि० सिं० स्कीम	वाजीद	900	57.15
19.	मुनेरू पर थीरथाला लि० सिं० स्कीम	खम्माम	600	38.10

1	2	3	4	5
20.	गोदावरी पर रामानुजवरम लि० सि० स्कीम	मुट्टुगरू	1000	63.50
21.	गोदावरी पर गुंडुगदेम लि० सि० स्कीम	वी० आर० पुरम्	500	31.75
22.	साबरी (नदी) पर कालुरू लि० सि० स्कीम	चित्तूर	100	6.35
23.	गोदावरी (नदी) पर कुनुरू लि० सि० स्कीम	वी० आर० पुरम्	100	6.35
24.	गोदावरी (नदी) पर इस्नूर लि० सि० स्कीम	—वही—	100	6.35
25	गोदावरी (नदी) पर इरावंदी-I लि० सि० स्कीम	बुन्गमपाद	900	57.15
26.	—वही—II	—वही—	900	57.15
27.	गोदावरी (नदी) पर एस० रवीगुदेम लि० सि० स्कीम	वी० आर० पुरम्	100	6.35
28.	गोदावरी (नदी) पर जिदीगुप्पा लि० सि० स्कीम	—वही—	100	6.35
29.	पेडावागु पर सीतानगरम लि० सि० स्कीम	गोंकल	300	19.05
		कुल :	18500	1174.80
VI.	अदिलाबाद जिला			
1.	कदम (नदी) पर इटीकलम लि० सि० स्कीम	खानपुर	100	6.35
2.	पेनगंगा पर केदारपुर लि० सि० स्कीम	जैनादा	875	55.56
3.	पेडवागु पर अन्दावली लि० सि० स्कीम	कागजनगर	600	38.10
4.	दोदरनावागु पर कुबीर-II लि० सि० स्कीम	कुबीर	400	25.40

1	2	3	4	5
5.	सादावागु पर बिलोली लि० सिं० स्कीम	मन्दा	500	31.75
6.	स्वर्ण (नदी) पर मन्जुलापुर लि० सिं० स्कीम	निर्मल	300	19.05
7.	गोदावरी (नदी) पर कमलकोट-II लि० सिं० स्कीम	मामीदा	250	15.88
8.	गोदावरी (नदी) पर नागपुर लि० सिं० स्कीम	जयपुर	250	15.88
9.	कादम (नदी) पर दाहेगांव लि० सिं० स्कीम	बाजारहाकनूर	225	14.29
10.	पेनगंगा (नदी) पर पेंडलवाडा लि० सिं० स्कीम	जयनाथ	400	25.40
11.	कादम (नदी) पर पंडावापुर लि० सिं० स्कीम	कादम	500	31.75
12.	भिमिनीवागू पर भिमिनी ि० सिं० स्कीम	कुबीर	200	12.70
13.	गोदावरी (नदी) पर गोपालपुर लि० सिं० स्कीम	जयपुर	400	25.40
14.	पेनगंगा पर संगाड़ी लि० सि० स्कीम	भेला	400	25.40
15.	पेनगंगा पर खारजी लि० सिं० स्कीम	मेनल	200	12.70
16.	सीथानाड़ी पर कुम्बी लि० सि० स्कीम	भैसा	200	12.70
17.	पेनगंगा पर कोरटा लि० सिं० स्कीम	जयनाथ	300	19.05
18.	गोलेथिनाला पर गोलथी लि० सिं० स्कीम	अलीफाबाद	100	6.35
19.	लोकलवागू पर सालेवाडा (के) लि० सिं० स्कीम	उटनूर	200	12.70

1	2	3	4	5
20.	पेड्डावागू पर रचापल्ली लि० सिं० स्कीम	बोआथ	200	12.70
21.	पेनगंगा (नदी) पर संगीवी लि० सिं० स्कीम	आदिलाबाद	700	44.45
22.	प्रनाहिटा (नदी) पर अर्जुनागुट्टा-I लि० सिं० स्कीम	चेन्नूर	700	44.45
23.	प्रनाहिटा (नदी) पर अर्जुनागुट्टा लि० सिं० स्कीम	चून्नून	700	44.45
24.	एस आर एस पी के ऊपरी किनारे पर मुजिगी	ममीदा	800	50.00
		कुल :	9500	603.26

मुम्बई के घरेलू टर्मिनल पर कार्य में अवरोध

3797. **श्री राम नाईक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1991 से मई, 1992 की अवधि के दौरान मुम्बई हवाई अड्डे के घरेलू टर्मिनल पर कितनी बार कार्य में अवरोध आया;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) नये अंतर्देशीय टर्मिनल भवन के कार्य में केवल 7 से 13 जून, 1991 के बीच केवल एक बार अवरोध आ गया था क्योंकि भारी वर्षा के कारण निर्माण स्थल में बाढ़ आ गई थी।

(ग) निकासी कार्य जो उस समय पूरा नहीं हो सका था, अब पूरा हो गया है।

दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा समाचार पत्रों को जारी किये गये विज्ञापन

3798. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, विशेषकर पुणे क्षेत्र में दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान समाचार पत्रों को कितने मूल्य के विज्ञापन दिए गए;

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में कितने प्रतिशत विज्ञापन जारी किए गए; और

(ग) पुणे क्षेत्र के समाचार पत्रों को कम विज्ञापन दिए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुवाहाटी के उपग्रह-सम्पर्क केन्द्र

3799. **श्री प्रबीन डेका : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी स्थित उपग्रह सम्पर्क केन्द्र को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

बार्सिलोना से ओलम्पिक खेलों का प्रसारण

3800. **श्रीमती बिल कुमारी भंडारी :**
श्री गुरूदास कामत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी ने बार्सिलोना में आयोजित किये जा रहे ओलम्पिक खेलों के प्रसारण का कोई प्रबन्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रसारण के लिए मीडिया के जुड़े व्यक्तियों की संख्या में कोई कटौती की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) **दूरदर्शन :**

दूरदर्शन ने बार्सीलोना में आयोजित 25 वें ओलंपिक खेलों को कवर करने के लिए प्रबन्ध किए हैं। इन खेलों के लिए दूरदर्शन द्वारा लगभग 110 घण्टे की कवरेज की जाएगी जिसमें खेलों का सीधा प्रसारण और रिकार्डिंग दोनों शामिल होंगे। दिनांक 25 जुलाई, 1992 को हुआ उद्घाटन समारोह पहले ही सीधा प्रसारित किया जा चुका है। 10 अगस्त, 1992 को समापन समारोह को भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हाकी और फुटबाल के सेमी फाइनलों और फाइनल, बालीबाल के फाइनल, बैडमिंटन और महिला सिंगल्स टेनिस के फाइनलों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। जिन अन्य खेलों को विभिन्न अवधियों के लिए सीधे प्रसारित किया जाएगा, वे हैं मुक्केबाजी, जिमनास्टिक्स, एथलेटिक्स, नौकायन, साईकिलिंग, घुड़सवारी, तीरंदाजी और पालनौकायन। साठ-साठ मिनट के 16 कार्यक्रम भी दिखाए जायेंगे। ऐसा पहला कार्यक्रम 26 जुलाई, 1992 को दिखाया गया था। दूरदर्शन द्वारा भारतीय हाकी टीम के लीग मैचों की रिकार्डिंग भी दिखाई जाएगी।

दूरदर्शन ने इन ओलंपिक खेलों को कवर करने के लिए एक 4 सदस्यीय दल भी भेजा है।

इस दल द्वारा 30 मिनट के कार्यक्रम तैयार किए जायेंगे और इनमें भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के खेल विशेष रूप से दिखाए जायेंगे।

आकाशवाणी :

दिनांक 25 जुलाई, 1992 के उद्घाटन समारोह के आंखों देखे हाल के अलावा आकाशवाणी द्वारा समापन समारोह, हाकी के सेमीफाइनलों और फाइनल तथा कांस्य पदक के लिए मैच का आंखों देखा हाल भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी द्वारा हर रोज 15 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जिसमें प्रत्येक दिन की झलकियों का विवरण दिया जाएगा।

(ग) और (घ) चूंकि, खेलों के सभी मुख्य मुकाबलों की कवरेज के लिए एशियन ब्राडकास्टिंग यूनियन के माध्यम से व्यवस्था की गई थी इसलिए भारतीय खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को कवर करने के लिए दूरदर्शन के 4 सदस्यीय दल को भेजना पर्याप्त समझा गया।

हरियाणा में कुएं खोदना

3801. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह जानने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा खोदे गए कुंओं का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें से कितने कुंओं में पानी मिला है;

(ग) क्या निकट भविष्य में हरियाणा में ऐसे और कुएं खोदने का विचार है और उनका जिलेबार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) हरियाणा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा ड्रिल किए गए और सफल पाए गए अन्वेषणात्मक कुंओं का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां। चालू वर्ष के दौरान फरीदाबाद जिले में 11 कुंओं और गुड़गांव जिले में 10 कुंओं को ड्रिल किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

हरियाणा में ड्रिल किए गए और सफल पाए गए अन्वेषणात्मक कुंओं का जिला-वार ब्यौरा

क्रम सं०	जिले	मार्च 92 तक ड्रिल किए गए अन्वेषणात्मक कुंओं की संख्या	सफल पाए गए अन्वेषणात्मक कुंओं की संख्या
1	2	3	4
1.	अम्बाला	25	18
2.	भिवानी	5	2
3.	फरीदाबाद	19	8
4.	गुड़गांव	45	16

1	2	3	4
5.	हिसार	46	18
6.	जीन्द	5	2
7.	करनाल	29	17
8.	कुरुक्षेत्र	10	9
9.	महेन्द्रगढ़	62	41
10.	रोहतक	19	1
11.	सिरसा	3	3
12.	सोनीपत	3	1
		271	136

[हिन्दी]

गांवों में टेलीफोन सुविधायें

3802. **श्री राम पाल सिंह : क्या संचार मंत्री** 20 जुलाई 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उल्लिखित 7428 गांवों का जिला वार ब्यौरा क्या है जहां टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) क्या ये टेलीफोन वास्तव में कार्य कर रहे हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित लक्ष्य का जिला वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) ब्यौरे विवरण 1 में दिये गए हैं।

(ख) जी हां। लाइन और उपस्कर को खराबियों के कारण कुछ दोषों को सूचना मिली है, जिन्हें ठीक किया गया है।

(ग) ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्रम सं०	जिला	31-3-92 को स्थिति के अनुसार उन गांवों की संख्या जहां टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है
1	इलाहाबाद	175
2.	बदायूं	94
3.	बहराइच	255

1	2	3
4.	बलिया	154
5.	बांदा	83
6.	बाराबंकी	125
7.	बुलन्दशहर	201
8.	देवरिया	164
9.	एटा	115
10	इटावा	186
11.	फैजाबाद	72
12.	फर्रुखाबाद	88
13.	फतेहपुर	93
14.	गाजीपुर	87
15.	गोंडा	226
16.	हमीरपुर	77
17.	हरदोई	148
18.	जालौन	85
19.	जौनपुर	210
20.	झांसी	63
21.	ललितापुर	46
22	मैनपुरी	64
23.	मथुरा	175
24.	मुरादाबाद	48
25.	पीलीभीत	39
26.	प्रतापगढ़	70
27.	रामपुर	35
28.	रायबरेली	100
29.	शाहजहांपुर	102
30.	सीतापुर	143
31.	सुलतानपुर	336

1	2	3
32.	उन्नाव	138
33.	वाराणसी	356
34.	आजमगढ़	187
35.	मऊ	120
36.	बस्ती	162
37.	सिद्धार्थनगर	47
38.	गोरखपुर	173
39.	महाराजगंज	
40.	मिर्जापुर	34
41.	सोनभद्र	27
42.	अल्मोड़ा	91
43.	चमोली	80
44.	देहरादून	87
45.	पौड़ी	40
46.	नैनीताल	194
47.	पिथौरागढ़	80
48.	टिहरी	28
49.	उत्तरकाशी	12
50.	अलीगढ़	263.
51.	लखनऊ	161
52.	लखीमपुर	201
53.	आगरा	61
54.	फिरोजाबाद	29
55.	बरेली	107
56.	बिजनौर	44
57.	गाजियाबाद	216
58.	कानपुर शहर	19
59.	कानपुर देहात	112

1	2	3
60.	मेरठ	241
61.	मुज्जफरनगर	166
62.	सहारनपुर	72
63.	हरिद्वार	41
	जोड़	7428

विवरण-II

1992-93 के दौरान जिन ग्राम पंचायतों में टेलीफोन-सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव है उनकी जिला वार संख्या

क्रम सं0	जिला	उन ग्राम पंचायतों की संख्या जहां 1992-93 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।
1	2	3
1.	इलाहाबाद	400
2.	वाराणसी	320
3.	आगरा	257
4.	फिरोजाबाद	73
5.	मेरठ	223
6.	लखनऊ	132
7.	कानपुर सिटी	42
8.	कानपुर देहात	294
9.	उन्नाव	64
10.	गाजियाबाद	95
11.	बुलन्दशहर	245
12.	अलीगढ़	208
13.	अल्मोड़ा	120
14.	पिथौरागढ़	40
15.	बरेली	134
16.	मुरादाबाद	82

1	2	3
17.	बिजनौर	97
18.	नैनीताल	83
19.	रामपुर	41
20.	पीलीभीत	40
21	बदायूं	134
22.	आजमगढ़	217
23.	देवरिया	139
24.	मऊ	120
25.	बलिया	112
26.	गाजीपुर	112
27.	गोंडा	123
28.	बस्ती	117
29.	बहराइच	123
30.	सिद्धार्थनगर	41
31.	गोरखपुर }	146
32.	महाराजगंज }	
33.	मिर्जापुर	132
34.	सोनपुर	123
35.	सोनभद्र	40
36.	सुलतानपुर	94
37.	प्रतापगढ़	129
38.	रायबरेली	110
39.	फतेहपुर	92
40.	देहरादून	40
41.	मुज्जफरनगर	123
42.	सहारनपुर	112
43.	हरिद्वार	37
44.	पौड़ी	66

1	2	3
45.	चमोली	31
46.	टिहरी	45
47.	उत्तरकाशी	18
48.	इटावा	70
49.	फर्रूखाबाद	64
50	मैनपुरी	41
51.	फैजाबाद	166
52.	बाराबंकी	95
53.	झांसी	80
54.	हमीरपुर	83
55.	जालौन	50
56.	बांदा	82
57.	ललितपुर	40
58.	मथुरा	60
59.	एटा	74
60.	सीतापुर	100
61.	लखीमपुर	93
62.	शाहजहांपुर	115
63.	हरदोई	79
	जोड़	6858

चिपलूषा महाराष्ट्र में एस० टी० डी० सुविधा

3803. **श्री गोविन्दराव निकाम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के चिपलूषा शहर में एस०टी०डी० सुविधायें प्रदान कर दी गई हैं;

(ख) क्या एल्लोर, सावाडी तथा चिपलूषा एम० आई० डी० सी० टेलीफोन एक्सचेंजों को एस० टी० डी० सुविधा सहित चिपलूषा टेलीफोन एक्सचेंज में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1994-95 में अलोर और सावरदा में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इस समय चीपलून एम० आई० सी० सी० के नाम से कोई अलग एक्सचेंज नहीं है। सभी कनेक्शन केवल चिपलून एक्सचेंज से दिए जाते हैं।

चिपलून से अलोर 20 कि०मी० और सावरदा 12 कि०मी० की दूरी पर स्थित हैं और ये स्थान चिपलून एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र में नहीं आते।

बिहार में टेलीफोनों को पंचायत भवनों को स्थानान्तरित करना

3804. **श्री साईमन मरान्डी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार में सभी ग्राम पंचायतों के डाकघरों में टेलीफोन लगाने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के साहबगंज और अन्य जिलों के विभिन्न डाकघरों में लगे टेलीफोन ग्राम पंचायत भवनों में स्थानांतरित किये जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को ग्राम पंचायतों के डाकघरों से पंचायत भवनों में टेलीफोन स्थानांतरित करने में किसी धांधली का संकेत मिला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी नहीं। सभी डाकघरों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए अलग से कोई योजना नहीं है। सरकार ने 31-3-95 तक उत्तरोत्तर रूप से सभी पंचायतों ग्रामों में टेलीफोन सुविधा बनाई है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। इस प्रकार के टेलीफोन संस्थापित करने के लिए सुझाए गए स्थानों में डाकघर एक स्थान है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) जी नहीं। इस प्रकार का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

थीन बांध परियोजना

3805. **श्री मदनलाल खुराना : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थीन बांध परियोजना पर कार्य कब शुरू हुआ था;

(ख) इस पर अनुमानित कितना व्यय होगा;

(ग) क्या यह परियोजना निर्धारित समय पर पूरी हो जायेगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जायेंगे ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) रनजीत सागर (थीन) बांध परियोजना का निर्माण कार्य वस्तुत: वर्ष 1985-88 में आरम्भ किया गया था।

(ख) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सूचित किए गए अनुसार परियोजना की अद्यतन लागत 1558.22 करोड़ रु० अक्तूबर, 1990 के मूल्य स्तर पर है, इस परियोजना पर 5/92 तक 896.62 करोड़ रु० की राशि व्यय की जा चुकी है।

(ग) और (घ) परियोजना को मूलत: 7-8 वर्ष की समयावधि में पूरा किए जाने की आयोजना की थी लेकिन 1988 में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण हुए विनाश के परिणामस्वरूप परियोजना के मूल कार्यक्रम को जबरदस्त धक्का लगा था। चालू किए जाने के अद्यतन संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना के विद्युत यूनिटों को 1997-98 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(ङ) इस परियोजना के प्रगति कार्य की केन्द्र सरकार द्वारा उच्च स्तरीय बैठकों में समीक्षा की जा रही है और परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित किए जाने के लिए समय-समय पर समुचित उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

नागपुर हवाई अड्डे पर एअर बस ए-300 को खड़ा करना

3806. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नागपुर हवाई अड्डे पर यात्रियों सहित एअर बस ए-300 को खड़ा किये जाने के बारे में दिनांक 26 जून, 1992 को "इन्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा व लक्ष्य क्या है; और

(ग) नागपुर हवाई अड्डे पर आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 24-6-1992 को मद्रास से दिल्ली के लिए उड़ान परिचालित कर रहे विमान आई सी-539 को तकनीकी खराबी के कारण 23.40 बजे नागपुर में ग्राउन्ड कर दिया गया था। इस खराबी को दूर करने के लिए 25-6-1992 को बम्बई से कार्मिक और साज-सामान भेजा गया था। विलम्बित उड़ान दिल्ली में 26-6-1992 को 05.30 बजे पहुंची।

(ग) नागपुर हवाई अड्डे को विकसित करने का प्रस्ताव है। इसमें टर्मिनल भवन, धावनपथ का विस्तार, नवीनतम अवतरण सम्बन्धी साधनों तथा परिचालनात्मक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है।

तीर्थ स्थलों का विकास

3807 : श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :
श्री एन० जे० रावठा :
श्री गुरुदास कामत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन तीर्थ स्थानों का चयन करने के लिए कोई समिति गठित की है जिनका विकास किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और समिति ने राज्यवार किन-किन स्थानों का चयन किया है;

(ग) क्या समिति ने हाल ही में कटरा और वैष्णोदेवी (जम्मू और कश्मीर) का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) देश में पर्यटन के लिए चुनिंदा तीर्थ केन्द्रों के विकास हेतु एक समिति का गठन किया गया है। चुनिंदा स्थानों को संलग्न विवरण-पत्र में दर्शाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) समिति ने भवन पर यात्री निवास, कटरा में तीर्थ शेडों का निर्माण करने तथा प्रचार सहायता के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने का सुझाव दिया है। राज्य सरकार से विस्तृत विवरणों सहित परियोजनाएं/स्कीमें अभी प्राप्त होनी हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	केन्द्र/स्थान
1	2	3
1.	असम	कामाख्या
2.	बिहार	बोध गया और पटना साहिब
3.	गुजरात	द्वारका, पलिताना और ओकवाड़ा (वापी के निकट)
4.	हिमाचल प्रदेश	पौंटा साहिब और ज्वालाजी।
5.	जम्मू और कश्मीर	माता वैष्णो देवी
6.	कर्नाटक	श्रींगेरी और गुलबर्ग
7.	केरल	गुरुवयूर
8.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
9.	महाराष्ट्र	शिरडी (नासिक), नान्देड और जोतिबा (कोल्हापुर)

1	2	3
10.	उड़ीसा	जगन्नाथपुरी
11.	राजस्थान	अजमेर शरीफ
12.	तमिलनाडु	रामेश्वरम्
13.	उत्तर प्रदेश	बद्रीनाथ और बरसाना-नन्दगांव-गोकुल-मथुरा-बृन्दावन-गोवर्धन परिपथ ।

[हिन्दी]

हैंगर का पुनर्निर्माण

3808. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इण्डिया ने बोइंग 747 के हैंगर संख्या 2 के पुनर्निर्माण हेतु जुलाई, 1980 में निविदाएं आमन्त्रित की थीं;

(ख) क्या वह कम्पनी, जिसे टेंडर मिला, सभी शर्तों को पूरा करती थी; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों द्वारा चलाए जा रहे डाकघर

3809. **श्री राम बदन : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कई गांवों में डाकघर शिक्षकों द्वारा चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार ऐसे डाकघरों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन डाकघरों में विभागीय कर्मचारियों को नियुक्त किए जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश डाक सर्किल में 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार पचासी (85) अतिरिक्त विभागीय शाखा द्वारा चलाये जा महे थे। मौजूदा नीति के अनुसार स्कूल के अध्यापकों डाकघर अध्यापकों को अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों के रूप में नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है। चूंकि, उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है और डाकघरों के कार्य घण्टे तथा स्कूल के समय में भिन्नता नहीं होती, इसलिए कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है ।

[अनुवाद]

फिल्म उद्योग की समस्याओं के अध्ययन हेतु उच्च शक्ति प्राप्त समिति

3810. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :**

श्री एन० जे० राठवा :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग की उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने हाल ही में इस उद्योग को राहत/रियायतें प्रदान करने की सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, यो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा अधिकांश सिफारिशों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया और इन्हें सम्बन्धित कार्यान्वयन प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया।

सिनेमा राज्य का विषय है और कुल मिलाकर 22 सिफारिशें अर्थात 1 से 5, 14, 15, 17, 18, 19, 30 से 37 और 40 से 43 राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा कांर्यान्वित की जानी हैं। अप्रैल, 1990 में हुई राज्यों के सूचना मन्त्रियों की बैठक से इन सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया था।

अन्य सिफारिशों के कार्यान्वितन के मामले को सम्बन्धित कार्यान्वयन प्राधिकारियों अर्थात भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मन्त्रालयों के साथ प्रभावशाली ढंग से उठाया जा रहा है। तथापि, कुछ सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं और कुछ चयन के लिए अस्वीकृत कर दिया गया है।

विवरण

सिफारिशों का सारांश

मनोरंजन कर

1. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को वैकल्पिक आधार पर मनोरंजन कर की प्रशमन (कम्पाउडिंग) प्रणाली शुरू करनी चाहिए। इस प्रणाली के अन्तर्गत मनोरंजन कर की दरें बहुत कम होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश और केरल में प्रशमन प्रणाली के अन्तर्गत लगाये जा रहे मनोरंजन कर की दर सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों में परिचालित की जानी चाहिए ताकि वे उपयुक्त संशोधन कर उन्हें अपना सकें।

2. फिल्म उद्योग के साथ वीडियो चोरी केबल टी० वी० और वीडियो के प्रचलन के कारण अत्यधिक कठिनाइयों को देखते हुए, फिल्म दिखाने पर लगाये जा रहे शो टैक्स को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तथापि यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो इसे मौजूदा स्तर पर स्थिर कर देना चाहिए। शो टैक्स लगाते समय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को फिल्म उद्योग के परामर्श से किसी प्रणाली का अनुपालन करना चाहिए।

3. राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा एकत्रित किए गये मनोरंजन कर का कुछ प्रतिशत सम्बन्ध राज्यों में फिल्म उद्योग के विकास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। जहां तक इस राशि को उपयोग में लाने के लिए गतिविधियों और इसके लिए

कार्य प्रणाली का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को फिल्म उद्योग के परामर्श से विस्तृत अध्ययन करके ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए ।

4. फिल्मों की निम्नलिखित श्रेणियों और उनके डब किए गये रूपांतर को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा मनोरंजन कर से छूट दी जानी चाहिए :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा राज्यीय पुरस्कार से पुरस्कृत फिल्में ।

(2) प्रतियोगी और गैर-प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारतीय पैनोरमा खण्ड में सम्मिलित फिल्में और

(3) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा बाल फिल्मों के रूप में प्रमाणित फिल्में ।

5. फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने की प्रक्रिया का अध्ययन किसी उपयुक्त समिति द्वारा किया जाना चाहिए ।

फिल्मों पर उत्पाद शुल्क :

6. फीचर फिल्मों के रिलीज प्रिन्टों पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

सिनेमा उपकरणों तथा सिनेमा से सम्बन्धित कच्चे माल पर सीमा शुल्क :

7. देश में अद्यतन सिनेमा प्रौद्योगिकी का आयात करने की दृष्टि से, सिनेमा उपकरणों और अतिरिक्त हिस्सों पर सीमा शुल्क में भारी कटौती की जानी चाहिए ।

8. (1) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा आयात किए जाने वाले सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के अनएक्सपोन्ड (पाजिटिव) के बड़े रोलों,

(2) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयात की जा रही सिनेमेटोग्राफ फिल्म अनएक्सपोन्ड (निगेटिव) फिल्मों, और

(3) गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा साउन्ड निगेटिव साउन्ड पाजिटिव सहित सिनेमा सम्बन्धी कच्चे माल की विभिन्न श्रेणियां और फोटोग्राफ सामग्री के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती की जानी चाहिए ।

9. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स को, यदि आवश्यक हो, सहयोगियों की मदद से देश में सिनेमा सम्बन्ध कच्चा माल तैयार करना चाहिए ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा फिल्म उद्योग के लिए कच्चे माल की सप्लाई :

10. सरकार की सिनेमा सम्बन्धी कच्चे माल के निर्यात के लिए यूनिट लगाने का बढ़ावा देना चाहिए बशर्ते कि सिनेमा सम्बन्धी कच्चे माल को देश में तैयार करने के उत्सुक उद्यमी संयुक्त आवेदन प्रस्तुत करें ।

11. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स को फिल्म उद्योग द्वारा गठित सहकारी समितियों को सिनेमा सम्बन्धी कच्चे माल का सीधे विवरण करने पर विचार करना चाहिए।

12. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स को फिल्म उद्योग की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर औद्योगिक परामर्शदात्री समिति की बैठकें बुलानी चाहिए।

फिल्म उद्योग के विकास के लिए प्रोत्साहन :

13. थियेटर बनाने, थियेटर उपकरणों, स्टूडियो और उनमें लगाये जाने वाले उपकरणों जैसे कार्यों में रियायती दरों पर संस्थागत वित्त की व्यवस्था की जानी चाहिए।

14. सभी राज्य सरकारी/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सिनेमा थियेटरों और फिल्म स्टूडियो को उसी प्रकार रियायती दरों पर बिजली देनी चाहिए जिन दरों पर प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों और पिछड़े क्षेत्रों में दी जाती है।

प्रदर्शन :

15. नव निर्मित सिनेमा थियेटरों को थियेटर के मालिक द्वारा निर्माण की लागत वसूल होने तक या सिनेमा चालू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए इनमें से जो भी पहले हो, मनोरंजन कर से छूट दी जानी चाहिए।

16. थियेटरों के निर्माण के लिए संस्थागत वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में ब्याज की दर वही होनी चाहिए जो प्राथमिक क्षेत्रों में उद्योगों को दिये जाने वाले दीर्घावधिक ऋणों के लिए बैंक द्वारा ली जाती है।

17. थियेटर लाइसेंसिंग नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि लाइसेंस प्राप्त करने की कार्यप्रणाली को सरल बनाया जा सके। ये लाइसेंस एक समय में नये थियेटरों के मामले में पांच वर्ष की अवधि के लिए तथा पुराने थियेटरों के मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होना चाहिए। आवेदनों पर कार्रवाई करने तथा लाइसेंस प्रदान करने के लिए लाइसेंसिंग नियमों में कम से कम तीन महीने की अवधि निर्धारित की जानी चाहिए।

18. विशेषतया महानगरों तथा अन्य बड़े नगरों में भूमि की कीमत में अत्यधिक कर के बड़ा-बड़ा लाभ कमाने के उद्देश्य से सिनेमा थियेटरों को व्यवसायिक परिसरों में बदलने की वर्तमान प्रवृत्ति को यथा-सम्भव रोका जाना चाहिए।

19. शापिंग केन्द्रों तथा मनोरंजन की सुविधाओं सहित बहुप्रयोजनी थियेटर परिसरों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए गैर-निवासी भारतीयों, भारतीयों, भारतीय उद्योगपतियों तथा थियेटर मालिकों से वित्तीय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

20. सिनेमा थियेटरों के अनुसरण के लिए राज्य सरकार द्वारा टिकटों पर लगाए गए शुल्क के बारे में फिल्म उद्योग को उत्तर प्रदेश सरकार से वास्तविक सूचना एकत्र करनी चाहिए।

फीचर फिल्मों के प्रसारण, दूरदर्शन पर गीतों के प्रसारण तथा आकाशवाणी से गीतों के प्रसारण के लिए रायल्टी :

21. फीचर फिल्मों के प्रसारण, दूरदर्शन पर गीतों के प्रसारण तथा आकाशवाणी से गीतों के प्रसारण के लिए दी जाने वाली रायल्टी की दर में वृद्धि की जानी चाहिए। वृद्धि की सीमा निर्धारित करने के वास्ते तीन महीने के अन्दर सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को दूरदर्शन तथा फिल्म उद्योग के साथ परामर्श करके समुचित मानदण्ड तैयार करने चाहिए।

22. फिल्म उद्योग ने यह मांग की कि निर्माता की इच्छानुसार विज्ञापनों में निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर दूरदर्शन को एक से अधिक गीतों की अनुमति दे दी जानी चाहिए। समिति ने

यह सिफारिश की है कि दूरदर्शन द्वारा इस कार्य के लिए एक समुचित स्लाट का पता लगाने पर विचार किया जाना चाहिए।

फिल्मों की शूटिंग/सह-निर्माण के लिए सुविधाएं :

23. फिल्म उद्योग ने मांग की है कि विदेशों में जाकर शूटिंग करने के खर्च को पूरा करने के लिए फिल्म निर्माता को मंजूर की गई विदेशी मुद्रा के मामले में, निर्धारित अनुपात में विदेशी मुद्रा की कमाई की शर्त के अधीन रुपयों पर खरीदे गये विमान किराये के टिकटों तथा विदेशों में शूटिंग के सम्बन्ध में रुपयों में किए गए अन्य व्यय को विदेशों में शूटिंग पर खर्च का भाग नहीं माना जाना चाहिए तथा निर्माताओं द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का हिसाब लगाने के लिए रुपयों में किए गए इस खर्च को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि फिल्म उद्योग की इस मांग पर सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को आर्थिक कार्य विभाग के परामर्श के साथ विचार करना चाहिए।

24. रक्षा प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशनों, ऐतिहासिक इमारतों आदि जैसे प्रतिबन्धित क्षेत्रों में फिल्मों की शूटिंग करने के नियमों तथा विनियमों को उदार बनाया जाना चाहिए।

25. भारत सरकार द्वारा निर्माताओं को रेलवे, एयरलाइन्स, जहाजों आदि पर शूटिंग करने के लिएं उचित शुल्क पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

फिल्मों की अनिवार्य स्क्रीनिंग :

´6. सिनेमा थियेटरों में लघु फिल्मों की अनिवार्य स्क्रीनिंग के तहत् अनुमोदित, फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए बाक्स आफिस की संग्रहीत निविल राशि (मनोरंजन कर को छोड़कर) का एक प्रतिशत लेने की स्कीम का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

फिल्मों का प्रमाणन :

27. "सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन" नामक विषय संस्कृति विभाग से सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए। (सरकार द्वारा समिति की यह सिफारिश पहले ही मान ली गई तथा कार्यान्वित कर दी गई है)।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम :

28. सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को निवेश के रूप में बजट समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।

सिनेनेटोग्राफिक उपस्करों का आयात :

29. प्रोजेक्शन प्रणालियों का बड़े पैमाने पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

फिल्मों तथा उपस्करों की लीजिंग पर बिक्री कर :

30. फीचर फिल्म के अधिकारों के (1) निर्माता से वितरक, तथा (2) वितरक से प्रदर्शक को अन्तरन पर तथा सिनेमेटोग्राफ उपस्करों को किराये पर लेने से सम्बन्धित सौदों पर बिक्री कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

वीडियो तथा केबल टी० वी० द्वारा फिल्मों की चोरी, वीडियो प्रदर्शन के लाइसेंसिंग तथा विनियमों पर सिफारिशें :

31. उद्योग के प्रतिनिधियों ने वीडियो पार्लरों की स्थापना के विरोध में विचार प्रकट किये, उनके अनुसार ये पार्लर बिना अधिकार के वीडियो कैसेट दिखा रहे हैं। दूसरी ओर, हजारों की संख्या में ऐसे वीडियो पार्लर हैं जिन्हें कुछ राज्यों में पहले ही लाइसेंस मिल चुका है। ऐसे पार्लरों के लाइसेंस वापस लेने से कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं, अतः जो पार्लर पहले से ही विद्यमान हैं उनमें व्यावसायिक वीडियो अधिकारों के साथ केवल वैध कैसेट ही दिखाये जाएं किसी भी नये वीडियो पार्लर को तब तक लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि देश में विश्वास का वातावरण न बन जाये।

32. जिन राज्यों में वीडियो प्रदर्शन का कोई विधान नहीं है वहां की सरकारों को तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार विधान स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्हें लाइसेंस तब तक प्रदान नहीं करना चाहिए जब तक कि सिफारिश संख्या 21 में दी गई शर्तें पूरी न हो जायें।

33. राज्य सरकारों को अपने नियमों में वीडियो प्रदर्शन से सम्बन्धित ऐसा प्रावधान करना चाहिये जिसमें फिल्म/वीडियो प्रदर्शन का लाइसेंस केवल उन्हीं फिल्मों/वीडियो के प्रदर्शन के लिए दिया जाये जिसके लिए वास्तविक कापीराइट धारक से अधिकार प्राप्त कर लिये गये हों तथा जो केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जा चुके हों।

34. वीडियो पार्लरों के लाइसेंस देने के लिए पर्याप्त मानदण्ड तैयार किये जाने चाहिएं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अपेक्षाओं की भी व्यवस्था की जाये :—

(क) समुचित स्वास्थ्यप्रद वातावरण
(ख) समुचित वायु संचार
(ग) आग के खतरे के प्रति सावधानियां
(घ) जन स्वास्थ्य के खतरे के प्रति सावधानियां
(ङ) स्क्रीन से सीटों की पर्याप्त दूरी
(च) पर्याप्त रोशनी
(छ) पर्याप्त निगम द्वार
(ज) सुविधाजनक सीटें और
(झ) क्षमता सम्बन्धी रोक

वीडियो पार्लर के मालिक को वीडियो पार्लर स्थापित करने से पूर्व राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए।

35. वीडियो पार्लरों को अनिवार्य रूप से यह वचन देना चाहिए कि ये वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिए केवल प्राधिकृत वैध कैसेटों और कापीराइट धारकों या उनके लाइसेंसी/प्रतिनिधि से विधिपूर्वक प्राप्त किए गए कैसेट ही दिखायेंगे इस शर्त का उल्लंघन करने पर कानून के अन्तर्गत अन्य देयताओं के अलावा लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।

36. वीडियो प्रदर्शकों के लिए गत कैलेंडर माह में दिखाई गई फिल्मों की सूची लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना आवश्यक किया जाये।

37. वीडियो लाइब्रेरियों के पास लाइसेंस होना चाहिए। उनसे यह भी वचन लिया जाना चाहिए कि वे केवल वीडियो कैसेट रखेंगे। इस शर्त का उल्लंघन करने पर कानून के अन्तर्गत अन्य देयताओं के अलावा, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए।

38. वाणिज्य वीडियो अधिकारों के प्रयोजन के लिए वीडियो कैसेटों की सेंसर प्रति पर स्पष्ट रूप से "केवल वाणिज्यिक दृश्यावलोकन के लिए" उल्लेख किया जाये। केवल ऐसे कैसेटों पर विचार किया जाये जो वाणिज्यिक परिसरों में प्रदर्शन के लिए विधिवत् प्राधिकृत हों।

39. अधिकार धारकों को गृह दृश्यावलोकन और सार्वजनिक प्रदर्शन के बीच अन्तर करते हुए अपने फिल्मों के लिए करार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

40. वाणिज्यिक वीडियो प्रदर्शन पर प्रति प्रविष्टि के आधार पर अथवा कम्पाउण्डिंग आधार पर उपयुक्त मनोरंजन कर लगाया जाये। इससे न केवल राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक उपयुक्त स्रोत बनेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि राज्य सरकारों को वीडियो प्रदर्शन गृहों पर नियन्त्रण रखने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा।

41. किसी मौजूदा थियेटर को वीडियो प्रदर्शन केन्द्र के रूप में तब तक बदलने की अनुमति नहीं दी जाये जब तक पैरा 12.8 में यथा उल्लिखित शर्तें पूरी नहीं कर दी जातीं अर्थात जब तक मौजूदा थियेटरों को वाणिज्यिक वीडियो अधिकारों, के साथ केवल वैध कैसेट दिखाना अनिवार्य नहीं किया जाता और उद्योग में जब तक विश्वास का माहौल तैयार नहीं हो जाता।

42. वीडियो चोरी रोकने सम्बन्धी कानूनों को लागू करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष पुलिस कक्ष स्थापित करने चाहिएं। इन कक्षों को सम्बन्धित विधानों का गहन अध्ययन करना चाहिए, आसूचना एकत्र करनी चाहिए तथा चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि आमतौर पर पुलिस के पास पहले ही अपेक्षाकृत उच्च प्राथमिकता के अन्य मामले होते हैं जिनमें वह अधिक व्यस्त रहती हैं।

43. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वीडियो चोरी को रोकने सम्बन्धी कानूनों पर सख्ती से अमल करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक हिदायतें जारी करनी चाहिए।

44. फिल्म उद्योग को विभिन्न अधिकारों के धारण की अवधि पर एकमत होने के लिए राजी किया जाना चाहिए।

45. सभी डुप्लीकेटिंग एककों को पंजीकृत किया जाये और लाइसेंस दिया जाये तथा उनसे समुचित सरकारी एजेंसी को नियमित विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाये जिसमें उनके द्वारा डुप्लीकेट किए गए सभी शीर्षक और डुप्लीकेट कैसेटों की संख्या का विवरण हो। उनसे यह वचन लिया जाना चाहिए कि यदि उनको अनाधिकृत कैसेटों का डुप्लीकेटिंग करता पाया गया तो कानून के अन्तर्गत उनकी किसी अन्य देयता के अलावा, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।

46. सरकार को, कापीराइट चोरी के विरुद्ध भारतीय संघ (आई० एन० एफ० ए० सी० टी०) को जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और फिल्म उद्योग द्वारा समर्थित निकाय है और

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत पंजीकृत है, चोरी के विरुद्ध संघर्ष करने में मदद देनी चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। यह मदद आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे माध्यमों द्वारा वीडियो चोरी के विरुद्ध प्रचार करके तथा वित्तीय सहायता देकर की जा सकती है।

47. अन्य देशों में जहां (आई० एन० एफ० ए० सी० टी०) जैसे संगठन विद्यमान हैं, आई० एन० एफ० ए० सी० टी० के लिए ऐसे संगठनों का सदस्य होना उपयोगी होगा जहां वीडियो चोरी के विरुद्ध भारतीय फिल्मों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार, आई० एन० एफ० ए० सी० टी० को निकट भविष्य में कापीराइट चोरी के विरुद्ध परिसंघ (एफ० ए० सी० टी०) इग्लैण्ड का सदस्य बनना चाहिए क्योंकि इस समय इग्लैण्ड में भारतीय फिल्मों की चोरी सबसे अधिक हो रही है। आई० एन० एफ० ए० सी० टी० को सम्बन्धित देशों में स्थिति का समुचित जायजा लेने के बाद, अन्य संगठनों की सदस्यता की अनिवार्यता पर अथवा अन्यथा विचार करना चाहिए।

48. जिन देशों में कोई कापीराइट अधिनियम लागू नहीं हैं वहां भारतीय फिल्मों की चोरी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उस देश की सरकार के साथ विशेष द्विपक्षीय करार करने के प्रयास किये जायें।

49. जब भी भारत की निजी पार्टियों विदेशों में अपनी फिल्मों के कापीराइट के उल्लंघन के लिए न्यायालय में जाना चाहें, उन्हें इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

केन्द्रीय कानून में संशोधन

कापीराइट अधिनियम

50. धारा 2 (घ घ) के अन्तर्गत "प्रसारण" की परिभाषा में यह उल्लेख करते हुए संशोधन किया जाना चाहिए कि एक ही स्रोत से एक ही निवास में एक से अधिक परिवार को तार द्वारा या अन्यथा, एक साथ संचार को सार्वजनिक संचार समझा जाना चाहिए।

51. यदि अनुसंधान अथवा निजी अध्ययन के लिए कोई कापी तैयार की जाती है तो धारा 52 (1) (क) (1) में अनधिकृत कापी के लिए कापीराइट के उल्लंन से छूट प्रदान की गई है। चूंकि वीडियो फिल्म सहित कोई फिल्म मुख्य रूप से मनोरंजन प्रदान करने के लिए होती है इसलिए उस पर यह छूट लागू नहीं होगी। तथापि, किसी प्रकार की शंका को दूर करने के लिए इस धारा में संशोधन करके इसे स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए।

52. व्यावसायिक स्थल या व्यावसायिक प्रदर्शनी केन्द्र, वीडियो लाइब्रेरी, वीडियो पार्लर, केवल टी० वी० नेटवर्क, होटल, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, पूजा पण्डाल तथा क्लब जैसे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के पास लाभ कमाने के उद्देश्य से अनाधिकृत वीडियो कैसेट का पाया जाना ही ऐसा अपराध माना जाना चाहिए जिसे धारा 52 (1) (क) (1) के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान न हो।

53. कापीराइट अधिनियम के अध्याय XIII के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में कार्रवाई करने का अधिकार एक विशेष न्यायालय को दे दिया जाना चाहिए जिसे कापीराइट न्यायालय का नाम दिया जा सकता है। यह विशेष न्यायालय प्रत्येक उस शहर में स्थापित किया जाये जहां उच्च न्यायालय हो। विशेष न्यायालय का निर्णय अन्तिम

होगा लेकिन उच्च न्यायालय को केवल कानूनी प्रश्न पर पुनर्विचार करने का अधिकार होगा।

54. धारा 51 के उपबन्ध में आयातकर्ता द्वारा अपने निजी तथा घरेलू इस्तेमाल के सिनेमाटोग्राफ फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध है। लेकिन सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत यात्री सामान नियमों में देश में दो सिनेमाटोग्राफ प्रतियां लाने की अनुमति है। चूंकि बेईमान लोगों द्वारा इस प्रकार आयात किए गए कैसेटों का उपयोग चोरी करने के लिए इस नियम का दुरुपयोग किया जा रहा है इसलिए सीमा शुल्क अधिकारियों को कानूनी स्थिति से अवगत कराना यथा व्यक्तिगत यात्रा सामान नियमों में तत्काल परिवर्तन कराने के अनुदेश देना जरूरी है।

अन्य अधिनियम :

55. धारा 33 भाग 5 (2) के अन्तर्गत प्रमाण पत्र की प्रत्येक दूसरी प्रति के लिए 10 रुपये फीस बहुत अधिक है। इससे वीडियो फिल्म चोरों को अनुचित लाभ होता है जो कोई फीस नहीं देते। प्रत्येक प्रति की फीस समाप्त कर दी जानी चाहिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता

56. कापीराइट के मालिक को अधिनियम के उल्लंघन द्वारा जो हानि होती है, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए दीवानी उपचार उपलब्ध हैं जिनमें मुकद्दमा दायर करना भी शामिल है। लेकिन दीवानी उपचार की तुलना में दण्डात्मक प्रक्रिया अधिक कठोर और शीघ्रतापूर्ण है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 के अधीन ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई करने वाली अदालत को, जुर्माने की राशि में से व्यथित व्यक्ति (कापीराइट का मालिक) को हानि की पूर्ति करने का अधिकार दे यदि दोषी को दण्ड दिया जाता है। इस उपबन्ध की ओर अदालतों का ध्यान दिलाया जाना चाहिए ताकि अदालतें दोषी पर लगा गए जुर्माने की राशि में से व्यथित पक्ष को उचित मुआवजा दे सकें।

57. तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी को देखते हुए सरकार को वीडियो की चोरी और केबल टी० वी० सम्बन्धी कानून पर हर दो साल बाद पुन: विचार करना चाहिए।

58. वीडियो प्रौद्योगिकी में हुए परिबर्तनों के प्रकाश में भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय वेतार तार अधिनियम, 1933 पर पुनः विचार किये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, सभी केवल टी० वी० आपरेटरों के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया जाना चाहिए। किसी केबल टी० वी० आपरेटर को सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना, किसी सामूहिक आवास समिति सहकारी आवास समिति आदि में केबल टी० वी० नेटवर्क लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल टी० वी० आपरेटरों को यह वचन देना होगा कि यदि वे अपने नेटवर्क पर अनाधिकृत अथवा चोरी किए हुए कैसेट दिखायेंगे तो उनके लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिये जायेंगे/स्थगित कर दिये जायेंगे और कानून के अधीन अन्य देनदारियां इसके अलावा होंगी। देश में केबल टी० वी० नेटवर्क और एंटीना प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सिफारिशों/टिप्पणियों को सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में गठित समिति को विचार करने के लिए सौंप दिया जाना चाहिए।

विविध :

59. सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का नाम बदलकर सूचना, प्रसारण और सिनेमा मन्त्रालय कर दिया जाना चाहिए ।

महाराष्ट्र में नई विमान सेवा

3811. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में थर्ड टायर वाली एयरलाइन की नई विमान सेवा शुरू करने के लिए कुछ निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) रत्नागिरि, शोलापुर, लातूर, अकोला, नान्देड, धुले, चन्द्रपुर, नागपुर, कोल्हापुर इत्यादि के लिए वायुदूत सेवायें परिचालित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

(ग) वायुदूत पहले से ही नान्देड़ के लिए परिचालन कर रहा है । वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से, वायुदूत के लिए अपनी बन्द की गई सेवाओं को पुनः शुरू करना अथवा इस समय किसी नये स्टेशन को हवाई सेवा से जोड़ना सम्भव नहीं है ।

दुलहस्ती तथा उरी जल विद्युत परियोजनायें

3812. **श्री विजय नवल पाटील :** क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने दुल्हस्ती तथा उरी जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में क्या उल्लेखनीय प्रगति की है तथा अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की हैं;

(ख) निगम द्वारा टर्न-की ठेकेदारों को अब तक दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ठेकेदारों द्वारा क्या प्रगति की गई है;

(घ) क्या इन परियोजनानों का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दुलहस्ती तथा उरी जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कार्यों को पूरा किए जाने के बारे में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन०एच०पी०सी०) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और इस सम्बन्ध में उपलब्धि दर्शाने वाले विवरण 1 एवं 2 के रूप में संलग्न है ।

(ख) एन०एच०पी०सी० द्वारा दुलहस्ती एवं उरी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए

टर्न-की ठेकेदारों को क्रमश: 478.73 करोड़ रुपये एवं 580.91 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

(ग) इन परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य के मामले में ठेकेदारों द्वारा प्राप्त की गई प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(1) दुलहस्ती ज० वि० परियोजना

कंक्रीट बांध एवं इनटेक संरचना से सम्बन्धित खुदाई कार्य पूरा हो चुका है और कंक्रीट कार्य प्रगति पर है। सुरंग के सम्बन्ध में 1200 मीटर तक का कार्य पूरा हो चुका है। विद्युत घर से सम्बन्धित 47950 कुएं में खुदाई कार्य पूरा हो चुका है। टेल रेत सुरंग में गेट शैफ्ट तक खुदाई कार्य पूरा हो चुका है। अन्य पैकेजों से सम्बन्धित कार्य भी प्रगति पर है।

(2) उरी जल वि० परियोजना

80 प्रतिशत आधारभूत विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। पुष्टि सम्बन्धी अन्वेषण काफी हद तक पूरे हो चुके हैं। आयोजना एवं डिजाइन सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। बराज क्षेत्र में खुदाई कार्य तथा हैड रेस सुरंग हेतु भूमिगत कार्य आरम्भ कर दिए गए हैं। खुदाई एवं भूमिगत कार्यों के लिए आवश्यक निर्माण उपस्कर या तो स्थल पर पहुंच रहे हैं। जल विद्युत—यांत्रिक उपस्करों एवं विद्युत उत्पादन उपस्कर के सम्बन्ध में डिजाइन, फैबिकेशन एवं सप्लाई सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है।

(घ) और (ङ) मई, 1992 में अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक घटना जिसके फलस्वरूप सुरंग में अचानक पानी भर गया था, के कारण दुलहस्ती परियोजना के सुरंग सम्बन्धी कार्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है। परियोजना को 57 महीने की निर्धारित समयावधि अर्थात् जुलाई, 1994 तक पूरा किया जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि भूवैज्ञानिक आपदाओं से किस हद तक निंपटा जा सकता है और शेष अवधि में सुरंग छेदन मशीन का उपयोग करते हुए हैड रेस सुरंग के खुदाई कार्य में कितनी प्रगति प्राप्त की जा सकती है। कार्यों को पूरा किए जाने सम्बन्धी निर्धारित कार्यक्रम में किसी प्रकार के संशोधन के सम्बन्ध में एन०एच०पी०सी० द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार द्वारा परियोजना के कार्यों की प्रगति की समुचित रूप से मानीटरिंग की जा रही है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) को सुरंग सम्बन्धी कार्य की प्रगति की समीक्षा किए जाने को कहा गया है।

जहां तक उरी परियोजना का सम्बन्ध है, जम्मू तथा कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति को ध्यान में रखते हुए टर्न-की ठेकेदार ने उक्त परियोजना को चालू किए जाने सम्बन्धी 72 महीने के निर्धारित कार्यक्रम (अर्थात् नवम्बर, 1995 तक) में 10 महीने के विलम्ब की परिकल्पना की है। एन०एच०पी०सी० द्वारा आशा व्यक्त की गई है कि कानून एवं व्यवस्था के कारण निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ने की अवधि को यथासम्भव पूरा कर लिया जाएगा, तथा निर्माण सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम के मामले में अभी तक एन०एच०पी०सी० एवं ठेकेदार के बीच अन्तिम रूप से सहमति नहीं हुई है। सरकार द्वारा परियोजना के निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रगति की समुचित रूप से मानीटरिंग की जा रही है और टर्न-की ठेकेदार के कार्मिकों को वायु-मार्ग द्वारा श्रीनगर से उरी परियोजना स्थल तक ले जाने सम्बन्धी सुविधा प्रदान की गई है।

ठेकेदार के कार्मिकों एवं मशीनरी की आवश्यक सुरक्षा सहित कार्यस्थल तक उनकी अवधि रूप से पहुंच सम्बन्धी व्यवस्था भी की गई है।

विवरण-I

बुलहस्तो जल विद्युत परियोजना

क्र० सं०	लक्ष्य	लक्ष्य के सन्दर्भ में उपलब्धि सम्बन्धी स्थिति	निर्धारित कार्यक्रम	वास्तविक रूप से निष्पादन
1	2	3	4	5
1.	अंतिम रूप से निर्णित डिजाइन को एम०एस०पी०सी० द्वारा अनुमोदित किया जाना	प्राप्त किया गया	10/91	3/92
2.	अद्यतन किए गए निर्माण सम्बन्धी निर्धारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाना	प्राप्त किया गया	7/91	7/91
3.	व्यपवर्तन चैनल एवं कोफर बांध का निर्माण कार्य पूरा किया जाना	प्राप्त किया गया	11/91	3/91
4.	स्पिलबे में बांध सम्बन्धी खुदाई कार्य को पूरा किया जाना	प्राप्त किया गया	1/92	12/91
5.	कंक्रीट बांध में कंक्रीट कार्य आरम्भ करना	प्राप्त किया गया	1/92	12/91
6.	गाद सम्प्रवाहन सुरंग को पूरा किया जाना	प्राप्त किया गया	4/92	4/92
7.	सुरंग छेदन मशीन से खुदाई कार्य आरम्भ किया जाना	प्राप्त किया गया	5/91	4/91
8.	एच आर टी तक डी/एस पहुंच मार्ग सम्बन्धी खुदाई कार्य पूरा किया जाना	प्राप्त किया गया	9/91	8/91
9.	नीचे की ओर एच आर टी का खुदाई कार्य आरम्भ किया जाना	प्राप्त किया गया	10/91	8/91
10.	3500 मी० हैंडरेस सुरंग को पूरा किया जाना	अभी पूरी की जानी है।	6/92	

1	2	3	4	5
	11. विद्युत घर तक पहुंच सुरंग को पूरा किया जाना	प्राप्त किया गया	7/91	5/91
	12. विद्युत घर का खुदाई कार्य आरम्भ किया जाना	प्राप्त किया गया	7/91	4/91
	13. विद्युत घर का खुदाई कार्य पूरा किया जाना	प्रगति पर है	4/92	8/92 में प्रत्याशित
	14. विद्युत घर में कंक्रीट कार्य आरम्भ किया जाना	प्राप्त किया गया	12/91	9/91
	15. ट्रांसफार्मर गैलरी का खुदाई कार्य आरम्भ किया जाना	प्राप्त किया गया	12/91	9/91
	16. ट्रांसफार्मर गैलरी में कंक्रीट कार्य आरम्भ किया जाना	प्राप्त किया गया	3/92	3/92
	17. टी०आर०टी० से गेट शैफ्ट तक खुदाई कार्य पूरा किया जाना	प्राप्त किया गया	5/92	5/92
	18. कार्यस्थल पर पॉवर हाऊस क्रेन की प्राप्ति	प्राप्त किया गया	4/92	5/92
	19. स्पिलवे संरेखण सम्बन्धी खुदाई कार्य आरम्भ किया जाना	प्रगति पर है	5/92	9/92 में प्रत्याशित

विवरण-II

उरी जल विद्युत परियोजना

क्र० सं०	माइलस्टोन	लक्ष्य के सन्दर्भ में उपलब्धि सम्बन्धी स्थिति	निर्धारित कार्यक्रम	वास्तविक रूप से निष्पादन
1	2	3	4	5
1.	समग्र योजना रिपोर्ट को पूरा किया जाना	प्राप्त किया गया	4/90	4/90
2.	हाइड्रालिक मॉडल सम्बन्धी अध्ययनों को पूरा किया जाना	प्राप्त किया गया	5/91	12/91
3.	फील्ड सम्बन्धी अन्वेषणों को पूरा किया जाना	प्राप्त किया गया	5/91	6/91

1	2	3	4	5
4.	बराज सम्बन्धी खुदाई कार्य आरम्भ किया जाना	प्राप्त किया गया	8/91	4/92
5.	बराज में कंक्रीट कार्य किया जाना	प्राप्त किया गया	12/91	—
6.	हैड रेस नहर का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना	प्राप्त किया गया	3/94	5/92
7.	एच आर टी प्रवेश द्वारों सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जाना			
	प्रवेश द्वार—1	प्राप्त किया गया	8/91	6/92
	प्रवेश द्वार—2	प्राप्त किया गया	7/91	5/92
	प्रवेश द्वार—3	प्राप्त किया गया	7/91	5/92
8.	एच आर टी प्रवेश द्वारों सम्बन्धी कार्य पूरा किया जाना	प्रगति पर है		
	प्रवेश द्वार—2		2/92	—
	प्रवेश द्वार—3		3/92	—
9.	हैड रेस सुरंग सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जाना	अभी आरम्भ नहीं किया गया है।	11/91	—
10.	विद्युत घर स्थल तक पहुंच सुरंग	प्राप्त किया गया	6/91	1/92
11.	टेलरेस सुरंग प्रवेश द्वार सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जाना	अभी आरम्भ नहीं किया गया है।	10/91	—
12.	ई०ओ०टी० क्रेन की डिलीवरी	प्राप्त किया गया	6/91	5/92
13.	टर्बाइन (यूनिट-1) एवं सम्बद्ध उपकारों की डिलीवरी	प्राप्त किया गया	2/92	5/92

[हिन्दी]

दिल्ली से उड़िया भाषा में समाचार प्रसारित करना

3813. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, दिल्ली से उड़िया भाषा में समाचार प्रसारित नहीं किये जाते;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़िया भाषा में समाचार बुलेटिन के लिए समय नियत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी, दिल्ली प्रतिदिन 30 मिनट की कुल अवधि के लिए तीन उड़िया समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है, जो कि उड़ीसा में विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से एक साथ रिले किये जाते हैं। इसके अलावा, आकाशवाणी, कटक से दो उड़िया समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

शहीद मतीनगिनि हजरा की स्मृति में डाक टिकट

3814. **श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहीद मतीनगिनि हजरा की स्मृति में 29 सितम्बर, 1992 को उनकी पुण्य शताब्दी के अवसर पर डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाक टिकट जारी करने के प्रस्तावों पर विभिन्न चरणों में कार्रवाई की जाती है जिसमें 6 से 18 महीने तक का समय लग जाता है। इसमें फिलैटलिक सलाहकार समिति द्वारा विचारार्थ लिया गया समय भी शामिल होता है। नये डाक टिकट जारी करने से संबंधित कार्यक्रम का निर्णय और उसकी घोषणा वर्ष 1991 में की गई थी और इस प्रकार 29 सितंबर, 1992 को डाक टिकट जारी करना संभव नहीं है।

जामनगर, गुजरात में पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

3815. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर जिले में बहुत से गांवों और तालुका ग्राम पंचायतों के टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार किन-किन स्थानों पर टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं ;

(घ) वर्ष 1992 के दौरान यह सुविधा किन-किन स्थानों पर उपलब्ध कराई जाने की संभावना है; और

(ङ) यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्षेत्र	जिले में कुल संख्या	उन स्थानों की सं० जिनमें टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है	उन स्थानों की सं० जहां टेलीफोन सुविधा नहीं है
गांव	747	153	594
ग्राम पंचायतें	656	150	506
तालुक	10	10	—

(ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	स्थानों की संख्या जहां टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है
1989-90	3
1990-91	2
1991-92	23
	28

(घ) 1992-93 के दौरान पंचायत 214 गांवों में।

(ङ) शेष 292 पंचायत गांवों में मार्च, 1995 तक उत्तरोत्तर टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

जल विद्युत उत्पादन

3816. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री जगमीत सिंह :
श्री गोपीनाथ जगपति :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितना जल विद्युत उत्पादन हुआ;

(ख) क्या जल विद्युत उत्पादन में कमी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जल विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की पर्याप्त क्षमता है;

(ङ) जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु इस क्षमता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(छ) इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जाएंगे; और

(ज) सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित जल विद्युत परियोजनाओं की संस्था कितनी है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मार्च, 1987 में किए गए जल विद्युत पुर्निर्धारण सम्बन्धी अध्ययनों के अनुसार देश में 60 प्रतिशत भार गुणांक पर जल विद्युत शक्यता 84044 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) जल विद्युत तथा ताप विद्युत का अनुपात कम होने के कारणों में ये शामिल हैं— जल विद्युत परियोजनाओं की निर्माण अवधि अधिक होना, पर्यावरणीय समस्याएं, जिलोजीकल सरप्राइज, अन्त:राज्यीय जल विवाद तथा जल विद्युत शक्यता के अम्बारों का भार केन्द्रों से दूर-दराज के स्थानों में अवस्थित होना।

(च) आठवीं योजना अवधि के दौरान 9282 मैगावाट जल विद्युत क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है।

(छ) जल विद्युत परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन व समय से पूरा करने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं। कृतिक बलों का गठन करना, परियोजना प्राधिकारियों तथा ठेकेदारों के साथ संयुक्त रूप से बैठकें आयोजित करना, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्राधिकारियों द्वारा परियोजना का मुआयना तथा उपस्करों की समय पर पूर्ति इत्यादि।

(ज्र) (प्रत्येक 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली) कुल 7244 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाली उन्नीस जल विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्वीकृति प्रदान कर दी है/मूल्यांकन कर दिया है तथा योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी योजना स्वीकृति दी जाती है।

कुल 3100 मैगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाली सोलह जल विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेज दिया गया है।

विवरण

देश में राज्यवार जल विद्युत उत्पादन

(आंकड़े मेगावाट घंटा में)

राज्य/क्षेत्र का नाम	वास्तविक उत्पादन 19 0-91	लक्ष्य 1991-92	वास्तविक उत्पादन 1991-92	लक्ष्य 1992-93
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
केन्द्रीय / संयुक्त				
(क) बी०बी०एम०बी०	13052	11010	12527	11010

1	2	3	4	5
(ख) एन०एच०पी०सी०	3147	2793	3022	3225
उपजोड़	16199	13803	15549	14235
हरियाणा	279	230	267	240
हिमाचल प्रदेश	1243	1211	1033	1100
जम्मू एवं कश्मीर	829	882	793	800
पंजाब	2563	2725	2843	2790
राजस्थान	895	1175	1400	1140
उत्तर प्रदेश	5212	4923	5551	5220
जोड़ (उ० क्षे०)	27220	24949	27436	25525
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	1527	1210	835	900
मध्य प्रदेश	1146	1726	1321	1890
महाराष्ट्र				
(क) महाराष्ट्र रा०बि० बोर्ड	4025	3899	4017	3950
(ख) टाटा जल विद्युत	1471	1200	1638	1250
उप जोड़ (महाराष्ट्र)	5496	5099	5655	5200
जोड़ (प० क्षेत्र)	8169	8035	7811	7990
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	10365	7789	9846	7950
कर्नाटक	9623	9201	10295	9335
केरल	5494	5058	5322	5350
तमिलनाडू	3989	3808	4423	3910
जोड़ (द० क्षेत्र)	29471	25856	29886	26545
पूर्वी क्षेत्र				
उड़ीसा	4156	3760	4863	3780
डीवीसी	442	380	371	350
बिहार	346	224	243	265
पं० बंगाल	81	110	109	100
सिक्किम	29	54	36	45
जोड़ (पू० क्षेत्र)	5054	4528	5622	4540

1	2	3	4	5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
मेघालय	340	417	421	485
त्रिपुरा	55	45	56	50
असम	—	—	—	10
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	15
केन्द्रीय परियोजनाएं				
(क) एनएचपीसी	473	410	544	410
(ख) नीपको	753	660	823	730
उप जोड़	1226	1070	1367	1140
जोड़ (उ० पू० क्षेत्र)	1621	1532	1844	1700
जोड़ (अखिल भारत)	71535	64900	72599	66300

[अनुवाद]

व्हील एण्ड एक्सल प्लांट तथा संडूर मैंगनीज खानों को विद्युत की आपूर्ति

3817. **श्री अनन्तराव देशमुख : क्या विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने अनावंटित कोटे में से व्हील एण्ड एक्सल प्लांट बंगलौर को एक लाख यूनिट विद्युत वार्षिक तथा कर्नाटक में संडूर मैंगनीज खानों को दस हजार यूनिट विद्युत वार्षिक स्वीकृत की है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने उक्त प्लांट तथा खानों के लिए स्वीकृत इस विद्युत यूनिटों को वापस ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन स्वीकृत विद्युत यूनिटों को वापस दिलाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के अनाबंटित हिस्से में से मैसर्स व्हील एण्ड एक्सल प्लांट और मैसर्स सन्दूर मैंगनीज एण्ड आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड को कर्नाटक बिजली बोर्ड द्वारा सप्लाई किए जा रहे विशेष विद्युत आबंटन को कर्नाटक बिजली बोर्ड द्वारा दिनांक 27 मार्च, 1992 के आदेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। इस मामले पर कर्नाटक सरकार/कर्नाटक बिजली बोर्ड के साथ सम्पर्क किया गया था। कर्नाटक बिजली बोर्ड की ऊर्जा पुनरीक्षा समिति द्वारा 1-6-1992 से मैसर्स व्हील एण्ड एक्सल प्लांट को 18,93,320 यूनिट प्रतिमास की दर से अतिरिक्त ऊर्जा आबंटन किया गया है। मैसर्स सन्दूर मैंगनीज एण्ड आयरन ओर लिमिटेड द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है और उन्होंने अपने पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

बेलतारा रोड बलिया ताप विद्युत सैयन्त्र, उत्तर प्रदेश

3818. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मंजूरी के लिए बेलतारा रोड (बलिया) ताप विद्युत परियोजना की संशोधित रूपरेखा भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित सभी विभागों ने इस परियोजना की मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 3 × 250 मे०वा० बेलथारा रोड ताप विद्युत परियोजना की प्रतिष्ठापना के संबंध में परियोजना सम्भाव्यता रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से नवम्बर, 91 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कोयला लिंकेज, जल की उपलब्धता, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 की अनुपालना केन्द्रीय एवं राज्य प्राधिकारियों से पर्यावरणीय स्वीकृति जैसे आवश्यक निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित किए जाने के बाद ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

राज्य बिजली बोर्डों को हुआ घाटा

3819. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

डा० ए० के० पटेल :

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को कितना-कितना घाटा हुआ है; और

(ख) प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को हुआ संचित घाटा कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा घाटा कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 को लेखे-जोखे अभी तक राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त नहीं हुए हैं। विगत के तीन वर्षों के दौरान राज्य बिजली बोर्डों के लेखे में दी गई आर्थिक सहायता को जोड़ने के पश्चात् वाणिज्यिक घाटे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन सहित समय-समय पर राज्यों पर 3 प्रतिशत सांविधिक अधिशेष प्राप्त करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों के संचालन में सुधार लाने तथा इक्विटी भागीदारी, कृषि क्षेत्र को बिजली की सप्लाई में होने वाली हानियों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान करने, समय पर टैरिफ में संशोधन करने, विद्युत उत्पादन केन्द्रों की कार्यदक्षता में सुधार करने, पारेषण एवं वितरण हानियां कम करने जैसे कदम

उठाने के लिए जोर दिया जाता रहा है। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि न्यूनतम कृषिगत टैरिफ 50 पैसे/किलोवाट घन्टा निर्धारित किया जाए। ताप विद्युत केन्द्रों की कार्य कुशलता में सुधार करने/पारेषण एवं वितरण हानियां कम करने के लिए प्रोत्साहन स्कीमें चलाई गई हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए समुचित टैरिफ ढांचा सुझाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से एक राष्ट्रीय विद्युत टैरिफ बोर्ड तथा पांच क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ बोर्डों की स्थापना की जाए।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों को उनके लेखे में दी गई आर्थिक सहायता को जोड़ने के पश्चात् वाणिज्यिक घाटों का विवरण

करोड़ रुपये में

क्र० सं०	राज्य बिजली बोर्ड	1988-89 के दौरान	1989-90 के दौरान	1990-91 के दौरान	31-3-91 की स्थिति के अनुसार संचित
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.80	2.50	80.97	29.17
2.	बिहार	—190.95	—247.71	—364.00	—1074.52
3.	गुजरात	13.90	—203.40	—444.82	—590.62
4.	हरियाणा	—52.13	—56.75	—82.42	—707.50
5.	हिमाचल प्रदेश	71.70	—5.88	6.12	—114.53
6.	कर्नाटक	—50.60	—84.30	—132.40	—337.40
7.	केरल	—14.30	—11.60	—51.75	—134.83
8.	मध्य प्रदेश	—80.01	76.19	—117.47	192.93
9.	महाराष्ट्र	39.50	14.50	85.50	266.40
10.	उड़ीसा	—24.70	18.20	18.20	—101.30
11.	पंजाब	—59.11	—57.80	—68.40	—312.61
12.	राजस्थान	—57.20	—147.80	—158.10	—660.40
13.	तामिलनाडु	—41.30	58.20	71.15	323.15
14.	उत्तर प्रदेश	1.10	42.00	119.17	—451.43
15.	पश्चिमी बंगाल	—38.80	—45.30	—102.62	—438.82
16.	असम	—121.07	—222.73	—257.21	—1035.13
17.	मेघालय	1.48	4.08	3.55	—27.59
	जोड़	—343.07	—870.60	—1390.63	—497 .03

इण्डियन पैसिफिक ट्रैवल मार्केट

3820. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान इण्डियन पैसिफिक ट्रैवल मार्केट में अत्यधिक विस्तार की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पूर्ववर्ती वर्ष के प्रथम छह महीनों के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। इसलिए इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वर्तमान वर्ष में विदेशी पर्यटकों के आगमन में पर्याप्त वृद्धि होगी।

[**हिन्दी**]

प्राइवेट विमान कम्पनियां

3821. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एअर टैक्सी कम्पनियां बन्द हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एअर टैक्सी कम्पनियां आवश्यक सुरक्षा विनियमों और मूल सुविधाओं को देने की शर्त को पूरा करती हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां। मैसर्स एयर एशियाटिक लिमिटेड के विमानों की अनुपलब्धता के कारण जून, 1991 में परिचालन बन्द कर दिए थे। मैसर्स यू० बी० एयर लिमिटेड ने भी अपने विमानों को ग्राउण्ड कर दिए जाने के कारण सितम्बर, 1991 में अपने परिचालन स्थगित कर दिए थे।

(ग) हवाई टैक्सी प्रचालकों को परमिट जारी करने से पूर्व महानिदेशालय, नागर विमानन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि प्रचालक सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा वायुयान नियमावली और हवाई टैक्सी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में जलाशय

3822. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गया में बाराछन्ती तथा गया डिवीजन में प्रस्तावित जलाशय परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चत्रा डिवीजन में हंटरगंज की प्रस्तावित निलाजन सिंचाई परियोजना को भी योजना में शामिल करने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस निलांजन परियोजना से कुल कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी और इस परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने गया जिले की मोहने जलाशय परियोजना को अपने आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में शामिल नहीं किया है। केन्द्र में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा संशोधित रिपोर्ट भेजी जानी अपेक्षित है। इस परियोजना के मूल प्रारूप में इस परितोजना से 43,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार ने हजारी बाग जिले की लीलाजन जलाशय परियोजना को अपने आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में शामिल नहीं किया है। केन्द्र में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा संशोधित रिपोर्ट भेजी जानी अपेक्षित है। इस परियोजना के मूल प्रारूप में परियोजना से 37,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

यमुना जल में दिल्ली का हिस्सा

3823. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**
आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री :

क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

5 (क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली को यमुना जल का उचित हिस्सा दिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

5 (ख) यदि हां, दिल्ली को प्रतिदिन कितना पानी दिया जा रहा है;

(ग) दिल्ली में प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार दिल्ली में पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) इस समय दिल्ली को यमुना सहित सभी स्रोतों से प्रतिदिन लगभग 2320 मिलियन लीटर पानी प्राप्त हो रहा है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा बताए अनुसार, दिल्ली की प्रतिदिन की आवश्यकता लगभग 2844 मिलियन लीटर है।

(घ) और (ङ) दिल्ली की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन उपायों में ये शामिल हैं : हिमाचल प्रदेश में रेनुका बांध, उत्तर प्रदेश में किशाऊ और टिहरी बांधों का निर्माण, हरियाणा के जरिए दिल्ली को जल आपूर्ति को ले जाने के लिए एक समानान्तर चैनल तथा दिल्ली की वृद्धि के नियमन के साथ साथ जल का पुन: चक्र और पुन: उपयोग।

भारत-बंगलादेश सीमा पर गंगा में भूमि कटाव

3824. **श्री चेतन पी०एस० चौहान :**
श्री बलराज पासी :

क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगलादेश सीमा पर गंगा में भूमि कटाव की प्रक्रिया जारी रहने के कारण काफी भूमि नष्ट हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं। मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का के अनुप्रवाह में गंगा के दाएं तट पर कटाव होने के कारण भारत द्वारा उपयोग के लिए कुछ भूमि उपलब्ध नहीं है। भारी कटाव को रोकने के लिए 5.88 करोड़ रुपए की लागत की स्कीमें निष्पादित की गई हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 43.67 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा आपरेटरों का प्रशिक्षण

3826. **श्री रवि राय** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के परामर्श से टी० एस० एक्स० तथा आई० टी० एक्स० पर कार्यरत टेलीफोन आपरेटरों के लिए प्रशिक्षण तथा परामर्श कार्यक्रम कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें उत्पादकता बढ़ाने हेतु व्यवहार में सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया है; और

(घ) इस योजना को कहां-कहां पर चलाया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) (i) महानगर टेलीफोन निगम लि०, नई दिल्ली के टेलीफोन आपरेटरों को टी०एम० एक्स (ट्रंक मैनुअल एक्सचेंज और आटीएक्स) इन्टरनेशनल ट्रंक एक्सचेंज के 4 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मै० राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् नई दिल्ली को सलाहकार के रूप में रखा गया था।

(ii) इस कार्यक्रम का उद्देश्य टी० एम० एक्स० एवं आई० टी० एक्स० की सेवा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं की जरूरतों के प्रति आपरेटरों की प्रतिक्रिया (रिसपोंस) में सुधार लाना था। कुल 1,665 टेलीफोन आपरेटरों को प्रशिक्षित किया गया था।

(ग) जी हां। इस कार्यक्रम को व्यवहार में सुधार के जरिये, उत्पादकता में वृद्धि (प्रोडक्टिविटी एनहांसमैंट थ्रू बिहेविअरल इम्प्रूवमैंट) नाम दिया गया था।

(घ) यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल महानगर टेलीफोन निगम लि०, नई दिल्ली में कार्यान्वित किया गया था।

[हिन्दी]

प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो

3827. **प्रो० रासा सिंह रावत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो के कार्यालय खोलने के लिये क्या मान्दड अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या कोटा में प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो का कार्यालय बन्द कर दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को अजमेर में इस कार्यालय को पुनः खोले जाने के लिये कोई ज्ञापन मिला है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ब्यूरो के कार्यालय इन दोनों स्थानों पर कब तक खोले जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) पत्र सूचना कार्यालय राज्य की राजधानी तथा उन स्थानों पर खोले जाते हैं, जहां समाचार पत्रों के केन्द्र होते हैं। पत्र सूचना कार्यालय का शाखा कार्यालय खोलने के लिए अन्य कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है। तथापि, युक्तियुक्त बनाने की योजना के अन्तर्गत पत्र सूचना कार्यालय के कुछ कार्यालयों को बन्द करते समय यह निर्णय लिया गया था कि जो कार्यालय किसी क्षेत्र में 60 ससाचार पत्रों/पत्रिकाओं के लिए कार्य करते हैं उन्हें यथावत रहने दिया जाए तथा अन्यों को बन्द कर दिए जाए। नए शाखा कार्यालय खोलने के प्रस्तावों पर कारंवाई करने के लिए इस मानदण्ड को अपनाया जा रहा है।

(ग) और (घ) अजमेर नागरिक परिषद से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें अजमेर में पत्र सूचना कार्यालय का एक शाखा कार्यालय खोलने की मांग की गई है। इस समय राजस्थान राज्य में जयपुर, कोटा और जोधपुर में पत्र सूचना कार्यालय के तीन शाखा कार्यालय कार्य कर रहे हैं। अजमेर में पत्र सूचना कार्यालय का शाखा कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का अधिग्रहण

3828. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन गैर-सरकारी पार्टियों ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का अधिग्रहण करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्पदा संयंत्र और मशीनरी के लिए उनके द्वारा आंका गया मूल्य पर्याप्त पाया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मामले पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए इसे शंकर समिति को सौंप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या शंकर समिति द्वारा उस पर निर्धारित समय में निर्णय मिलने की सम्भावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) "इस्को" में भागीदारी के लिए तीन पार्टियों ने एस०बी०आई० कैपिटल मार्किट्स लिमिटेड एस०बी०आई० कैप को प्रारम्भिक पेशकश किया था। प्रारम्भिक प्रस्तावों का सरकार द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था। एस०बी०आई० कैप ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में अन्तिम प्रस्तावों, जो पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं, का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन की सिफारिश की थी।

(घ) से (ङ) सरकार ने 11-6-1992 को विशेषज्ञों की एक समिति का निम्नलिखित कार्यों के लिए गठन किया था :—

(i) समय-समय पर सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए भागीदारी के लिए प्रस्ताव प्राप्त करना, मूल्यांकन करना और पार्टियों के साथ समझौता करना;

(ii) यदि आवश्यक हो तो पार्टी और प्राथमिकता देने सहित भागीदारी की संबंधित शर्तों की सिफारिश करना; और

(iii) उल्लिखित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय पुनर्संरचना सहित अन्य शर्तों का सुझाव देना।

समिति ने समय सीमा में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समयावधि 14 अगस्त, 1992 से बढ़ाकर नवम्बर, 1992 तक करने का अनुरोध किया था। सिफारिशें नवम्बर, 1992 में प्राप्त होने की सम्भावना है।

टेलीफोन सुविधा युक्त डाकघर

3829. **श्री बापू हरि चौरे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने गांवों में डाकघर सुविधा नहीं है;

(ख) देश में कितने डाक घरों में टेलीफोन सुविधा नहीं है; और

(ग) इन डाकघरों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) देश में ऐसे गांवों की राज्यवार संख्या जिनमें डाकघर नहीं हैं और राज्यवार उन डाकघरों की संख्या जिनमें टेलीफोन सुविधा नहीं है, अनुबंध-I में दी गई है।

(ग) देश में प्रत्येक डाकघर में टेलीफोन (सार्वजनिक टेलीफोन) लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं बशर्ते कि टेलीफोन लगाना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो और संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण

सर्किल/राज्यवार उन गांवों की संख्या जिनमें डाकघर नहीं हैं और उन डाकघरों की संख्या जिनमें टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

क्र०सं०	सर्किल/राज्य	उन गांवों की संख्या जिनमें डाकघर नहीं हैं	उन डाकघरों की संख्या जिनमें टेलीफोन नहीं हैं
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	18420	11594
2.	असम	2008	2887
3.	बिहार	56768	8178
4.	दिल्ली	113	226
5.	गुजरात (दादर एवं नगर हवेली सहित)	10779	4726
6.	हरियाणा	4506	1468*
7.	हिमाचल प्रदेश	14291	1893
8.	जम्मू और कश्मीर	5102	1149
9.	कर्नाटक	19374	5674
10.	केरल	1	2968
	लक्षद्वीप	शून्य	1
11.	मध्य प्रदेश	62047	7725
12.	महाराष्ट्र	28435	8367
	गोवा	186	140
13.	उत्तर-पूर्व		
	अरुणाचल प्रदेश	2415	221
	मणिपुर	1417	585
	मेघालय	4617	387
	मिजोरम	427	336
	नागालैंड	859	235
	त्रिपुरा	4119	602
14.	उड़ीसा	43364	5375

1	2	3	4
15.	पंजाब	8998	2229
	चण्डीगढ़	17	10
16.	राजस्थान	27743	8162
17.	तमिलनाडु	6187	4364
	पांडिचेरी	19	45
18.	उत्तर प्रदेश	95362	4306
19.	पश्चिम बंगाल	30742	6593
	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	431	147
	सिक्किम	248	62

*यह चिह्न उन ग्रामीण डाकघरों को दर्शाता है जिनमें टेलीफोन नहीं हैं।

एसियासेट में ट्रान्सपोन्डर का पट्टे पर लेना

3830. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री मोहन रावले :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1992 में छोड़े जाने वाले एसियासेट उपग्रह से ट्रान्सपोन्डर पट्टे पर लेने संबंधी बातचीत अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ट्रान्सपोन्डर सुविधा प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) एसियासेट पर ट्रांसपोन्डर प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए एक शिष्टमंडल की मई, 1992 की प्रस्तावित हांगकांग यात्रा को कार्यरूप नहीं दिया जा सका क्योंकि मैसर्स एशिया सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशंस कम्पनी लि० ने यात्रा का कार्यक्रम पुनः निर्धारित करने के लिए कह दिया था। मैसर्स एशिया सैटेलाइट टैली कम्युनिकेशंस कम्पनी लि० ने अब यात्रा की नई तारीखों के लिए अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

दक्षिण कोरिया के साथ वायु सम्पर्क

3831. **डा० परशुराम गंगवार :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नई विमान सेवाएं शुरू करने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये विमान सेवाएं कब से शुरू की जायेंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। करार में यह व्यवस्था की गई है कि दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियां निर्दिष्ट मार्गों पर सप्ताह में दो सेवाओं का परिचालन कर सकती है।

(ग) अभी तक कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की गयी है।

उत्तर प्रदेश की पर्यटन परियोजनाएं

3832. **डा० लाल बहादुर रावल :**

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की उन पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी;

(ग) वर्ष 1992-93 में तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी वित्तीय सहायता की गई/देने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य से गढ़वाल और कुमाऊं का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास करने के लिए कोई परियोजना प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) राज्य सरकार ने बद्रीनाथ-केदारनाथ तीर्थ परिपथ पर पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

इसके अतिरिक्त राज्यों को उनकी विशिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों के लिए उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बिहार, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश डाकघरों में टेलीफोन सुविधा

3833. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

श्री देवी दक्स सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कितने डाकघरों में इस समय टेलीफोन नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन डाकघरों में टेलीफोन लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) इस समय टेलीफोन सुविधा रहित डाकघरों की संख्या इस प्रकार है :—

बिहार	8,178
गुजरात	4,726
राजस्थान	8,162
उत्तर प्रदेश	14,306

(ख) और (ग) यद्यपि सभी डाकघरों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की अलग से कोई योजना नहीं है, तथापि सरकार ने 31-3-1995 तक सभी पंचायत गांवों में उत्तरोत्तर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। इस प्रकार के टेलीफनो लगाने के लिए सुझाए गए स्थानों में से डाकघर एक सर्वसम्मत स्थान होता है।

महाराष्ट्र में डाक व तार घर

3834. **श्री दत्ता मेघे : क्या सन्चार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के आठ जिलों में डाक व तार घरों की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) उक्त लक्ष्य निर्धारित करने के क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ग) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान इस क्षेत्र से तारों के विलम्ब से वितरण किये जाने सम्बन्धी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस प्रकार का विलम्ब न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 1992-93 के दौरान 18 शाखा डाकघर और 3 विभागीय उपडाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

विदर्भ क्षेत्र में 1992-93 के दौरान 9 संयुक्त डाक-तार घर खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) डाकघर खोलने के सम्बन्ध में लक्ष्यों का निर्धारण विभिन्न सर्किलों में, जिनमें देश को बांटा गया है, डाक विकास की मौजूदा स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

तारघर खोलने के लक्ष्य डाकघरों के लिए नियोजित लम्बी दूरी के पब्लिक टेलीफोनों की

संख्या और जनता की मांग के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) 1991-92 में नागपुर स्थित तारघर में उस क्षेत्र के सभी तारघरों को जोड़ते हुए एक लघु कम्प्यूटर पर आधारित तार प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में नागपुर में वृहत् प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में संयुक्त डाक-तार घरों में धीमी गति वाले मोर्स उपकरणों को इलैक्ट्रानिक की-बोर्ड में बदला जाएगा।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में बाढ़ की पूर्व सूचना देने की प्रणाली

3835. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोअर गंगा डिवीजन, केन्द्रीय जल आयोग, बरहामपुर, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की पूर्व सूचना देने की प्रणाली शुरू कर दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यह प्रणाली शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(घ) यह अपने कार्य क्षेत्र के साथ-साथ कितने खाड़ियों के बारे में सूचना देगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नही। किसी विशेष क्षेत्र में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुरोध किया जाना अपेक्षित है। पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठाते।

मंगलौर-मुम्बई तथा मंगलौर-मद्रास के मध्य विमान परिवहन क्षमता

3836. **श्री वी० धनंजय कुमार :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर होते हुए मंगलौर से मुम्बई और मंगलौर से मद्रास के मध्य विमान परिवहन क्षमता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मंगलौर हवाई अड्डे से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई;

(ग) क्या मंगलौर हवाई अड्डे का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो यह विस्तार कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) हाल ही में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विमानपतन प्राधिकरण द्वारा अर्जित राजस्व के ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

1989-9	1990-91	1991-92
28.49 लाख रुपये	34.93 लाख रुपये	39.56 लाख रुपये

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महानगर टेलीफोन के ज्वाइंटिंग किट

3837. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मई, 1992 के द हिन्दू में महानगर टेलीफोन निगम द्वारा (ज्वाइंटिंग) किटों की खरीद के लिए ठेके देने के सम्बन्ध में बरती गई कथित अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी जांच के आदेश दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रो० पी० जे० कुरियन...) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अपर सचिव, दूर संचार विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जांच किए जाने के आदेश दिए गए हैं और उनकी रिपोर्ट विचाराधीन है।

भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा अखबारी कागज का आयात

3838. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के आयात पर भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयन का नियंत्रण होता है;

(ख) क्या इससे समाचार पत्रों के लिए अत्यधिक कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयन के इस नियन्त्रण को समाप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। दिनांक 31 मार्च, 1992 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा घोषित सरकार की नई निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत समाचारपत्रों को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा निर्धारित हकदारी के अनुसार अपने अधिकृत एजेन्टों के माध्यम से अथवा सीधे अखबारी कागज का आयात करने की अनुमति दे दी गई हैं।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम में कथित अनियमितता

3839. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्री रतिलाल वर्मा :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत पर्यटन विकास निगम में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में 8 जुलाई, 1992 के "जनसत्ता" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : जी, हां । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पर कथित दोषी पाए गए अधकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के शहरों में टेलीफोन सुविधा

3840. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के मुख्य शहरों में टेलीफोन कनेक्शन उपजब्ध कराने हेतु 31 मार्च, 1992 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे;

(ख) अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं; और

(ग) कितने व्यक्ति अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के 7 मुख्य शहरों में 31-3-92 को चालू टेलीफोन कसेक्शनों तथा प्रतीक्षा सूची और अप्रैल, 92 से जून, 92 के बीच प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या तथा 30-6-92 को प्रतीक्षा सूची की स्थिति विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	मुख्य शहरों के नाम	31-3-92 के चालू कनेक्शन	31-3-92 को प्रतीक्षा सूची	4/92 से 6/92 के बीच प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन	30-6-92 को प्रतीक्षा सूची
1.	पुणे	69324	28660	2482	31115
2.	पिंपरी (चिंचवाड़)	9093	3650	751	5530
3.	कोल्हापुर	10852	6996	192	7349
4.	उल्हासनगर	9722	7330	23	8870
5.	नागपुर	15243	11669	222	12649
6.	नासिक सिटी	9408	6370	85	6295
7.	बम्बई	7,91,222	2,13,470	7519	2,39,658

इनके अतिरिक्त आठवीं योजना प्रस्तावों में विस्तार कार्यक्रम इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं कि आठवीं योजना के दौरान बड़ी टेलीफोन प्रणालियों से टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा अवधि घटाकर दो वर्ष कर दी जाए।

[हिन्दी]

बरेली, उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डा

3841. **श्री सत्यपाल सिंह यादव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका निर्माण कब तक कर लिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) किसी भी एयरलाइन प्रचालक ने न तो किसी आवश्यकता का अनुमान लगाया है और न ही इस उद्देश्य के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान किया है।

दिल्ली दूरदर्शन के चैनल-2 से प्रसारित होने वाले स्थानीय समाचार

3842. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन के चैनल-2 से संध्या समय प्रसारित होने वाले समाचारों में स्थानीय समाचार की अपेक्षा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों को प्रमुखता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दूरदर्शन के दूसरे चैनल पर स्थानीय समाचारों के अधिक से अधिक प्रसारित करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के मैट्रो चैनल (जिसे प्राय: दूसरे चैनल के नाम से जाना जाता है) से संध्या समय प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिन में स्थानीय समाचारों को प्रमुखता दी जाती है। तथापि, यह उचित समझा गया है कि राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय महत्व के कुछ समाचारों को इन बुलेटिनों में शामिल किया जाए ताकि ऐसी घटनाओं की शीघ्र जानकारी दी जा सके।

[अनुवाद]

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

3843. **श्री काशीराम राणा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात के विभिन्न जिलों में "ओन योर टेलीफोन" (ओ० वाई० टी०) और गैर ओ० वाई० टी० श्रेणियों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में पृथक-पृथक कितने लोग हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ग) प्रतीक्षा सूची के सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गुजरात में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने तथा नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो जिलावार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जानकारी विवरण I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
1989-90	15000	38365
1990-91	20000	26181
1991-92	45323	45963

(ग) आँठवीं योजना के उद्देश्यों के अनुसार विस्तार योजनायें आठवीं योजना के अंत तक निम्नलिखित की व्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में मांग होने पर व्यावहारिक रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

(2) बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में प्रतीक्षा सूची की अवधि घटाकर दो वर्ष करना।

(घ) और (ङ) जी, हां।

ब्यौरे वार जानकारी संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण-I

गुजरात के विभिन्न जिलों में 30-6-92 को स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची।

जिले का नाम (एस० एस० ए०)	ओ० वाई० टी०	नॉन-ओ वाई टी विशेष	नान ओ वाई टी सामान्य	योग
अहमदाबाद (गांधी नगर सहित)	2975	3729	40903	47609
बड़ौदा	2899	—	27304	30203
राजकोट	369	246	10929	11534
सूरत	5012	2904	39718	47634
भावनगर	362	433	7536	8331
कच्छ (भुज)	351	86	4313	4750
बलसाड़	1379	706	10108	12193
जामनगर	40	85	1775	1900
जूनागढ़	38	19	1908	1966
अमरोली	42	45	1213	1300
महेसाणा	372	189	9961	10522
खेडा (नाडियाड)	15	70	3768	3853
साबरकंठा (हिम्मतनगर)	73	99	2619	2791
बनासकाठा (पालनपुर)	180	171	4403	4754
सुरेन्द्रनगर	32	100	1856	1988
भड़ौच	245	126	3307	3678
पंचमहल (गोधरा)	123	138	2779	3045
कुल योग	14513	9146	174390	198049

कृपया नोट करें :—सम्भव है कि कुछ व्यक्तियों ने एक से अधिक टेलीफोन के लिए आवेदन कर रखा है अतः प्रतीक्षा सूची की संख्या सम्भवतया उपर्युक्त की अपेक्षा कम होगी।

विवरण-II

जिले का नाम (एस० एस० ए०)	स्थापित किए जाने प्रस्तावित नए एक्सचेंज	जिन एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है उनके ब्यौरे
1	2	3
अमरेली	10	288 लाइनें
बनासकाठा (पालनपुर)	7	2992 ,,
भडौच	3	3500 ,,
भावनगर	4	1760 ,,
पंचमहल (गोधरा)	5	1100 ,,
जामनगर	5	— ,,
जूनागढ़	4	390 ,,
खेडा (नाडियाड)	1	— ,,
महेसाणा	1	1788 ,,
साबरकंठा (हिम्मतनगर)	4	800 ,,
सुरेन्द्रनगर	3	1106 ,,
अहमदाबाद (गांधीनगर सहित)	11	18300 ,,
बडौदा	1	1700 ,,
राजकोट	3	— ,,
सूरत	3	2400 ,,
कच्छ (भुज)	—	200 ,,
बालसाद	—	7300 ,,

जल तथा ताप विद्युत उत्पादन

3844. **श्री राम सिंह काश्वां :**

श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जल विद्युत उत्पादन तथा ताप विद्युत उत्पादन में 40 और 80 का अनुपात बनाये रखने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार वर्तमान प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस अनुपात को बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सरकार ताप विद्युत तथा जल विद्युत के अनुमान को अतिरिक्त जल विद्युत क्षमता जोड़कर 60 : 40 के ईष्टतम अनुपात में बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है।

(ग) जल विद्युत तथा ताप विद्युत उत्पादन क्षमता की वर्तमान राज्यवार प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

क्षेत्र राज्य	प्रतिशत हिस्सा	
	जल विद्युत	ताप विद्युत एवं अन्य (अर्थात गैस, नाभिकीय, डीजल तथा पवन)
1	2	3
1. उत्तरी क्षेत्र		
1. हरियाणा	49.6	50.4
2. हिमाचल प्रदेश	99.5	0.5
3. जम्मू एवं कश्मीर	68.8	31.2
4. पंजाब	54.7	45.3
5. राजस्थान	55.8	44.2
6. उत्तर प्रदेश	26.9	73.1
7. चण्डीगढ़	—	100.0
8. दिल्ली	—	100.0
9. केन्द्रीय क्षेत्र	9.2	90.8
	30.5	69.5
2. पश्चिमी क्षेत्र		
1. गोवा	31.5	68.5
2. गुजरात	9.0	81.0
3. मध्य प्रदेश	21.4	8.6
4. महाराष्ट्र	17.1	82.9
5. दादर एवं नगर हवेली	—	—
6. दमन एवं द्वीप	—	—
7. केन्द्रीय क्षेत्र	—	100.0
पश्चिमी क्षेत्र	12.7	87.3

1	2	3
3. दक्षिणी क्षेत्र		
1. आन्ध्र प्रदेश	59.3	68.5
2. कर्नाटक	78.9	21.1
3. केरल	100.0	—
4. तमिलनाडु	45.1	54.9
5. पाण्डिचेरी	—	—
6. केन्द्रीय क्षेत्र	—	100.0
दक्षिणी क्षेत्र	48.2	51.8
4. पूर्वी क्षेत्र		
1. बिहार	9.7	90.3
2. उड़ीसा	70.8	29.2
3. पं० बंगाल	1.5	98.5
4. दामोदर घाटी निगम	7.1	92.9
5. सिक्किम	88.5	11.5
6. केन्द्रीय क्षेत्र	—	100.0
पूर्वी क्षेत्र	16.3	83.7
5. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
1. अरुणाचल प्रदेश	68.2	31.8
2. असम	0.3	99.7
3. मणिपुर	21.7	78.3
4. मेघालय	96.4	3.6
5. मिजोरम	9.2	90.8
6. नागालैण्ड	40.9	59.1
7. त्रिपुरा	29.3	70.7
8. केन्द्रीय क्षेत्र	100.0	—
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	43.7	56.3

1	2	3
6. द्वीपसमूह		
1. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	100.0
2. लक्षद्वीप	—	100.0
द्वीपसमूह	—	100.0
अखिल भारत	27.7	72.3

[हिन्दी]

टेलीफोन अदालतें

3845. **श्री सत्यदेव सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पिछले छः महीनों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा टेलीफोन अदालत की कितनी (खुली अदालतें) आयोजित की गई हैं;

(ख) इसमें विचार के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) इनमें से कितने मामले निपटाए गए; और

(घ) कितने मामले अब भी निपटाने के लिए लम्बित पड़े हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लि०, दिल्ली ने टेलीफोन अदालत की दो बैठकें आयोजित कीं और महानगर टेलीफोन निगम लि०, बंबई ने भी दो बैठकें आयोजित कीं।

	दिल्ली एम०टी०एन०एल० के लिए	बंबई एम०टी०एन०एल० के लिए
(ख)	1223	578
(ग)	1183	531
(घ)	40	47

संयुक्त उद्यम में स्लैग सीमेंट का निर्माण

3846. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से स्लैग सीमेंट के निर्माण हेतु एक संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) सीमेंट संयंत्र की वार्षिक क्षमता 10 लाख टन पोर्टलैण्ड स्लैग सीमेंट के उत्पादन की होगी जो बोकारो इस्पात संयंत्र की धमन भट्टी के दानेदार धातुमल पर आधारित है।

(ग) प्रारंभ में इस संयंत्र को बिहार के जटुनाथपुर क्षेत्र में सीमेंट ग्रेड के चूना-पत्थर के निक्षेपों के आधार पर स्थापित करने का प्रस्ताव था। तथापि, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के कारण मध्य प्रदेश में चूना-पत्थर के निक्षेपों के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। वैकल्पिक स्थान में परियोजना की तकनीकी आर्थिक शक्यता भी तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास

3847. **श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास सम्बन्धी उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) सन् 1991-92 में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण नहीं मिलने के कारण बोरी में वनगृह के निर्माण के लिए प्राप्त परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सका। राज्य सरकार से आवश्यक सूचनाएं भिजवाने के लिए अनुरोध किया गया है, जिनके प्राप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में एस० टी० डी० और इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज

3848. **श्री सुधीर सावन्त : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि जिलों में 31 मार्च, 1993 और 31 मार्च, 1994 तक कितने और किन-किन स्थानों पर एस०टी०डी० और इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे;

(ख) 31 मार्च, 1992 को विद्यमान एस०टी०डी० और इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की संख्या कितनी थी;

(ग) 31 मार्च, 1992 तक कितने गांवों को टेलीफोन सुविधा दी गई;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन क्षेत्रों में संचार प्रणाली बिल्कुल ठप्प हो गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कंकौली, बेंगुरला, सावंतबाड़ी और राजापुर में एस० टी० डी० सुविधा के साथ

स्थापित किए जाने वाले एक्सचेंजों के स्थापना कार्य में विलम्ब हो रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या राजापुर के लिए दिए जाने वाले उपकरण को कहीं और भेज दिया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) सूची संलग्न विवरण-I में दी है।

(ख) सूची संलग्न विवरण-II में दी है।

(ग) रत्नागिरी—245
सिंधुदुर्ग —148

(घ) रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में दूरसंचार सेवाओं में कोई खराबी नहीं आयी है। तथापि, देवगढ़ एक्सचेंज में 100 पेयर के एक केबल में खराबी आई जिसके परिणामस्वरूप लगभग 30 टेलीफोन कुछ समय तक प्रभावित रहे।

(ङ) जी नहीं।

(च) राजापुर में उपयुक्त भूमि और भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण एस० टी० डी० की व्यवस्था करने के लिए 30 सरणी पराउच्च आवृत्ति प्रणाली संस्थापित नहीं की जा सकी।

विवरण-I

भाग (क) (i) रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के उन स्थानों की सूची जहां एस० टी० डी० सुविधा का प्रस्ताव है।

	जिले का नाम	31-3-93 तक	31-3-94 तक
	1	2	3
1.	रत्नागिरी	(1) खेड (2) तापोली (3) लोटे (4) चिपलुन (5) 27-7-92 को चालू कर दिया है।	(1) राजापुर (2) संगमेश्वर
2.	सिंधुदुर्ग	(1) सावंतबाड़ी (2) कनकवली	(1) मालवान (2) बांदा

(ii) रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के उन स्थानों की सूची जहां इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का प्रस्ताव है।

रत्नागिरी **31-3-93 तक** : दपोली, खेड़, गुनागर, लोटे, देवरूख, लांजा, बनकोट, अलोरे, जामगे, डाबिल, राजापुर, सखंगर टाली।

1	2	3
		31-3-94 तक : हरमई, बासानी, फुरूस, हेडवी, जैगढ़, खण्डाला, लाटवार, लावेल, मखुजान, मरवटमहान, बाली, तलवली।
	सिंधुदुर्ग	**31-3-93 तक** : अचरा, खारेपठान, शिरगांव, सावंतबाड़ी
		31-3-94 तक : कसारड़ा, मसूबे, तालेबाजार, कुडाल

विवरण-II

भाग (ख) (i) रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के उन स्थानों के नाम जहां 31-5-92 तक एस०टी० डी० उपलब्ध है।

(1) रत्नागिरी जिला—रत्नागिरी

(2) सिंधुदुर्ग जिला —कुडाल

(ii) रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में 31-5-92 तक की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या और नाम :

(i) **रत्नागिरी जिला**—9

गनेखडपल्ली, डभोल, कुंबके, सबारडा, बाचल, जाकादेवी, मलगुण्ड, पवास और संगमेश्वर।

(ii) **सिंधुदुर्ग जिला**—15

देवगढ़, विजयदुर्ग, बाड़ा, कनकवली, फोंडाघाट, मानगांव, महापेन, कट्टा, मालवान, बांदा, बेडशी, रेडी, शिरोडा, तलवाड़ा, बेंगुरला।

विद्युत उत्पादन में कमी

3849. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश विद्युत संयंत्रों में पुरानी मशीनें हैं और उनका उत्पादन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन संयंत्रों का नवीकरण करने तथा इन्हें आधुनिक बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले ऐसे संयंत्रों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 46 ताप विद्युत संयंत्रों के 199 पुराने ताप विद्युत के यूनिटों और 54 जल विद्युत केन्द्रों के 217 पुराने जल विद्युत यूनिटों में पुरानी मशीनरी होने का पता चला है जिसके कारण उनका विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों एवं जल विद्युत केन्द्रों से सम्बन्धित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों, जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में शामिल किए जाने की सम्भावना है, का राज्य-बार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

विवरण-I

ताप विद्युत केन्द्रों के सम्बन्ध में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों की सूची

क्र०सं०	विद्युत केन्द्र	यूनिटों की संख्या क्षमता (मे०वा०)	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
एक.	**आन्ध्र प्रदेश**		
1.	कोथागुडम	4/2 × 105 + 2 × 110	29.03
2.	नैल्लोर	1/1 × 30	13.85
दो.	**असम**		
3.	बोंगईगांव	4/60	8.80
4.	चन्द्रपुरा	2/2 × 30	2.52
5.	मोबाइल गैस टर्बाइन गालास्की और कैथलगुड़ी	5/3 × 2.705 + 2 × 2.705	6.33
6.	लाकवा	4/4 × 15	17.77
7.	नामरूप	5/2 × 25 + 1 × 12.5 + 1 × 30 + 1 × 22.5	32.00
तीन.	**बिहार**		
8.	बरौनी	4/2 × 50 + 2 × 105	15.77
9.	पतरातू	10/4 × 40 + 2 × 90 + 2 × 105 + 2 × 110	75.83
10.	मुजफ्फरपुर	2/2 × 110	2.92
चार.	**गुजरात**		
11.	ऊकई	5/2 × 120 + 2 × 200 + 1 × 120	27.08
12.	गांधीनगर	2/2 × 120	0.90
13.	बानाकबोरी	3/3 × 210	3.37
14.	ध्रुवरण	6/4 × 63.5 + 2 × 140	1.39

1	2	3	4
पांच.	हरियाणा		
15.	फरीदाबाद	3/3 × 55	10.50
16.	पानीपत	2/2 × 110	16.58
छः.	मध्य प्रदेश		
17.	अमरकंटक	2/2 × 120	28.16
18.	कोरबा (ईस्ट)	6/4 × 40 + 2 × 120	26.56
19.	कोरबा (वैस्ट)	2/2 × 210	9.40
20.	सतपुरा	9/5 × 62.5 + 1 × 200 + 3 × 210	13.40
सात.	महाराष्ट्र		
21.	कोराडी	7/4 × 115 + 1 × 200 + 2 × 210	9.99 + 3.90*
22.	चन्द्रपुरा	2/2 × 210	13.37 + 6.11*
23	पारली	4/2 × 30 + 2 × 210	7.14 + 6.65*
24.	भुसावल	3/2 × 210 + 1 × 58	4.42 + 6.34*
25.	नासिक	5/2 × 140 + 3 × 210	16.92 + 38.76*
26.	पारास	2/1 × 58 + 1 × 20	3.34 + 6.64*
आठ.	उड़ीसा		
27.	तलचेर	6/4 × 60 + 2 × 210	110.40
नौ.	पंजाब		
28.	रोपड़	2/2 × 210	5.60
29.	भटिण्डा	4/4 × 110	7.50
दस.	राजस्थान		
30.	कोटा	2/2 × 110	39.04
ग्यारह.	तमिलनाडु		
31.	एन्नौर	5/2 × 60 + 3 × 110	68.90
32.	तूतीकोरिन	3/3 × 210	10.43

1	2	3	4
बारह.	उत्तर प्रदेश		
33.	ओबरा	13/5 × 40 + 3 × 94 + 5 × 200	138.00
34.	पनकी	4/2 × 42 + 2 × 105	15.10
35.	हरदुआगंज	8/1 × 30 + 2 × 40 + 4 × 60 + 1 × 105	33.20
36.	परिछा	2/2 × 110	10.13
तेरह.	पं० बंगाल		
37.	सन्तालडिह	4/4 × 120	12.77
38.	दुर्गापुर (डीपीएल)	5/2 × 30 + 1 × 70 + 2 × 75	24.12
39.	कोलाघाट (डब्ल्यूबीपीडीसी)	2/2 × 210	9.26
40	बन्देल	4/4 × 80	36.72
चौदह.	केन्द्रीय क्षेत्र		
	डेसू		
41.	इन्द्रप्रस्थ	5/1 × 30 + 3 × 62.5 + 1 × 60	15.70
	डीवीसी		
42.	चन्द्रपुरा	6/3 × 120 + 3 × 140	27.22
43.	दुर्गापुर	2/1 × 140 + 1 × 210	14.41
44.	बोकारो	4/3 × 50 + 1 × 40	2.84
	एनएलसी		
45.	नैवेली	9/1 × 45 + 5 × 50 + 2 × 100 + 1 × 95	250.00
	एनटीपीसी		
46.	बदरपुर	5/3 × 95 + 2 × 210	35.00
		जोड़ : 199 यूनिट/19975.525 मेगावाट	1332.09

*इसका वित्तपोषण, महाराष्ट्र के चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र हेतु स्वीकृत विश्व बैंक ऋण में से बचत के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण-II

जल विद्युत केन्द्रों के सम्बन्ध में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण अनुबन्ध स्कीमों की सूची

क्र० सं०	विद्युत केन्द्र	यूनिटों की संख्या/ क्षमता (मेगावाट)	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1	2	3	4
एक.	आन्ध्र प्रदेश		
1.	मचकुन्ड	6/3 × 17 + 3 × 21.25	90.00
2.	निजाम सागर	3/3 × 5	7.45
3.	श्रीसेलम	7/7 × 110	16.00
4.	लोअर सिलेरू	4/4 × 115	9.00
5.	नागार्जुन सागर विद्युत घर	8/1 × 110 + 7 × 100.8	20.00
दो.	बिहार		
6.	कोसी	4/4 × 4.8	0.42
7.	सुवर्णरेखा	2/2 × 65	5.65
तीन.	गुजरात		
8.	उकई	4/4 × 75	16.70
चार.	हिमाचल प्रदेश		
9.	गिरि	2/2 × 30	9.85
पांच.	जम्मू एवं कश्मीर		
10.	चेनानी	5/5 × 4.66	5.37
11.	लोअर झेलम	3/3 × 35	12.17
12.	सुम्बल सिन्ध	2/2 × 11.3	4.68
छः.	कर्नाटक		
13.	नागझाड़ी	6/6 × 135	32.22
14.	शारावती यूनिट 1 से 8	8/8 × 89.1	46.00
15.	शारावती यूनिट 9 से 10	2/2 × 89.1	9.42
16.	शिवसामुद्रम	10/6 × 3 + 4 × 6	0.85
17.	महात्मा गांधी	8/4 × 12 + 4 × 18	1.51

1	2	3	4
सात.	केरल		
18.	पोरिंगलकुथु	4/4 × 8	9.545
19.	नारिमंगलम	3/3 × 15	9.58
20.	साबरीगिरी	6/6 × 50	54.50
21.	शोलेयार	3/3 × 18	7.58
आठ.	महाराष्ट्र		
22.	कोयना 1 एवं 2	8/4 × 65 + 4 × 75	38.53
23.	कोयना 3	4/4 × 80	0.80
नौ.	मेघालय		
24.	काईरदमकुलई	2/2 × 30	4.02
25.	उमियम	6/4 × 9 + 2 × 9	35.00
दस.	उड़ीसा		
26.	हिराकुड 1 यूनिट 1 एवं 2	2/2 × 37.5	69.41
27.	हिराकुड 1 यूनिट 3 एवं 4	2/2 × 24	54.30
28.	हिराकुड 1 यूनिट 5 एवं 6	2/2 × 37.5	142.00
29.	हिराकुड 2	3/3 × 24	35.91
ग्यारह.	राजस्थान		
30.	राणाप्रताप सागर	4/4 × 43	16.15
बारह.	तमिलनाडु		
31.	पापनासाम	4/4 × 7	10.88
32.	शोलेयार-1	2/2 × 35	1.40
33.	पाईकारा	7/3 × 6.65 + 2 × 11 + 2 × 14	11.27
34.	मैत्तूर डैम	4/4 × 10	16.34
35.	कादाम्पाराई	4/4 × 100	22.23
तेरह.	त्रिपुरा		
36.	गुम्टी	3/3 × 5	12.87
चौदह.	उत्तर प्रदेश		
37.	पाथरी	3/3 × 6.8	1.12

1	2	3	4
38.	खातिमा	3/3 × 13.8	1.64
39.	धालीपुर	3/3 × 17	3.54
40.	रामगंगा	3/3 × 66	0.525
41.	चिल्ला	4/4 × 36	4.260
42.	टिलोठ	3/3 × 30	8.02
43.	रिहन्द	6/6 × 50	1.43
44.	ओबरा	3/3 × 33	1.53
पन्द्रह.	**पं० बंगाल**		
45.	जलढाका 1 एवं 2	5/3 × 9 + 2 × 4	2.55
सोलह.	**केन्द्रीय क्षेत्र बीबीएमबी**		
46.	भाखड़ा दायां तट	5/5 × 132	77.50
47.	कोटला यूनिट 2 एवं 3	2/2 × 24.2	28.00
48.	कोटला यूनिट 1	1/1 × 29.25	15.10
49.	गांगुवाल यूनिट 2 एवं 3	2/2 × 24.2	27.00
50.	गांगूवाल यूनिट 1	1/1 × 29.25	15.10
51.	डहर	6/6 × 165	38.49
डीवीसी			
52.	मैथीन	3/3 × 20	29.85
53.	पचेट	1/1 × 40	7.27
54.	बैरा स्यूल	3/3 × 60	23.60
55.	लोकतक	3/3 × 35	24.40
	जोड़ 217 यूनिटें	10,357.50	1150.732
	अर्थात्	10,358 मेगावाट	1151 करोड़

भद्रक, उड़ीसा में तार-घर

3850. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा विशेष रूप से भद्रक में, वहां की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिये, विभागीय तार-घर खोलने की मंजूरी देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये तार-घर किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ग) ये तार-घर कब तक चालू हो जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) उड़ीसा में भद्रक सहित तीन विभागीय तारघर मंजूर किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) ये तारघर रायगण्डा कोरापुट और भद्रक में स्थित होंगे।

(ग) ये तार घर मार्च, 1993 से काम करना प्रारम्भ कर देंगे, ऐसी आशा है।

मिजोरम की विद्युत परियोजनाएं

3851. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान मिजोरम सरकार से नई विद्युत परियोजनाओं हेतु कुछ प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इनमें से कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए धन जुटाने सम्बन्धी प्रस्ताव

3852. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए ऋण लेकर धन जुटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितने ऋण की आवश्यकता है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के निर्माण के लिए वर्ष 1992-93 हेतु अनुमोदित योजना परिव्यय 615 करोड़ रुपये है। इसमें से 262 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता कराई जा चुकी हैं। विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना को सप्लायरों/क्रेताओं से भी 4 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। शेष 249 करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार द्वारा अतिरिक्त बजटीय स्रोतों से माध्यम से की जाएगी।

उड़ीसा में उपग्रह आधारित दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण

3853. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में उपग्रह आधारित दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूरे उड़ीसा में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) उपग्रह से प्राप्त होने वाले प्रादेशिक टी० वी० सेवा उड़ीसा में पहले से ही अर्थात् 7 सितम्बर, 1991 से चालू हैं।

[हिन्दीं]

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० द्वारा विकसित नई डिजीटल रेडियो नेटवर्क तकनीक

3854 **श्री केशरी लाल** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने कोई नई डिजीटल रेडियो नेटवर्क तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, ती तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या-क्या उपयोग हैं;

(ग) इस तकनीक को प्रयोग में लाने के बाद कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तकनीक का प्रयोग कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० ने गुजरात कम्युनिकेशन एण्ड इलेक्ट्रानिक्स लि० के साथ संयुक्त रूप से मल्टी प्वाइन्ट डिजिटल रेडियो नेटवर्क के लिए एक प्वाइंट का संरूपण तथा रूपांकन किया है। डिजिटल रेडियो नेटवर्क, टाइम डिवीजन मल्टी पुल ऐस्सेस (टी० डी० एम० ए०) पर आधारित है, जो साइट प्रोपोगेशन के माध्यम से 30 दूरस्थ केन्द्रों को जोड़ता है। इनमें 1.5 जी० एच० जैड० रेंज में अल्ट्रा हाई फ्रीक्यूनसी के सिंगल पेपर प्रयुक्त हैं। इसका उपयोग ग्रामीण संवाद संचार, बैंकिंग, औद्योगिक परिसरों, प्राद्योगिकी पार्कों आदि जैसे महानगरी कम्प्यूटर नेटवर्किंग कार्यप्रणाली में होता है।

(ग) और (घ) अब तक सेल, सी० सी० आई० एल०, कोल इण्डिया, प्रौद्योगिक पार्कों (इलेक्ट्रानिक विभाग के अधीन) से जी० सी ई० एल० द्वारा प्राप्त/विचाराधीन आर्डरों के आधार पर आयात से इस प्रकार की पद्धति से लगभग 10 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है।

(ङ) इस प्रौद्योगिक पर आधारित डिजिटल रेडियो नेटवर्क का जी० सी० ई० एल० में नियमित उत्पादन हो रहा है और 'सेल' के बोनाई रेंज की लौह अयस्क की खानों में इसे पहले से ही कार्यान्वित किया जा चुका है तथा इलेक्ट्रानिक विभाग के प्रौद्योगिकी पार्कों में भी इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों का कार्य निष्पादन

3855. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ इस्पात संयंत्र आर्थिक रूप से सक्षम नहीं समझे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संयंत्रों के कार्यकरण की समीक्षा किये जाने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी० एस० पी०) "सेल" की सहायक कम्पनी इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का विशाखापट्टणम इस्पात संयन्त्र (वी० एस० पी०) इस समय घाटे में चल रहे हैं। दुर्गापुर इस्पात सन्यन्त्र तथा "इस्को" में हो रहा घाटा मुख्यतः स्वदेशी कच्चे माल की खराब क्वालिटी, पुरानी कार्यपद्धति, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, पुराने उपस्करों के कारण हैं। वी० एस० पी० को हो रहे घाटे का तथ्य यह है कि इसकी उत्पादन इकाइयां डेढ़ वर्ष पहले ही चालू की गयी हैं जो स्थायीकरण की प्रक्रिया में हैं जिसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास तथा ब्याज सहित पूंजीगत प्रभारों से सम्बन्धित उच्च प्रभावों के साथ-साथ क्षमता का कम उपभोग होता है।

(ग) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। दुर्गापुर इस्पात सन्यंत्र के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव कार्यान्वियनाधीन है। इस्को, बर्नपुर कारखाने के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है। वी०एस०पी० के सम्बन्ध में सरकार कम्पनी के पूंजीगत आधार संरचना के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है ताकि इसकी दीर्घकालिक अर्थक्षमता सुनिश्चित की जा सके।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के विद्युत संयंत्रों के लिए अतिरिक्त गैस

3856. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत संयंत्रों को अतिरिक्त मात्रा में गैस की सप्लाई करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ख) उत्तर प्रदेश में राज्य क्षेत्र में कोई गैस आधारित विद्युत केन्द्र प्रचालन में नहीं है।

[अनुवाद]

गोवा में "पे फोन"

3857. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यक्तियों को "पे फोन" आबंटित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) गोवा में आबंटित ऐसे टेलीफोनों की स्थानवार संख्या व ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें से अनुसूचित जातियों, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को वर्गवार तथा स्थानवार कितने-कितने टेलीफोन दिये गये हैं और इनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन टेलीफोनों के आबंटन में किसी अनियमितता का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

संचार उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) विभाग की उदारीकृत नीति के अन्तर्गत पे-फोन्स व्यवहार्य होने पर उन्हीं व्यक्तियों को आबंटित किए जाते हैं जो "फेंचाइज" आधार पर इनका संचालन करने के इच्छुक हों।

(ख) गोवा में 311 पे-फोन्स आबंटित किए गए जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

पंजिम	—	94
पोंडा	—	27
कांलगले	—	30
मपूसा	—	26
वास्को	—	45
मारगांव	—	79
पारूओरिम	—	10

(ग) इन श्रेणियों के व्यक्तियों को इन 311 पे-फोनों में से 30 फोनों के आबंटन क ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

स्थान का नाम	अ० जा०	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति
1	2	3	4
पंजिम	शून्य	1	6
मपूसा	शून्य	2	3

1	2	3	4
मरगांव	शून्य	1	6
वास्को	शून्य	1	4
पोण्डा	शून्य	शून्य	3
कालंगले	शून्य	शून्य	3

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अन्ता गैस आधारित विद्युत परियोजना

3858. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंता गैस आधारित विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को राजस्थान सरकार को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सरकार द्वारा 1986 में अनुमोदित अन्ता गैस विद्युत परियोजना (413 मे० वा०) चरण-1 पहले ही पूरी की जा चुकी है। परियोजना के 413 मे० वा० क्षमता वाले दूसरे चरण, जो कि नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, के प्रस्ताव के लिए गैस लिंकेज, वित्तपोषण आदि सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् सरकार का अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी विमान सेवाओं को अनुमति

3859. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री गोविन्द राव निकाम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास किसी दूसरे देश की विमान सेवाओं को, उस देश में एअर इण्डिया को अपने विमान उड़ाने का अधिकार मांगे बिना, भारत में अपने विमान उड़ाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसे सम्बन्धित विदेशी सरकार ने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को इसी प्रकार उड़ानों की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इससे भारत सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

[अनुवाद]

इण्डियन एयरलाइंस तथा एअर इण्डिया की उड़ानों में देरी

3860. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान बम की अफवाह के कारण इण्डियन एअर-लाइंस तथा एअर इण्डिया की उड़ानों में कितनी बार विलम्ब हुआ;

(ख) क्या अब तक ऐसा कोई वास्तविक मामला पकड़ा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान बम की अफवाह के कारण एअर इण्डिया तथा इण्डियन एअर लाइंस की उड़ानों में हुए विलम्बों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	एअर इण्डिया	इण्डियन एअरलाइंस
1990-91	15	30
1991-92	31	48

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ताप विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता

3861. **श्रीमती शीला गोपालन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 को देश में ताप विद्युत केन्द्रों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी;

(ख) इसमें से स्वदेशी स्रोतों की क्षमता कितने मेगावाट थी और आयातित स्रोतों की कितनी थी; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान क्षमता के उपयोग की दृष्टि से स्वदेशी सेटों तथा आयातित सेटों ने कैसा काम किया ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार ताप विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता 44905.5 मेगावाट थी जिसमें

से 31861.5 मेगावाट स्वदेशी स्रोतों से तथा 13048 मेगावाट आयातित स्रोतों से उत्पादित थी।

(ग) संयंत्र भार गुणांक (%) के संदर्भ में स्वदेशी तथा आयातित स्रोतों का कार्य निष्पादन निम्नवत है :—

वर्ष 1990-91 के दौरान संयंत्र भार गुणांक (%)

स्वदेशी सेट		आयातित सेट	
मेल के ब्वायलर/ मेल के टर्बाइन	मेल के टर्बाइन/ एबीएल के ब्वायलर	सोवियत संघ के टर्बाइन/ सोवियत संघ के ब्वायलर	अन्यान्य
55.68	46.65	58.40	49.32

हैदराबाद से दूरदर्शन के कार्यक्रम

3862. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में मेडक जिले के मेडक, जोगीपेट, नारायणखेद और जाहिराबाद पुराने तालुकों के लोग दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देख पाते;

(ख) क्या सिद्दिपेट में टी०वी० ट्रांसमिशन केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और मेडक में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को रोक दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) मेडक जिले के कुछ हिस्से हैदराबाद के उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं चूंकि मेडक, जोगीपेट, नारायणखेड तथा जहीरा इस ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र के किनारे के क्षेत्र हैं इसलिए संतोषजनक टी०वी० रिसेप्शन प्राप्त करने के वास्ते ऊंचे एंटीने और बूस्टर लगाने अनिवार्य हैं।

(ख) और (ग) सिद्दीपेट में इस समय एक अल्पशक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। मेडक और अन्य स्थानों पर अल्पशक्ति/अति अल्पशक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर लगाना पर्याप्त साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

गुजरात में क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंज

3863. **डॉ० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रास बार टेलीफोन प्रणाली के अन्तर्गत जिलावार कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए;

(ख) मेहसाना जिले में पिछले तीन महीनों से खराब पड़े क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(ग) इन क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंजों को सुचारू रूप से कार्य करने योग्य रखने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान आठ क्रास बार एक्सचेंज संस्थापित किए गए और उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	एस०एस०ए० (जिला) का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1.	खेड़ा (नाडियाद)	2
2.	कच्छ (भुज)	1
3.	भड़ौच	2
4.	साबरकाठा (हिम्मतनगर)	1
5.	महेसाना	1
6.	बलसाड	1

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान एक भी एक्सचेंज खराब नहीं हुआ।

(ग) और (घ) एक्सचेंजों के सुचारू रख-रखाव के लिए मानकों के अनुसार नियमित रूप से निगरानी रखने के प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित/ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना

3864. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**
श्री अन्ना जोशी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में मानव चालित टेलीफोनों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान ऐसे सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिलावार ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) ब्यौरे विवरण में दिए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे, उपर्युक्त भाग (क) के विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल

30-6-92 की स्थिति के अनुसार मैनुअल एक्सचेंजों की सूची और स्वचलीकरण की योजना

क्रमसं०	जिला	तहसील	एक्सचेंज का नाम
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	जामखेड़	जामखेड़
2.	अहमदनगर	नेवासा	नेवासा
3.	अहमदनगर	सेवगांव	सेवगांव
4.	अकोला	अकोट	अकोट
5.	अकोला	हासिम	हासिम
6.	अमरावती	अचलपुर	अचलपुर
7.	औरंगाबाद	कन्नाड़	कन्नाड़
8.	औरंगाबाद	बैजापुर	वैजापुर
9.	बीड	अम्बेजोगई	अम्बेजोगई
10.	बीड	अस्ती	अस्ती
11.	बीड	गेवरई	गेवरई
12.	बुलढाना	सेगांव	सेगांव
13.	चन्द्रपुर	बरोरा	बरोरा
14.	धुले	शीरपुर	शीरपुर
15.	जलगांव	चोपड़ा	चोपड़ा
16.	जलगांव	पचोरा	पचोरा
17.	लातूर	नीलंगा	नीलंगा
18.	नानदेड़	देगलूर	देगलूर
19.	नानदेड़	हाडगांव	हाडगांव
20.	नानदेड़	कन्धार	कन्धार
21.	नानदेड़	किन्वट	किन्वट
22.	नानदेड़	मुखेड	मुखेड
23.	नासिक	दिन्डूरी	दिन्डूरी
24.	नासिक	कलवान	कलवान
25.	नासिक	एन०आई०पी०एच०	कस्बेसुकने
26.	नासिक	एन०आई०पी०एच०	लस्लगांव

1	2	3	4
27.	नासिक	एन०आई०पी०एच०	पिम्पलगांव
28.	नासिक	एन०आई०पी०एच०	सईखेड़ा
29.	नासिक	सतना	सतना
30.	नासिक	सिन्नार	सिन्नार
31.	उस्मानाबाद	उमारगा	उमारगा
32.	परभनी	गंगाखेड़	गंगाखेड़
33.	परभनी	कलमनूरी	कलमनूरी
34.	परभनी	पी०ए०टी०एच०	कन्वाट
35.	परभनी	पी०ए०टी०एच०	सतलू
36.	पुणे	अम्बे	मनचार
37.	पुणे	दौन	केडगांव
38.	पुणे	जुन्नार	अला
39.	पुणे	जुन्नार	जुन्नार
40.	पुणे	जुन्नार	नारायणगांव
41.	रायगढ़	कार्जं	निराल
42.	रायगढ़	मनगांव	मनगांव
43.	रायगढ़	श्रीवर्धन	श्रीवर्धन
44.	रत्नागिरी	दपोली	दपोली
45.	रत्नागिरी	गुहागर	गुहागर
46.	रत्नागिरी	खेड़	खेड़
47.	रत्नागिरी	सांगली	देवरूख
48.	सांगली	कवतेनहानकल	कवतेनहानकल
49.	सांगली	तासगांव	किर्लोस्करवाड़ी
50.	सांगली	तासगांव	तासगांव
51.	सांगली	बालव	अस्था
52.	सिंधुदुर्ग	सावंतबाड़ी	सावंतबाड़ी
53.	यवतमाल	डरखा	डरखा
54.	यवतमाल	दिगरस	दिगरस
55.	यवतमाल	घतंजी	घतंजी
56.	यवतमाल	महागांव	महागांव
57.	यवतमाल	वानी	वानी

गुजरात में डाक घर के लिए भवन

3865. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थानों के नाम सहित तत्सम्बन्धी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०वी० रगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) जानकारी विवरण I और II में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

गुजरात में जिलावार निर्माणाधीन भवन

अहमदाबाद जिला	(4)	1. लोथाल भुरखी
		2. कोट
		3. बालोडा
		4. अम्बावाड़ी
भावनगर जिला	(1)	1. बोटाड़
गांधीनगर जिला	(3)	1. सैक्टर 16
		2. सैक्टर 21
		3. सैक्टर 22
सुन्दरनगर जिला	(1)	1. थानगढ़
जूनागढ़ जिला	(2)	1. मेंडारडा
		2. छाया
मेहसाणा जिला	(4)	1. खेरलू
		2. नारडीपुर
		3. चनस्मा
		4. बसैदाभला
साबरकण्ठा जिला	(2)	1. मेघराज
		2. रायगढ़
कच्छ जिला	(7)	1. समलाया
		2. माण्डवी

		3. आदिपुर
		4. अंजार
		5. बिदाड़ा
		6. मुन्दरा
		7. गोपालपुरी
बलसाड जिला	(4)	1. अमलसाड
		2. वैपी इंडस्ट्रियल
		3. खेरगांव
		4. फडवेल
सूरत जिला	(6)	1. नानापोण्डा
		2. ननीवहियाल
		3. फोर्टसोनगढ़
		4 संजान
		5. ओलपाड़
		6. मोसाली
पंचमहल जिला	(3)	1. सैंटरोड
		2. सन्तरामपुर
		3. कलोल
खेड़ा जिला	(2)	1. वासो
		2. कठलाल
डांग जिला	(1)	1. सपुतरा

विवरण-II

गुजरात में निर्माण के लिए जिला-वार अनुमोदित भवन परियोजनायें

भावनगर जिला	(3)	1. भावनगर प्रधान डाकघर
		2. लाठी
		3. लिलिया
सुन्दरनगर जिला	(1)	1. चोटिला
सूरत जिला	(9)	1. ननपुरा
		2. उकाईडैम
		3. नवसारी

		4. बलियाखेड़ा
		5. मरोली बाजार
		6. किल्लापारडी
		7. कुकर मुन्दरा
		8. सरभान
		9. सारीगाम
खेड़ा जिला	(4)	1. कापड़वंज
		2. वाडासिनोर
		3. सरसा
		4 थमणा
पंचमहल जिला	(2)	1. पावागढ़
		2. लिमखेड़ा
भड़ौच जिला	(4)	1. अंकलेश्वर
		2. वालिया
		3. राजपिपला
		4. पालेज
जूनागढ़ जिला	(4)	1. वेरावल
		2. सासांगीर
		3. गरियाधर
		4. भेसान
बांसकण्ठा जिला	(6)	1. पालनपुर
		2. डांटाभवानगढ़
		3. वडगाम
		4. सरियामिरयाध
		5. उन
		6. कानोदर
साबरकण्ठा जिला	(1)	1. इडार
अहमदाबाद जिला	(4)	1. आनन्दनगर
		2. वपुनागढ़
		3. पाल्डी
		4. मणिनगर

मेहसाणा जिला	(6)	1. उनावाबल्वा
		2. जगुदान
		3. मेहसाणा प्रधान डाकघर
		4. पाटण शहर
		5. लंगनाज
		6. सामी
राजकोट जिला	(4)	1. लोधिका
		2. जेतपुर
		3. पप्वक्संमोरबी
		4. क्लावाइरोड
वलसाड जिला	(2)	1. भिलाड
		2. अतुल
डांग जिला	(1)	1. वघाई
बडोदरा जिला	(1)	1. रेसकोर्स बड़ोदरा
गांधीनगर जिला	(10)	1. सैक्टर 9
		2. सैक्टर 17
		3. सैक्टर 19
		4. सैक्टर 20
		5. सैक्टर 23
		6. सैक्टर 24
		7. सैक्टर 28
		8. सैक्टर 29
		9. गांधीनगर प्रधान डाकघर
		10. विरामगाम
अमरेली जिला	(1)	1. बाबरा
कच्छ जिला	(4)	1. भाचाऊ
		2. खम्भा
		3. गिरगधाड़ा
		4. कुक्मा
संघ राज्य क्षेत्र		1. दमन

[अनुवाद]

सेलम इस्पात संयंत्र

3866. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सेलम में पूर्ण इस्पात संयंत्र लगाने के मूल कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संयंत्र को कब तक लगा दिया जायेगा;

(घ) क्या सेलम स्थित वर्तमान स्टील रोलिंग संयंत्र का विस्तार किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ङ) सरकार का विचार है कि सेलम इस्पात संयंत्र का और अधिक विकास धीरे-धीरे तथा चरणों में किया जाना होगा। तदनुसार मार्च, 1991 में द्वितीय सेंडजिमिर शीत बेलन मिल का स्थापना कार्य पूरा हो गया है। उसके बाद तप्त बेलन सुविधाओं की स्थापना के लिए एक योजना, जिसमें 425 करोड़ रुपये से अधिक की लागत और उसमें अप्रैल, 1995 से उत्पादन शुरू होने की परिकल्पना की गई थी, की सरकार द्वारा अप्रैल, 1992 में मंजूरी प्रदान की गई है। सेलम इस्पात संयंत्र के विकास का अगला चरण शुरू किए जाने से पूर्व विद्यमान और स्थापित की जा रही सुविधाओं से उत्पादन को स्थिर करना होगा।

कर्नाटक में टेलीफोन लाइनों की मांग

3867. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में मैन ओटोमैटिक एक्सचेंज के प्रत्येक निर्माता द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान 25,000 लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंज सप्लाई किये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी लाइनों की मांग होगी; और

(ग) इससे राज्य में लाइनों की बढ़ती मांग को किस हद तक पूरा होने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन व्यापार मेले

3868. **श्री आनन्द अहिरवार :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन व्यापार मेले आयोजित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों को चुना गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जैसा कि पर्यटन के लिए बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना में निर्धारित है, तीन वर्ष में एक बार पर्यटन व्यापार मेला आयोजित करने का प्रस्ताव है जिसमें स्वदेशी उद्योग और विदेशी यात्रा अभिकर्त्ता/यात्रा प्रचालक लाभप्रद ढंग से विचार-विमर्श कर सकते हैं।

(ख) ऐसे सभी व्यापार मेलों के स्थानों को अन्तिम रूप देना अभी समय पूर्व होगा। तथापि, 2 से 5 अप्रैल, 1993 के दौरान नई दिल्ली में पाटा ट्रैवल मार्ट की मेजबानी करने का निर्णय लिया जा चुका है। ऐसी सम्भावना है कि समूचे विश्व से 1200 से 1400 के बीच प्रतिनिधि, क्रेता तथा विक्रेता पाटा ट्रैवल मार्ट में भाग लेंगे।

पंजाब में विद्युत परियोजनायें

3869. **श्री कमल चौधरी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पंजाब में विद्युत परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या मंजूर की गई धनराशि दे दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह धनराशि कब तक दे दी जायेगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) वर्ष 1992-93 के लिए पंजाब के विद्युत क्षेत्र हेतु 550 करोड़ रुपये के वार्षिक योजना परिव्यय को स्वीकृत कर दिया गया है। तथापि, योजना आयोग द्वारा राज्य के परामर्श से स्वीकृत परिव्यय का स्कीमवार ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

कोयले का आयात

3870. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में विशाखापत्तनम और कृष्णापत्तन में प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करने हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कोयले का आयात किया जायेगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना (2 × 500 मेगावाट) को इब घाटी कोलफील्ड के

गोपालपुर क्षेत्र से कोयले के लिंकेज के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार, इसके चालू होने पर इसके प्रचालन को बनाए रखने के लिए कोयले की देश में ही उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है।

अमेरिका के कुछ उद्यमियों ने प्रस्तावित 2 × 500 मेगावाट क्षमता वाली कृष्णापटनम ताप विद्युत परियोजना को निजी क्षेत्र में क्रियान्वित करने के प्रति रुचि दिखाई है। आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने प्रस्ताव किया है कि इस परियोजना हेतु कोयला लिंकेज सुनिश्चित किए जाने तक, प्रस्तावित विद्युत केन्द्र के निजी क्षेत्र में कार्यान्वियन हेतु कोयले का आयात किए जाने के लिए आवश्यक स्वीकृति दे दी जानी चाहिये। आयात किए जाने वाले कोयले की कुल मात्रा तथा इसकी रुपये में मूल्य अभी तक नहीं बताया गया है। कोयले को ओ० जी० एल० के सुपुर्द किया गया है इसलिये इसके आयात हेतु भारत सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं होगी।

दूरदर्शन की विज्ञापन नीति

3871. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन की वर्तमान विज्ञापन नीति में संशोधन करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) फिलहाल इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[हिन्दी]

पंजाब में विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण

3872. **श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर)** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितने विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण और जल नियन्त्रण उपकरण लगाए गए हैं और कितने संयंत्रों में ये उपकरण नहीं लगाए गए हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपकरणों को लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 12-2-1992 को एक गजट अधिसूचना जारी की गई है जिसमें ताप विद्युत केन्द्रों सहित प्रदूषणकारी उद्योगों को यह निर्देश दिया गया कि वे सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित किए गए मानकों को पूरा करने हेतु उनकी सन्तुष्टि के अनुरूप सुविधायें स्थापित करें। पंजाब में दो ताप विद्युत केन्द्र हैं। निर्धारित मानकों के अनुरूप दोनों केन्द्रों में प्रदूषण नियंत्रण तथा जल नियन्त्रण उपकरण स्थापित कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

कश्मीर को पार्सल सेवा का स्थगित होना

3873. **श्री गुरुदास कामत : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर को पार्सल सेवा अभी तक स्थगित है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके कारण सरकार को कुल कितने राजस्व की हानि हो रही है;

(घ) क्या सरकार का इस सेवा को पुनः चालू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर के लिए पार्सल सेवा सुरक्षा के कारणों से आंशिक तौर पर निलम्बित रही। 28-7-92 से 2 कि० ग्रा० तक के पार्सलों के लिए यह सेवा पुनः शुरू कर दी गई है।

(ग) इसके कारण आज तक लगभग 46 लाख रुपये के कुल राजस्व का घाटा हुआ।

(घ) और (ङ) 2 कि० ग्रा० तक के पार्सलों के लिए सेवा पहले ही पुनः शुरू की जा चुकी है। भारी पार्सलों के लिए यह सेवा पुनः शुरू करने में कुछ और समय लगेगा।

त्रिवेन्द्रम से खाड़ी तक का विमान और माल किराया

3874. **श्री पी० सी० थामस :**

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इण्डिया का विचार त्रिवेन्द्रम खाड़ी क्षेत्र के विमान किराये तथा विमान द्वारा सामान भेजने के शुल्क में कमी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान हवाई किरायों/दरों को उचित माना गया है।

[हिन्दी]

धौलपुर विद्युत संयंत्र

3875. **श्री गंगा राम कोहली : क्या विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धौलपुर, राजस्थान में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि प्रस्तावित केन्द्र के बारे में राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त कर ली है तथापि उनके द्वारा अपेक्षित निवेश—कोयला लिंकेज, जल की उपलब्धता, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 को अनुपालना किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से केन्द्रीय प्राधिकारियों की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई है। स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किए जाने की स्थिति में नहीं है। समग्र अपेक्षित निवेश सुनिश्चित किए जाने और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् ही स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण

3876. **श्री बीर सिंह महतो : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) सरकार ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने के लिए 1992-93 के दौरान, जिला-वार, कितनी धनराशि का आवंटन किया है; और

(ख) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) योजना आयोग द्वारा उपलब्ध संसाधनों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिए वार्षिक आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाता है जबकि जिलेवार प्राथमिकताएं राज्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वर्ष 1992-93 के लिए, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पूरा करने के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य को 29.70 करोड़ रुपये (जिसमें 3 करोड़ रुपये राज्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित हैं) आबंटित किए गए हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड ने वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमश: 1192 एवं 436 गांवों के विद्युतीकृत होने की सूचना दी है।

सांताक्रूज हवाई अड्डे पर ट्रैवेलेटर ढ़हना

3877. **प्रो० राम कापसे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1992 में सांताक्रुज हवाई अड्डे पर नवनिर्मित ट्रैवेलेटर ढ़ह गया;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कोई जांच करने के आदेश दिए गए थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इसके लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) सांताक्रूज हवाई हड्डे पर कोई ट्रैवेलेटर नहीं है। सांताक्रूज हवाई अड्डे पर एक ऐरोबिल में 19-4-1992 से खराबी आ गई थी।

(ख) और (ग) जी, हां । जांच प्रगति पर है ।

(घ) जांच पूरी होने तक, तीन इंजीनियरों तथा एक प्रचालक को निलम्बित कर दिया गया है । ऐरोब्रिज के सुरक्षित परिचालन के लिए उपयुक्त मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा इनका पालन किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

3878. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय संसद सदस्यों की सिफारिशों पर स्वीकृत किए गये टेलीफोन कनेक्शन लगाए जाने पर कोई प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रतिबन्ध कब तक समाप्त किया जायेगा तथा अब तक स्वीकृत किये गये टेलीफोन कनेक्शन कब तक लगा दिए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) माननीय सांसदों की सिफारिश पर टेलीफोन 30 दिनों की अवधि के भीतर संस्थापित कर दिए जाते हैं । तथापि, कुछ मामलों में तकनीकी रूप से व्यवहार्य न होने और पार्टियों आदि से पंजीकरण सम्बन्धी विवरणों के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण टेलीफोन कनेक्शनों की संस्थापना में लंबा समय लग जाता है ।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में रज्जु मार्गों का निर्माण

3879. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रज्जु मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक मंजूरी दिये जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक सेवाओं का पुनर्गठन

3880. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डाक सेवाओं का पुनर्गठन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) महोदय, चूंकि डाकघर एक रोजगारोन्मुख संगठन है, इसलिए लोगों के लिए इस संगठन की प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किये जाते हैं;

(i) कम्प्यूटर आधारित बहुद्देशीय काउन्टर मशीनें लगाकर और डाकघर बचत बैंक लेन देन का कम्प्यूटरीकरण करने जैसे उपाप करके काउन्टर सेवाओं की कार्य-कुशलता में सुधार लाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ii) डाक पारेषण में तेजी लाने के लिए शुरू में बम्बई में स्वचालित छटाई मशीन लगाई जा रही है। तारीख-मोहर की छाप में क्वालिटी की जरूरत को पूरा करने के लिए बेहतर क्वालिटी की हैंड स्टैम्प प्राप्त करने के लिए उपाय किए गए हैं।

(iii) निरीक्षण की पद्धति, सेवाओं की मानीटरिंग और जनता के साथ विचारों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को कारगर बनाया गया है।

(iv) इस सेवा के बारे में जनता की धारणाओं की जांच करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में एक सोशल आडिट पैनल गठित किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके सदस्य हैं।

(v) उपभोक्ता संतुष्टि स्तर में सुधार लाने और शिकायतों को दूर करने के लिए आवधिक रूप से विभिन्न स्तरों पर डाक-अदालतें लगाई जाती हैं।

(vi) दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डाक सेवायें आसानी से उपलब्ध कराने के निरन्तर प्रयास किए जाते रहेंगे।

विजयवाड़ा हवाई अड्डा

3881. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा हवाई अड्डे का विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक भूमि अधिग्रहण कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) इसे कब तक शुरू किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) यद्यपि राज्य सरकार ने विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर धावनपथ के विस्तार के लिए कुछ भूमि दे दी है, परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण निकट भविष्य में इस हवाई अड्डे के विकास के प्रस्ताव पर विचार करने की स्थिति में नहीं है।

इण्डियन एअर लाइन्स की उड़ानों का रद्द किया जाना/विलम्ब से उड़ना

3882. **श्री मोहन रावले :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

श्री अन्ना जोशी :

प्रो० के० वी० थामस :

श्री विजय नवल पाटील :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में और जून, 1992 तक कितनी उड़ानें रद्द की गई हैं अथवा विलंब से उड़ी हैं;

(ख) क्या यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उड़ानों की समय की पाबंदी, कुशल और आरामदेय बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या विलम्ब से उड़ने वाली उड़ानें आधी रात के पश्चात् चलाई जाती हैं; और

(च) यदि हां, तो पिछले छः महीनों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

दूरसंचार नीति

3883. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ ने दीर्घावधि दूरसंचार नीति की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरसंचार नीति बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति तैयार की जा रही है।

विवरण

1. मांग होने पर 1997 तक मेकफॉक्स और डाटा कनेक्शन उपलब्ध कराना।

2. टेलीफोन नेटवर्क में जनता की पहुंच बढ़ाना।

3. विश्वव्यापी दूरसंचार रुझानों के अनुरूप उपस्कर और नेटवर्क प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना।

4. 1997 तक व्यापार प्रयोक्ता और इनफारमेटिक्स उद्योग के लिए मूल्यवर्धित/नई सेवायें शुरू करना।

5. दूरसंचार लागतों को कम करना।

6. दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों का तेजी से विकास करना।

7. दूरसंचार के क्षेत्र में होने वाले निवेश के स्तर को बढ़ाना।

8. उपस्कर और नेटवर्क सेवाओं में प्रतिस्पर्धा शुरू करना।

9. संगठनात्मक पुनर्गठन।

इण्डियन एअरलाइंस के पास ए-320 एअर बस

3884. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एअरलाइंस के पास ए-320 कुल कितनी एअर बसें हैं;

(ख) इनमें से कितनी इस समय संचालित की जा रही हैं; और

(ग) सभी एअर बसें ए-320 का संचालन न किए जाने के कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय इण्डियन एयरलाईंस के विमान बेड़े में 18 एअर बस ए-320 विमान हैं।

(ख) और (ग) सभी 18 एयर बस ए-320 विमान उड़ान योग्य स्थिति में हैं। जबकि इनमें से 14 विमान उड़ान समयावलि के अनुसार प्रचालन के लिए नियत हैं, तथापि, इस समय इनमें से चार विमानों की निर्धारित अनुरक्षण जांच की जा रही है।

लक्षद्वीप में डाक और तार विभाग के नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करना

3885. **श्री पी०एम०सईद :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप में डाक और दूरसंचार विभागों में कितने नैमित्तिक कर्मचारी लगे हुए हैं;

(ख) इन विभागों में ये लोग कितने समय से काम कर रहे हैं;

(ग) क्या उनकी सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) लक्षद्वीप के डाक विभाग में कोई भी दैनिक मजदूर नहीं है।

लक्षद्वीप के दूरसंचार विभाग में दैनिक मजदूरों की संख्या 29 है।

(ख) पिछले 3 से 14 वर्षों तक।

(ग) जी, हां।

(घ) 10 वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले अस्थायी स्तर के दैनिक मजदूरी को दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसार नियमित किया जाता है। जिसे संलग्न विवरण से दर्शाया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दूरसंचार विभाग के सभी मुख्य महाप्रबन्धकों, महाप्रबन्धकों, प्रशासनिक कार्यालयों आदि को सम्बोधित दिनांक 3-1-1992 के आदेश परिपत्र सं० 269-27/91—एसटीएन की प्रतिलिपि।

विषय : अस्थायी दर्जे के नैमित्तिक मजदूरों (कैजुअल लेबरर्स) को नियमित बनाना।

इस कार्यालय के दिनांक 29-11-91 के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दूरसंचार विभाग में इस समय कार्यरत "अस्थायी दर्जे के मजदूरों" को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए जाते हैं :—

1. "अस्थायी दर्जे के मजदूरों का नियमितीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। आरम्भ में 'अस्थायी दर्जे वाले उन मजदूरों के नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा जिन्होंने 31-12-91 की स्थिति के अनुसार 10 वर्ष अथवा इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली हो। इसके पश्चात, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर नियमितीकरण किया जाएगा, अर्थात् 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष दस वर्ष की सेवा वाले "अस्थायी दर्जे वाले मजदूर"।'

2. विचारार्थ पात्रता की शर्तें इस प्रकार होंगी :—

   (i) "जिन अस्थायी दर्जे वाले मजदूरों" को जिस तारीख से आमेलित करने का प्रस्ताव है उनकी उस तारीख के किन्हीं तीन पूर्ववर्ती वर्षों में प्रति वर्ष 240 दिन (जिन कार्यालयों में पांच दिन का सप्ताह है उनके अस्थायी मजदूरों के सम्बन्ध में 206 दिन या इससे अधिक) की सेवा हो और पूर्ववर्ती एक वर्ष अर्थात् जनवरी, 1991 के दौरान विभाग की उपस्थिति पंजी (रोल) में उनका नाम दर्ज हो।

3. नियमितीकरण भर्ती करने वाली यूनिट द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची के आधार पर किया जाना चाहिए।

4. पात्र "अस्थायी दर्जे के मजदूरों" को नियमित करने के लिए नियमित मजदूरों के संवर्ग में अपेक्षित संख्या में पदों का सृजन किया जाएगा, लेकिन उनकी मंजूरियां निदेशालय (टीई-एकक) द्वारा संप्रेषित की जाएंगी। अत: प्रत्येक सर्किल द्वारा अपेक्षित नियमित मजदूरों के पदों के सम्बन्ध में निदेशालय के संस्थापना-एकक को सूचित किया जाना चाहिए।

5. नियमितीकरण पर विचार करते समय, कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के पदों के आरक्षण से सम्बन्धित अनुदेशों का अनुपालन भी किया जाएगा।

6. इन आदेशों के तहत सृजित पदों का परिचालन केवल तब तक ही किया जाएगा जब तक पदधारी उस पद पर बना रहेगा अर्थात् यदि और जब भी उसे मानकों के आधार पर सृजित किसी स्थायी पद/किसी अन्य पद के प्रति आमेलित कर लिया जाता है, चाहे वह नियमित मजदूर का हो अथवा किसी भी पुनः संरचित संवर्ग में हो, अथवा वह पदधारी किसी अन्य कारण से पद खाली कर देता है, तो ऐसी स्थिति में नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करने के लिए इन आदेशों के तहत सृजित पद स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

7. प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को नियमितीकरण के पात्र "अस्थायी दर्जे वाले मजदूरों" की संख्या के बारे में इस कार्यालय को प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक सूचित कर दिया जाना चाहिए।

8. इसे आंतरिक वित्त द्वारा उनकी दिनांक 21-1-92 की डायरी संख्या 32 द्वारा दी गई सहमति से जारी किया जाता है।

(एस० के० धवन)
सहायक महानिर्देशक (एसटीएन)

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

3886. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य के आदिवासी गांवों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य में, विशेष रूप से आदिवासी गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/ उठाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) किसी राज्य में ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम का कार्यान्वयन, निधियों एवं अन्य निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मार्च, 19 2 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण का प्रतिशत 91 प्रतिशत तक पहुंच चुका है जबकि इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय औसत 84.17 प्रतिशत रहा है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के 35 जिलों में 62 जनजातीय परियोजनाओं का पता लगाया गया है जिसके अन्तर्गत 26,825 जनजातीय आबाद गांवों (1971 की जनगणना के आधार पर) को शामिल किया गया है। इनमें

से मार्च, 1992 के अन्त तक 23,319 जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 1992-93 के दौरान 650 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें 145 जनजातीय गांव शामिल हैं। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य के जनजातीय गांवों सहित सभी आबाद गांवों को आठवीं एवं परवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते निधियां एवं अन्य निवेश उपलब्ध हों।

ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

3887. **श्री एस० बी० थोरात : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी के सम्बन्ध में दिनांक 10 जून, 1992 के "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और 31 मई, 1992 की स्थिति के अनुसार कोयले के स्टाक का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई को सामान्य बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल-जून, 1992 की तिमाही के दौरान, ताप विद्युत केन्द्रों की 37.50 मिलियन टन कोयले की यथानुपात आवश्यकता की तुलना में इनके लिए 41.715 मिलियन टन का कोयला लिंकेज उपलब्ध करवाया गया था। विद्युत केन्द्रों की वास्तविक प्राप्ति 32.62 मिलियन टन रही जो कि कुल आवश्यकता का 87 प्रतिशत और लिंकेज का 78 प्रतिशत है।

इसके परिणामस्वरूप, ताप विद्युत केन्द्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अप्रैल-जून, 1992 की तिमाही के दौरान 3087 मिलियन यूनिट कम विद्युत उत्पादन हुआ।

31.5.92 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न विद्युत केन्द्रों में कोयला भण्डार सम्बन्धी स्थिति अनुबन्ध में दी गई है।

विवरण

31.5.92 की स्थिति के अनुसार अद्यतन कोयला भण्डार स्थिति दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	क्षमता	कोयला भण्डार	
			टन	दिवस
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
1.	*बदरपुर	705	43	4
2.	*डेसू (आई० पी० स्टेशन)	278	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
3.	*डेसू (राजघाट)	135	11	6
4.	फरीदाबाद	165	5	2
5.	पानीपत	650	149	17
6.	भटिण्डा	440	137	25
7.	*रोपड़	1050	301	28
8.	हरदुआगंज	515	29	11
9.	*ओवरा	1482	100	5
10.	*सिंगरौली एसटीपीएस	2050	29	1
11.	रिहन्द	1000	160	16
12.	पनकी	274	89	45
13.	*परिच्छा	220	1	शून्य
14.	*अनपारा	630	148	15
15.	*ऊंचाहार	420	91	15
16.	टांडा	330	41	15
17.	कोटा	640	शून्य	शून्य
प० क्षेत्र				
18.	अहमदाबाद	476	24	5
19.	*वानकबोरी	1260	4	शून्य
20.	*गांधीनगर	660	13	2
21.	*उकई	850	21	2
22.	सिक्का	120	शून्य	शून्य
23.	*भुसावल	473	8	1
24.	*चन्द्रपुर	1840	2	शून्य
25.	*नासिक	910	शून्य	शून्य
26.	*कोराड़ी	1000	25	2
27.	*परली	690	3	शून्य
28.	खांपरखेड़ा	480	77	14
29.	पारस	78	7	7

1	2	3	4	5
30.	*अमरकंटक	300	12	3
31.	*सतपुड़ा	1143	66	5
32.	पूर्वी कोरवा	440	95	18
33.	*पश्चिमी कोरबा	840	35	4
34.	*कोरबा एसटीपीएस	2130	21	1
35.	*विन्ध्याचल	1260	62	5
द० क्षेत्र				
36.	*रामागुंडम एसटीपीएस	2100	1	—
37.	*कोठागुंडम	670	24	2
38.	*रामागुंडम	63	2	2
39.	*विजयवाड़ा	840	21	1
40.	तूतीकोरिन	1050	220	19
41.	एन्नोर	450	108	15
42.	मेत्तूर	840	94	8
43.	*रायचूर	630	30	3
44.	बरौनी	310	14	7
पू० क्षेत्र				
45.	पतरातू	770	129	24
46.	मुजफ्फरपुर	230	25	11
47.	*चन्द्रपुरा (डीवीसी)	780	शून्य	शून्य
48.	बोकारो (ए और बी)	610	102	19
49.	दुर्गापुर (डीवीसी)	250	151	—
50.	*कलकत्ता एण्ड एस० जन०	375	28	5
51.	*टीटागढ़	240	16	5
52.	बंडेल	530	24	5
53.	*संथालडीह	480	18	6
54.	*कोलाघाट	840	19	2
55.	फरक्का एसटीपीएस	630	97	11

1	2	3	4	5
56.	*दुर्गापुर (डीपीएल)	390	14	8
57.	तलचेर	460	160	48
उ० पू० क्षेत्र				
58.	बोंगाईगांव	240	31	23

टिप्पणी :—*क्रिटीकल स्टॉक, आर=रेल,
पी=पिट हैड, आई=इन्टर मॉडल

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा शुरू किये गये विकास कार्य

3888. **श्री शिबू सोरेन** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना प्रबंधकों द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र के आस-पास के क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित क्षेत्रों के कुछ स्थानों को अभी भी विकसित किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो बाकी क्षेत्रों का विकास कब तक किया जायेगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधक द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र के आस-पास के क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू किए गए हैं और पिछले तीन वर्षों का संक्षिप्त ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) विकास कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, आगामी वर्षों के दौरान पेय जल, प्राथमिक शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सुविधा दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

अपने आस-पास के क्षेत्रों में बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा

क्रम संख्या	वर्ष	राशि (लाख रुपये)	विकास कार्य (कार्यकलाप)					अन्य विविध कार्यकलाप
			स्कूल	हैण्ड पम्प	खुले कुंए	पुल	सड़कें	
1.	1989-90	72.09	20 (नए)	110 (रिगबोर)	13 (नए) 24 (रेन)	1 (रेन)	7.00 कि०मी०	सिबन्डीत स्कूल की चारदीवारी, शौरभ शिशु मन्दिर की चारदीवारी, रैन बसेरा महिला और मानव उत्थान संस्थान, स्लेगडीह तालाब की मरम्मत, चिकित्सा सुविधाएं सातनपुर में सिंचाई जल।
2.	1990-91	62.00	14 (नए)	100 (रिगबोर)	—	1	11.5 कि०मी०	स्कूल और कालेजों को डूअल डेस्क की व्यवस्था, चल चिकित्सा सुविधाओं के अन्तर्गत टीका लगाना।
3.	1991-92	123.00	18 (नए)	162 (रिगबोर)	3 (नए)	—	25.00 कि०मी०	फर्नीचर की व्यवस्था, स्कूल में बिजली देना, सिलाई मशीनों का वितरण, दो पुनर्वास स्थलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था।

पंजाब में पर्यटक स्थलों का विकास

3889. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पंजाब सरकार से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस उद्देश्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के लिए पंजाब राज्य सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के लिए अभी तक निम्नलिखित परियोजनाएं सूचीबद्ध की गई हैं :—

	अनुमानित लागत
(1) मोहाली में यात्री निवास	45 लाख रु०
(2) कीरतपुर में मार्गस्थ सुविधाएं	10 लाख रु०

बिहार में नई खानों का पता लगाना

3890. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में और नई खानों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) तथा (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) बिहार में खनिज स्रोतों का पता लगाने तथा उनकी वृद्धि करने के लिए सर्वेक्षण और गवेषण कर रहा है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

आधार धातु (तांबा, सीसा, जस्ता) : जिला—सिंहभूम में सिंहभूम तांबा पट्टी में कन्यालुका-अंधारिका जोन, पटकीटा-जुब्लाटोला-रंगमाड़ी पहाड़ जोन, भाटिन राजदाह जोन, हुटकू-पथपचाकी जोन, तामाडूंगरी-रंगमातिया जोन और खरसवान-सनखाडीह जोन, हियातू-बेलबाथन खनिजीकृत पट्टी में गिरिडीह जिले का चांदियो ब्लाक तथा भागलपुर जिले का पिंडारा ब्लाक और पलामू जिले का छतरपुर शीयर जोन का पश्चिम क्षेत्र।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अभी तक किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप, भागलपुर जिले के पिंडारा क्षेत्र, सिंहभूम जिले में खादानडूंगरी क्षेत्र, कुलामारा से जुब्लाटीला क्षेत्र, रंगमाटी पहाड़ क्षेत्र, तामाडुंगरी-रंगमातिया ब्लाक तथा खरसवान-सनखाडीह ब्लाक में नजदीकी जोनों में आधार धातु खनिजीकरण की खोज की गई है।

एपेटाइट तथा आधार धातु : सिंहभूम जिले में तामर-पोरपहाड़ शीयर जोन का पश्चिमी क्षेत्र।

स्वर्ण : सिंहभूम जिले में कुन्ची और करकारी नदियों, सिद्धारी तामर क्षेत्र और कुन्दरकोचा का विस्तार क्षेत्र, रांची तथा सिंहभूम जिलों में सोनापेट और दालमा वोल्केनिक क्षेत्र।

कोयला : दामोदर घाटी तथा राजमहल कोलफील्ड क्षेत्र ।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में उडुमलपेट में टी०वी० ट्रांसमीटर की स्थापना

3891. **श्री बी० राज रवि वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में उडुमलपेट जो पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, के अधिकांश भागों में दूरदर्शन के कार्यक्रम स्पष्ट नहीं दिखाई देते;

(ख) क्या सरकार को उडुमलपेट में टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) तमिलनाडु में उडुमलपेट में टी०वी० ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए विभिन्न पक्षों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं ।

(ग) उडुमलपेट में टी०वी० ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है ।

विमानपत्तनों में रात के समय विमानों के उतरने की सुविधाएं

3892. **श्री के०पी० सिंह देव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विमानपत्तनों में रात के समय विमानों के उतरने की सुविधाएं हैं और उनके क्या नाम हैं;

(ख) क्या वर्ष 1992-93 में कुछ और विमानपत्तनों में रात के समय विमानों के उतरने की सुविधाएं दी जाएंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित निम्नलिखित 29 सिविलियन हवाई अड्डों पर रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

1. अहमदाबाद	7. कालीकट	13. खजुराहो	19. राजकोट
2. अमृतसर	8. कोयम्बतूर	14. लखनऊ	20. रांची
3. औरंगाबाद	9. गुवाहाटी	15. मंगलौर	21. तिरुचिरापल्ली
4. बेलगॉम	10. हैदराबाद	16. नागपुर	22. उदयपुर
5. भोपाल	11. इन्दौर	17. पटना	23. बड़ोदरा
6. भुवनेश्वर	12. जयपुर	18. रायपुर	24. वाराणसी

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

25. बम्बई 26. कलकत्ता 27. दिल्ली 28. मद्रास

29. त्रिवेन्द्रम

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 1992-93 में निम्नलिखित हवाई अड्डों पर रात्रि अवतरण सुविधाएं जुटाने की योजना है :—

(1) दीमापुर

(2) डिब्रूगढ़

(3) इम्फाल

गलूदित बांध परियोजना

3893. डा० कृपासिंधु भोई : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर गलूदित बांध परियोजना का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो बांध की संशोधित लागत क्या है;

(ग) इसमें से उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के हिस्सों की राशि कितनी है;

(घ) इस परियोजना के पूरा होने से इन तीनों राज्यों को किस हद तक लाभ होगा;

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) गलूदित बांध सुबर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना का एक घटक है। राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, लगभग 93 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सुबर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना की संशोधित लागत लगभग 1,429 करोड़ रुपये है।

(ग) समझौते में दी गयी शर्तों के अनुसार गलूदित बांध और इसके आनुषंगिक कार्यों को लागत का बंटवारा बिहार और उड़ीसा के बीच वार्षिक डिजाइन विदड्रायल के अनुपात में अर्थात क्यूसेक प्रतिदिन के आधार पर किया जायेगा। बायां तट मुख्य नहर की लागत का बंटवारा बिहार और उड़ीसा के बीच क्यूसेक मील के आधार पर किया जायेगा।

(घ) और (ङ) गलूदित बांध और बाईं और दाईं नहर नेटवर्कों के पूर्ण होने के साथ ही बिहार को लगभग 14,700 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई प्राप्त होगी तथा उड़ीसा को लगभग 1,90,360 हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई उपलब्ध कराये जाने की परिकल्पना को गयी है। इसके अतिरिक्त, बिहार नगरीय और औद्योगिक उपयोगों के लिए भी इससे 86 मिलियन क्यूबिक मीटर जल प्राप्त करता है।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड का परिसमापन

3894. श्री सनत कुमार मंडल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड का परिसमापन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों के बेरोजगार होने की सम्भावना है;

(घ) इन कर्मचारियों को किसी अन्य कम्पनी में रोजगार देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ङ) इस कम्पनी की अर्थक्षम बनाने के लिए इसके प्रबन्धकों के सामने क्या कठिनाइयां आ रही हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नए कार्यों के लिए आर्डर प्राप्त करने में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा, लाभ पर दबाव, स्थापना लागत में वृद्धि से कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है।

इस्पात का उत्पादन

3895. **श्री छेदी पासवान : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान इस्पात लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन कितना था तथा कितने मूल्य का था;

(ख) 1991-92 के दौरान कितने मूल्य के इस्पात का निर्यात किया गया और इस दौरान इसके लिए कितनी मात्रा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा उसका मूल्य कितना था;

(ग) क्या देश में उत्पादित इस्पात का मूल्य उसके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो गत दिसम्बर, 1991 तथा जनवरी, 1992 के दौरान मूल्यों में कितना अन्तर है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1991-92 के लिए 148.1 लाख टन के अनुमानित उत्पादन की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान परिसज्जित इस्पात का कुल उत्पादन 142.0 लाख टन हुआ।

चूंकि इस्पात के मूल्य विभिन्न श्रेणियों और उत्पादकों के लिए अलग-अलग हैं। अतः मूल्य के सन्दर्भ में इस्पात के उत्पादन को संकलित नहीं किया जाता।

(ख) 6.32 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान 283.3 करोड़ रुपये मूल्य का 3.86 लाख टन इस्पात का निर्यात किया गया था।

(ग) और (घ) आकारों और विनिर्दिष्टियों और विशिष्ट श्रेणियों में भी अन्तर होने के कारण विभिन्न देशों के इस्पात के मूल्यों की तुलना नहीं की जा सकती और मूल्यों की प्रकृति और संयोजन विभिन्न देशों में अलग-अलग है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3896. **श्री मोहन रावले :**

श्री एन० जे० राठवा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारी 23 जून, 1992 को दिल्ली और मुम्बई में "औजार-बन्द" हड़ताल पर चले गये थे;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि दिल्ली और मुम्बई महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने अगस्त, 1992 को पुनः हड़ताल करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) एस० टी० एन० एल० दिल्ली/बम्बई के किसी भी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ ने औजार-बन्द (टूल-डाउन) हड़ताल नहीं की। तथापि, एम० टी० एन० एल० के एक गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ ने 23 जून, 1992 को एम० टी० एन० एल० बम्बई में टूल डाउन हड़ताल रखी।

(ख) जी नहीं। एम० टी० एन० एल० दिल्ली और बम्बई के कर्मचारियों से, अगस्त, 1992 में हड़ताल पर जाने का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) एम०टी०एन०एल० कर्मचारी संघ ने 23-6-92 को टूल डाउन हड़ताल का नोटिस देते हुए निम्नलिखित मांगें रखी थीं :

(i) एम०टी०एन०एल० में कार्यरत कर्मचारियों पर एम०टी०एन०एल० के स्थायी (सेवा नियम) 1-4-86 से लागू करने की घोषणा की जाए।

(ii) एम टी एन एल में प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारियों को 1-4-86 से आमेलित किया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के अनुसार सभी बकाया राशियों का भुगतान किया जाए।

(iii) 1-4-86 के पहले के वर्ष में 240 दिन तक काम करने वाले सभी दैनिक मजदूरों को एम टी एन एल के नियमित कर्मचारियों के रूप में आमेलित किया जाए।

(घ) उपर्युक्त (i) और (ii) पर उल्लिखित मांगों के सम्बन्ध में, दूरसंचार विभाग के पुनर्गठन के समग्र प्रश्न पर विचार करने के लिए डॉ० एम० बी० अत्रेय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

उपर्युक्त (iii) पर उल्लिखित मांग के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि अस्थायी स्तर के मजदूरों को एक चरणबद्ध ढंग से नियमित किया जाए। आरम्भ में 31-12-91 तक 10वर्ष या इससे अधिक समय से सेवारत अस्थायी स्तर के मजदूरों को नियमित करने पर विचार किया जाएगा। तत्पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर नियमितिकरण किया जाएगा।

इण्डियन एयरलाइन्स में विमान प्रचालकों और विमान परिचारिकाओं की भर्ती

3897. **श्री रामनारायण बैरवा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, इण्यिन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया में भर्ती किए गए विमान चालकों और विमान परिचारिकाओं की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने उम्मीदवार हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती किये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित विमान चालकों और विमान परिचारिकाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में भर्ती किये गये विमानचालकों और विमान परिचारिकाओं की संख्या को दिखाने वाला

विवरण-पत्र

एयर इण्डिया :

वर्ष	सह-विमान चालक			प्रशिक्षु विमान चालक			विमान परिचारिका		
	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति
1989	5	शून्य	शून्य	20	6	शून्य	31	4	3
1990	6	शून्य	शून्य	9	1	शून्य	37	5	3
1991	15	2	शून्य	18	2	शून्य	33	6	2
	26	2	शून्य	47	9	शून्य	101	15	8

इण्डिया एयरलाइन्स

वर्ष	विमान चालक			विमान परिचारिका		
	कुल	अनु० जाति	अनु० जन जाति	कुल	अनु०जाति	अनु० जनजाति
1989	120	7	1	163	45	27
1990	18	—	—	132	23	11
1991	2	2	—	39	6	3
	140	9	1	334	74	41

[हिन्दी]

बिहार दूरसंचार परिमण्डल में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

3898. श्री ललित उरांव : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दूरसंचार परिमण्डल के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु कई मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिलावार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन लोगों को कब तक नियुक्ति दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 27-7-92 की स्थिति के अनुसार जिलेवार रिपोर्ट इस प्रकार है :—

क्रम सं०	जिले का नाम	मामलों की संख्या		अभ्युक्ति
		ग्रुप "ग"	ग्रुप "घ"	
1.	पटना	12	25	
2.	मुजफ्फरपुर	5	3	
3.	दरभंगा	4	7	
4.	आरा	1	3	पद उपलब्ध नहीं है।
5.	छपरा	4	2	
6.	भागलपुर	7	6	
7.	कटिहार	4	2	
8.	रांची	11	7	
9.	गया	10	8	
10.	धनबाद	3	5	
11.	जमशेदपुर	शून्य	6	
12.	हजारीबाग	1	शून्य	
	योग	92	74	

(ग) जब भी रिक्त पद उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में संचार सुविधाएं

3899. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या संचार मन्त्री** दिनांक 8 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2200 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदल कर चालू कर दिया गया है जिन्हें 1991-92 के दौरान बदला जाना था; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या जिन-जिन स्थानों पर टेलीग्राम की सुविधायुक्त लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की योजना बनाई गई थी उन-उन स्थानों पर 1991-92 के दौरान ये टेलीफोन लगा दिए गए हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1992-93 के दौरान इन जिलों में डाक और दूरसंचार सुविधाओं में विस्तार हेतु क्या प्रस्ताव हैं; और

(घ) इन जिलों में सभी ग्राम पंचायतों में टेलीग्राम की सुविधायुक्त लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन कब तक लगा दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी नहीं, भण्डार सामग्री (स्टोर्स) और उपकरणों को समय पर प्राप्ति न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका, 1991-92 में सभी एक्सचेंजों की इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों द्वारा बदलना सम्भव नहीं हो सका था।

(ग) (i) **डाक सुविधाओं का विस्तार**

वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में 75 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 10 विभागीय उप-डाकघर खोलने की योजना बनाई गई है और पौड़ी गढ़वाल एवं चमोली जिलों में मानदण्डों की पूर्ति तथा आनुपातिक डाक सम्बन्धी विकास को ध्यान में रखते हुए इन जिलों को उनका उचित हिस्सा प्रदान किया जाएगा।

(ii) वर्ष 1992-93 के दौरान पौड़ी गढ़वाल में 5 टेलीफोन एक्सचेंजों और चमोली जिले में 12 टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में परिवर्तित करने की योजना बनाई गई है। वर्ष 1992-93 के दौरान पौड़ी गढ़वाल में 66 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन और चमोली जिले में 31 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरोत्तर रूप से।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर एस०टी०डी० सुविधाएं

3900. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर विजयवाड़ा और हैदराबाद के बीच और राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर मद्रास से कलकत्ता के बीच एस०टी०डी० की सुविधा देने का है;

(ख) इन मार्गों पर एस०टी०डी० सुविधा कब तक दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) विजयवाड़ा और हैदराबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 9 तथा मद्रास और बांगरीपोसी (उड़ीसा) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर जो कि कलकत्ता को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के साथ जुड़ा है, प्रत्येक 50 कि०मी० की दूरी पर एस०टी०डी० टेलीफोन स्थित हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 पर पी०टी० प्रदान करने की योजना है।

[हिन्दी]

राजस्थान में अंटा विद्युत संयंत्र

3901. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अंटा विद्युत संयंत्र पर दूसरे चरण का कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस चरण का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अंटा गैस आधारित विद्युत परियोजना चरण-2 (413 मेगावाट) को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अधिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है। गैस लिंकेज, वित्तपोषण आदि सुनिश्चित किए जाने और सरकार द्वारा निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात् ही परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की शुरुआत की जा सकती है।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3902. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन में आरक्षित पदों को न भरने सम्बन्धी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख)

दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

ग्रुप "ए"	2
ग्रुप "बी"	14
ग्रुप "सी"	29
ग्रुप "डी"	13
कुल	58

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

एन०टी०पी०सी० के बड़े उपभोक्ता

3903. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बड़े विद्युत उपभोक्ताओं के नाम क्या हैं;

(ख) बड़े उपभोक्ताओं द्वारा प्रति वर्ष कुल कितने मेगावाट विद्युत की खपत की जाती है और इसकी लागत कितनी है;

(ग) क्या ये उपभोक्ता समय पर बिलों का भुगतान कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इन उपभोक्ताओं पर अब तक कितनी राशि बकाया है; और

(ङ) इनसे बकाया राशि की वसूली करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। प्रति यूनिट लागत सम्बन्धी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(ङ) बकाया राशियों की वसूली हेतु किए गए उपायों में एन०टी०पी०सी० के वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों एवं राज्य सरकारों के साथ बारंबार बातचीत करना, केन्द्रीय विनियोजन के माध्यम से वसूली करना आदि शामिल हैं।

विवरण-I

एन०टी०पी०सी० से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के नाम, उनके द्वारा ऊर्जा की खपत और एन०टी०पी०सी० की बकाया राशियां—

उपभोक्ताओं के नाम (रा०बि०बोर्ड/संगठन)	1991-92 के दौरान ऊर्जा की खपत (मि०यू०)	30-6-92 की स्थिति के अनुसार बकाया राशियां (लाख रुपये में)	30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार प्रभार (लाख रुपये में)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
उत्तर प्रदेश	10791.0	22284	20251

1	2	3	4
राजस्थान	3954.0	11520	12465
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	2817.0	5898	4567
पंजाब	2204.0	3150	105
हरियाणा	2313.0	10314	6260
हिमाचल प्रदेश	259.0	1034	674
जम्मू एवं कश्मीर	1148.0	4378	703
चण्डीगढ़	204.0	—162	24
प० क्षेत्र			
मध्य प्रदेश	8596.0	20381	11557
महाराष्ट्र	5010.0	6715	3626
गुजरात	3891.0	6250	3321
गोवा	330.0	101	2
दादर एवं नगर हवेली	170.0	3	12
दमन एवं द्वीप	70	—6	—
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश	3042	3462	1717
कर्नाटक	1998.0	2683	1674
तमिलनाडु	3297.0	5245	2962
केरल	1279.0	3692	1027
गोवा	200.0	2	—
पाण्डिचेरी	378.0	—167	2
पूर्वी क्षेत्र			
प० बंगाल	375.0	5437	2671
बिहार	2532.0	29790	8716
उड़ीसा	207.0	1710	1262
दामोदर घाटी निगम	689.0	9819	2080
सिक्किम	12.0	42	4
जोड़	55766.0	153575	85712

विवरण-II

(क) कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में विद्युत उत्पादन लागत—

(पैसे/किलोवाट ऑवर)

1.	उत्तरी क्षेत्र	56.65
2.	पश्चिमी क्षेत्र	50.26
3.	दक्षिणी क्षेत्र	63.61
4.	पूर्वी क्षेत्र	70.91

(ख) गैस आधारित विद्युत केन्द्रों के सम्बन्ध में विद्युत उत्पादन लागत

(पैसे/किलोवाट ऑवर)

1.	अंटा	119.29
2.	औरैया	119.85
3.	दादरी	124.36
4.	कवास	171.15

आन्ध्र प्रदेश में ताप विद्युत घर

3904. **श्री धर्म भिक्षम :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार की ओर से भूपाल पल्लि में एक ताप विद्युत घर की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में टेलीफोनों को एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में ले जाना

3905. **श्री जे० चोक्का राव :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद स्थित दूरसंचार विभाग, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों को आवंटित टेलीफोनों के स्थानान्तरण में एक्सचेंज की क्षमता कम होने के आधार पर विलम्ब कर रहा है जिसके कारण जनता को असुविधा हो रही है;

(ख) क्या वही दूरसंचार विभाग 30,000 रुपये जमा करने पर एक सप्ताह के भीतर टेलीफोन लगा रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय हैदराबाद में ऐसे कितने मामले लम्बित पड़े हैं और इनके टेलीफोन कब तक लगा दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं। उन एक्सचेंजों में जहां तक कि क्षमता नहीं होती, केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों को इस उद्देश्य से प्रतीक्षा सूची में रख दिया जाता है और उनकी बारी आने पर प्रतीक्षा सूची निपटाई जाती है।

(ख) जी हां। "तत्काल स्कीम" के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा ब्याज सहित 30,000 रु० का भुगतान करने के पश्चात् उन्हें दो सप्ताह के भीतर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिया जाता है, बशर्ते कि ऐसा करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो।

(ग) सरकारी कार्यालयों/अधिकारियों के ऐसे 217 मामले शिफ्ट करने के लिए लम्बित पड़े हैं और इन्हें मार्च, 1993 तक निपटा दिए जाने की आशा है।

महाराष्ट्र में कम शक्ति के प्रसारण केन्द्रों का निर्माण

3906. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कम शक्ति के दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों के निर्माण की ताजा स्थिति क्या है; और

(ख) राज्य की शेष जनसंख्या/क्षेत्र को दूरदर्शन की प्रसारण पुरिधि में लाने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान शुरू किये जाने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) महाराष्ट्र में इस समय अकोट, हिंगनघाट, खामगांव, अकलुज, कनकौली तथा वासिम में एक-एक अर्थात् कुल 6 अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है। निर्माताओं को ट्रांसमीटर और अन्य तत्सम्बन्धी उपकरण सप्लाई करने के आर्डर दे दिए गए हैं। खामगांव और हिंगनघाट में ट्रांसमीटर लगाने के स्थानों को अंतिम रूप दे दिया गया है। यद्यपि, खामगांव और हिंगनघाट के ट्रांसमीटर 1992-93 में चालू हो जायेंगे लेकिन अन्य स्थानों के ट्रांसमीटरों की 1993-94 में चालू हो जाने की सम्भावना है।

(ग) महाराष्ट्र में हाथीखम्बा और जलगांव में एक-एक अर्थात् कुल 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाने की परिकल्पना की गई है लेकिन यह काम पर्याप्त साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। इन ट्रांसमीटरों और प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अल्पशक्ति ट्रांसमीटर के चालू हो जाने से महाराष्ट्र के लगभग 88.4 प्रतिशत जन-संख्या को टी० वी० कवरेज उपलब्ध हो जाएगी। इसमें किनारे के उन क्षेत्रों की जनसंख्या भी शामिल हैं जहां संतोषजनक रिसेप्शन प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीने और बूस्टर लगाने की

जरूरत होती है। दूरदर्शन की 1992-93 की वार्षिक योजना के अंतर्गत देश में अल्पशक्ति/अति अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने के स्थलों को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

केरल में और अधिक दूरसंचार सुविधाएं देना

3907. **श्री थाइल जान अंजलोज :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में और अधिक दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये सुविधाएं कहां-कहां प्रदान की जायेंगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) (i) 1992-93 के दौरान केरल सर्किल में लगभग 80,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) 1992-93 के दौरान लगभग 100 और स्थानों पर एसटीडी सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(iii) 1992-93 के दौरान निम्नलिखित 10 स्थानों पर नए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है।

1. देलपपाड़ी
2. राजागिरी
3. वेट्टिलपारा
4. कांजीकुझी
5. करिम्बन
6. पुलियानमाला
7. वाझाकारा
8. पलूरकाव
9. निलामेल
10. पेक्कादम्पू

एयर इण्डिया की जनरल सेल्ज एजेंसी

3908. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
डा० एठ के० पटेल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैवल्स जिसके पास पहले लोंडोनिस में एयर इण्डिया की जनरल सेल्ज एजेंसी थी उत्तर भारत में नई दिल्ली में एयर इण्डिया की जनरल सेल्ज एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है;

(ख) क्या 1983 में इस एजेंसी के कार्यकरण की कोई जांच की गई थी; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह एजेंसी एयर इण्डिया के परिसर का बिना कोई किराये दिये गये उपयोग कर रही है;

(घ) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) लन्दन में सामान्य विक्रय एजेंसी के कार्यकरण के बारे में एयर इण्डिया द्वारा की गई जांच से जी० एस० ए० को सीटों का गैर-अनुपाती आवंटन तथा कतिपय अन्य कई मामलों का पता चला है जैसे जी० एस० ए० द्वारा आयटा एजेंटों के टिकट भण्डारों की निकासी, अन्य वाहकों के दस्तावेजों के स्थान पर पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किये बिना एयर इण्डिया दस्तावेजों को पुनः जारी करना तथा प्रोत्साहनों की अनाधिकृत अदायगी।

(ग) जी, नहीं। हिन्दुस्तान ट्रैवल सर्विसेज एयर इण्डिया को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यालय स्थान के लिए किराया दे रहे थे।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

टिहरी बांध

3909. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :
श्री शशि प्रकाश :
डा० जयंत रंगपी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध परियोजना का कार्य कब से शुरू किया गया था;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) क्या इस परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में रूस के एक शिष्टमण्डल की केन्द्रीय सरकार के साथ हाल ही में बातचीत हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के वित्तपोषण हेतु रूस सरकार ने क्या नया प्रस्ताव किया है;

(ङ) क्या इस परियोजना के निर्माण कार्य में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार ने टिहरी बांध परियोजना का कार्य जारी रखने के लिए आनुषंगिक स्वदेशी पैकेज तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

विद्यु त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) टिहरी बांध परियोजना का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1978 में आरम्भ किया गया था।

(ख) इस परियोजना पर जून, 1992 तक 695 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) जी, हां।

(घ) टिहरी जल विद्यु त परियोजना के बारे में रूस ने रुचि प्रकट की है। तथापि वित्त पोषण पैंकेज समेत कोई व्यापक ब्यौरे वाला प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) इस परियोजना को पहले 1996-97 तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम था लेकिन आन्दोलन और पर्याप्त मात्रा में निधियां उपलब्ध न होने के कारण परियोजना के कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(च) स्वदेश में उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा परियोजना के लिए वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर इस समय निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

[हिन्दी]

सिंचाई बोर्ड का गठन

3910. **श्री रामबदन : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि संसाधनों के विकास हेतु एक सिंचाई बोर्ड के गठन का विचार है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसका गठन कब तक किया जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन तथा यात्रा प्रबन्ध संस्थान को अन्यत्र ले जाना

3911. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :**

श्री बलराज पासी :

डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत पर्यटन तथा यात्रा प्रबन्ध संस्थान को नोएडा में प्रस्तावित स्थान से ग्वालियर ले जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान के लिए एक स्थायी परिसर स्थापित करने का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन रहा है। जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान और अन्य पर्यटन सुविधायें स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि की पेशकश प्राप्त हुई है। एक राष्ट्रीय पाक संस्थान की स्थापना भी की जानी है। यात्रा क्षेत्र में प्रशिक्षित कार्मिकों के नियोजन हेतु मांग के रुख और होटल प्रबन्ध तथा केटरिंग क्षेत्र में जन-शक्ति की मांग को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव है कि भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान को ग्वालियर में और राष्ट्रीय पाक संस्थान को नोएडा में 5 एकड़ के भूखण्ड पर स्थापित किया जाए।

[**हिन्दी**]

बिहार में यात्री निवास

3912. **श्री रामलखन सिंह यादव :**

श्री रामटहल चौधरी :

श्री ललित उरांव :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय कितने यात्री निवास हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) उनमें उपलब्ध कराए जाने वाले आवास का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से राज्य में नए यात्री निवासों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) वर्ष 1990-91 तक बिहार राज्य सरकार से यात्री निवास के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया था। वर्ष 1991-92 के दौरान देवगढ़ में एक यात्री निवास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु सूचीबद्ध था। बिहार सरकार के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमान सहित प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए उसे मंजूरी नहीं दी जा सकी।

पर्यटन विभाग ने वर्ष 1992-93 के दौरान इस परियोजना को वित्तीय सहायता हेतु पुनः सूचीबद्ध किया है और राज्य सरकार से इसके विस्तृत अनुमानों के मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है।

दूरदर्शन नेटवर्क

3913. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :**

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन-कौन से स्थान दूरदर्शन नेटवर्क के प्रसारण क्षेत्र में नहीं आते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों को दूरदर्शन प्रसार क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) यद्यपि गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के सभी जिलों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से टी० वी० सेवा प्राप्त हो रही है लेकिन विभिन्न राज्यों के अन्दर जिन स्थानों पर टी० वी० सेवा प्राप्त नहीं हो रही है, इनका ब्यौरा संकलित रूप में एक स्थान पर नहीं रखा गया है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि देश के कवर न हुए हिस्सों को टी० वी० सेवा पहुंचाई जाए लेकिन यह काम इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकताओं पर विभिन्न चरणों में पूरा किया जा सकता है। इन राज्यों में वर्तमान में टी० वी० सेवा से कवर होने वाली जनसंख्या तथा स्थानों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं के अधीन चलाई जा रही/परिकल्पित विभिन्न योजनाओं के चालू हो जाने के बाद टी० वी० सेवा के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	वर्तमान जनसंख्या कवरेज (प्रतिशत में)	स्थापित की जा रही/परिकल्पित योजनाओं के पूरा होने पर जनसंख्या कवरेज (प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश	78.0	87.9
गुजरात	76.8	93.8
मध्य प्रदेश	60.1	76.5
उत्तर प्रदेश	87.6	93.7

कवरेज के उपरोक्त आंकड़ों में किनारे के क्षेत्रों की जनसंख्या भी शामिल है जहां सन्तोषजनक रिसेप्शन प्राप्त करने के लिए ऊंचे एन्टीने और बूस्टर लगाने की आवश्यकता होती है।

[अनुवाद]

एयर बस के अतिरिक्त पुर्जे

3914. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**

श्री अनन्त राव देशमुख :

श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1992 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में एयरबस ए-320 के लिए अतिरिक्त पुर्जों के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स निम्नलिखित कारणों से एअरबस ए-320 विमानों के कल-पुर्जों की समस्या का सामना कर रही है :—

(1) विनिर्माताओं द्वारा आश्वस्त की गई अवधि की तुलना में कुछ मुद्दों/संघटकों का बार-बार तथा समय पूर्व निष्क्रिय हो जाना;

(2) खराब संघटकों की मरम्मत/उन्हें बदलने में अधिक समय लगना क्योंकि इन्हें विदेश भेजना होता है।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) संघटकों के वास्तविक रूप से निष्क्रिय होने से सम्बन्धित आंकड़ों का एकत्र करके विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श किया जाता है ताकि इस संघटकों के निष्पादन में सुधार लाने और मरम्मत कार्य में लगने वाली अवधि को कम करने के लिए समुचित रूप से मामला उठाया जा सके।

(2) विनिर्माताओं को दैनिक आधार पर अति अनिवार्य आवश्यकताओं की एक सूची उपलब्ध करायी जाती है ताकि वे उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के साथ सम्पर्क जारी रख सके।

(3) विभिन्न संघटकों को विनिर्माताओं के साथ इन संघटकों की गारन्टी शुदा अवधि की तुलना में, इनके घटिया निष्पादन के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है। विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे जब कभी आवश्यक हो, इन पदों को बदलने की व्यवस्था करें।

(4) इन संकटमय संघटकों की वैकल्पिक व्यवस्था की समीक्षा की जाती है और इनकी अतिरिक्त मात्रा के लिये आदेश दिये जाते हैं।

(5) ऐसे विमानों के लिए जिनकी मुख्य "सी" जांच होनी है, अपेक्षित सभी संघटकों की प्राप्ति ए और जी (ग्राउण्ड किये गए विमान) प्राथमिकता के आधार पर की जाती है जो कि उच्चतम प्राथमिकता है।

(6) मरम्मत के लिए विदेशों में भेजे गए पुर्जों की वापसी के लिए न्यूनतम अवधि को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुवर्ती प्रणाली को चुस्त बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश में लम्बित पनबिजली परियोजनाएं

3915. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषकर उत्तर प्रदेश में तथा सामान्यतः उत्तरी ग्रिड में लम्बित पड़ी पनबिजली परियोजनाओं का उनके कार्यान्वयन की प्रगति सहित ब्यौरा क्या है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में विशेषकर उत्तर प्रदेश में और सामान्यतः उत्तरी ग्रिड में भूपृष्ठ जल से सम्बन्धित पनबिजली की क्षमता के उपयोग के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तरी क्षेत्र में 7171.25 मैगावाट क्षमता वाली 30 जल विद्युत परियोजनायें अभी निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें से कुल 2842.25 मैगावाट क्षमता वाली 8 जल विद्युत स्कीमें उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उत्तरी क्षेत्र की कुल 2568.25 मैगावाट क्षमता वाली 17 जल विद्युत परियोजनाओं को आठवीं योजनावधि के दौरान लाभ प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के रूप में शामिल किया गया है जिनमें से कुल 1108.5 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाली चार जल विद्युत परियोजनायें उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राज्य	अधि० क्षमता (मे०वा०)	आठवीं योजना में लाभ (मे०वा०)	9 वीं योजना में लाभ (मे० वा०)
1	2	3	4	5	6
(क)	**केन्द्रीय क्षेत्र**				
1.	चमेरा चरण 1 (एनएचपीसी)	हिमाचल प्रदेश	540	540	—
2.	दुलहस्ती (एनएचपीसी)	जम्मू व कश्मीर	390	390	—
3.	सलाल-2 (एनएचपीसी)	जम्मू व कश्मीर	345	345	—
4.	टिहरी चरण-1 (टीएचडीसी)	उत्तर प्रदेश	1000	750	250
(ख)	**राज्य क्षेत्र**				
5.	दादूपुर	हरियाणा	6	6	—
6.	डब्ल्यू०वाई०सी० चरण-2	हरियाणा	16	16	—
7.	बनेर	हिमाचल प्रदेश	12	12	—
8.	गज	हिमाचल प्रदेश	10.5	10.5	—
9.	थिरोट	हिमाचल प्रदेश	4.5	4.5	—
10.	अपर सिंध-2	जम्मू व कश्मीर	70	70	—
11.	कारगिल	जम्मू व कश्मीर	3.75	3.75	—
12.	चेनानी-2 और 3	जम्मू व कश्मीर	6	6	—

1	2	3	4	5	6
13.	सेवा चरण-3	जम्मू व कश्मीर	6	6	—
14.	एस० वाई० एल०	पंजाब	50	50	—
15.	श्रीनगर	उत्तर प्रदेश	330	330	—
16.	सोबला	उत्तर प्रदेश	6	6	—
17.	राजघाट	उ०प्रदेश + म०प्रदेश	45	22.5*	—
18.	उरी (एनएचपीसी)	जम्मू व कश्मीर	480	—	480
19.	नाकपा झाकरी (एनजेपीसी)	हिमाचल प्रदेश	1500	—	1500
20.	धौलीगंगा चरण-1 (एनएचपीसी)	उत्तर प्रदेश	280	—	280
21.	घांनवी	हिमाचल प्रदेश	22.5	—	22.5
22.	लारगी	हिमाचल प्रदेश	126	—	126
23.	ऊहल चरण-3	हिमाचल प्रदेश	70	—	70
24.	उपर सिंध विस्तार	जम्मू व कश्मीर	35	—	35
25.	यूबीडीसी चरण-3	पंजाब	30	—	30
26.	थियान डैम	पंजाब	600	—	600
27.	जाखम	राजस्थान	5.5	—	5.5
28.	विष्णु प्रयाग	उत्तर प्रदेश	480	—	480
29.	लखवार व्यासी	उत्तर प्रदेश	420	—	420
30.	मनेरी भाली-2	उत्तर प्रदेश	304	—	304
		जोड़	7171.25	2668.25	4603

* राजघाट जल विद्युत परियोजना में केवल उत्तर प्रदेश का हिस्सा ।

जामनगर, गुजरात में डाक सुविधाएं

3916. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जामनगर जिले के गांवों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर डाक सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं; और

(ख) वहां सभी स्थानों पर डाक सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) गुजरात

के जामनगर जिले के सभी गांवों में डाक भेजने और प्राप्त करने की सुविधा मूलभूत डाक सुविधायें प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, जिले के 356 गांवों में स्थानीय डाकघर कार्य कर रहे हैं। इस जिले के और अधिक गांवों में स्थानीय डाकघर खोले जायेंगे बशर्ते कि वे मानदण्डों को पूरा करें तथा संसाधन उपलब्ध रहें।

[हिन्दी]

बिजली की दरों में वृद्धि

3917. **श्री नीतिश कुमार :**

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली की दरों में 12 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसा निर्णय लेने से पहले बिजली उत्पादन की लागत के बारे में विस्तृत विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 1991-92 के मूल्यों के आधार पर (पनबिजली, ताप बिजली, परमाणु और अन्य स्रोतों से) प्राप्त बिजली की प्रति इकाई उत्पादन लागत क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन की लागत घटाने हेतु प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अनेक राज्य बिजली बोर्डों (एस० ई० बी०) ने 1990-91 और 1991-92 के दौरान अपनी टैरिफ में 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि की हैं क्योंकि बोर्डों द्वारा बिक्री की गई प्रति यूनिट विद्युत की औसत वसूली, जिसमें कृषि की सप्लाई की गई विद्युत भी शामिल है, की राशि विद्युत उत्पादन और सप्लाई की औसत लागत से भी काफी कम थी और अखिल भारत आधार पर यह अन्तर 1990-91 में 25.52 पैसे प्रति किलोवाट आवर था।

(ग) और (घ) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई लिए जाने के लिए टैरिफों का निर्धारण किया जाना सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्ड/राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। वर्ष 1991-92 के बारे में राज्य बिजली बोर्डों के लेखे-जोखे विद्युत मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों पर विशिष्ट क्षेत्रों यथा पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करने, ईंधन, जन शक्ति, संयंत्र भार अनुपात आदि के लिए मितव्ययता बरतते हुए अपने कार्य निष्पादन में सुधार किये जाने पर जोर डाला गया है ताकि विद्युत उत्पादन की लागत को कम किया जा सके।

[अनुवाद]

देश में ग्रामीण विद्युतीकरण

3918. **श्री के० प्रधानी :** क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1992 तक राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण हो गया है; और

(ख) देश के शेष गांवों का विद्युतीकरण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1981 की जनगणना के अनुसार 5,79,132 आबाद गांवों में से 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार 4,87,508 गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) देश में शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किए जाने के लिए समग्र निर्धारित कार्यक्रम संसाधनों की उपलब्धता तथा 8वीं व अनुवर्ती योजना अवधियों में इस प्रयोजनार्थ किए गए आवंटन पर निर्भर करेगा। वर्ष 1992-93 के दौरान 4,240 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

देश में ग्राम विद्युतीकरण

31-5-1992 की स्थिति के अनुसार कुल गांवों की संख्या तथा विद्युतीकृत गांवों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल गांवों की संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)	31-5-92 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	27379	27358	100.00**
2.	अरुणाचल प्रदेश	3257	1628	49.98
3.	असम	21995	21474	97.58
4.	बिहार	67546	47300	70.02
5.	गोवा	386	377	100.00**

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	18114	17892	100.00**
7.	हरियाणा	6745	6745	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	16807	16761	100.00**
9.	जम्मू व कश्मीर	6477	6162	95.13
10.	कर्नाटक	27028	26483	100.00**
11.	केरल	1219	1219	100.00
12.	मध्य प्रदेश	71352	64875	90.92
13.	महाराष्ट्र	39354	39106	100.00**
14.	मणिपुर	2035	1640	80.58
15.	मेघालय	4902	2316	47.24
16.	मिजोरम	721	517	71.70
17.	नागालैण्ड	1112	1099	98.83
18.	उड़ीसा	46553	32529	69.77
19.	पंजाब	12342	12342	100.00
20.	राजस्थान	34968	27900	79.78
21.	सिक्किम	440	405	100.00**
22.	तमिलनाडु	15831	15822	100.00**
23.	त्रिपुरा	856 (4727, 1971 की जनगणना के अनुसार)	3046	64.43
24.	उत्तर प्रदेश	112566	83320	74.01
25.	पश्चिम बंगाल	38024	28082	73.85
	जोड़ (राज्य)	578009	486388	84.14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	491	491	100.00
2.	चण्डीगढ़	24	24	100.00
3.	दादर और नागर हवेली	70	67	100.00**

1	2	3	4	5
4.	दिल्ली	214	214	100.00
5.	दमन और दीप	26	26	100.00
6.	लक्षद्वीप	7	7	100.00
7.	पांडिचेरी	291	291	100.00
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1123	1120	100.00
	जोड़ (अखिल भारत)	57932	487508	84.17

** शेष गांव विद्युतीकरण की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

नदियों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नदी विकास एजेन्सी द्वारा अध्ययन

3919. **श्री राजवीर सिंह :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी थालों, जलाशयों एवं नदियों को आपस में जोड़ने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी द्वारा कराए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण द्वारा किए गए अध्ययनों का ब्यौरा तथा कार्यों का कार्यक्रम

मद सं.		प्राय: द्वीपीय घटक		हिमालयी घटक	
		कुल अनुमानित	31-3-92 तक प्रगति	कुल अनुमानित कार्य	31-3-93 तक प्रगति
1	2	3	4	5	6
1.	उपबेसिन के आंकड़ों का संकलन	137	137	—	—
2.	जल संतुलन अध्ययन	137	120	—	—
	(क) उप बेसिन	137	120	—	—
	(ख) अभिज्ञात व्यपवर्तन मदें	49	39	19	4

1	2	3	4	5	6
3.	अभिज्ञात भण्डारणों का अध्ययन	58	55	16	5
4.	सम्पर्कों का टोपोशीट अध्ययन	17	14	19	3
5.	सम्पर्क परियोजनाओं की प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना	17	9	19	—
6.	सम्पर्कों का क्षेत्र सर्वेक्षण और अन्वेषण	15**	3**	15	—

टिप्पणी :—(1)* 100 जल अन्तरण सम्पर्कों में से केवल 15 सम्पर्कों के व्यवहार्य होने की सम्भावना है।

(2)** प्रगति में

(3) प्रायःद्वीपीय घटक के 9 सम्पर्कों तथा हिमालयी घटक के 3 सम्पर्कों के सभी शेष कार्यालय अध्ययनों तथा क्षेत्र सर्वेक्षणों और अन्वेषणों को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के आठवीं योजना कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

कार्बन की परत वाली इस्पात के निर्माण हेतु संयुक्त कम्पनी

3920. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्बन की परत वाली इस्पात के निर्माण हेतु स्टील अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा संयुक्त उद्यम कम्पनी लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषतायें क्या-क्या हैं; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) इस समय स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा कार्बन लेपित इस्पात की चादरों के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश के लिए बैंक की गारंटी की सुविधा

3921. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव :**

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निवेश करने में सक्षम विदेशी पूंजी निवेशकों को बैंक गारण्टी की सुविधा देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सुविधा से विद्युत क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि करने में कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) विद्युत क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश के कितने प्रस्तावों को अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विद्युत क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों सहित विदेशी कम्पनियों के पूंजी निवेश का नियंत्रण उसी प्रकार के बैंकिंग नियमों के अनुसार किया जायेगा जैसाकि अन्य क्षेत्रों के विदेशी पूंजी निवेश का नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को निर्यात अर्जन से सम्बन्धित अधिकांश लाभांश भुगतान (बैलेंस डिविडैण्ड पेमेंट) किए बिना भी लाभांश की राशि को स्वदेश भेजने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) विद्युत क्षेत्र के लिए निजी निवेशकों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निजी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा :—

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	विदेशी/ भारतीय	क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयें में)	परियोजना का नाम/राज्य
1	2	3	4	5	6
1.	मै० कोलमैन एण्ड एसोसिएट्स (आस्ट्रेलियन कन्शोर्टियम)	विदेशी	240 (लिग्नाइट)	585.73	बरसिंहसर ता० वि० केन्द्र राजस्थान
2.	मै० एस०टी० पॉवर सिस्टम्स इन्क० यू०एस०ए०	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	210 (लिग्नाइट)	700.00	जीरो यूनिट ता० वि० केन्द्र, एन०एल०सी०/तमिलनाडु
3.	मै० सदर्न इलैक्ट्रिक इन्टरनैशनल, इन्क०, यू०एस०ए०	विदेशी	2340 (कोयला)	7000.00	इब घाटी ता० वि० केन्द्र/ उड़ीसा
4.	मै० उत्तर पूर्वी एनर्जी सर्विसिज इन्क०, यू०एस०ए०	विदेशी/ भारतीय	500 (कोयला)	1548.00	डुबरी ता० वि० केन्द्र, कलिंगा विद्युत निगम/उड़ीसा
5.	मै० एन०टी०पी०सी० एण्ड मै० ए०बी०बी० स्वीडन	विदेशी/ भारतीय	800 (गैस)	1600.00	गैस आधारित
6.	मै० सैन्च्यूरी पॉवर	भारतीय	420 (कोयला)	1040.00	पैंच ता० वि० केन्द्र चरण-1 मध्य प्रदेश
7.	मै० जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई	भारतीय	300 (जल विद्युत)	547.00	बास्पा-2 जल विद्युत हिमाचल प्रदेश
8.	मै० पंजाब पॉवर जैनरेशन मशीन्स लि०	भारतीय	22.5 (जल विद्युत)	40.00	धान्वी जल विद्युत, हिमाचल प्रदेश

1	2	3	4	5	6
9.	मै० बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि०, दिल्ली	भारतीय	70 (जल विद्युत)	176.77	उहल-3 जल विद्युत, हिमाचल प्रदेश
10.	मै० जालमकोण्डम लिग्नाइट पॉवर कारपोरेशन (टिडको/मैकनैली भारत)	विदेशी/ भारतीय	1500 (लिग्नाइट)	4500.00	लिग्नाइट आधारित, तमिलनाडु
11.	मै० आर०पी०जी० इन्टरप्राइजेज	भारतीय	500.00 (कोयला)	1637.00	चान्दिल ता० वि० केन्द्र, बिहार
12.	मै० जी०बी०के० इण्डस्ट्रीज, यू०एस०ए०	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	400 (गैस)	550.00	जैगुरूपाडु सी०सी०जी०टी०, आन्ध्र प्रदेश
13.	मै० कॉन्फिडेंस शिपिंग कम्पनी लि०, महाराष्ट्र	भारतीय	110 (एल०एस०एच०एस०)	198.50	बारज/शिप माउंटेड, महाराष्ट्र
14.	मै० जी०एम० स्वामी एसोसिएट्स	भारतीय	250 (लिग्नाइट)	800.00	टिकापको; तमिलनाडु
15.	कै० कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी	भारतीय	500 (कोयला)	1638.00	बजबज ता० वि० केन्द्र प० बंगाल
16.	मै० स्पैक्ट्रम टैक्नॉलोजीज, यू०एस०ए०	विदेशी	400 (सी०सी०जी०टी०)	435.00	गोदावरी बेसिन, आन्ध्र प्रदेश
17.	मै० सैन्च्यूरी टैक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	भारतीय	500 (कोयला)	1036.20	चित्तौड़गढ़ ता० वि० केन्द्र राजस्थान
18.	मै० एन्रोन पॉवर कारपोरेशन, यू०एस०ए०	विदेशी	2000 (गैस)	6000.00	दभोल, महाराष्ट्र
19.	मै० स्पैक्ट्रम टैक्नॉलोजीज, यू०एस०ए०	विदेशी	20 (गैस)	40.00	धनकुनी, पश्चिम बंगाल

1	2	3	4	5	6
20.	मै० कोजंट्रिक्स इन्क०, यू०एस०ए०	विदेशी	500 1000* (कोयला)	1000.00	हिसार, हरियाणा
21.	मै० कोजंट्रिक्स इन्क०, यू०एस०ए०	विदेशी	500 (कोयला)	1000.00	मंगलौर, कर्नाटक
22.	मै० कोजंट्रिक्स इन्क०, यू०एस०ए०	विदेशी	500 (कोयला)	690.34 (दिसम्बर, 89)	भटिण्डा, पंजाब
23.	मै० कोजंट्रिक्स इन्क०, यू०एस०ए०	विदेशी	500 (कोयला)	1000.00	बंगलौर, कर्नाटक
24.	मै० अशोक लिलैण्ड/मिशन एनर्जी/ आन्ध्र प्रदेश रा० वि० बोर्ड	संयुक्त उपक्रम (विदेशी/भारतीय)	1000 (कोयला)	1560.28 (अगस्त, 90)	विशाखापट्नम, आन्ध्र प्रदेश
		जोड़	14082.50	35322.82	

*2 × 250 मैगावाट की विस्तार क्षमता सहित ।

[हिन्दी]

अजयनगर, अजमेर में डाक कर्मचारियों के लिए आवास कालोनी

3922. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अजमेर के अजयनगर में कर्मचारियों के लिए एक आवास कालोनी का निर्माण किया था;

(ख) यदि हां, तो कब और इस पर कितना धन व्यय किया गया;

(ग) इन आवासों को डाक कर्मचारियों में अब तक आबंटित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार को इसके कारण प्रतिवर्ष कितना घाटा हो रहा है;

(ङ) क्या अनधिकृत व्यक्तियों ने इन आवासीय फ्लैटों पर कब्जा कर रखा है;

(च) यदि हां, तो ऐसे अनधिकृत व्यक्तियों को हटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(छ) ये क्वार्टर डाक कर्मचारियों को कब तक आबंटित कर दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) अजयनगर, अजमेर में डाक कर्मचारियों के लिए एक आवासीय कालोनी निर्माणाधीन है।

(ख) इसका निर्माण कार्य दो चरणों में क्रमश: 1983 और 1984 में आरम्भ हुआ था। इन दोनों चरणों में अभी तक 37,19,840 रुपये खर्च हो चुके हैं।

(ग) इसमें अभी तक बिजली का काम पूरा नहीं हुआ है और अभी कालोनी का कब्जा भी नहीं मिला है, इसलिए कर्मचारियों को अभी तक क्वार्टर अलॉट नहीं किए जा सके हैं।

(घ) क्योंकि आवंटन के लिए मकान अभी तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए घाटे का सवाल ही नहीं है।

(ङ) किसी भी अनधिकृत व्यक्ति ने किसी क्वार्टर पर कब्जा नहीं कर रखा है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को मद्देनजर रखते हुए कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

(छ) यह क्वार्टर कर्मचारियों को दिसम्बर, 1992 तक आबंटित किए जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र के उर्दू कार्यक्रमों का प्रसारण

3923. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र उर्दू में अपने कार्यक्रम प्रसारित करते हैं;

(ख) इन कार्यक्रमों का दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण करने के लिये प्रत्येक सप्ताह केन्द्र-वार कितना-कितना समय दिया जाता है;

(ग) उर्दू कार्यक्रमों का दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण करने के लिए केन्द्रवार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) 30 जून, 1992 के अनुसार इनके कितने पद रिक्त हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय पूल से बिजली की सप्लाई

3924. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पूल परियोजनाओं से बिजली की सप्लाई के क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को सप्लाई की गई बिजली का महीनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिजली उत्पादन में आत्म निर्भर न होने वाले राज्यों को केन्द्रीय पुल से बिजली की कितनी विशेष सप्लाई की गई ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के आबंटन सम्बन्धी वर्तमान मानदण्डों का विवरण विवरण-1 में दिया गया है ।

(ख) पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय पूल के विभिन्न राज्यों की सप्लाई की गई विद्युत का महीनेवार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है ।

(ग) उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के नियत आबंटन के अलावा, समय-समय पर किसी क्षेत्र के राज्यों में विद्युत की सापेक्ष कमी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में "अनाबंटित हिस्से" में से भी सम्बन्धित क्षेत्र के लाभभोगी राज्यों को विद्युत का आबंटन किया जाता है । राज्यों में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने हेतु कुछ और भी उपाय किए जाते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं---नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, कम निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्धन एवं ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा की सप्लाई करना आदि ।

विवरण-I

(क) **केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं से राज्यों को बिजली के आबंटन हेतु वर्तमान मानदण्ड** :

(1) कुल उत्पादित विद्युत क्षमता का 15 प्रतिशत भाग "अनाबंटित" भाग के रूप में

केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखा जायेगा ताकि समग्र आवश्यकता के आधार पर इसे सम्बन्धित क्षेत्र में अथवा उनके बाहर वितरित किया जा सके।

(2) विद्युत केन्द्र द्वारा उत्पादित बिजली में से 12 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के उन राज्यों (उस राज्य सहित जिसमें जल विद्युत परियोजना अवस्थित है) को निःशुल्क वितरित की जायेगी जिनमें परियोजना को अधिष्ठापित किए जाने के कारण जलमग्नता, जनसंख्या के विस्थापन, जैसी विशिष्ट परेशानियां पैदा हो जाती हैं और बिजली का आबंटन इन परेशानियों की व्यापकता के अनुपात में किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ "उत्पादित ऊर्जा" के आंकड़ों की गणना इस बार पर (अर्थात् आनुषंगिक उपभोग को कम करके तथा पारेषण हानियों को सम्मिलित किए बिना की जायेगी) 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत का आबंटन करने के सन्दर्भ में उक्त परेशानियों की व्यापकता का निर्धारण, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित राज्यों के परामर्श से किया जायेगा।

(3) शेष (73 प्रतिशत) विद्युत को सम्बन्धित क्षेत्र के राज्यों में, विगत के पांच वर्षों के दौरान क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को प्रदत्त केन्द्रीय आयोजन सहायता तथा विगत पांच वर्षों में उन राज्यों में बिजली की खपत के आधार पर, दोनों पहलुओं को समान महत्व देते हुए, वितरित किया जायेगा।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र के ताप/परमाणु विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत का आबंटन करने के लिए मानदण्ड :

(1) 15 प्रतिशत विद्युत को राज्य विशेष की समय-समय पर आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में अनाबंटित रूप में रखा जाता है।

(2) 10 प्रतिशत बिजली उप राज्य को आबंटित की जाती है जिसमें विद्युत केन्द्र अवस्थित है, तथा

(3) शेष 75 प्रतिशत बिजली को क्षेत्र के सभी राज्यों (होम स्टेट सहित) में, उनके द्वारा विगत के पांच वर्षों के दौरान उपभोग की गई बिजली की मात्रा तथा उन्हें प्रदत्त केन्द्रीय आयोजना सहायता के आधार पर आबंटित किया जाता है। संघ-राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी समुचित आबंटन की व्यवस्था की जाती है।

विवरण-II

पिछले वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को सप्लाई की गई विद्युत का महीनेवार ब्यौरा

(सभी आंकड़े मि० यू० में)

उत्तरी क्षेत्र

मास	दिल्ली	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	पंजाब	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	चण्डीगढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जून, 92	328.1	280.0	35.2	160.8	423.0	394.0	972.5	11.5
मई, 92	277.7	227 9	31.7	172.9	312.1	386.3	1080.5	14.3
अप्रैल, 92	276.3	275.0	33.3	176.6	296.5	359.4	1116.6	15.6
मार्च, 92	185.6	253.2	29.4	175.2	283.0	353.6	1140.1	16.0
फरवरी, 92	197.5	219.5	30.9	176.9	236.7	413.7	971.5	16 2
जनवरी, 92	245.1	312.7	52.6	194.2	243.6	479.8	1017.2	20.5
दिसम्बर, 91	212.1	265.9	47.8	198.1	214.4	438.5	1030.4	18.2
नवम्बर, 91	226.8	293.5	33.8	193.7	211.3	366.3	904.3	15.1
अक्तूबर, 91	229.3	402.9	28.2	171.9	297.0	425.4	1088.8	19.1
सितम्बर, 91	279.6	321.0	27.9	136.2	292.2	325.2	803.0	15.5
अगस्त, 91	319.8	313.9	22.7	145.2	317.5	251.2	894.5	16.2
जुलाई, 91	324.3	239.8	25.3	143.7	298.6	305.5	1000.7	17.5

पश्चिमी क्षेत्र

मास	गुजरात	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	गोवा
1	2	3	4	5
जून, 92	322.3	653.6	437.6	64.6
मई, 92	337.7	645.6	379.1	70.9
अप्रैल, 92	327.6	742.5	425.5	70.2
मार्च, 92	398.6	799.0	484.7	57.7
फरवरी, 92	342.2	847.7	464.6	45.1
जनवरी, 92	384.7	938.9	419.0	42.4
दिसम्बर, 91	325.8	884.4	279.3	44.4
नवम्बर, 91	339.1	932.9	328.5	44.4
अक्तूबर, 91	323.8	725.8	464.3	41.6
सितम्बर, 91	359.8	621.1	403.5	38.5
अगस्त, 91	342.9	515.5	402.6	35.7
जुलाई, 91	323.9	614.5	416.2	35.0

दक्षिणी क्षेत्र

मास	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु
जून, 92	530.3	240.8	83.9	414.0
मई, 92	513.1	231.9	79.4	501.4
अप्रैल, 92	535.9	234.0	166.4	538.8
मार्च, 92	521.8	351.6	184.4	527.9
फरवरी, 92	507.8	324.0	196.0	559.5
जनवरी, 92	566.6	306.4	221.5	573.9
दिसम्बर, 91	368.0	249.8	136.0	393.3
नवम्बर, 91	422.4	228.2	198.4	356.1
अक्तूबर, 91	435.8	228.9	191.0	545.9
सितम्बर, 91	396.5	238.8	147.4	502.6
अगस्त, 91	311.3	222.2	113.8	506.4
जुलाई, 91	200.2	239.9	142.8	407.3

पूर्वी क्षेत्र

मास	बिहार	दा०घा०नि०	उड़ीसा	प० बंगाल	सिक्किम
1	2	3	4	5	6
जून, 92	186.2	110.9	32.0	73.1	2.7
मई, 92	162.2	84.4	17.0	82.2	2.5
अप्रैल, 92	191.9	69.8	36.4	73.5	3.0
मार्च, 92	239.0	60.1	41.5	44.0	2.0
फरवरी, 92	230.5	68.7	31.9	67.9	1.2
जनवरी, 92	241.1	—	49.7	122.4	1.5
दिसम्बर, 91	266.6	57.5	48.4	35.7	3.8
नवम्बर, 91	286.9	71.4	53.2	69.6	3.2
अक्तूबर, 91	289.5	168.5	52.0	57.5	—
सितम्बर, 91	231.4	117.4	8.5	58.1	2.6
अगस्त, 91	254.2	157.4	24.3	100.7	—
जुलाई, 91	252.0	119.0	30.1	55.6	2.2

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

मास	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	नागालैण्ड	त्रिपुरा	मिजोरम
1	2	3	4	5	6	7	8
जून, 92	2.9	75.6	17.5	—	6.5	4.4	5.9
मई, 92	1.3	46.8	7.9	2.8	2.9	0.7	1.8
अप्रैल, 92	2.1	38.9	11.7	3.3	4.8	2.0	2.3
मार्च, 92	2.4	28.9	24.1	—	6.8	2.9	2.5
फरवरी, 92	2.7	43.8	24.6	—	7.2	2.4	6.6
जनवरी, 92	2.5	69.4	30.8	—	9.3	6.3	7.2
दिसम्बर, 91	2.7	71.7	27.6	—	7.5	5.5	7.9
नवम्बर, 91	3.1	78.4	28.2	—	8.1	4.0	7.0
अक्तूबर, 91	3.2	79.4	27.1	—	8.6	1.1	6.6
सितम्बर, 91	1.0	94.1	22.7	—	9.3	3.6	3.1
अगस्त, 91	2.7	97.5	21.3	—	7.9	5.4	3.5
जुलाई, 91	1.1	87.4	18.5	—	9.2	4.4	6.8

[अनुवाद]

इस्को का निजीकरण

3925. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट पार्टियों से प्राप्त "इस्को" को अपने नियन्त्रण में लेने सम्बन्धी प्रस्ताव कम्पनी के श्रमिकों तथा अधिकारियों के समक्ष रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) "सेल" द्वारा मैसर्स एस० बी० आई० कैपिटल मार्केट्स लि० को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील लि० (इस्को) में निजी भागीदारी की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा "सेल" को इसके बारे में सलाह देने के लिए रखा गया था। इसे "इस्को" में भागीदारी के लिए 3 पार्टियों से प्रारम्भिक पेशकश मिले थे। हालांकि अन्तिम पेशकश अभी प्रस्तुत किए जाने हैं। तथापि, सरकार ने "इस्को" में निजी भागीदारी के लिए निजी पार्टियों के पेशकश प्राप्त करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। आशा है कि समिति की सिफारिशें नवम्बर, 1992 में प्राप्त होंगी।

चूंकि इस प्रकार की ऐसी कोई "पेशकश" नहीं है अतः "इस्को" के श्रमिकों तथा अधिकारियों के समक्ष पेशकश का प्रश्न ही नहीं उठता। इस्पात मंत्रालय, कर्मचारियों की यूनियनों तथा एसोशिएसनों और नेशनल ट्रेड यूनियन के साथ "इस्को" में निजी भागीदारी के बारे में परामर्श कार्य में लगा हुआ है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, सरकार ने "इस्को" के कर्मचारियों के हित को पूर्णरूपेण सुरक्षा प्रदान करने तथा भागीदारी प्रक्रिया में इसे एक भाग के रूप में सुनिश्चित करने के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। "इस्को" में निजी भागीदारी की सम्भावनाओं का पता लगाने की बाध्यताओं जैसे "इस्को" के आधुनिकीकरण के लिए योजना निधि की अपर्याप्त उपलब्धता, अपेक्षित संसाधनों आदि के सृजन/प्राप्त करने के बारे में अनिश्चिततायें, समयबद्ध पद्धति से "इस्को" का आधुनिकीकरण/विस्तार करवाए जाने की अवधारणा, प्रामाणिक और अच्छा रिकार्ड रखने वाले भागीदार के चयन की अवधारणा आदि के बारे में श्रमिक संघों, अधिकारियों की एसोशिएसन तथा नेशनल ट्रेड यूनियनों को बताया गया है।

इस्पात का मूल्य

3926. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियर उद्योग ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी को निदेश दे कि हाल में की गई मूल्य वृद्धि को वे वापस ले लें;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस्पात पर मूल्य नियन्त्रण हटा लेने के बाद से देश में इसके मूल्यों में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस्पात के मूल्यों में हो रही वृद्धि पर रोक लगाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) सहित प्रमुख उत्पादनों द्वारा इस्पात के मूल्यों में की गई वृद्धि के विरुद्ध भारतीय इन्जीनियरी उद्योग परिसंघ ने अभ्यावेदन दिया है।

(ख) और (ग) 16-1-1992 के इस्पात के मूल्यों पर से नियन्त्रण समाप्त करने के बाद एकीकृत इस्पात संयन्त्र अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने तथा घोषित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। तथापि आदान लागतों में हुई मूल्य वृद्धि को पूरा करने के लिए उनके द्वारा केवल मई, 1992 में ही मूल्यों में वृद्धि की गई थी। इस मूल्य वृद्धि का खुले बाजार के मूल्यों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) लोहा और इस्पात उद्योग को लाइसेंस मुक्त किए जाने और इस्पात के मूल्यों पर से नियन्त्रण समाप्त किए जाने से निजी क्षेत्र में नई क्षमता सृजित करने के लिए अपेक्षित वातावरण बनेगा। इस्पात उद्योग से सम्बन्धित कच्चे माल पर लगने वाले आयात शुल्क में भी कमी की गई है। इसके परिणामस्वरूप इस्पात का उत्पादन बढ़ेगा और इस्पात उद्योग में अधिक प्रतिस्पर्द्धा होगी जिससे इस्पात के मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा।

भारत के विद्युत क्षेत्र में भारत-डेनमार्क समझौता

3927. **डा० परशुराम गंगवार : क्या विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत के क्षेत्र में बिपक्षीय सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों ने इस समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कोई संयुक्त कृतिक बल गठित किया है; और

(घ) यदि हां, तो कृतिक बल की अब तक हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है और ये बैठकें कहां-कहां हुई थीं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारत और डेनमार्क के बीच औद्योगिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय सहयोग को जारी रखने एवं इसे और अधिक सुदृढ़ किए जाने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच विद्युत एवं अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत सम्बन्धी क्षेत्रों में सहयोग करने के बारे में 3 मार्च, 1992 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) उक्त समझौते में एक भारत-डेनमार्क कार्यदल की स्थापना किए जाने की व्यवस्था की गई है। कथित दल का अभी गठन नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नये डाकघर

3928. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में नये डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसे पूरा प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र सर्किल में 150 शाखा डाकघर और 20 विभागीय उप-डाकघर खोलने के मूल लक्ष्य की तुलना में अब तक 102 शाखा डाकघर खोले जा चुके हैं और शेष डाकघर वर्ष 1992-93 के दौरान खोल दिए जायेंगे बशर्ते कि स्थान और उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

मंजूर किये गये दूरदर्शन धारावाहिकों का रद्द किया जाना

3929. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म और दूरदर्शन निर्माताओं के संगठन ने दूरदर्शन द्वारा मंजूर किए गए 431 दूरदर्शन धारावाहिकों की सूची को रद्द करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) इस आशय के प्रेस में प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आए हैं। अक्तूबर, 1990 की प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय की सूचना को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच का निर्णय हो जाने तक स्थगित रखा गया है।

[हिन्दी]

उच्च क्षमता वाले विद्युत संयंत्र

3930. **श्री देवी बक्स सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में उच्च क्षमता वाले कितने विद्युत संयन्त्र कार्य कर रहे हैं; और

(ख) ये संयन्त्र किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 1000 मेगावाट

और इससे अधिक की केन्द्र क्षमता वाले ताप विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। इस समय देश में 1000 मेगावाट से अधिक की प्रतिष्ठापित क्षमता वाला कोई भी जल विद्युत केन्द्र प्रचालन में नहीं है।

विवरण

27-7-92 की स्थिति के अनुसार उच्च क्षमता विद्युत संयन्त्र (1000 मेगावाट और अधिक)

केन्द्र	हासिल क्षमता (मेगावाट)	राज्य जहां उपस्थित हैं
1. रोपड़	1050	पंजाब
2. ओबरा	1482	उत्तर प्रदेश
3. सिंगरौली एसटीपीसी	2050	उत्तर प्रदेश
4. रिहन्द	1000	उत्तर प्रदेश
5. वानकबोरी	1260	गुजरात
6. सतपुरा	1142.5	मध्य प्रदेश
7. कोरबा एसटीपीएस	2130	मध्य प्रदेश
8. विन्ध्याचल एसटीपीएस	1260	मध्य प्रदेश
9. कोराडी	1080	महाराष्ट्र
10. चन्द्रपुर	1840	महाराष्ट्र
11. ट्राम्बे	1330	महाराष्ट्र
12. रामागुण्डम एमटीपीएस	2100	आन्ध्र प्रदेश
13. तूतीकोरिन	1050	तमिलनाडु
14. नैवेली एम/सी	1050	तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का बदलना

3931. **श्री सत्यपाल सिंह यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर और पीलीभीत में कम शक्ति वाले टेलीविजन ट्रांसमीटरों को अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) बरेली में उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर के शुरू हो जाने के पश्चात शाहजहांपुर जिले में टी०वी० सेवा में काफी सुधार होने की आशा है।

[अनुवाद]

टनकपुर विद्युत परियोजना

3932 **श्री वसुदेव आचार्य :**

श्री अनिल बसु :

क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की 120 मेगावाट क्षमता की टनकपुर विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना की निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार चालू हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस परियोजना में गुणवत्ता नियंत्रण लागू किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) टनकपुर जल विद्युत परियोजना की तीनों यूनिटों को जनवरी, 1992, फरवरी, 1992 तथा मार्च, 1992 में चालू किए जाने सम्बन्धी कार्यक्रम की तुलना में इन यूनिटों को 21 तथा 23 मार्च, 1992 को रोल किया गया तथा इनको समकालित किए जाने सम्बन्धी परीक्षण निम्न तिथियों को किए गए :—

पहली यूनिट	30-3-1992
दूसरी यूनिट	4-4-1992
तीसरी यूनिट	6-4-1992

इस समय एक यूनिट लगातार कार्य कर रही है और लगभग 21 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बेदथी पनबिजली परियोजना

3933. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने उत्तर कन्नड़ जिले में शुरू की जाने वाली बेदथी पनबिजली परियोजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी है;

(ख) इस परियोजना से कितनी बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) इसके कारण कितनी कृषि और बन भूमि जलमग्न हो जायेगी;

(घ) क्या सरकार ने उक्त परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) स्वीकृति कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभाकर) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बेदथी जल विद्युत परियोजना, जो कि गंगावली चरण-1 के नाम से भी जानी जाती है, के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में मंगोध प्रपात के समीप बेदथी नदी में उपलब्ध जल विद्युत शक्यता के विकास करने की परिकल्पना जी गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत 105-105 मेगावाट क्षमता वाली दो यूनिटों तथा एक भूमिगत बिजली घर को स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। परियोजना से प्रतिवर्ष 1060 मिलियम यूनिट ऊर्जा का लाभ होगा। परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 135.83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 26-10-77 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। परियोजना 20-2-1979 को पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति कर दी गई थी तथा इसे 2-4-1979 को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इस परियोजना में 6800 हैक्टेयर वन भूमि तथा 621 हैक्टेयर कृषिगत भूमि सन्निहित है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इस मामले को अभी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति हेतु भेजा जाना है जो कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अपेक्षित है।

(ङ) तथा (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एयर इण्डिया की उड़ानें रद्द करना

3934. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया की गत छः माह के दौरान कितनी उड़ानें रद्द की गईं और इनके रद्द करने के क्या कारण थे; और

(ख) उड़ानों को नियत समय पर चलाने की व्यवस्था बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जनवरी, 1992 से जून, 1992 तक की अवधि के दौरान, 194 एकल उड़ानें रद्द की गई थीं। इन उड़ानों को इंजीनियरी, खराब मौसम तथा परिचालन सम्बन्धी कारणों से रद्द करना पड़ा था।

(ख) एयर इंडिया उड़ानों की समयबद्धता तथा उनके रख-रखाव पर अत्यधिक ध्यान देता है और उड़ानों के समय पर निष्पादन पर सूक्ष्म निगरानी रखी जाती है तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिये विलम्बों के कारणों का पता लगाया जाता है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में सार्वजनिक टेलीफोन

3935. **श्री एन० डेनिस** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में कन्याकुमारी सहित सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, विमान पत्तनों, अस्पतालों और पर्यटन स्थलों पर वर्ष 1992-93 के दौरान और अधिक संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों, पमुख अस्पतालों तथा हवाई अड्डों पर सार्वजनिक टेलीफोन पहले से ही चल रहे हैं।

इन स्थानों पर अतिरिक्त सार्वजनिक टेलीफोन घर चलाने के प्रस्तावों पर, मांग प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो।

वर्ष 1992-93 के दौरान पर्यटन केन्द्रों पर पी०सी०ओ० संस्थापित किए जाने सम्बन्धी विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने और तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होने पर, आई०एस०डी०/एस०टी०डी०/स्थानीय पी०सी०ओ० खोलने सम्बन्धी उदारीकृत नीति के अनुसार इसकी जांच करके संस्थापन किया जाएगा।

स्पंज लौह उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम

3936. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश राज्य की हैंगर भूमि का हस्तांतरण

3937. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में हैंगर की भूमि **और इसके** आसपास के क्षेत्र को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) भोपाल हवाई हड्डे के भावी विकास को दृष्टि में रखते हुए, **मध्य प्रदेश सरकार को** यह सलाह दी गयी है कि वे इस उद्देश्य के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि के बारे में पता लगायें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में घाटा

3938. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** : क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उच्चारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। वित्तीय वर्ष 1990-91 विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के प्रचालन का प्रथम वर्ष था। 192.13 करोड़ रुपये ब्याज के लिए और मूल्यह्रास के लिए 197.23 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के बाद 1990-91 में इसकी निवल हानि 477.55 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1991-92 के लेखाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। हानि की मात्रा का पता लगाना मुश्किल है। प्रमुख रूप से हानि इस लक्ष्य के कारण हुई कि पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान चालू की गई उत्पादन इकाइयां स्थिरीकरण की प्रक्रिया में हैं जिसके परिणामस्वरूप पूंजी से सम्बद्ध प्रभारों अर्थात मूल्यह्रास और ब्याज के अधिक बोझ से क्षमता का कम उपयोग हुआ।

(ग) सरकार कम्पनी के पूंजीगत आधार की पुनर्संरचना करने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है ताकि इसकी दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन डायरेक्टरी

3939. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे क्षेत्रों में टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) टेलीफोन **डायरेक्टरियों**

का मुद्रण गौण स्विचन क्षेत्रवार (एस०एस०ए०) किया जाता है जिसमें वे सभी टेलीफोन एक्सचेंज/ क्षेत्र शामिल हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में भूमि कटाव

3940. **श्री हरि केवल प्रसाद : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ से होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश को आबंटित धनराशि में से कितनी राशि दी गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं। स्कीमें राज्यों द्वारा तैयार की जाती हैं और तकनीकी सहायता, यदि वांछित हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

(ग) चालू वर्ष 1992-93 के लिए उत्तर प्रदेश के बाढ़ क्षेत्र में 10.58 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

हाट-मेटल और कच्चे इस्पात का उत्पादन

3941. **श्री केशरी लाल : क्या इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र ने हॉट मेटल और कच्चे इस्पात के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) इस अवधि के दौरान इन किस्मों के इस्पात का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संयंत्र द्वारा कुल कितने टन इस्पात का किन-किन देशों को निर्यात किया गया और इससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(घ) सरकार ने देश के अन्य इस्पात संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के अनुसार 1991-92 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए सप्त धातु और अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :—

तप्त धातु	—	39.00 लाख टन
अपरिष्कृत इस्पात	—	39 50 लाख टन

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादित इस्पात की प्रमुख किस्में निम्नलिखित हैं :—

1. रेल और उच्च कार्बनयुक्त इस्पात
2. आई०एस०-2062/226

3. इलेक्ट्रोड क्वालिटी
4. बायलर क्वालिटी
5. हाई टेन्सिल
6. सेल माइक्रो एलायड
7. एल०पी०जी० (आई० एस०-6240)
8. आई०एस०-513
9. आटोमोबाइल सेक्टर के लिए एस०एस० 4011
10. शिप निर्माण क्वालिटी
11. ए० पी० आई
12. कार्टन (आई० आर० एस०एम० 41)
13. सेमी किल्ड (रेल और उच्च कार्बनयुक्त इस्पात को छोड़कर)
14. निर्यात क्वालिटी
    ए०एस०टी०एम० ए०-36
    जे०आई०एस०
    डी०आई०एन०
    बी०एस०-4360

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र के इस्पात मदों की निर्यातित मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित हैं :—

मात्रा	(मूल्य करोड़ रुपये)
* 1 7 लाख टन	130.45

* इसमें 31-3-92 की स्थिति के अनुसार लदान के लिए लम्बित 4.03 करोड़ रुपये के अनुमानित पोतपर्यन्त नि:शुल्क मूल्य पर 7590 मीट्रिक टन भी शामिल है।

भिलाई इस्पात संयंत्र के इस्पात उत्पादों को जापान, इटली, सिंगापुर, फिलीपाइन्स, यूनाइटेड अरब अमीरात और श्रीलंका को निर्यात किया गया है।

(घ) अपने अन्य इस्पात संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:—

(i) संयंत्र का कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन;

(ii) सही गुणता के आदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(iii) उपलब्ध आदानों से बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए तकनीकी-आर्थिक और विशिष्ट उपभोग में सुधार;

(iv) उपयोगिता ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए निजी विद्युत उत्पादन का आवर्धन;

(v) प्रौद्योगिकीय अनुशासन का सख्ती से अनुपालन तथा संयंत्र और मशीनरी को ठीक हालत में रखने के लिए अनुरक्षण और पूंजीगत मरम्मत अनुसूची।

अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए "सेल" द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(i) उच्च मूल्य की मदों के निर्यात पर अधिक बल देना;

(ii) निर्यात के लिए नये बाजारों की निकासी;

(iii) "सेल" की आदान सामग्री से बने इंजीनियरी सामान का निर्यात;

(iv) मिश्र और बेदाग इस्पात उत्पादों के निर्यात की योजना;

(v) बम्बई पत्तन में एक निर्यात यार्ड स्थापित करना;

(vi) रूपांकन और परियोजना सेवाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश;

(vii) विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का सामना करने के लिए विपणन आदानों की समीक्षा।

[अनुवाद]

पटना टेलीफोन जोन का विस्तार

3942. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को आरा, हाजीपुर, नरौडी, जहानाबाद, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर आदि के प्रयोक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करने के लिए एस०टी०डी० का उपयोग करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त स्थानों को पटना टेलीफोन जोन के अन्तर्गत लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) हाजीपुर को छोड़कर सभी स्थान एस० टी० डी० द्वारा पटना के साथ जुड़े हुए हैं। हाजीपुर-पटना के बीच इण्टर डायलिंग सुविधा उपलब्ध है और यह सुविधा बिना एस० टी० डी० वाले उपभोक्ताओं के लिए भी सुलभ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में 12 मई, 1992 को दिए गए वक्तव्य की एक प्रति संलग्न है। पटना टेलीफोन प्रणाली का स्थानीय क्षेत्र पटना नगर निगम की सीमा तक है। इस क्षेत्र से बाहर स्थित स्थान केवल एस० टी० डी० पर उपलब्ध हैं। परन्तु इसमें वे स्थान शामिल नहीं हैं जिनकी सीमा पटना के साथ लगी हुई है। इस प्रकार के सीमावर्ती स्थान इण्टर डायलिंग

के साथ जुड़े हुए हैं तथा यह सुविधा बिना एस० टी० डी० वाले उपभोक्ताओं के लिए भी सुलभ है।

लोक सभा में संचार राज्य मन्त्री द्वारा 12-5-92 को दिया गया वक्तव्य

मैं सदन को उन दो महत्वपूर्ण उपायों के बारे में सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रुप डार्यालिंग सुविधा और स्थानीय कॉलों तथा ट्रंक कालों (मैनुअल तथा उपभोक्ता द्वारा डायल दोनों) के लिए शुल्क (टैरिफ) के तदन्तर यौक्तिकीकरण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कर रही है।

2. सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा की तेजी से व्यवस्था करने के लिए उपाय किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज 15,000 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंज हैं जबकि वर्ष 1982 में यह संख्या लगभग 8000 थी, 31 मार्च, 1995 तक लगभग 2,20,000 ग्राम पंचायतों को दूरसंचार सुविधा में जोड़ने के सरकार के कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा के लिए और अधिक मांग उत्पन्न होगी।

3. इन विकासात्मक कार्यक्रमों के परिणामतः ग्रामीण समुदाय ने मांग की है कि उन्हें ग्रुप डार्यालिंग सुविधा प्रदान की जाए। ग्रामीण उपभोक्ताओं ने भी एम० टी० डी० सुविधा की मांग करनी शुरू कर दी है। सभी ग्रामीण एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा की व्यवस्था करने के लिए समय लगेगा। प्रथामोपाय के रूप में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रुप डार्यालिंग सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही ग्रुप डार्यालिग क्षेत्र और लम्बी दूरी के क्षेत्र के अन्तर्गत कालों के लिए शुल्क वसूल करने के तरीकों का यौक्तिकीकरण करना भी अपेक्षित है।

4. देश में सभी एक्सचेंजों का राष्ट्रीय एस० टी० डी० के साथ जोड़ने के लिए तकनीकी अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा कम दूरी प्रभारण (चार्जिंग) क्षेत्र की संकल्पना है जिससे अन्य कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों के सन्दर्भ में नम्बरिंग और चार्जिग के लिए अनन्य पहचान बनती है। इस प्रकार कम दूरी प्रभारण क्षेत्र संघटन से ग्रामीण क्षेत्रों में एस० टी० डी० सुविधा का तेजी से विस्तार हो पाएगा।

5. काल प्रभारों (मैनुअल और उपभोक्ता द्वारा डायल दोनों) का निर्धारण करने के लिए मौजूदा प्रभारण योजना के सम्बन्ध में प्रत्येक एक्सचेंज से किसी बड़े क्षेत्र में अवस्थित टेलीफोन एक्सचेंजों की एक बड़ी संख्या तक वास्तविक दूरी को मापने की आवश्यकता होती है। इससे न केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने में तकनीकी बाधायें सामने आ जाती हैं बल्कि दूरसंचार नेटवर्क में अत्यधिक वृद्धि और प्रति वर्ष चालू किए जा रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की बड़ी भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए इनका संचालन करना भी कठिन हो जाता है।

6. अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि दूरियों को मापने के लिए देश को 321 लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्रों में बांट दिया जाए जो गौण स्विचन क्षेत्रों के अनुषंगी हैं जिससे प्रसानिक इकाई बनती हैं :—

(i) लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्रों के अन्तर्गत सामान्यतया एक अथवा दो राजस्व जिले शामिल होते हैं।

(ii) प्रत्येक लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्र को पुन: अनेक कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिनके अन्तर्गत सामान्यतया यथास्थिति एक अथवा दो तहसीलें शामिल होती है। प्रत्येक कम दूरी प्रभारण क्षेत्र का क्षेत्रफल 500 से 2000 वर्ग कि० मी० के बीच हैं। कुछ अपवादों, विशेषकर उत्तर पूर्व के बिना आबादी वाले क्षेत्रों को छोड़कर कुल 2,570 कम दूरी प्रभारण क्षेत्र होंगे।

संशोधित प्रभारण योजना

7. इस समय ग्रामीण उपभोक्ताओं को मुख्यत: पड़ौसी एक्सचेंजों से बात करने के लिए मैनुअल ट्रंक सेवा पर निर्भर रहना पड़ता हैं। यहां तक कि उन्हें पड़ौसी एक्सचेंज से बात करने के लिए ट्रंक काल प्रभार की अदा करने पड़ते हैं जो दूरी के साथ-साथ बढ़ते हैं और ये प्रभार अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। ग्रुप डायलिंग सुविधा की व्यवस्था से उनके लिए अब उसी कम दूरी प्रभारण क्षेत्र में बिना आपरेटर की सहायता के उपभोक्ताओं को सीधे डायल करना सम्भव हो जायेगा। कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र के भीतर सीधे डायलिंग सुविधा के लिए 0 से 20 कि० मी० स्लैब या इससे अधिक की किसी दूरी को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक 3 मिनट (रुपये 1) की एक काल यूनिट के प्रभारों में छूट दी जायेगी।

7.2. यद्यपि इस प्रस्ताव से विभाग को काफी नुकसान होगा, तथापि यह आशा की जाती है कि दूरसंचार नेटवर्क में वृद्धि होने से भविष्य में इस नुकसान की प्रतिपूर्ति हो जाएगी। तथापि 0-20 कि० मी० की दूरी के लिए 3 मिनट की अवधि की एक कॉल यूनिट हेतु मैनुअल ट्रंक काल प्रभारों में 2 रु० से 5 रु० तक संसोधन करने का प्रस्ताव है जो कम दूरी प्रभारण क्षेत्र के भीतर और बाहर एक समान रूप से लागू होंगे।

8. कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र के बाहर की गई काल के सम्बन्ध में उस क्षेत्र के केन्द्र के आसपास के एक एक्सचेंज विशेष को प्रत्येक कम दूरी प्रभारण क्षेत्र के लिए कम दूरी प्रभारण केन्द्र के रूप में और इसी प्रकार प्रत्येक लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्र के लिए लम्बी दूरी प्रभारण केन्द्र के रूप में अभिज्ञात किया जाएगा। कम दूरी प्रभारण क्षेत्र से बाहर की गई कालों के लिए प्रभार निम्नलिखित के बीच मापित दूरी के अनुसार शासित होगा :—

(क) एक ही अथवा संलग्न लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्र में अवस्थित कम दूरी के प्रभारण क्षेत्रों के सम्बन्ध में कम दूरी प्रभारण केन्द्र से कम दूरी प्रभारण केन्द्र के बीच।

(ख) अन्य सभी मामलों में लम्बी दूरी प्रभारण केन्द्र से लम्बी दूरी प्रभारण केन्द्र के बीच।

9. एक ही कम दूरी प्रभारण केन्द्र के भीतर कालें "0" लैबल से भिन्न लैबल पर उपलब्ध होंगी (जो राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग का कोड है) ताकि एस० टी० डी० सुविधा से वंचित उपभोक्ता से सीधी डायल कर सकेंगे।

10. **परिधीय कस्बों को कालें** :

संशोधित प्रभारण योजना के साथ-साथ एक स्कीम शुरू करने का भी प्रस्ताव है जिसके जरिये, एक दूसरे के आसपास स्थित और एक सीमा वाले दो टेलीफोन प्रणालियों के उपभोक्ता कम दर पर अपनी कालें सीधे डायल कर सकेंगे। बड़े कस्बों की परिधि के आस-पास उपग्रह से जुड़े छोटे कस्बों के लिए यह योजना विशेष रूप से लाभदायक होगी और यह आशा की जाती है

कि कम शुल्क दर के कारण बड़े शहरों की जनसंख्या का पलायन आस-पास के छोटे स्थानों की ओर होने लगेगा। ये कालें, भले ही दूरी कितनी ही हो, प्रत्येक 3 मिनट के लिए एक काल यूनिट की दर पर मीटर में भी दर्ज होंगी। एस० टी० डी० वंचित उपभोक्ता भी इस सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे।

11. **स्थानीय कालों की मल्टी मीटरिंग**

स्थानीय कालों के लिए भी, विशेषत:, बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में पल्स मीटरिंग की शुरूआत करने की आवश्यकता पर कुछ समय से सरकार का ध्यान गया है। ऐसी प्रणाली विश्व के कम से कम 30 देशों में विद्यमान है। सदस्यगण इस प्रस्ताव पर प्रश्न-काल के दौरान दोनों सदनों में किये गये विचार-विमर्श से अवगत होंगे। सदस्यों, जनता, उपभोक्ता संगठनों और वाणिज्य मंडल आदि से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। संचार मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति ने भी इस प्रस्ताव पर विचार किया और 5 मिनट की अवधि की एक काल यूनिट की पल्स मीटरिंग की सिफारिश की। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 30,000 लाइनों से अधिक क्षमता की सभी प्रणालियों में स्थानीय कालें, 5 मिनट की अवधि वाली एक काल यूनिट की दर से मीटर में दर्ज की जायेंगी। इस समय केवल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में ही इस व्यवस्था की शुरूआत करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है।

11.2. नेटवर्क का संकुलन कम करने की दृष्टि से स्थानीय कालों के लिए समय-सीमा शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि अधिक कालें पूरी की जा सकें। यद्यपि, ऐसी जानकारी है कि अधिकांश उपभोक्ता अपनी बातचीत को 3 मिनट या इससे कम समय में पूरी कर लेते हैं तथापि व्यावसायिक उपभोक्ता, जिनके पास फैक्स मशीनें और कम्प्यूटर हैं, ये आंकड़े पारेषित करने के लिए स्थानीय लाइनों को काफी लम्बे समय तक इस्तेमाल करते हैं। सरकार इस बात को उचित मानती है कि लम्बी अवधि के लिए लाइनों को इस्तेमाल न करने वाले सामान्य उपभोक्ताओं की तुलना में ऐसे उपभोक्ताओं से अधिक प्रभार वसूल किया जाए। यह आशा की जाती है कि सामान्यत: उपभोक्ता अपनी कालें, निर्धारित की जा रही 5 मिनट की अवधि तक सीमित रखेंगे और इससे बेहतर काल पूर्णता दर सुनिश्चित होगी तथा नेटवर्क की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

12. उपर्युक्त सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने से पूर्व पर्याप्त तकनीकी तैयारियों की आवश्यकता होती है। यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक दूरसंचार सर्किल, जब भी वे तकनीकी व्यवस्था पूरी कर लें, लेकिन हर स्थिति 31-8-92 से पहले, इन योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे।

महाराष्ट्र में डाकघरों के लिए विभागीय भवन

3943. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिला-वार कितने डाकघर किराये के मकानों में चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो जिला-वार इस प्रयोजनार्थ चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन भवनों का निर्माण कब तक किया जायेगा;

(ङ) इन पर कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(च) वर्ष 1992-93 के दौरान इस सम्बन्ध में जिला-वार निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण "I" में दी गई है।

(ख) किराए के भवनों में कार्य कर रहे सभी डाकघरों के लिए विभागीय भवन बनाने का विभाग का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विभागीय भवन चयनात्मक आधार पर बनाये जायेंगे बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध रहे।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण "II" में दिया गया है।

(घ) जो परियोजनायें अभी योजना स्तर पर हैं, उनका निर्माण कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने की सम्भावना है।

(ङ) इस स्थिति में प्रश्न नहीं उठता।

(च) ब्यौरा संलग्न विवरण "III" में दिया गया है।

विवरण-I

महाराष्ट्र में किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की जिलावार संख्या

1.	कोल्हापुर	81
2.	रत्नागिरि	74
3.	सांगली	74
4.	सिंधुदुर्ग	54
5.	अहमदनगर	81
6.	पुणे	149
7.	सतारा	84
8.	शोलापुर	84
9.	बम्बई	253
10.	रैगद	40
11.	थाणे	94
12.	औरंगाबाद	47
13.	बीड	27
14.	धुले	49

15.	जलगांव	89
16.	जालना	18
17.	लातुर	22
18.	नांदेड़	42
19.	नासिक	77
20.	ओस्मानाबाद	23
21.	परभनी	21
22.	अमरावती	44
23.	अकोला	37
24.	भंडारा	29
25.	बुलदाना	30
26.	चन्द्रपुर	30
27.	गढ़चिरोली	13
28.	नागपुर	103
29.	वर्धा	24
30.	यवतमाल	39
	कुल सं०	1832

विवरण-II

डाकघर भवनों के निर्माण के उद्देश्य से चुने गए स्थानों का जिलावार ब्यौरा

1. कोल्हापुर	(1) जयसिंहपुर
2. रत्नागिरी	(1) खेड़, (2) हरनई, (3) राजापुर
3. सांगली	(1) मिराज प्रधान डाकघर, (2) वलवा
4. सिन्धुदुर्ग	(1) कंकावाली, (2) तलेरा
5. अहमद नगर	शून्य
6. पुणे	(1) पिम्परी, (2) येरवाड़ा, (3) सन्त तुकाराम नगर, (4) पुणे में अंध आर० एम० एस० विश्राम गृह, (5) अलंदी (देवाची), (6) पिम्परी कॉलोनी, (7) सासवाड़ इन्द्रापुर
7. सतारा	(1) लोरगांव, (2) कराड, (3) लोनन्द, (4) फलतान
8. शोलापुर	(1) मंगल वेधा

9. बम्बई	(1) डी०एन० नगर, (2) आजाद नगर, (3) टैगोर नगर, (4) कंडीवली इंस्ट्रियल एरिया, (5) कंडीवली (ईस्ट पायसर) (6) चरको, (7) बांद्रा वेस्ट, (8) बांद्रा ईस्ट, (9) बायकुल्ला एस०टी०जी०, (10) अपोलो पीयर, (11) लोखण्डवाला कम्पलैक्स, (12) सिद्धार्थ नगर ए० पी० एस० ओ० स्टेज II विदेश डाकघर, (13) उनन्त नगर, (14) कन्नामवर नगर
10. रायगढ़	(1) रसायनी
11. थाणे	(1) थाणे आर०एस०, (2) विष्णु नगर (डम्बीवली), (3) वशी, (4) नेरूल नोडे, (5) एयरोली डी० बी० डी०, (6) बेलापुर, (7) तारापुर ऑटोमैटिक पावर प्रोजैक्ट, (8) वर्तक नगर, (9) मीरा रोड
12. धूले	(1) धूले डाकघर
13. जलगांव	(1) जलगांव प्रधान डाकघर
14. जालना	(1) जालना प्रधान डाकघर
15. लातुर	(1) लातुर प्रधान डाकघर अहमदपुर
16. नांदेड़	(1) नांदेड़ प्रधान डाकघर लोहा
17. नासिक	(1) घोटी, (2) मनमाड़
18. ओस्मनाबाद	(1) ओस्मनाबाद, (2) ढोकी
19. अमरावती	(1) धमानगांव, (2) मोर्सी, (3) रंजनगांव, (4) करंजगांव, (5) कलमेश्वर, (6) धममौन आर०एस०, (7) परतवाड़ा
20. अकोला	(1) रिशोद, (2) बारसी तकली, (3) जलगांव, (4) जामुद, (5) वशीम, (6) पतुर
21. भण्डारा	(1) गोंदिया, (2) नरसोपन्त, (3) साओनेर, (4) सकोली, (5) पौनी रीकंस्ट्रक्शन
22. बुलडाना	(1) खमगांव, (2) बुलडाना का नये सिरे से निर्माण
23. चन्द्रपुर	(1) मूल, (2) बल्लारपुर एक्सटेंशन, (3) ब्रह्मपुरी, (4) वरूरा, (5) चन्द्रपुर एक्सटेंशन
24. गढ़चिरोली	(1) गढ़चिरोली, (2) सिरोंचा
25. नागपुर	(1) कस्तूरचन्द पार्क डाकघर, (2) एम० एम० एस० बिल्डिंग नागपुर, (3) शंकर नगर, (4) कामठी, (5) पोस्टल स्टोर डिपो नागपुर एनेक्सी बिल्डिंग नागपुर, (6) कटोल, (7) उराना सी० टी० ओ० कम्पाउंड नागपुर में सिंधी शक्करदारा प्रशासकीय कम्पलैक्स

26. वर्धा	(1) वर्धा प्रधान डाकघर एक्सटेंशन
27. यवतमाल	(1) वाणी, (2) बाभुलगांव, (3) उमेरखेड़, (4) यवतमाल प्रधान डाकघर, (5) नंदौन काजी

विवरण-III

1992-93 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा

1. गोआ क्षेत्र	(i) सांगली, (ii) मीराज
2. पुणे क्षेत्र	(i) सतारा, (ii) फलतन, (iii) पुणे, (iv) इन्दापुर
3. बम्बई क्षेत्र	(i) बम्बई, (ii) बम्बई प्रधान डाकघर का नये सिरे से निर्माण (iii) आजाद नगर, (iv) डी० एन० नगर, (v) थाणे, (vi) थाणे आर० एस०, (vii) विशनु नगर (डमविबली), (viii) वशी सेक्टर, 16-ए, (ix) नेरुल नोडे
4. आरंगाबाद क्षेत्र	(i) नादेड, (ii) लोहा
5. नागपुर क्षेत्र	(i) अमरावती, (ii) धामनगांव, (iii) अकोला, (iv) जलगांव, (v) जमोद, (vi) नागपुर, (vii) शंकर नगर डाकघर की मंजिलें बढ़ाना।

[हिन्दी]

गुजरात में विदेशी उप-डाकघर

3944. **श्री छोतूभाई गामीत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में एक विदेशी उप-डाकघर खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वह किस स्थान पर खोला जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) गुजरात राज्य में सूरत में एक विदेश उप-डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई किन्तु उपयुक्त स्थान के अभाव में इसे खोलने की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस मामले में सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

सलेम हवाई अड्डा

3945. **डा० (श्रीमती) के०एस० सौंद्रम** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलेम हवाई अड्डा कब तक चालू हो जायेगा;

(ख) इस हवाई अड्डे से किस प्रकार के विमान चलाने का विचार है;

(ग) क्या दिल्ली से सलेम तक सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सलेम हवाई अड्डा जनवरी, 1993 तक बी-737 विमान के परिचालन के लिये उपयुक्त हो जाने की आशा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

बंगलौर में न्यू स्विचिंग सिस्टम

3946. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिट एलकेट के तकनीकी सहयोग से बंगलौर टेलीफोन्स में न्यू स्विचिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो न्यू स्विचिंग सिस्टम की क्षमता कितनी है;

(ग) इस सिस्टम को लगाने पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) यह सिस्टम टेलीफोन उद्योग के लिए कहां तक लाभदायक होगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख), से (घ) उपर्युक्त भाग "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में ग्रामीण विद्युतीकरण

3947. **श्री कमल चौधरी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में ऐसे गांवों की जिलावार संख्या क्या है जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है; और

(ख) राज्य के सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पी०एस०ई०बी०) ने स्वयं मई, 1976 तक संपूर्ण राज्य को शत-प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित कर दिया था। जिलेवार गांवों की संख्या और विद्युतीकृत गांवों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

विवरण

पंजाब राज्य में ग्राम विद्युतीकरण

क्र०सं०	जिला	1981 की जनगणना के अनुसार कुल गांवों की संख्या	विद्युतीकृत गांव
1	2	3	4
1.	अमृतसर	1191	1191
2.	गुरदासपुर	1551	1551

1	2	3	4
3.	जालंधर	1226	1226
4.	कपूरथला	602	602
5.	फिरोजपुर	1119	1119
6.	होशियारपुर	1584	1584
7.	भटिंडा	520	520
8.	फरीदकोट	565	565
9.	लुधियाना	958	958
10.	पटियाला	1426	1426
11.	संगरूर	707	707
12.	रूपनगर (रोपड़)	893	393
	जोड़	12342	12342

[हिन्दी]

पर्यटकों के आगमन में कमी

3948. **श्री राजेश कुमार :**

श्री तेजनारायण सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 1991 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में कितने प्रतिशत कमी आई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 1991 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी। ऐसा मुख्यतया खाड़ी युद्ध और उसके दुष्परिणामों के कारण हुआ था।

(ग) वर्ष 1991 में पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा आय में कोई गिरावट नहीं आई थी।

[अनुवाद]

केरल में "सी-डॉट" एक्सचेंज

3949. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के टेलीफोन एक्सचेंजों में "सी-डॉट" प्रणाली स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 1992-93 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले सी-डॉट एक्सचेंज की योजना इस प्रकार है :

	एक्सचेंज का प्रकार	संख्या
1.	128/256 पोर्ट	136 यूनिटें
2.	512 पोर्ट	25 ,,
3.	1000 लाइनें	42 ,,
4.	1400 लाइनें	12 ,,
5.	4000 लाइनें एम०ए० एक्स-1	10 ,,

(पालारिवतनम में संस्थापनाधीन)

स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय प्रणाली

3950. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण रेखा बहुद्देशीय परियोजना से उड़ीसा में कुल कितने हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी;

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरे हो जाने की आशा है; और

(ग) इस परियोजना के पूरा होने पर उड़ीसा में किस सीमा तक बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकेगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस परियोजना से 190,360 हैक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गई है।

(ख) इस परियोजना को आठवीं योजना से आगे ले जाए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बाढ़ों के नियंत्रण के लिए, बिहार में चांदिल बांध में 0.375 मिलियन एकड़ फुट (463 मिलियन क्यूबिक मीटर) भण्डारण की सुविधा प्रदान की गई है।

धनादेशों की चोरी

3951. **श्री मदन लाल खुराना : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनादेश घोटाले की घटनायें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले 12 महीनों के दौरान धनादेशों के प्राप्तकर्ताओं के पास नहीं पहुंचने की कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) घोटाले को न रोकने तक धनादेशों या भारतीय नागरिकों के किसी डाक की चोरी न होना सुनिश्चित करने के लिए त्रुटि रहित उपाय न खोजने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं। तथापि, मनीआर्डरों के वितरण में विलम्ब या गैर-अदायगी के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) डाक विभाग प्रतिवर्ष औसतन 106 मिलियन मनीआर्डर का निपटान करता है जिसकी तुलना में गत 12 माह के दौरान 6619 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) डाक के उपर्युक्त पारेषण और मनीआर्डरों की अदायगी की जांच सुनिश्चित करने के लिए एक सुसंगठित मॉनीटरिंग प्रणाली पहले से ही है। मनीआर्डरों की चोरी नहीं होती, परन्तु इनका निपटान करने में मानव भूल के कारण ये यदा-कदा पारगमन के दौरान खो जाते हैं। ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ताओं/प्रेषकों को डुप्लीकेट मनीआर्डर जारी करके प्रतिपूर्ति की जाती है।

पश्चिम बंगाल की स्वीकृति सिंचाई परियोजनाएं

3952. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल के लिए स्वीकृत की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ख) इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय का कितने प्रतिशत केन्द्रीय सरकार वहन करेगी और कितने प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ?

जल संसाधन मन्त्रालय (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जुलाई, 1991 से जून, 1992 तक पिछले एक वर्ष के दौरान, किसी भी वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना को योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

(ख) सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण पूर्ण रूप से राज्य सरकारों द्वारा अपने योजना संसाधनों से किया जाता है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय प्रचार एकक

3953. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय प्रचार एककों की भूमिका तथा उन्हें उपलब्ध कराए गए संसाधनों का मूल्यांकन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) क्षेत्रीय प्रचार एककों की भूमिका तथा उन्हें उपलब्ध कराए गए संसाधनों का मूल्यांकन कराने के लिए कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया। तथापि, क्षेत्रीय प्रचार एककों के कार्यकरण और उनके लिए आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन करने के वास्ते क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इस परस्पर आदान-प्रदान से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण

3954. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) अब तक जिलेवार कितने गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है और कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है;

(ग) क्या राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में समूचे राज्य के औसत की तुलना में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति काफी धीमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(च) राज्य में कब तक सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 1992-93 के दौरान राजस्थान में 390 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के विद्युतीकृत गांव, जिनका अभी विद्युतीकरण किया जाना हैं, इन गांवों का जिलेवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर सीमावर्ती जिलों में ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य की प्रगति राज्य की सामान्य औसत से कम रही है। ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी क्रियाकलापों का जिलेवार प्राथमिकता को अंतिम रूप, योजना आयोग द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा आबंटन के अन्दर वार्षिक आधार पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिया जाता है।

(च) शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की उपलब्धि से सम्बन्धित समय-सूची, संसाधनों की उपलब्धता तथा 8वीं एवं अनुवर्ती योजना अवधियों में इस प्रयोजन हेतु वार्षिक योजना आबंटन पर निर्भर करती है।

विवरण

31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के विद्युतीकृत गांव और ऐसे गांव जिनका अभी विद्युतीकरण किया जाना है, इन गांवों का जिलावार ब्यौरा—

क्र०सं०	जिला	गांवों की संख्या	31-3-92 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	ऐसे गांव जिनका विद्युतीकरण किया जाना है
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	923	828	95
2.	अलवर	1892	1692	200

1	2	3	4	5
3.	बांसबाड़ा	1445	974	471
4.	बाड़मेर	853	650	203
5.	भरतपुर	1328	1076	252
6.	धौलपुर	538	405	133
7.	भीलबाड़ा	1512	1476	36
8.	बीकानेर	571	497	74
9.	बून्दी	783	668	115
10.	चित्तौड़गढ़	2144	1711	433
11.	चुरू	855	726	129
12.	डूंगरपुर	832	670	162
13. 14.	जयपुर दौसा	1913 793	2347	359
15.	जैसलमेर	462	114	348
16.	जालौर	602	551	51
17.	झुंझनू	689	689	शून्य
18.	झालावाड़	1444	1005	439
19.	जोधपुर	705	609	16
20. 21.	कोटा बारान	798 1045	1562	281
22.	नागौर	1223	1117	106
23	पाली	818	818	शून्य
24.	सवाई-माधोपुर	1534	1595	239
25.	सीकर	813	813	शून्य
26.	सिरोही	433	433	शून्य
27.	श्रीगंगानगर	3886	1847	2039
28.	टोंक	1017	755	262
29. 30.	उदयपुर राजसामण्ड	2178 939	2369	748
	जोड़	34968	27777	7191

रायपुर हवाई अड्डे पर विमान उतरने की सुविधायें

3955. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या **नागर विमानन पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने हवाई अड्डे हैं और उनमें से कितने हवाई अड्डे विमान उतरने के समुचित उपकरणों से सज्जित हैं;

(ख) क्या विमान उतरने के समुचित उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण इण्डियन एयरलाइंस के विमान और एयरबस प्राय रायपुर नहीं उतरते;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यहां पर आवश्यक सुविधायें कब तक उपलब्ध कराये जाने का विचार है;

(घ) क्या रायपुर हवाई अड्डे के स्वागत कक्ष को बड़ा करने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) देश में इस समय 92 सिविलियन हवाई अड्डे हैं। सभी हवाई अड्डे अपेक्षित दिक्चालन सुविधाओं से पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की आठवीं पंचवर्षीय योजना में रायपुर पर टर्मिनल भवन के विस्तार की योजना है।

लेह के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानें

3956. **श्री गुरुदास कामत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह के लिए इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में किए गए या किए जाने वाले वैकल्पिक प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को दिए गए लाभों में विसंगति

3957. **श्री मोहन रावले : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को दिए गए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो एक सार्वजनिक उपक्रम भी है के कर्मचारियों को दिए गए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दो उपक्रमों में दिए गए लाभों में कोई विसंगति है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) विदेश संचार निगम लिमिटेड कर्मचारी वही वेतन और भत्ता जैसे महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि ले रहे हैं जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुमत्य हैं और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के बराबर हैं। 2-1-90 के विदेश संचार निगम में उनके स्थायी आमेलन पर उन्हें एक वेतन वृद्धि और प्रोत्साहन के रूप में एक मुश्त राशि का लाभ दिया गया था। उनको सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में यथा अनुमत्य कतिपय छोटे-मोटे अनुलाभ भी दिए गए हैं जैसे वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर, छुट्टी यात्रा रियायत के बदले नकद भुगतान, व्यावसायिक निकायों में सदस्यता शुल्क को प्रतिपूर्ति, वाहन भत्ता आदि, जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्ग निर्देशनों में उल्लिखित है।

(ख) महानगर टेलीफोन के निगम के लगभग सभी कर्मचारियों (निगमित कार्यालय में कार्यरत कुछेक कर्मचारियों को छोड़कर) को दूरसंचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के रूप में माना जाता है। ये अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यथा अनुमत्य वेतन और भत्तों एवं अन्य अनुलाभ पाने के हकदार हैं। तथापि, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों को प्रति माह 100 रुपये का तदर्थ भुगतान मंजूर किया गया है।

(ग) और (घ) इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा लिए जा रहे वेतन और भत्तों में कोई असमानता नहीं है। तथापि, इन दोनों संगठनों के कर्मचारियों को उपलब्ध छोटे-मोटे अनुलाभों में कुछ अन्तर है। इसका मुख्य कारण यह है कि विदेश संचार निगम में कार्यरत कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी रूप से आमेलित हो गए हैं, जबकि महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारी अभी भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और उन्हें इस कम्पनी में प्रतिनियुक्ति पर तैनात माना गया है।

(ङ) महानगर टेलीफोन निगम सहित दूरसंचार विभाग के संगठनात्मक ढांचे की दिसम्बर, 1990 में सरकार द्वारा गठित अत्रेय समिति को सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षा की जा रही है। महानगर टेलीफोन निगम में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्थायी आमेलन का प्रश्न अत्रेय समिति की रिपोर्ट के अन्तिम परिणाम के लाभ अवियोज्य रूप से जुड़ा हुआ है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा विदेशी फिल्मों का आयात

3958. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने जनवरी से मई, 1992 के दौरान भारत में बिक्री,

वितरण और प्रदर्शन के लिए वीडियो अधिकार सहित तथा बिना वीडियो अधिकार प्राप्ति के कितनी विदेशी फिल्मों का आयात किया था;

(ख) आयात की गई प्रत्येक फिल्म तथा देश का नाम और प्रत्येक फिल्म पर रायल्टी, प्रिन्टों की कीमत और प्रचार तथा सीमा शुल्क के रूप में कितना धन खर्च किया गया;

(ग) देश भर में इन फिल्मों के विक्रय, वितरण और प्रदर्शन में कितना धन अर्जित किया गया; और

(घ) देश भर में इन फिल्मों के वीडियो अधिकारों के विक्रय, वितरण और प्रदर्शन से कितना धन अर्जित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा जनवरी, 1992 से मई, 1992 की अवधि के दौरान भारत में बेचने, वितरित करने तथा प्रदर्शन के लिए वीडियो अधिकारों सहित तथा वीडियो अधिकारों के बिना आयात की गई विदेशी फिल्मों की संख्या 10 थी।

(ख) से (घ) ब्यौरा नीचे दिया गया है।

	फिल्म का नाम	जिस देश के आयात की गई	रायल्टी प्रिंटों की लागत, सीमा शुल्क, प्रचार आदि पर हुआ व्यय (रु० लाख में)	भारत में फिल्मों को बेचने, वितरित करने तथा प्रदर्शित करने से प्राप्त हुई राशि रु० लाख में)	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से वीडियो अधिकारों की बिक्री, वितरण तथा प्रदर्शन से प्राप्त राशि (रु० लाख में)
	1	2	3	4	5
1.	दि स्विचिंग चैनल	ग्रेट ब्रिटेन	8.37	0.39	0.50
2.	रा डील	फ्रांस	10.64	5.35	0.60
3.	स्टीलेटो	फ्रांस	6.17	जारी नहीं हुई	—
4.	वीक एण्ड विद केट	ग्रेट ब्रिटेन	4.11	5.25	—
5.	लोनली इन अमरीका	संयुक्त राज्य अमरीका	3.96	0.36	—
6.	शार्ट टाईम	ग्रेट ब्रिटेन	6.10	जारी नहीं हुई	—
7.	मार्शल ला	संयुक्त राज्य अमरीका	4.19	-तथैव-	—

1	2	3	4	5
8. बुल्स आई	ग्रेट ब्रिटेन	6.01	जारी नहीं हुई	—
9. गेलेक्सीना (पुनः जारी)	संयुक्त राज्य अमरीका	3.72	-तथैव-	—
10. अफ्रीका सफारी	संयुक्त राज्य अमरीका	3.87	-तथैव-	1.20

टिप्पणी :—उपर्युक्त फिल्मों के अलावा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने घरेलू वीडियो अधिकारों के लिए 9 वीडियो फिल्में आयात कीं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	नाम	देश	रायल्टी तथा अन्य व्यय (रु० लाख में)	आय
1.	प्रिक एंजेल्स	संयुक्त राज्य अमरीका	0.69	जारी नहीं हुई
2.	ब्लड मैनिया	-तथैव-	0.69	-तथैव-
3.	चेन गेंग वूमन	-तथैव-	0.69	-तथैव-
4.	दि वाइल्ड राइडर्स	-तथैव-	0.69	-तथैव-
5.	दि यंग ग्रेजुएट्स	-तथैव-	0.69	-तथैव-
6.	डेथ रो गेम शो	-तथैव-	0.69	-तथैव-
7.	दि वरलिन आफ सेंट फ्रांसिस हाई	-तथैव-	0.69	-तथैव-
8.	शांति	-तथैव-	0.69	-तथैव-
9.	स्टेप मदर	-तथैव-	0.69	-तथैव-

[हिन्दी]

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों की संवर्ग पुनरीक्षा

3959. **श्री मृत्युंजय नायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के सभी संवर्गों की पुनरीक्षा करने के लिये गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) समिति का गठन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा किया गया है। अतः उसके लिये सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के शोलापुर के आसपास टेलीफोन

3960. **श्री धर्मण्णा मोंडय्यासादुल :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 तक इसके परवर्ती वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के शोलापुर शहर में और इसके आसपास टेलीफोन विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) जून, 1992 के अन्त तक इस सर्किल में टेलीफोन की उपलब्धता तथा मांग में क्या अन्तर था; और

(ग) 1992-93 के दौरान इस अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने वाले हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) महाराष्ट्र के शोलापुर शहर में 1992-93 के दौरान टेलीफोन के लिए विस्तार/अतिरिक्त क्षमता के माध्यम से 2496 लाइनों तक निबल वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बाद के दो वर्षों अर्थात् 1993-94 और 1994-95 के लिए प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

1993-94

1. शोलापुर में 1 के डिजिटल की योजना है।
2. 20 छोटे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चालू करने की योजना है।
3. तीन मध्यम आकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चालू करने की योजना है।

1994-95

1. शोलापुर में 4 के आर एल यू की योजना है बशर्ते कि आई टी आई से सप्लाई मिल सके।
2. टेलीफोनों की मांग के अनुरूप अन्य छोटे एक्सचेंजों का भी विस्तार किया जाएगा।

(ख) 30-6-92 को महाराष्ट्र सर्किल में टेलीफोनों की मांग और उपलब्धता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

सर्किल की कुल सज्जित क्षमता	=	5,23,839
चालू कनेक्शन	=	4,44,024
प्रतीक्षा सूची	=	2,37,978

(ग) आठवीं योजना के उद्देश्य के बतौर प्रतीक्षा सूची की अवधि घटाकर औसतन दो वर्ष करने की योजना है। महाराष्ट्र सर्किल में 1992-93 के दौरान 46,000 से अधिक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है ताकि इस अन्तर को कम किया जा सके।

पंजाब में चालू परियोजनायें और बांध

3961. **श्री मोहन सिंह देवरिया** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कुछ चालू सिचाई परियोजनाओं और बांधों का निर्माण कार्य निर्धारित समय से पीछे हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रणजीत सागर बांध परियोजना सतलुज यमुना लिंक भाग-एक (पंजाब हिस्से में मुख्य सतलुज यमुना लिंक नहर), सतलुज यमुना लिंक भाग-दो (सतलुज यमुना लिंक पर विद्युत गृह) और सतलुज लिंक भाग-तीन (पंजाब में सिंचाई क्षेत्र के लिए) समय अनुसूची से पीछे है ।

(ख) से (घ) (i) **रणजीत सागर बांध परियोजना** : इस परियोजना पर कार्य मूल रूप से 1992-93 तक पूरा हो जाना था । यद्यपि, यह समय अनुसूची सितम्बर, 1989 में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण बिगड़ गयी थी जिससे निर्माण अनुसूची को संशोधित करना आवश्यक हो गया था । संशोधित समय-अनुसूची के अनुसार पहले विद्युत यूनिट के सितम्बर, 1997 तक चालू किए जाने की योजना है । सिविल कार्यों पर दिसम्बर, 1988 तक (बाढ़ समाप्त होते ही) लागत 1125 करोड़ रुपए थी और 1990-91 की लागत स्तर पर लागत अनुमान 1386 करोड़ रुपए है और लागत में वृद्धि का कारण मूल्यों में वृद्धि, कार्य की मात्रा तथा क्षेत्र में परिवर्तन और नए प्रावधान हैं ।

(ii) **सतलुज यमुना लिंक भाग-1, सतलुज यमुना भाग-दो तथा सतलुज यमुना भाग-तीन परियोजनायें** : परियोजना के मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता को मार डालने के कारण इन परियोजनाओं पर निर्माण रुक गया था । इन परियोजनाओं को पूरा करने की समय अनुसूची तथा लागत में वृद्धि की मात्रा पंजाब सरकार द्वारा लगाए जाने वाली नई एजेन्सी/एजेन्सियों की प्रवृत्ति तथा क्षमता पर निर्भर करेगा ।

बिहार में जल विद्युत संयंत्र

3962. **श्री सूर्यनारायण यादव** : क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में नदियों पर कुछ जल विद्युत संयंत्र लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो 1992 में स्थापित किए जाने वाले ऐसे संयंत्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) बिहार की

विभिन्न नदियों पर कुल 767 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाली निम्नलिखित छ: जल विद्युत परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं । इसमें से पूर्वी गण्डक नहर तथा सोन पश्चिमी नहर जल विद्युत परियोजनाओं को 1992-93 के दौरान चालू कर दिए जाने की प्रत्याशा की गई है :—

कम सं०	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे० वा०)	चालू किए जाने का कार्यक्रम
1.	कोयलकारो (एनएसपीसी)	710	1998-2000
2.	उत्तरी कोयल	24	1993-94
3.	पूर्वी गण्डक नहर	15	1992-93
4.	सोन पश्चिमी नहर	6.6	1992-93
5.	सोन पूर्वी नहर	3.3	1993-94
6.	चान्डील	8	1994-95

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विद्युत संयंत्रों से बिजली की सप्लाई में मध्य प्रदेश का हिस्सा

3963. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा मध्य प्रदेश के कोरबा तथा विन्ध्याचल में स्थापित ताप विद्युत संयंत्रों से बिजली की सप्लाई में उस राज्य का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को इन दो ताप विद्युत संयंहों से बिजली का उचित हिस्सा नहीं दे रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कोरबा और विन्ध्याचल ताप विद्युत संयंत्रों से मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एन०टी०पी०टी० के केन्द्रीय क्षेत्र कोरबा एवं विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्रों में मध्य प्रदेश का आबंटित हिस्सा निम्नानुसार है :—

कोरबा सु०वा०बि० केन्द्र (2130 मे०वा०)	20 प्रतिशत
विन्ध्याचल सु०वा०वि० केन्द्र (1230 मे०वा०)	30.6 प्रतिशत

इसके अलावा, भारत एल्युमिनियम (टालको), राऊरकेला इस्पात संयंत्र, दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ शामिल क्षेत्रों को कोरबा सु०वा०वि० केन्द्र से 83 मे०वा० के विशिष्ट आबंटन की गणना करने के बाद पश्चिमी क्षेत्र के संघटकों में सापेक्ष प्रतिशत कमी के

आधार पर केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों के 15 प्रतिशत अनाबंटित हिस्सों में से भी मध्य प्रदेश को सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में, अनाबंटित विद्युत उत्पादन का 40 प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश को आबंटित किया गया है ।

अप्रैल-जून, 1992 के दौरान, कोरबा/विन्ध्याचल सु०वा०वि० केन्द्रों में 1603.9 मि०यू०, हकदारी, आबंटित एवं अनाबंटित हिस्सा, की तुलना में मध्य प्रदेश द्वारा विद्युत की वास्तविक प्राप्ति 2041.7 मि०यू० थी। इस प्रकार मध्य प्रदेश द्वारा अपनी हकदारी की तुलना में कुल मिलाकर 437.8 मि०यू० अधिक विद्युत प्राप्त की गई।

उड़ीसा में सोना-प्लेटिनम और रेडियो-एक्टिव पदार्थों के भण्डार

3964. **डा० कृपासिंधु भोई : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सोना, प्लेटिनम और रेडियो-एक्टिव पदार्थों के बड़े भण्डार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में ग्रेनाइट के स्रोतों का भी पता लगा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनका उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) उड़ीसा में कोई विशाल निक्षेप नहीं हैं, किन्तु सोने और प्लेटिनम के केवल संकेत मिले हैं। गोपालपुर और छतरपुर के बीच बालू निक्षेपों में इल्मेनाइट, रूटाइल और जिरकान जैसे भारी खनिज मिलने की भी सूचना है, किन्तु उनका जमाव केवल 20-25 प्रतिशत है ।

(ग) और (घ) इस राज्य में ग्रेनाइट निक्षेपों का पता चला है। इन निपेक्षों की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया है। हाल ही में उड़ीसा के जयपुर में एक ग्रेनाइट खनन और शोधन यूनिट स्थापित की गई है।

मुम्बई-धुले आप्टिकल फाइबर लाइन

3965. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-धुले आप्टिकल फाइबर लाइन को दिसम्बर, 1991 के आसपास बिछाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसे चालू न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इसे चालू न करने से कितने राजस्व की हानि हुई है;

(घ) क्या आप्टिकल फाइबर लाइन की खुदाई और बिछाने का कार्य जिस प्राइवेट पार्टी को सौंपा गया था, उसे संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो विभाग द्वारा एक भी लाइन न बिछाये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं तो ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उनसे कितनी धन-राशि वसूल की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) मार्च, 1991 में बम्बई-धुले आप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई गई थी।

(ख) सामान्य कारणों और कृन्तक खतरे को देखते हुए संस्थापना के दौरान केबिलों के बार-बार खराब हो जाने की वजह से आप्टिकल फाइबर प्रणाली चालू नहीं की जा सकी थी। उपचारात्मक कार्रवाई कर ली गई है और आशा है कि अब यह प्रणाली अक्तूबर, 1992 तक चालू हो जाएगी।

(ग) जैसा कि इस मामले में हुआ, कई बार अप्रत्याशित दोषों के कारण परियोजना पूरी होने में विलम्ब हो जाता है। इस प्रणाली के जरिए जिन अन्य पूंजीगत परिसम्पत्तियों को जोड़े जाने की सम्भावना थी उनका प्रभावी रूप से उपयोग किया गया। अतः राजस्व की कोई हानि नहीं हुई।

(घ) और (ङ) जी हां। कई निजी पार्टियों को यह कार्य सौंपा गया था। संविदा सम्बन्धी बाध्यताओं के अनुसार निजी पार्टियों ने एचडीपीई पाइपों की खुदाई और उन्हें बिछाने का कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा कर दिया है। तत्पश्चात बिछाए गए आप्टिकल फाइबर को ऊपर भाग (ख) में उल्लिखित कारणों से चालू नहीं किया जा सका।

(च) ऊपर (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र में विस्तार

3966. **श्री एम०जे० राठवा :**
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र में विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन ट्रांसमीटरों पर कितना खर्च किये जाने की संभावना है; और

(घ) इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित स्थानों पर रेडियो/टी०वी० ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाई जा रही है :—

आकाशवाणी

शिमला, श्रीनगर, जम्मू, कोहिमा, बीकानेर, लखनऊ (2), इलाहाबाद, कलकत्ता (2) तथा कुर्सियांग

टी०वी०

भुज, लेह, बाड़मेर, जैसलमेर, फाजिल्का, लुंगलेई, गंगटोक और रामेश्वरम्

(ग) आकाशवाणी —20.83 करोड़ रुपये

दूरदर्शन —11.45 करोड़ रुपये

(घ) साधनों की उपलब्धता को देखते हुए स्थापित की जा रही/पारकल्पित विभिन्न ट्रांसमीटर परियोजनाओं के चालू हो जाने से सीमावर्ती जिलों की जनसंख्यावार कवरेज इतनी हो जाएगी :—

आकाशवाणी 95-100 प्रतिशत

दूरदर्शन 88 प्रतिशत

(जनसंख्या के इन आंकड़ों में किनारे के उन क्षेत्रों की वह जनसंख्या भी शामिल है, जहां संतोषजनक रिसेप्शन प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीने और बूस्टर लगाने की जरूरत होती है।)

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में छोटी और बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं

3967. **श्री सोभनाद्रीश्वर रावत : क्या विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में छोटी और बड़ी कितनी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं; कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और कितनी परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) निर्माणाधीन परियोजनाओं और निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) आन्ध्र प्रदेश में कुल मिलाकर 2559 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता वाली तेरह लघु एवं वृहत जल विद्युत परियोजनाओं का पहले ही निर्माण किया जा चुका है और ये प्रचालनाधीन हैं, 1109 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता की छः जल विद्युत परियोजनाएं इस समय निर्माणाधीन हैं तथा 254 मेगावाट की तीन जल विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। कुल मिलाकर 198 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता की दो जल विद्युत परियोजनाएं तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई हैं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की सूची अनुबन्ध में दी गई है। दो जल विद्युत परियोजनाएं अर्थात् नागार्जुनसागर टेल पूल बांध विद्युत घर (50 मेगावाट) और लोअर जुराला जल विद्युत परियोजना (147.6 मेगावाट) जो कि तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किए जाने के लिए प्राप्त हुई हैं, ये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं केन्द्रीय जल आयोग में जांच की अग्रिम अवस्था में हैं।

विवरण

आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन लघु एवं वृहत जल विद्युत परियोजनाएं और निर्माण के लिए प्रस्तावित परियोजनाएं

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)	चालू किए जाने की सम्भावित तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
विद्युत स्कीमें				
1.	पेन्ना उलेब्लिम	2 × 10 = 20	1992-93	विद्युत घर सम्बन्धी कार्य प्राय: पूरे हो गए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे बांध के सिविल कार्य प्रगति की गति धीमी है। बांध को समयानुसार पूरा किए जाने की स्थिति नाजुक है।
2.	अपर तिलेरू चरण-2	2 × 60 = 120	1993-94	टर्बाइनें प्राप्त कर ली गई हैं और जेनरेटर्स के लिए भेल को आर्डर दे दिया गया है। मशीन नींव संबंधी कंक्रीट कार्य प्रगति पर हैं। मेन स्टाक का उत्थापन सम्बन्धी कार्य भी प्रगति पर है।
3.	श्रीशैलम बायांतट विद्युत घर	6 × 150 = 900	1996-99	कुछेक सिविल कार्यों को छोड़कर सभी वृहत् सिविल कार्यों के ठेके दे दिए गए हैं। मोटर जेनेरेटर और पम्प टर्बाइन के लिए भी आर्डर दे दिए गए हैं। पम्प टर्बाइन के माडल टेस्ट का कार्य भी पूरा कर लिया गया है।

1	2	3	4	5
4.	बलीभेला में ए०पी० पॉवर हाऊस	2 × 30 = 60	1997-98	अवसंरचनात्मक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। सिविल कार्यों के लिए ठेका पहले ही दिया जा चुका है। टी०जी० सैट प्राप्त कर लिया गया है। उड़ीसा के साथ अन्तर्राज्यीय विवाद निहित होने के कारण विद्युत घर का खुदाई कार्य रोक दिया गया है।
5.	गुन्टुर ब्रांच नहर	2 × 2 = 4	1995-96	निजी क्षेत्र में हाथ में लिए जाने के लिए स्कीम पर विचार किया जा रहा है।
6.	गुन्टुर ब्रांच नहर	2 × 2.25 = 4.5	1995-96	—वही—
	उपजोड़	1108.5		
विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत स्कीमें				
7.	सिंगुर	2 × 7.5 = 15	1995-96	निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए स्कीम प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है। स्कीम को पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी है।
8.	जलापुट बांध (ए०पी०/उड़ीसा)	3 × 6 = 18	1997-98	उड़ीसा के साथ अन्तर्राज्यीय विवाद का समाधान किया जाना है।
9.	प्रियदर्शिनी जुराला	6 × 36.9 = 221.4	2000-2002	स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 19-3-92 को स्वीकृत कर दिया गया है बशर्ते पर्यावरण एवं वन मंत्रालय स्वीकृति प्रदान कर दे।
	उपजोड़	254.4		
	जोड़	1362.9		

संथालडीह विद्युत स्टेशन का नवीकरण

3968. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 4 × 120 मेगावाट संथालडीह विद्युत स्टेशन के चरण-2 के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण की अभी तक स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस हेतु स्वीकृति कब तक दी जाएगी ?

विद्युत् मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के संथालडीह ताप विद्युत् केन्द्र (4 × 120) मेगावाट के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण किए जाने संबंधी 12.77 करोड़ रुपए की अनुमानित लागतों वाले प्रस्ताव को नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम फेस-2 के अन्तर्गत अनुमोदन दे दिया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम द्वारा अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली

3969. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम (एन०टी०पी०सी०) ने देश में विद्युत् प्रणाली के विकास हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राज्यीय पारेषण की स्थापना करना एन०टी०पी०सी० के विकास कार्यक्रम का अंग है;

(घ) यदि हां, तो अन्तर्राज्यीय पारेषण की स्थापना किन राज्यों में करने का विचार है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत् मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन०टी०पी०सी०) द्वारा अपनी विद्युत् उत्पादन परियोजनाओं से प्राप्त विद्युत् का भार केन्द्रों पर निष्क्रमण करने के लिए 400 के०पी०, 220 के०वी एवं एच०वी०डी०सी० पारेषण लाइनों सहित देश में एक उपयुक्त ई०एच०वी० पारेषण नेटवर्क की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। इन पारेषण लाइनों का प्रबन्धन कार्य नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन (एन०पी०टी०सी०) जिसे देश में पारेषण प्रणाली के विकास को तेज करने हेतु सरकार द्वारा अक्तूबर, 1989 में स्थापित किया गया था, द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है।

(ख) विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र पारेषण लाइनों का ब्यौरा निम्नानुसार है—

400 के० वी०	—	17922 सर्किट कि०मी०
220 के० वी०	—	5272 सर्किट कि०मी०
एच०वी०डी० बाइपोल (+500 के०वी०)	—	817 सर्किट कि०मी०
एच०वी०डी०सी० बैक-टू-बैक	—	2 × 250 मेगावाट

(ग) से (ङ) केन्द्रीय क्षेत्र की पारेषण लाइनों का निर्माण, राष्ट्रीय ग्रिड के एक भाग के रूप में किया गया है। ये लाइनें राज्यों एवं क्षेत्रों की सीमाओं से गुजरती हैं।

विद्युत् उत्पादन के लिए विश्व बैंक का ऋण

3970. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक देश में विद्युत् उत्पादन के विकास हेतु ऋण देने के लिए राजी हो गया है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह ऋण कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत् मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अतिरिक्त विद्युत् परियोजनाओं का वित्तपोषण किए जाने के सम्बन्ध में विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

केरल के अस्पतालों में टेलीफोन सुविधा

3971. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सभी अस्पतालों को टेलीफोन सुविधा दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) टेलीफोन सुविधा कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। केरल में सभी बड़े और जिला चिकित्सालयों को मुफ्त टेलीफोन सेवा प्रदान कर दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खान ब्यूरो

3972. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खनन क्षेत्र में कार्यरत लघु उद्यमियों की ओर से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उन्हें भारतीय खान ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों से सम्पर्क करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं कि भारतीय खान ब्यूरो के कार्यालय खनन उद्योग को बढ़ावा देने वाले सिद्ध हों ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो को लघु खान मालिकों के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में समय-समय पर शिकायतें मिलती रहती हैं। विशिष्ट समस्याएं खनन योजनाएं तैयार करने में कठिनाइयां और इसकी रूपरेखा

को सरल बनाने; खनन से पूर्व गवेषण की वर्तमान आवश्यकता; अभ्रक के लिए मॉडल खनन योजनाएं तैयार करना; खनन योजनाओं के बारे में नियमों की व्याख्या; खनन योजनाओं के अनुमोदन में विलम्ब; खनन योजनाओं को तैयार करने के लिए योग्य व्यक्तियों का पंजीकरण तथा खनन योजनाओं को प्रस्तुत करने की वर्तमान आवश्यकता आदि के बारे में होती है। भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा समय-समय पर इन मामलों की जांच की गई है और आवश्यक स्पष्टीकरण अथवा दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं अथवा रियायतें दी जाती हैं। सरकार को भारतीय खान ब्यूरो के कुछ कार्यालयों के काम-काज के बारे में भी शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में उल्लिखित आरोपों की जांच करने पर उनकी पुष्टि नहीं हुई है।

(ग) खनन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खान ब्यूरो खनन उद्योग कार्मिकों को अपने प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण देने, खनन उद्योग के लिए तकनीकी विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित करने, खान पर्यावरण तथा संरक्षण सप्ताह मनाने, खान मालिकों के लिए तकनीकी प्रकाशन प्रकाशित करने, भूवैज्ञानिक तथा खनन पहलुओं तथा चालू खानों में उपलब्ध भंडारों आदि के ज्ञान की जानकारी में सुधार करने जैसे कार्यकलाप कर रहा है। खान मालिकों से प्राप्त शिकायतों की जांच करने और उनका तेजी से निपटारा करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय मे उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच भी स्थापित किए गए हैं।

राजस्थान में उपमंडल मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधाएं

3973. श्री रामनारायण बैरवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के कितने उप मंडल मुख्यालयों को एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराई गई; और

(ख) शेष उपमंडल मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 43.

(ख) मार्च, 1995 तक।

उड़ीसा में टी० वी० ट्रांसमीटर

3974. श्री के० प्रधानी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान उड़ीसा में टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए जाने का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और अब तक कितनी उपलब्धि हुई है; और

(ख) 1992-93 के दौरान उड़ीसा में टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने के कितने प्रस्ताव लम्बित हैं और उसके लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान उड़ीसा में एक उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया था। यह ट्रांसमीटर भवानी पटना में 20-1-1992 से चालू कर दिया गया है।

(ख) पुरी में एक अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर 1 जुलाई, 1992 से चालू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं में सुधार

3975. **डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मंदसौर और शामगढ़ और जिलों में टेलीफोन सेवा को दो लाइन के बजाए एक लाइन में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रयोक्ताओं ने शामगढ़ टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने और इसमें सुधार करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां । शामगढ़ और मंदसौर के बीच 3 एक तरफ (आउटगोइंग) और 3 दोतरफा सर्किट हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मई, 1992 तक प्रतीक्षा सूची में कोई भी आवेदन पत्र लंबित नहीं है । जून, जुलाई, 1992 के दौरान नए कनेक्शनों के लिए 9 मांगे दर्ज हुई हैं । शामगढ़ में एस० टी० डी० सुविधा के लिए भी मांग प्राप्त हुई है;

(घ) शामगढ़ को टेलीफोन सेवाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) मार्च, 1992 के दौरान मोजूदा मैनुअल एक्सचेंज को बदलकर 384 लाइनों का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चालू किया गया। प्रतीक्षा सूची में दर्ज उपभोक्ताओं को कनेक्शन जल्दी ही प्रदान किए जाएंगे ।

(ii) शामगढ़ में एस० टी० डी० सुविधा की शुरूआत करने के उद्देश्य से एक स्थिर माध्यम प्रदान करने के लिए 1993-94 के दौरान 2 एम० बी० डिजिटल पराउच्च आवृत्ति प्रणाली चालू करने की संभावना है । इस स्थिर माध्यम के चालू होने तक, खुलीतार प्रणाली के जरिए मार्च, 1993 तक एस० टी० डी० सुविधा चालू करने की आशा है।

(iii) शामगढ़ में अतिरिक्त सर्किट प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे मौजूदा 8 सरणी और 3 सारणी वाहक प्रणाली के अलावा शामगढ़ और मंदसौर के बीच एक और 8 सरणी खुलीतार वाहक प्रणाली संस्थापित की गई है ।

(iv) शामगढ़ में 1991-92 के दौरान एक एस० टी० डी० युक्त सार्वजनिक टेलीफोन घर खोला गया ।

[अनुवाद]

पर्यटन विकास के लिए वित्तीय सहायता

3976. **श्री अन्ना जोशी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यटन हेतु कितनी प्रोत्साहन

हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) वर्ष 1990-91, 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजन हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी गई और इस सहायता राशि का कितना उपयोग किया गया; और

(ग) क्या उन राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देने का सरकार का विचार है जिन्हें पिछले वर्षों में कम सहायता प्राप्त हुई ?

नागर विमान और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सभी राज्यों की स्वीकृत की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता दर्शाई गई है।

ये राज्य वर्ष 1990-91 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए केवल 52% तक तथा 1991-92 के लिए 45% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता का उपयोग कर सकते थे।

(ग) किसी भी राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि इन बातों पर निर्भर करती है कि संबंधित राज्य ने कितनी लाभकारी परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं और पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत की गई परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति कितनी हुई है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य	स्वीकृत राशि		
		सातवीं योजना	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	307.34	73.47	88.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.10	7.35	24.00
3.	असम	82.62	22.67	171.96
4.	बिहार	65.42	138.44	150.31
5.	गोआ	41.89	—	51.98
6.	गुजरात	238.67	98.55	141.58
7.	हरियाणा	376.60	230.46	159.01
8.	हिमाचल प्रदेश	153.87	80.31	150.96
9.	जम्मू और कश्मीर	231.60	90.89	65.25
10.	कर्नाटक	252.20	91.11	185.26
11.	केरल	861.09	190.19	293.50

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	265.00	234.36	285.71
13.	महाराष्ट्र	109.53	142.61	350.07
14.	मणिपुर	75.08	15.12	—
15.	मेघालय	120.17	22.33	105.29
16.	मिजोरम	75.44	20.02	62.04
17.	नागालैण्ड	134.97	34.54	69.21
18.	उड़ीसा	138.49	121.61	213.64
19.	पंजाब	178.62	48.13	31.25
20.	राजस्थान	146.96	152.34	184.31
21.	सिक्किम	118.97	59.71	119.98
22	तमिलनाडु	473.67	145.37	74.04
23.	त्रिपुरा	77.44	23.55	77.29
24.	उत्तर प्रदेश	442.63	397.87	160.59
25.	पश्चिम बंगाल	368.70	324.15	189.23
	जोड़	5376.16	2765.15	3404.91

*अनन्तिम

[हिन्दी]

राजस्थान में विविध भारती कार्यक्रम

3977. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने आकाशवाणी केन्द्रों से विविध भारती कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं और इन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या राज्य के अन्य आकाशवाणी केन्द्रों से भी विविध भारती कार्यक्रम प्रसारित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) राजस्थान में जयपुर और जोधपुर केन्द्र, जिनमें एक-एक कि०वा०मी०वे० शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगे हैं, विविध भारती कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

विदेशी समाचार-पत्रों का प्रवेश

[अनुवाद]

3978. श्री सैयद शाहबुद्दीन :
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :
डॉ० डी वेंकटेश्वर राव :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं अथवा जर्नलों ने किसी भारतीय पार्टनर के साथ सहयोग से कोई समाचार-पत्र आदि प्रकाशित करने में अथवा स्वयं देश में समाचार-प० का भारतीय संस्करण प्रकाशित करने में रुचि दिखाई है;

(ख) क्या किसी विदेशी समाचार एजेंसी ने भारतीय समाचार-पत्रों आदि की सीधी सेवा देने के लिए सुविधाएं मांगी हैं;

(ग) क्या इस विषय में 1955 की नीतिगत निर्णय की समीक्षा करने का सरकार का विचार है;

(घ) क्या उद्योग और वाणिज्य के समान इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में भारतीय प्रेस परिषद्, इंडियन न्यूजपेपर्स सोसायटी और जन संचार ने विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली अन्य सहयोगी संस्थाओं के विचार मांगे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) सरकार ने सूचना के क्षेत्र में विदेशी निवेश देने की अनुमति देने के संदर्भ में 1955 के नीतिगत निर्णय की समीक्षा से सम्बद्ध विषय पर कोई अन्तिम फैसला नहीं किया है।

(ङ) और (च) केवल भारतीय प्रेस परिषद् के विचार मांगे थे जिसने इस मामले में सामान्यतया सतर्कता बरतने की बात कही है। लेकिन भारत में विदेश समाचार-पत्र/पत्रिकाओं के प्रकाशन ईक्विटी और प्रबंधीय भागीदारों का अनुमोदन नहीं किया गया।

देहरादून में दूरसंचार सेवाएं

3979. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देहरादून, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण के सम्बन्ध में 30 जून, 1992 के "हिमाचल टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और देहरादून में संचार सेवाओं के पूर्णतः अस्त व्यस्त होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली से देहरादून तक एस०टी०डी० की सेवा वस्तुतः बिल्कुल निष्क्रिय है;

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों के विरुद्ध उनके उदासीन और सहायता न करने के रवैये के कारण कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देहरादून में दूरसंचार सेवा को कब तक सामान्य बना दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) समाचार-पत्र द्वारा किया गया सर्वेक्षण जल्दबाजी में किया गया सर्वेक्षण है और सेवाएं सामान्यतया संतोषजनक पाई गई हैं।

(ग) जी नहीं। दिल्ली से देहरादून के बीच एस०टी०डी० सेवाएं संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सेवाएं सन्तोषजनक हैं। तथापि सेवाओं में आगे और सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज का संस्थापन कार्य प्रगति पर है।

विद्युत् वित्त निगम के स्रोत

3980. **श्री आर्ज फर्नान्डीज** :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् वित्त निगम (पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन) हाल ही में आर्थिक नीतियों में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखकर अपने संसाधन जुटाने और ऋण देने सम्बन्धी कार्यों की पुनरीक्षा कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत् मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) निगम की ऋण देने संबंधी नीतियों की पुनरीक्षा किए जाने के लिए विद्युत् वित्त निगम में एक निदेशक मण्डल समिति का गठन किया गया है जिसके विचारार्थ विषय निम्नवत हैं :

1. निगम की ऋण देने संबंधी नीतियों और 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपेक्षित आशोधनों की पुनरीक्षा करना।

2. ऐसी राज्य विद्युत् यूटिलिटीज जिनकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और आगामी वर्षों में 3% का सांविधिक लाभांश अर्जित किए जाने की स्थिति में नहीं है इनके वित्तपोषण के लिए निगम की भूमिका।

3. निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्त पोषण तथा इससे संबंधित मानदण्ड।

4. विद्युत् क्षेत्र में ऋण प्राप्त करने के लिए ब्याज की गैर-रियायती दर पर ऋण देने की संभाव्यता अन्यथा वे इसके लिए सक्षम नहीं हैं।

अनिवासी भारतीयों द्वारा होटलों का निर्माण

3981. **श्री एन० डेनिस :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन के विकास की दृष्टि से होटल उद्योग शुरू करने हेतु अनिवासी भारतीयों को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन होटलों की स्थापना किन राज्यों में की जायेंगी; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) अनिवासी भारतीयों और मुख्यतया अनिवासी भारतीयों के स्वामित्व के विदेश स्थित निगमित निकायों को होटलों और पर्यटन से जुड़े उद्योगों में 100% तक पूंजी निवेश करने की अनुमति है। ऐसे पूंजी निवेशों के लिए विशिष्ट मानदण्डों के अन्तर्गत स्वतः अनुमोदन मिल जाता है। इस उदारीकरण का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र से पर्याप्त पूंजी निवेश को आकृष्ट करना है।

[हिन्दी]

जबलपुर में हवाई अड्डा

3982. **श्रीमति सुमित्रा महाजन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से जबलपुर में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध से कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जबलपुर में हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जबलपुर (धुमना) हवाई अड्डे के धावन-पथ का 6500 फुट तक विस्तार करने की योजना है जिससे इसे बोइंग-737 विमानों के परिचालनों

के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। धावनपथ और नये टर्मिनल भवन के विस्तार पर तथा सहायक सुविधाओं पर लगभग 9.00 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए अपेक्षित 29 एकड़ भूमि दे दिए जाने के बाद कार्य आरंभ किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

स्पीड पोस्ट निगम

3983. श्री एम०वी०वी०एम० मूर्ति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्पीड पोस्ट निगम के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

बोधगया (बिहार) में बौद्ध महोत्सव परिसर

3984. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में बोधगया में बौद्ध महोत्सव परिसर का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यटन का संवर्धन करने के उद्देश्य से मेलों और उत्सवों का आयोजन सामान्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम पर विदेशी ऋण

3985. श्री एस०बी० थोरात : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम पर विदेशी ऋण का ऋणवार निगम द्वारा देय मूलधन और ब्याज सहित अलग-अलग ब्यौरा क्या है और इन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वापस किया जाना है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम में इसका प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम किसी ऋण अथवा उसके मात्र के लिए समय-सीमा

के पुनर्निर्धारण हेतु बातचीत कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

आठवीं योजनावधि के दौरान एन०टी०पी०सी० द्वारा भुगतान की जाने वाली मूल राशि एवं ब्याज राशि का ऋण-वार ब्यौरा

(आंकड़े रुपये में)

क्र० सं०	ऋण-दाता	31-3-92 तक कुल आहरण	31-3-92 तक भुगतान	8वीं योजना (1992-97) के दौरान आहरण	8वीं योजना (1992-97) के दौरान भुगतान	8वीं योजना (1992-97) के दौरान ब्याज संबंधी देयताएं	1992-97 के दौरान कुल भुगतान एवं ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्केंडिनविसका एन्सकिल्डा बैंकन, स्वीडन	1219807430	289352482	8297523	721957718	91878494	813836212
2.	स्कैंडिनविसका एन्सकिल्डा बैंकन, स्वीडन	3875804163	682389426	6097564449	2520929447	394904898	2915834345
3.	इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ जापान	2355712603	0	0	0	588928150	588928150
4.	इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ जापान	7067137809	0	0	1011570706	1796275029	2807845735
5.	बैंकर्स ट्रस्ट कम्पनी, हांगकांग	1955565558	0	1263853766	1609709662	814386464	2424096126

6. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ जापान	12556485770	377559100	0	3931684335	2758562210	6690246545
7. चार्टर्ड वेस्टलब, यू०के०	13327216559	3382544537	3018928416	10822990339	2256635137	13079625476
8. बेंन्यू पैरिबास, फ्रांस	4908576521	0	4307768478	3072115000	3787803846	6859918846
9. बैंन्यू पैरिबास, बैल्जियू	779861099	0	526579130	435480076	615983950	1051464026
	48046167512	4731845545	9735183762	24126437283	13105358178	3231795461

ऊपरी बड़ी दोआब नहर व्यवस्था

3986. श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखरा बांध और पंडोह अपवर्तन बांध तथा पोंग बांध का निर्माण किए जाने से पूर्व हरियाणा सहित वर्तमान पंजाब में सिंचाई की तीन व्यवस्था अर्थात् ऊपरी बड़ी दोआब नहर व्यवस्था, सरहिन्द नहर और पश्चिम यमुना नहर व्यवस्था थी;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष औसत एम ए एफ में जल की मात्रा कितनी थी, ऊपरी बड़ी दोआब नहर में और कमांड क्षेत्र में जल ग्रहण मात्रा कुल कितनी थी, और सिंधु जल समझौता, 1960 विशेष रूप से 1948 और 1959 में वर्तमान हरियाणा और पंजाब में से पूर्व सरहिन्द नहर व्यवस्था तथा पश्चिम यमुना नहर व्यवस्था में जल ग्रहण की क्या स्थिति थी और वर्ष 1990 में यह कितनी थी; और

(ग) पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अलग-अलग, पश्चिमी यमुना नहर व्यवस्था तथा पंजाब के क्षेत्रों में और हरियाणा, भाखरा नहर व्यवस्था में 1991 से आज की स्थिति तक अलग-अलग औसत एम ए एफ में सिंचाई के लिए कितने जल की सप्लाई की गई तथा पंजाब में ऊपरी बड़ी दोआब नहर व्यवस्था तथा उनके कमांड क्षेत्र और जल ग्रहण मात्रा और तीन सिंचाई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पंजाब और हरियाणा से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्रम संख्या	मद	वर्ष	यूनिट	यू बी डी सी प्रणाली	सरहिन्द नहर प्रणालियां	पश्चिमी यमुना नहर	भाखड़ा प्रणाली	
							पंजाब	हरियाणा
1.	कृषि योग्य कमान क्षेत्र	1948	लाख हे०	3.19	8.51	10.60		
		1959		4.40	14.63	11.25		
		1990		5.79	11.02	11.25		
		1991		5.79	11.38	11.25	7.78	11.67
2.	जल भत्ता	1948	लीटर/सेकण्ड/	210	140—191	133—168		
		1959	हजार/हेक्टेयर	210	140—192	168		
		1990		245	245	168		
		1991		245	245	168	160—245	168
3.	जल उपयोग	1948	बिलियन क्यूबिक	1.83 (1.48)	3.77 (3.06)	3.33 (2.78)		
		1959	मीटर (मिलियन एकड़ फुट)	2.45 (1.99)	5.86 (4.75)	4.35 (3.53)		
		1990		3.19 (2.59)	6.91 (5.60)	5.12 (4.16)		
		1991		3.17 (2.57)	6.92 (5.62)	4.18 (3.39)	2.06 (1.67)	5.48 (4.45)

पूर्वी क्षेत्र में पनबिजली परियोजनाएं

3987. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के पूर्वी क्षेत्र में पन-बिजली परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत् मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) देश के पूर्वी क्षेत्र में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1102 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली 15 जल-विद्युत् परियोजनाओं को चालू किए जाने की संभावना है। इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश के पूर्वी क्षेत्र स्थित उन जल-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा जिन्हें 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किए जाने की संभावना है।

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चालू किए जाने का संभावित वर्ष
1	2	3	4
बिहार			
1.	उत्तरी कोयल	24	1993-94
2.	पूर्वी गंडक नहर	15	1992-93
3.	सोन पश्चिमी नहर	6.6	1992-93
4.	सोन पूर्वी नहर	3.3	1993-94
5.	चान्दील	8	1994-95
	उप जोड़	56.9	
उड़ीसा			
6.	ऊपरी कोलाब (यूनिट) चरण-2	80	यूनिट को 3-7-92 को रोटेट किया गया
7.	ऊपरी इन्द्रावती	600	1994-96

1	2	3	4
	8. रेंगाली विस्तार (यूनिट 3)	50	यूनिट को 24-7-92 को रोटेट किया गया
	9. पोट्टेरू	6	1994-95
	10. बालीमेला	120	1996-97
	उप-जोड़	856	
	सिक्किम		
	11. रंगीत 3 (एन एच पी सी)	60	1994-96
	12. गयोंगचू	4	1992-93
	13. ऊपरी रोगनीचू	8	1992-93
	उप-जोड़	72	
	पश्चिमी बंगाल		
	14. रम्मम चरण-2	50	1994-95
	15. तीस्ता प्रपात 1 से 4	67.5	1994-96
	उप-जोड़	117.5	
	कुल जोड़	1102.4	

राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी की विद्युत आवश्यकता

3988. श्री सुभाष चन्द्र नायक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी की विद्युत आवश्यकता कितनी है तथा इसे कितनी विद्युत की आपूर्ति की गई ; और

(ख) विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु कम्पनी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) को उनके अंगुल स्थित स्मैल्टर के लिए 380 मे०वा० (लगभग) तथा दामनजोड़ी स्थित उनकी खान तथा शोधनशाला के लिए 37 मे०वा० (लगभग) बिजली की आवश्यकता है। अंगुल में बिजली की आवश्यकता 120 मे०वा० के 5 यूनिटों वाले गृहीत बिजली संयंत्र से पूरी की जाती है। इसी प्रकार, दामनजोड़ी में बिजली की आवश्यकता 18.5 मे० वा० वाले 3 यूनिटों के आन्तरिक उत्पादन से की जाती है। अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता अंगुल में स्थापित की जा रही 120 मे०वा० वाली छठी यूनिट से पूरी की जाएगी।

सरदार सरोवर परियोजना

3989. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री अरविन्द नेताम :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में की गई विश्व बैंक से स्वतन्त्र समीक्षा दल द्वारा टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त दल ने पुनर्वास उपायों, पर्यावरणीय कारकों तथा पश्च जल आदि से सम्बन्धित कुछ खामियों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कारंवाई की गई है/की जा रही है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) पुनरीक्षण दल ने अपनी रिपोर्ट में इस परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना से सम्बद्ध मुद्दों और पश्च जल प्रभाव सहित पर्यावरणीय मुद्दों से सम्बद्ध अध्ययनों में कुछ अपर्याप्तताओं के बारे में टिप्पणियां की हैं। संबंधित राज्य सरकारों ने उनको भेजे गए विभिन्न मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को भेज दिए हैं ताकि विश्व बैंक को भेजे जाने वाला संयुक्त उत्तर तैयार किया जा सके।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में श्रमिकों के निष्कासन की नीति लागू करना

3990. डा० जयन्त रंगपी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के विभिन्न एककों में श्रमिकों के निष्कासन (एग्जिट) की नीति लागू करने का निर्णय ले लिया है या निर्णय लेने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन एककों का ब्यौरा क्या है और उससे प्रभावित मजदूरों की संगत संख्या कितनी है; और

(ग) इससे प्रभावित मजदूरों का पुनर्वास करने के लिए सरकार क्या उपाय करने पर विचार कर रही है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) 1988 में लोक उद्यम विभाग द्वारा परिचालित माडल योजना के अनुसार हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच० एस० सी० एल०) इस समय स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना को कार्यान्वित कर रहा है। अब तक हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अन्तर्गत 30-6-1992 तक 3,441 कर्मचारी पृथक हो गए हैं। एच०एस०सी०एल० इस समय 19,000 श्रमशक्ति है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर हवाई अड्डे का स्थानान्तरण

3991. श्री एच०डी० देवगौड़ा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर हवाई अड्डे को स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए आधारभूत सुविधाएं

3992. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के यात्रियों के लिए, आधारभूत सुविधाओं के अभाव के सम्बन्ध में 24 जून, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यद्यपि अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनलों के अन्दर पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गयी हैं, तथापि, सुरक्षा कारणों से टर्मिनलों में आगन्तुकों के प्रवेश पर बार-बार लगाए जाने वाले प्रतिबन्धों के कारण, आगन्तुक वहां आसानी से नहीं जा सकते हैं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण टर्मिनलों के बाहर आगंतुकों की सुविधा के लिए विभिन्न सुविधाओं के विस्तार के लिए कदम उठा रहा है ।

मेवात क्षेत्र को यमुना और सतलुज-यमुना नहर से जोड़ना

3993. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मेवात क्षेत्र को हरियाणा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण, पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है,

(ख) क्या केन्द्र सरकार को हरियाणा सरकार से इस क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं तथा जल आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र को नहर द्वारा यमुना/सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना/नहर कब तक पूरी हो जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) हरियाणा द्वारा ऐसा कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजा गया है।

(ग) और (घ) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

रूस के साथ फंक्स विद्युत परियोजनाओं के बारे में समझौता

3994. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विद्युत परियोजनाओं के बारे में रूस सरकार के साथ हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और उस पर कितनी प्रगति हुई है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारत में विद्युत परियोजनाओं के बारे में रूस सरकार के साथ अभी कोई करार नहीं किया गया है। परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले क्रेडिट के स्वरूप एवं सम्बन्धित शर्तों के बारे में बातचीत चल रही है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से स्थापित विद्युत संयंत्र

3995. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विदेशी सहायता से कुल कितने विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं और उनकी स्थापना स्थानों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

असम के बराक घाटी में नदी का कटाव

3996. **श्री द्वारका नाथ दास** :
श्री शिबू सोरेन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति अत्यन्त विकट हो गई है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में क्या सहायता प्रदान की जा रही है और इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों की कितनी-कितनी भागेदारी है;

(ग) क्या कुछ और राज्यों को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इन राज्यों को बाढ़ का सामना करने के लिए कितनी सहायता प्रदान की है अथवा निकट भविष्य में प्रदान किए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग) जी नहीं। इस वर्ष देश में अब तक निम्न और मध्यम दर्जे की बाढ़ें आयी हैं।

(ख) और (घ) राज्य सरकारें अपनी योजना निधियों में से बाढ़ प्रबंध कार्य करती हैं। विशेष मामले के रूप में मार्च, 1992 तक असम को 240.45 करोड़ रुपय की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई है तथा आठवीं योजना में 100 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता देने का प्रस्ताव है। देश में आपदा राहत कोष के अन्तर्गत 804 करोड़ रुपए की वार्षिक सहायता भी राज्यों को दी जाती है, जिसमें से केन्द्र का अंशदान 75% है और राज्यों का 25% है।

बाढ़ प्रवण नदियां

3997. **श्री लाल बाबू राय :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन नदियों और क्षेत्रों का ब्यौरा और नाम क्या हैं जहां बाढ़ की संभावना बनी रहती है;

(ख) प्रत्येक राज्य में इन नदियों से आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने क्या आंकलन किया है; और

(ग) इस संबंध में राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मुख्य बाढ़ प्रवण नदियां—गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा तथा ताप्ती और उनकी सहायक नदियां हैं। देश में 400 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आता है।

(ख) और (ग) अनुमान लगाया गया है कि 320 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उचित सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। मार्च, 1991 तक 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गई है।

असम में कुटीर ज्योति कार्यक्रम

3998. **श्री प्रबीन डेका :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम के पिछड़े जिलों में कुटीर ज्योति कार्यक्रम कार्यान्वित किया है; और

(ख) यदि हां, तो असम के दरंग जिले में कितने गांवों में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए० एस० ई० बी०) ने सूचित किया है कि कुटीर ज्योति कार्यक्रम को असम के सभी जिलों में क्रियान्वित किया गया था। वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान केन्द्रीय अनुदान द्वारा वित्तपोषित कुटीर ज्योति स्कीम के अन्तर्गत लाभभोगियों को अभिज्ञात करने संबंधी कार्य संबंधित राज्य सरकार पर छोड़ दिए गया था। असम राज्य विद्युत बोर्ड ने इस स्कीम के तहत राज्य भर में 29,030 सिंगल प्वांइट लाइट कनैक्शनों को जारी करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। स्कीम को 31-3-91 के पश्चात् जारी नहीं रखा गया है।

कोचीन और कालीकट विमानपत्तनों से विमान सेवाएं

3999. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री कोडीकुन्ननील सुरेश :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के पास कोच्चि और कालीकट से खाड़ी देशों एवं अन्य विदेशों के लिए कम दूरी की विमान सेवाएं आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोचीन तथा कालीकट दोनों हवाई अड्डे एयर इंडिया के विमान बेड़े में उपलब्ध विमानों के परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत उत्पादन

4000. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के समस्त विद्युत संयंत्रों से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है;

(ख) क्या इस राज्य में विद्युत उत्पादन धीरे-धीरे घटता जा रहा है और वह राष्ट्र स्तर से कम है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) बिहार की वर्तमान अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1450 मेगावाट है।

(ख) बिहार की विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती जा रही है। वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार का संयंत्र भार गुणांक 21.3% था जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 55.3% था।

"(ग) बिहार में बिजली की उपलब्धता में अभिवृद्धि किए जाने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में विद्यमान विद्युत केन्द्रों से बिजली के उत्पादन को इष्टतम करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, पारेषण तथा वितरण हानियों की मांग को कम करना, प्रभावी भार प्रबन्धन तथा ऊर्जा संरक्षण, पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से सहायता लेना आदि शामिल हैं।

भारतीय समाचार पत्र पंजीयक द्वारा गुजरात के समाचार-पत्रों का पंजीकरण

4001. श्री काशीराम राणा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए गुजरात से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने समाचार पत्रों का पंजीकरण किया गया; और

(ग) शेष समाचार पत्रों का पंजीकरण कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार गुजरात से समाचारपत्रों के पंजीयन के लिए 1989 में 172, 1990 में 65 और 1991 में 84 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) इस अवधि के दौरान 90 समाचारपत्रों का पंजीकरण किया गया।

(ग) समाचारपत्रों का पंजीकरण सम्बद्ध प्रकाशक द्वारा प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में निहित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद किया जाता है किन्तु अधिनियम में इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा उड़ीसा राज्य वाणिज्यिक परिवहन निगम को दिए गए ठेके

4002. श्री [illegible] : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने 1986 में उड़ीसा राज्य वाणिज्यिक परिवहन निगम को अन्तर-पत्तन परिवहन का ठेका दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या विगत वर्षों में इस निगम को अलग-अलग दरों पर ठेके दिए गए थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ठेके देने में कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ङ) क्या इसकी जांच के कोई आदेश दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो उसके परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अनुसार आयात एवं निर्यात के संबंध में पारादीप में इस्पात सामग्री के सम्भाल कार्य और परिवहन के लिए खुली निविदाओं के आधार पर ठेका मार्च, 1986 में मैसर्स उड़ीसा राज्य वाणिज्यिक परिवहन निगम (ओ० एस० सी० टी० सी०) को दिया गया था।

(ख) "सेल" के अनुसार पिछले वर्षों के दौरान लोहे और इस्पात सामग्री के सम्भाल कार्य के लिए मैसर्स ओ० एस० सी० टी० सी० को कोई ठेका नहीं दिया गया था। तथापि, कोयले को उठाने तथा उसकी सम्भाल के लिए 1984-85 के दौरान मैसर्स ओ० एस० टी० सी० को एक वर्ष की वैध अवधि के लिए ठेका दिया गया था।

(ग) से (च) इस समय मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है और अभी इसके परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

तालचेर ताप विद्युत संयंत्र

4003. श्री के० पी० सिंह देव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में तालचेर ताप विद्युत संयंत्र का नवीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) नवीकरण कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) उड़ीसा में तलचेर ताप विद्युत केन्द्र की स्कीमों के चरण 1 व 2 के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (नवी० एवं आधुनि०) कार्यक्रम हेतु स्वीकृत लागत क्रमशः 36.16 करोड़ तथा 110.40 करोड़ है।

(ग) और (घ) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के चरण-1 के अन्तर्गत जिसमें 80% से अधिक गतिविधियां सम्मिलित हैं, को पूरा कर लिया गया है। साथ ही, शेष कार्य दिसम्बर, 1993 तक पूरा किए जाने की प्रत्याशा है। साथ-साथ चरण-2 के अन्तर्गत कार्यों को शुरू कर दिया गया है और मार्च, 1995 तक पूरा किए जाने की सम्भावना है।

कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी से लौह अयस्क का निर्यात

4004. श्रीमती चंद्र प्रभा अर्स : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड विदेशों को लौह अयस्क का निर्यात करती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया और इससे प्रति टन कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी ने परिष्कृत माल का कितना निर्यात किया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1991-92 में कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क सांद्रण और पैलेट्स की मात्रा तथा निर्यात से प्रति टन अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है—

	मात्रा दस लाख टन	अर्जित विदेशी मुद्रा (अमरीकी डालर प्रति टन) लगभग
लौह अयस्क सांद्रण	3 916	18.64
लौह अयस्क पैलेट्स	2.152	36.58

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान विद्युत संयंत्र

4005. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्मित तथा शुरू की जाने वाली कितनी विद्युत परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी नहीं की गई हैं और इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना की अनुमानित संशोधित लागत कितनी है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से संबंधी दिशा निर्देश

4006. **श्री रविंद्र राय :**
प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :
श्री विजय कुमार यादव :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को पर्यावरण संबंधी दिशा निर्देश पर ध्यान देने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मोर्स कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस परियोजना का पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) नर्मदा नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के समरूप पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अपेक्षित है। परियोजना द्वारा किए जाने वाले पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय निम्न के लिए हैं :

(i) पुनर्वास मास्टर योजना।

(ii) सोपानबद्ध जलग्रहण क्षेत्र उपचार स्कीम।

(iii) प्रतिपूरक वनरोपण योजना ।

(iv) कमान क्षेत्र विकास ।

(v) फ्लोरा और फौना का सर्वेक्षण ।

(vi) चारों ओर के क्षेत्र की जल ले जाने की क्षमता ।

(vii) स्वास्थ्य पहलू ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

———

[हिन्दी]

12.00 मध्याह्न

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ट्रैजिक खबर मिली है, छोटा बाजार रायबरेली जिले में, एक मस्जिद में जहां बच्चे पढ़ रहे थे, वहां एक बम एक्सप्लोजन हुआ है । आज सबेरे 8 बजे की यह खबर है । इसकी पुष्टि राज्य मंत्री महोदय ने भी की है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले हमें जानकारी लेने दीजिए । इस मुद्दे को उठाने से पहले हमें जानकारी हासिल करने दीजिए ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैं आपके जरिए से सरकार से जानना चाहता हूं कि हमको जो खबर मिली है वह सही है, इसकी पुष्टि सरकार ने भी की है, वहां इस तरह की बात हुई है और उसमें लगता है कि कुछ बच्चे भी मर गए हैं और वहां पर लोग जमा हैं, वहां उत्तेजना फैली हुई है, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में सरकार सदन को विश्वास में ले ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यदि सरकार चाहती है तो सरकार जानकारी एकत्र कर सकती है, सभा कार्य को सूचित कर सकती है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : ठीक है, महोदय ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान पिछले छः महीने में हुई घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं । पहले गेहूं इस देश से 95 अमरीकी डालर प्रति टन अर्थात 240 रुपए प्रति क्विंटल की दर से निर्यात किया गया और बाद के महीने में उससे भी दुगने भाव पर बल्कि दुगने से भी ज्यादा भाव पर गेहूं का आयात किये जाने का समाचार छपा, इसके क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बतलाना चाहता हूं कि इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए घोटाले की चार अति चर्चित घटनाएं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं । यह मेरे पास प्रैस कान्फ्रेंस की प्रति है । एक जनवरी, 1992 को मिनिस्टर साहब ने जो कहा उसे मैं आपको पढ़कर

सुनाता हूं । उन्होंने प्रेस कान्फरेंस में कहा था :

[अनुवाद]

> "केन्द्रीय पूल में खाद्यान के भण्डार की स्थिति काफी अच्छी है। पहली बार हमने भारतीय खाद्य निगम को लगभग आठ लाख टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जब पिछली बार मैंने मिनिस्टर साहब से पूछा, तो मिनिस्टर साहब ने फरमाया चूंकि यह चन्द्र शेखर जी की सरकार ने निर्णय किया था, इसलिए हमने तो सिर्फ उसको लागू किया है, उस निर्णय का पालन किया। महोदय, मेरा उसके बारे में कहना यह है कि जब आप जानते थे कि पिछले साल किसानों से पूल में 9 लाख टन कम वसूली हुई है, उसके बावजूद आपने एक्सपोर्ट किया और इसके साथ-साथ आपने रोलर फ्लोर मिल्स को रियायती मूल्य पर गेहूं दे दिया, इसके क्या कारण हैं? एक तो पूल के अंदर गेहूं पहले ही कम था, फिर एक जनवरी, 1992 को आपने ऐसा बयान दिया, इसको देने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात यह है कि मेरे सामने यह 16 तारीख के अखबार की कटिंग है जिसमें यह छपा है कि 10 लाख टन गेहूं आयात होगा। एक जनवरी, 1992 को गेहूं निर्यात किया जाएगा, यह आता है और ठीक 15 दिन के बाद कहते हैं कि 20 लाख टन गेहूं का आयात होगा।

तीसरा 20 मार्च को अखबारों में छपा "टेंडर फ्लोटेड फार व्हीट इंपोर्ट" और उसमें उस समय इंटरनेशनल रेट्स 130 से लेकर 168 डालर प्रति क्विंटल थे, यानी 350 रुपए प्रति क्विंटल और इसी सेशन में 14, जुलाई 1992 को मेरे प्रश्न संख्या 3981 के उत्तर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बतलाई गई, उसमें कहा गया कि :

[अनुवाद]

> "सरकार ने कैनेडियन व्हीट बोर्ड के साथ 19 जून, 1992 को 10.05 लाख टन गेहूं का सौदा किया था। कैनेडियन गेहूं की देश में पहुंचने पर अनुमानित लागत 5260 रुपए प्रति टन आंकी गई है।"

[हिन्दी]

526 रुपए प्रति क्विंटल इस तरह से अध्यक्ष महोदय, 4 चीजें मैंने रखी हैं। जनवरी के अन्दर एक्सपोर्ट किया जाता है 240 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से और 15 दिन के बाद यह कहा जाता है कि हमारे पास अनाज ही नहीं है और फिर उसके बाद मार्च के महीने में टेंडर फ्लोट होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है अध्यक्ष महोदय, जिनके टेंडर आए, उनमें से किसी को भी व्हीट मंगवाने का आर्डर नहीं दिया गया, बल्कि कनाडा से व्हीट मंगवाया गया, 526 रुपए प्रति क्विंटल की दर से।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष जी, देश की जनता 2-3 सवाल सरकार से जानना चाहती है। पहले यह कहा गया था कि क्यूबा को हमने चावल भेजा, इसलिए अमरीका ने मना कर दिया, फिर कनाडा से, आपने क्यों मंगवाया और 526 रुपए प्रति क्विंटल की दर से क्यों मंगवाया, जबकि इससे पहले दूसरे कंट्रीज से गेहूं सस्ता मिल रहा था।

मैं पहला सवाल यह जानना चाहता हूं कि पहले हमको इस सदन में बताया गया कि क्यूबा

को हमने चावल भेजा, इसलिए अमरीका ने मना कर दिया, तो फिर कनाडा से गेहूं मंगवाया गया, ग्लोबल टेंडर जिन कंट्रीज ने भरे, उनसे नहीं मंगवाया गया, जब उनसे नहीं मंगवाना था तो ग्लोबल टेंडर क्यों जारी किया गया। मेरा यह कहना है कि किस विदेशी ताकत के दबाव में कनाडा से, जबकि सारी दुनिया में मार्च के महीने में प्राइसेस कम थे, फिर जैसा कि आपने इसी सदन में जवाब दिया है, 526 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कैसे इंपोर्ट किया गया, एक प्रश्न यह है।

भारतीय किसान को आप देंगे 250 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और कनाडा को देंगे 526 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ।··· **(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद न्यूज यह थी कि क्योंकि सरकार को गेहूं महंगा पड़ रहा है, इसलिए राशन की दुकानों से मिलने वाले गेहूं के दाम 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए जा रहे हैं। यह जो घोटाला हुआ है, इसका बोझा आम जनता पर डालने के लिए राशन की दुकानों से मिलने वाले गेहूं के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि अमरीका से, कनाडा से गेहूं महंगा मंगवाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आपके सामने तथ्य रखे हैं, उनको देखते हुए मैं ये 3 सवाल पूछना चाहता हूं। इसके लिए एक हाई-पावर कमेटी द्वारा जांच होनी चाहिए और मैं तो चाहूंगा कि संसद-सदस्यों की एक कमेटी इसकी जांच करे और 6 महीने के अन्दर इसकी रिपोर्ट दे कि दुगने से ज्यादा दामों पर जो गेहूं का आयात किया गया है, इसका क्या कारण है। इससे बड़ा स्कैंडल और कोई नहीं हो सकता कि आप पहले एक्सपोर्ट करें और फिर इंपोर्ट करें। इसकी जांच पार्लियामेंट मेंबर्स के द्वारा की जानी चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, आज के स्टेट्समेन में एक समाचार छपा है, जिसमें बताया गया है कि सिंगापुर से मलेशिया जाते हुए भारतीय शिपिंग कार्पोरेशन के जहाज पर समुद्री डाकुओं, सी पायरेट्स द्वारा हमला किया गया और संयोग से यह आक्रमण असफल रहा। लेकिन कुछ वर्ष पहले इसी तरह इसी इलाके में, स्टेट्स आफ मोरक्को में जहाजरानी के एक जहाज पर आक्रमण किया गया था। जो चीज बहुत ही गम्भीर चीज है वह यह है कि कमर्शियल शिपिंग में कैप्टन के पास नवल डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया सी-रूट का सर्किट चार्ट रहता है, आक्रमण के दिनों में, अगर लड़ाई छिड़ जाए तब उसका उपयोग करते हैं। वह सीक्रेट डाकूमेंट सेफ कस्टडी में रहता है। उसी समय इसको खोलने का आदेश है जब इस तरह की परिस्थिति हो। पिछला जो आक्रमण हुआ था उसमें वह डाकूमेंट चुरा लिया गया था, डाकूमेंट डाकू ले गए थे।

अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मसला यह है कि उसके बाद से हमारे नवल डिपार्टमेंट को अपने सारे सी-रूट्स और अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि वह सीक्रेट डाकूमेंट होता है, युद्ध के दौरान हमारे जो व्यापारिक जहाज हैं वह क्या रूट लेंगे, कौन-सा रूट सुरक्षित रहेगा यह उसमें होता है। दूसरी चीज है जो जहाजरानी का जहाज है, व्यापारिक जहाज है उस पर कोई सुरक्षा का इन्तजाम नहीं रहता है। उनको कोई हथियार रखने का अधिकार नहीं है। क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है? सरकार सुरक्षा के क्या उपाय कर रही है और इस डाकूमेंट, जो बहुत महत्त्वपूर्ण डाकूमेंट है, हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से, उसके मुतल्लिक उसकी

सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही कर रही है? स्टेट्स ऑफ मोरक्को में आम घटना हो गयी है। मलेशिया सरकार से, सिंगापुर सरकार से इस संबंध में अपनी सरकार क्या कोई कार्यवाही करने जा रही है? साथ ही, यह तो विदेश की बात है, अपने देश में भी—मद्रास, कोचीन बैजाज आदि जगहों पर छोटी-मोटी चोरी की घटनाएं बराबर होती रहती हैं। जो जहाजरानी के लिए काफी कठिनाई उत्पन्न करती हैं। इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ···(व्यवधान)···

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, खुराना जी ने गेहूं के घोटाले का बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल उठाया है। उस पर सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। ···(व्यवधान)···

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि यह मामला फूड मिनिस्टरी से ताल्लुक रखता है। मेरे ख्याल से कॉलिंग अटेंशन पर डिसकशन हो जाए तो सारी बातें क्लीयर हो जायेंगी। आप डिसकशन करवा दीजिए। जो फूड मिनिस्टरी का काम है वह फूड मिनिस्टरी को पता है। आप कॉलिंग अटेंशन दे दीजिए, वे जवाब दे देंगे। उस पर डिसकशन हो जाएगी। ···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : आप किसानों का गेहूं 250 रुपये में लेकर अमेरिका से महंगा लेते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सदस्य, 280 रुपए के भाव से बिकता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, जहां किसी समस्या के कई पहलू हों तो चर्चा समझ में आती है। इसमें एक सीमित सवाल है कि इतनी कीमत पर पहले निर्यात किया और बाद में इतनी कीमत पर आयात किया इसमें इतना अन्तर है, दुगुना अन्तर है, आज की परिस्थित में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति बहुत खराब है।

[अनुवाद]

यह देखने में ठीक नहीं लगता है। इसमें कुछ न कुछ बात छिपी है।

[हिन्दी]

इसलिए पहले तो स्टेटमेंट इसी एक तथ्य के बारे में आना चाहिए और फिर स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा हो सकती है। इसके बहुत ज्यादा पहलू नहीं हैं।

[अनुवाद]

यह ठीक नहीं लगता है।

[हिन्दी]

सरकार इसको जस्टीफाई नहीं कर सकती। कैसे जस्टीफाई करती है उसका पता लगना चाहिए। इसलिए इसी एक सीमित सवाल पर एक बयान आना चाहिए उसके बाद चर्चा हो सकती है।

श्री बलराम जाखड़ : कालिंग अटेंशन दे दीजिए, `फूड मिनिस्टरी के जिम्मे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम है, वह जवाब दे देगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस पर वक्तव्य देगी।

[हिन्दी]

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि बैंक मैटर बहुत दिनों से चल रहा है, अगर आप उसे थोड़ी देर में शुरु कर सकें तो अच्छा होगा।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : अध्यक्ष महोदय, खण्डवा जिले के अन्दर इंदिरा सागर परियोजना में कार्यरत 8 श्रमिक युवतियां करीब डेढ़ माह से लापता हैं। सरकार को और पुलिस को जानकारी होने के बावजूद आज तक उनका कोई पता नहीं चला है। उनके अभिभावक तथा अन्य लोग परेशान हैं, महिलाओं में हड़कम्प मचा हुआ है। इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं सरकार को इसकी जानकारी है, लेकिन उसके द्वारा कोई कदम न उठाने से वहां के श्रमिकों में भारी रोष है तथा वे परेशान हैं। वहां के लोग डेढ़ माह से प्रयत्नशील हैं कि मालूम पड़े कौन से ऐसे हाथ हैं जो ऐसे काम करते हैं और कम उम्र की युवतियों को वहां लाते हैं मजदूरी के नाम पर और फिर लापता करा देते हैं। वहां पर यह षड्यंत्र और मुहिम चल रही है। इसके पीछे कौन लोग हैं जिसका कोई पता नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार के पास हमारे प्रतिनिधि गए और लोग भी गए तथा पुलिस के पास भी गए, लेकिन कोई भी सहयोग करने को तैयार नहीं है। वहां पर हरिजन और आदिवासी काम करते हैं, इस तरह से इन महिलाओं का लापता होना उनके लिए दर्दनाक बात है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और जो युवतियां लापता हुई हैं, उनको बरामद कराये।

श्री राम नाईक (बुम्बई उत्तर) : आने वाले रविवार को नौ अगस्त है, जो कि क्रांति दिवस है। उस दिन हमारी अगस्त क्रांति के पचास साल पूरे होते हैं यानि सरकार ने इसको स्वर्णोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। देश की आजादी के इतिहास में यह एक स्वर्णिम दिन है।

सरकार की ओर से या अन्य किसी की ओर से, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुम्बई में प्रधान मंत्री आने वाले हैं और वहां इस अवसर पर उनके कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं। लेकिन वहां के सांसद होते हुए हमें इस बात का पता नहीं चला है कि सरकार की ओर से या कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कार्यक्रम होना है, खैर इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा कहना यह है कि मैंने आपको भी पत्र दिया है कि मुम्बई में टेलीकॉम की फैक्टरी है, वहां की वर्कर्स यूनियन ने पए साल अपने चीफ जनरल मैनेजर को पत्र दिया था कि आगामी 9 अगस्त को हम अपनी फैक्टरी में क्रांति दिवस मनाना चाहते हैं। उनकी ओर से इस प्रकार का पत्र देने के बाद उनकी प्रजीशन रिफ्यूज कर दी। मेरे पास वह पत्र है मैं उसकी चार लाइनें पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा, यह पत्र यूनियन को भेजा है जिसमें कहा है :

[अनुवाद]

"उपरोक्त के संदर्भ में, 'डी ओ टी' ने अपने पत्र संख्या 25-37/91 टी०एफ०एस० दिनांक 5 सितम्बर 1991 द्वारा इस कार्यालय को निर्देश दिया है कि आपको यह सूचित किया जाए कि टेलीकोम फैक्टरी के परिसर में क्रान्ति दिन मनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है और उस प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं है।"

[हिन्दी]

थानि वहां के कामगार वह दिवस मनाना चाहते हैं, लेकिन परमीशन नहीं दी जा रही है। अब समय बहुत कम बचा है, सारे देश में यह पचास साल पूरे होने का कार्यक्रम मनाते भी बाकी है, तो सरकार क्यों नहीं अपने प्रतिष्ठान में एक दिन कामगारों को यह दिवस आगे होकर मनाने देती। सरकार को इस बात की मंजूरी देनी चाहिए और आफिशियल आर्डर्स करने चाहिए, दिन काफी कम है इसलिए सरकार को तुरन्त इजाजत देनी चाहिए। सारे देश के साथ सहयोग करने की सरकार की नीति होनी चाहिए।

मेरी मांग है कि इस विषय पर प्रधान मंत्री एक स्टेटमेंट दें जिसमें बताया जाए कि सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, मैंने अपनी देश की संस्कृति, पुरातत्त्व और पुरालेखीय विरासत, जिसकी ओर उपेक्षा हुई हैं तथा जिसको नष्ट होने के लिए खुला छोड़ दिया गया है, उससे संबंधित एक नोटिस दिया है। लखनऊ स्थिति, 'बीरबल साहनी इन्सीट्यूट आफ पैलियाबोटनी' ने यह उजागर किया है कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा कर्नाटक में सैकड़ों वर्ष पुराने ऐसे दुर्लभ जीवाश्म हैं, जिनका 'कांटीनेंटल डौरिफ्ट थ्योरी आफ जियोलोजी' से संबंध है और यह दक्षिण अमेरिका अफ्रीका व भारत को जोड़ता है। ये जीवाश्म विभिन्न स्टोन्स में परिवर्तित होते जा रहे हैं। पर्यटक भी इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। ये सब बात इस संबंध में कोई कानून तथा उपचारात्मक और निवारक उपाय न होने के कारण हो रही है। यही हाल भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का भी है। वे शिकायत कर रहे हैं कि केवल चार चौकीदारों की कमी के कारण भवन विस्तार जिसकी लागत 6.5 करोड़ रुपये होगी, का इस्तैमाल नहीं हो सका है तथा प्रथम विश्व-युद्ध दूसरे विश्व युद्ध, आजादी की लड़ाई के महत्वपूर्ण रिकार्ड और विभिन्न मंत्रालयों के रिकार्ड नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थान नहीं मिल सका है। थोड़े से खर्चे को बचाने के लिए अधिक नुकसान वहन करने की बात को चरितार्थ करते हुए हम महत्वपूर्ण ग्रन्थ तथा दस्तावेजों को नष्ट होता देख रहे हैं, जिनका हमारी संस्कृति तथा इतिहास के साथ अटूट संबंध है। ठीक अभी श्री राम नाईक भारत छोड़ो आन्दोलन की पचासवीं शताब्दी को मनाने के बारे में कह रहे थे। लैकिन स्वतन्त्रता संग्राम से संबंधित दस्तावेज सीलन में पड़े हुए हैं और नष्ट हो रहे हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रथम विश्व युद्ध के कुछ रिकार्ड मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें ये दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए सरकार को इस बारे में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि इन दस्तावेजों और जीवाश्म तथा अन्य संस्कृति, अभिलेखीय तथा अभिलेख विरासत को भली-भांति सुरक्षित रखा जा सके तथा इसके लिए कठोर कानून होना चाहिए। इस संबंध में दोषी व्यक्तियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा (क्योंझर) : महोदय, मैं अपने देश में वायुसेवा तथा रेलवे की कुव्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। परसों, हमारे माननीय प्रधान मंत्री का विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम था और हमको भी इस्पात तथा खान मन्त्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य के नाते इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। लेकिन हमें बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा। तकनीकी खराबी के कारण हमारी उड़ान में तीन घंटे की देरी हुई। इसी प्रकार की कुल व्यवस्था के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। दूसरा, मैं उत्कल एक्सप्रेस को पुरी

से निजामुद्दीन तक जाती है, में यात्रा कर रहा था। गाड़ी में, शौचालय और स्नानागार बहुत गन्दे थे। किराया अधिक और सर्विस बहुत खराब थी। संबंधित मंत्रालयों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए तथा शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 21 और 28 जुलाई के संडे मेल में छपे कूपन के फोटो की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि सरकार को लाखों रुपयों का चूना लगाया जा रहा है। ये कूपन पूर्वोत्तर रेलवे की प्रिंटिंग प्रैस में छपते हैं और मुल्क में लाखों की तादाद में बिक रहे हैं जिनका मिसयूज हो रहा है। ये कूपन, ब्लैक होते हैं जिसमें किसी भी एम० एल० ए० का नाम भर दिया जाता है और फिर क्लेम कर दिया जाता है। साथ ही लाखों रुपयों का सामान वगैरहा भी बुक कर दिया जाता है, इससे रेल विभाग को करोड़ों रुपये की हानि हो रही है।

मेरी मांग है कि इस प्रकरण की सी० बी० आई० द्वारा इन्क्वायरी करायी जाये और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाये।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, आज सारे समाचार पत्रों में कल जो सदर बाजार में शाम को डकैती हुई है और एक वृद्धा की हत्या हुई है, वहा खबर छपी है। मैं अभी एक घंटा उसी घटनास्थल पर रह कर आया हूं। ऐसा लगता है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है। मैं आपको बताऊं और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वैसे तो पुलिस वाले बड़ी घोषणा करते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं कि 100 नंबर पर फोन करें मगर कल सवा सात बजे से साढ़े सात बजे तक उस परिवार के लोगों ने और उस गली के लोगों ने फोन किया। घंटी बजती रही मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। अगर नंबर नहीं मिलता तो शायद मैं सोच सकता हूं कि नंबर व्यस्त होगा लेकिन घंटी बजती रही और किसी ने उठाया नहीं। इस तरीके से वहां पर जो घटना हुई है, हालांकि वहां जो गलियां हैं वह सुरक्षा की दृष्टि से एक तरीके से किला मानी जाती हैं। अगर उस स्थान पर भी इस प्रकार से डकैती होती है जो इतना कंजेस्टेड एरिया है, लगता है कि पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है। पांच बजे से साढ़े सात बजे तक टेलीविजन पर फिल्म आती है तो जो पुलिस के गश्त लगाने वाले लोग होते हैं, वह भी दुकानों पर खड़े होकर टीवी देखने लगते हैं और इस प्रकार की घटनाएं वहां निरन्तर हो रही हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से चाहूंगा कि वह इस प्रकार का बयान दें कि दिल्ली पुलिस के इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाया है।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, उड़ीसा का अधिकांश हिस्सा, विशेषतया मेरा निर्वाचन क्षेत्र, फूलबनी बाढ़ से भारी प्रभावित हुआ। महानदी तथा तेल से समीप के इसके गांव पर बाढ़ का भारी प्रकोप रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अधिक से अधिक धन देने की मंजूरी प्रदान करने तथा रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। फसल खराब होने के कारण इसे ठीक करने के लिए धन आदि का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए तुरन्त एक टीम भेजने का अनुरोध भी करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें बैंक सम्बन्धी मामले को लेने दीजिए।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : केवल अपने ही नहीं, अन्य माननीय सदस्यों ने भी नोटिस दिए हैं। उन पर बाद में चर्चा की जायेगी।

12.26 म० प०

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचाना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 30 जुलाई, 1992 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 20 जुलाई, 1992 को हुई उसकी बैठक में पारित किए गए विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) विधेयक, 1992, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

12.27 म० प०

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन विधेयक*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्त अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

* दिनांक 3 अगस्त, 1992 के भारत के राज पत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

12.28 म० प०

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2405/92]

12.29 म० प०

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तिरुवेन्नामलाई और उत्तरी आरकार अम्बेडकर जिले में धान की बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम० कृष्ण स्वामी (वन्डिवाशी) : तमिलनाडु के उत्तर आर्कट अम्बेडकर जिले और तिरुवेन्नामलाई जिले में पौधों की एक खतरनाक बीमारी ने धान की सारी फसल को प्रारंभिक अवस्था में ही प्रभावित कर दिया है। तमिलनाडु सरकार के कृषि विभाग का ध्यान इस ओर दिलाया गया था। राज्य सरकार इस बीमारी पर नियन्त्रण पाने में असफल रही है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन दो जिलों और दक्षिण आर्कोट जिले के कुछ भाग के प्रभावित किसानों की मदद करने के लिए कार्यवाही करें।

(दो) बिहार में रांची के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता बहाल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के आदिवासी बाहुल्य रांची क्षेत्र की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। नेशनल कमीशन फॉर रूरल लेबर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि यहां 30 प्रतिशत आदिवासी भूमिहीन हैं। 17 प्रतिशत एक एकड़ व 34 प्रतिशत एक से दो एकड़ भूमि के मालिक हैं। इस क्षेत्र में मात्र 12 प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जो वर्ष भर के लिए अपना संतुलित भोजन प्राप्त कर पाते हैं। प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न यह क्षेत्र आज तक विकसित नहीं हो पाया है। आदिवासियों की प्रमुख समस्या है—शोषण व निरक्षरता। केन्द्रीय सरकार की ओर से इस क्षेत्र के लिए गत वर्षों से विशेष सहायता दी जाती रही है किन्तु यह राशि इतनी कम है कि इसके द्वारा इस क्षेत्र के स्थायी विकास के लिए कोई उपयुक्त परियोजना शुरू नहीं की जा सकती है। इस वित्तीय वर्ष से यह सहायता भी बन्द कर दी गई है। अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह इस सहायता राशि को चालू रखे और इसकी मात्रा में पर्याप्त वृद्धि करे जिससे इस राशि के

आधार पर यहां कोई परियोजना स्थापित की जाए और इन शोषित, पीड़ित आदिवासियों को दयनीय जीवन से मुक्ति दिलाई जाए।

(तीन) मणिपुर आकाशवाणी केन्द्र से हिन्दी गीतों का प्रसारण पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदय, संविधान में हिन्दी सहित 15 भाषाओं को बराबर की मान्यता प्राप्त है। हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने हेतु संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। संविधान की भावना एवं मंशा के अनुकूल राजभाषा अधिनियम, 1963 इसी संसद ने पास किया है एवं इसके रेगुलेशन 1976-78 में बन गए। इसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि केन्द्र सरकार के सारे कार्यालयों और संस्थानों में हिन्दी को बढ़ावा दिया जाएगा, किन्तु अभी हाल ही में आकाशवाणी मणिपुर से हिन्दी गानों का प्रसारण बंद कर दिया गया है जबकि राजभाषा अधिनियम में भाषा की दृष्टि से पूरे देश को "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में बांटा गया है। मणिपुर "ग" क्षेत्र में आता है। इसमें हिन्दी के प्रसारण हेतु लक्ष्य निर्धारित हैं।

मान्यवर, यदि हिन्दी का प्रयोग रोक दिया जाए तो यह राजभाषा हिन्दी तथा सम्पूर्ण राष्ट्र की स्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम होगा। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस ओर तत्काल ध्यान दिया जाए और मणिपुर से पूर्ववत् हिन्दी गानों का प्रसारण निरन्तर किया जाये।

[अनुवाद]

(चार) तमिलनाडु में तिरुवेन्नामलाई और चिन्नासलेम को रेल द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री पी० पी० कलियापेरुमल (कुड्डालोर) : तिरुवेन्नामलाई रेलवे स्टेशन दक्षिण रेलवे के विलुपुरम-कटपदी छोटी लाईन पर स्थित है। चिन्नासलेम रेलवे स्टेशन दक्षिण रेलवे के निरन्तर-चलम—सलेम छोटी लाईन पर स्थित है। तिरुवेन्नमलाई और चिन्नासलेम के बीच कोई रेलवे लाईन नहीं है। इन दो स्टेशनों के बीच मुनगिलथुराईपत्तु संकरापुरम और कल्लाकुरुची शहर पड़ते हैं। मुनगिलथुराईपत्तु में एक सहकारी चीनी मिल है। संकरापुरम एक व्यापारिक शहर है। कल्लाकुरुची एक व्यापारिक शहर के साथ-साथ ताल्लुक मुख्यालय भी है। इन शहरों के आस-पास कई सौ गांव है। यह क्षेत्र मुख्यतः तीन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों—कुड्डालोर, वन्डिवाशी और शरनीपुरम के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के लोग कई दशकों से नई रेलवे लाईन की मांग कर रहे हैं। यदि इस नई लाईन का निर्माण किया जाता है तो यह वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य होगी और यह सार्वजनिक सेवा की दिशा में एक महान कार्य होगा।

अतः मैं निवेदन करता हूं, कि उपरोक्त रेलवे लाईन का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए।

[हिन्दी]

(पांच) राजस्थान की लंबित पड़ी विद्युत् परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, राजस्थान बिजली के उत्पादन में निर्धन प्रदेश है। उसके क्षेत्र में कोई बड़ी नदी व कोयला न होने से राज्य को अन्य राज्यों पर निर्भर रहना

पड़ता है। राज्य की चार बड़ी योजनाएं केन्द्र सरकार के पास वर्षों से विचाराधीन हैं जैसे लिग्नाईट पर आधारित वर्सिंगसर की 250 मेगावाट की योजना, सूरतगढ़ व चित्तौड़गढ़ की 250 मेगावाट की तापीय योजनाएं एवं धौलपुर की 650 मेगावाट की तीन तापीय परियोजनाएं।

बिजली की कमी पूरे राज्य में है। और तो और, जिला स्थानों तक भी 4-4 घण्टे तक बिजली की कटौती जारी है। वर्तमान में 37.08 प्रतिशत बिजली की कमी है, व 1994-95 में 48.09 प्रतिशत कमी होगी।

राज्य ने 950 मेगावाट की योजनाएं केन्द्र को भेजी हुई हैं, जिन पर स्वीकृति अभी तक अपेक्षित है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान की विचाराधीन विद्युत् परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

(छः) पश्चिम बंगाल के राणाघाट में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार किए जाने और वहां उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

डॉ० असीम बाला (नवद्वीप) महोदय, राणाघाट उपखंड की टेलीफोन व्यवस्था अक्सर खराब रहती है। राणाघाट एक नगर है जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है। टेलीफोन की अक्सर खराबी के कारण कई स्कूलों, कालेजों, बैंकों, जीवन बीमा कार्यालयों, साधारण बीमा कार्यालयों, निजी और व्यापारिक कार्यालयों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह क्षेत्र बांग्लादेश से लगी अंतराष्ट्रीय सीमा पर है जहां सीमावर्ती क्षेत्रों की लगातार जानकारी मिलना आवश्यक है। राणाघाट में अभी भी पुरानी टेलीफोन व्यवस्था है। इस क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण इस क्षेत्र के लोग बहुत उद्वेलित हैं।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि राणाघाट की टेलीफोन व्यवस्था में सुधार किया जाए और वहां उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा शीघ्र शुरू की जाए।

12.36 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा
सरकारी प्रतिभूतियों में अरबों रुपए का घोटाला

अध्यक्ष महोदय : बैंक मामलों में आगे चर्चा के लिए अब हम नियम 193 के अधीन मामले लेंगे। श्री के० पी० रेड्डय्या यादव बोल रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, शुक्रवार को आखिरी बैठक में बैंक घोटाले पर बोलते हुए मैंने राष्ट्र में एक स्वच्छ राजनैतिक व्यवस्था के अभाव का उल्लेख किया था, जिसके कारण न केवल बैंक घोटाले अपितु आतंकवाद, नक्सलवाद, गुंडागर्दी आदि जैसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां जीवन के सभी क्षेत्रों में दिख रही हैं। अतः इस नाजुक मोड़ पर समय का तकाजा यही है कि कांग्रेस (आई), भाजपा, जनतादल, अन्नाद्रमुक, आदि सभी प्रमुख

राजनैतिक दल विधान सभाओं और संसद के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय यह ध्यान रखें कि संदिग्ध चरित्र वाले और ऐसे व्यक्तियों का, जिनकी ईमानदारी और विश्वसनीयता पर शक हो, चयन न किया जाए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो नौकरशाही, बैंकिंग संस्थानों को अपने हित के लिए प्रयोग करता हो, चुनाव में टिकट ना दिया जाए।

आज नौकरशाही ने बेनामी व्यापारिक घरानों के जरिए, उक्त लोगों को टिकट दिलाकर, उन्हें चुनाव के लिए धन उपलब्ध कराकर और कई राज्यों में अपने उम्मीदवार को मंत्री बनाकर कुछ विधायकों, संसद सदस्यों को अपने अधिकार में लिया हुआ है। नौकरशाह पूरे देश को चला रहे हैं और उन पर ना तो विधायकों और ना ही न्यायपालिका तथा ना ही प्रेस का कोई नियन्त्रण है, क्योंकि समूची प्रेस कुछ निहित स्वार्थों के हाथ में है। जिस किसी के पास कोई समाचार पत्र है उसे या तो राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है या विधायक या देश में किसी नियम का अध्यक्ष बना दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : आपको अपने बारे में क्या कहना है ?

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : चाहे कोई भी हो। यदि कोई भी यह साबित कर दे कि मैं भी उनमें से एक हूं, तो मैं अपने पद का त्याग कर दूंगा।

मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि बजाए मामलों पर चर्चा करने के हमें इसके मूल कारण का पता लगाना होगा, जिसके कारण देश में घोटाले और अन्य क्रियाकलाप हो रहे हैं और जिससे राजनैतिक नेताओं और राजनैतिक दलों के सम्मान को क्षति पहुंच रही है।

भ्रष्टाचार पंचायत स्तर से भारत सरकार तक पूरी तरह फैला हुआ है। अत: समय का तकाजा यही है कि यह देखा जाए कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। यही मुख्य प्रश्न है। अत: यही उपयुक्त समय है कि हम राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार पर विचार करें। जिससे इस प्रकार की कमियां दूर की जा सकें।

अत: देश को एक हितैषी तानाशाह अथवा हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह के एक लोकतान्त्रिक नेता की आवश्यकता है जो संपूर्ण व्यवस्था को ही एक लोकतांत्रिक संस्था में बदलना चाहते हैं। इस सम्माननीय सभा के समक्ष विचार करने हेतु ये मुख्य समस्याएं हैं।

यदि हम अपने लोगों के पैसे वापस लेने में असफल रहते हैं अथवा इस प्रतिभूति घोटाले में प्रत्यक्ष रूप से लिप्त पाए गए अफसरों, बैंक अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों को सही जगह पर पहुंचाने में असफल रहे तो इससे संविधान का कार्यप्रणाली की असफलता सिद्ध होगी। लोग हमारी सरकार में विश्वास खो बैठेंगे। फिर देश में यह प्रश्न उठेगा कि एक भूखे व्यक्ति, जिसे एक जून का भोजन भी नहीं मिलता है, चुपचाप भूख से क्यों मर जाए और ऐसे व्यक्ति को क्यों न लूटे जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन है। निर्धन व्यक्ति शान्त इसलिए है कि उसे संविधान की, देश के कानून की इज्जत करनी है। बड़े लोग, हमारी तरह विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति, अफसर वर्ग, मंत्रीगण, उद्योगपति संविधान की, देश के कानून की मर्यादा नहीं रखते हैं। क्यों एक निर्धन व्यक्ति को देश के कानून का अनादर किए बिना भूख से मर जाना चाहिए जबकि ऐसे लोग भी हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन है ?

अब एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है और यह मांग है कि वरिष्ठ अफसरों, उद्योगपतियों, राजनीतिज्ञों, न्यायाधीशों को अपनी सम्पत्ति की सूचना जो उनके अपने नाम में है, अपने सगे-सम्बन्धियों के नाम पर हैं तथा बेनामी नाम से है, देनी चाहिए और यह जानकारी जांच पड़ताल हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप देनी चाहिए।

इस सरकार के समक्ष अभी यह जरूरी कार्य है कि देश के अफसरों, राजनीतिज्ञों तथा सत्ता के दलालों द्वारा विभिन्न विदेशी बैंकों में अवैध तरीके से जमा की गयी विशाल धनराशि को किस प्रकार वापस लाया जाए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। यदि सरकार इस कर्त्तव्य को निभा न सकी तो एक दिन जनता द्वारा इसको पूरा किया जाएगा। यदि वह इस कार्य को अपने हाथों में ले लें और संदिग्ध लोकतांत्रिक शासन की जगह जनता का शासन कायम करें तो हमारा संविधान कुछ भी नहीं कर सकेगा।

शेयर ब्रोकरों द्वारा 3900 करोड़ रुपए बैंकों से निकाल कर शेयरों की खरीद द्वारा मध्यवर्ग और किसानों से करीब 40,000 करोड़ रुपए लूट लेने का अनुमान लगाया गया है। यह धनराशि शायद स्विट्जरलैंड के बैंक में भेज दी गयी है।

यह हमारे सबके लिए शर्मनाम बात है कि हम एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं परन्तु एक भी अफसर और उनके गठबन्धन का नाम लेने में हमें भय लगता है।

हमने फिरंगियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया परन्तु आज हमारे सामने अफसर वर्ग को, जिन्होंने पूरे देश के प्रशासन पर कब्जा जमा लिया है, नियन्त्रित करने का एक बड़ा कार्य है। अधिकांश शहरी सम्पत्ति अफसरों की है। चाहें उद्योगों में शेयरों के रूप में आयात-निर्यात के बड़े उद्योगों में रूप में अथवा भू-सम्पत्ति इत्यादि में उनका पैसा जमा है। हम क्या कर रहे हैं ? हम सिर्फ उनके प्रभुत्व के समक्ष समर्पण कर रहे हैं। क्यों ? ऐसा इसलिए कि संसद और विधान सभा रूपी इस पवित्र मन्दिर में कुछ निम्न स्तर के व्यक्ति आ गए हैं।

यदि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा इन अफसरों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की भी जाए तो भी वे इसकी चिन्ता नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा जमा है जैसा कि ऊपर बताया गया है। अवैध तरीके से अर्जित धन और संसाधनों द्वारा वे एक समानान्तर प्रशासन चलाने के सक्षम हैं। अतः समय की मांग है कि अफसर वर्ग और राजनीतिज्ञों की कमजोरियों और उनके बीच सांठ-गांठ की पहचान की जाए और अफसर वर्ग पर सतत् निगरानी रखी जाए।

अतः इस बैंक घोटाले में सच्चाई का पता लगाने में पूरी सभा को माननीय प्रधान मंत्री जी का समर्थन करना चाहिए तथा पाखण्ड से परिपूर्ण सिद्धांत की जगह प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक सिद्धांत के आधार पर उन्हें राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्गठन करने में समर्थन प्रदान करना चाहिए।

अधिकांश सत्ता के दलाल, धोखेबाज व्यक्ति अब सरकारी विश्राम गृहों में, सांसदों के सरकारी आवासों, मंत्रियों को दिए गए आवासों में रहते हैं। हम दूसरों की बात क्यों करें ? क्यों नहीं हम स्वयं अपने हृदय को टटोलें ?

भारतीय लोग परिपक्व तथा विश्व में लोकतान्त्रिक भावना में आस्था रखने वाले व्यक्ति समझे जाते हैं। उन्होंने 1984 में एक पैसा खर्च किए बिना ही श्री राजीव गांधी को चुना। उन्होंने बिना कुछ खर्च किए ही 1978 में श्री मोरारजी को चुना। उन्होंने एक पैसा खर्च किए बिना

1989 में श्री वी०पी० सिंह को चुना। अनेकों बार उन्होंने अपनी परिपक्वता सिद्ध की। क्यों राजनीतिक दल उद्योगपतियों से, जो बैंकों के पैसे को लूट रहे हैं, धन एकत्रित करने के लिए कृत संकल्प हैं? लोग बहुत ही परिपक्व हैं। यदि आप अपने आपको ईमानदार सिद्ध करते हैं, यदि आप जनता का सच्चा सेवक बनते हैं तो जनता आपको चुनाव में एक पैसा खर्च किए बिना स्वयं ही निर्वाचित कर देंगी।

अतः राष्ट्र के नेताओं को अब यह सोचना चाहिए कि अब चुनाव में निर्वाचित होने का पैसा ही एकमात्र साधन नहीं है, इसमें चुनावी घोषणा-पत्र, सत्यनिष्ठ और चरित्र वाले उम्मीदवार आदि की भी आवश्यकता है। अतः हमें इस दिशा में ही लोगों को शिक्षित करना चाहिए।

अन्त में, महोदय इस देश में लोगों के मन में प्रतिभूति घोटाले की बात बैठ गयी है। इन बातों की छान-बीन करने के बदले मैंने यह कहा कि सर्वप्रथम हमें राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्गठित करना होगा, हमें अफसर वर्ग तथा राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों तथा सत्ता के दलालों के बीच सम्बन्ध का पता लगाना होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकतान्त्रिक तरीके से सच्चाई का पता लगाने तथा देश में इस प्रकार से होने वाली घटनाओं के कारणों का पता लगाने हेतु काफी अवसर दिया है। संयुक्त संसदीय समिति, जिसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, के अन्तर्गत इन बातों का पता लगाने की काफी गुंजाइश है।

पंचायती राज के स्तर से केन्द्रीय सरकार तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि हम लोकतांत्रिक तरीके से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ यही मार्ग रह जाता है कि एक शुभचिंतक तानाशाह अथवा राष्ट्रपतीय सरकार वाली व्यवस्था लागू की जाए जहां संदिग्ध तथा तीसरे दर्जे के राजनीतिज्ञों को मंत्रिमण्डल अथवा विधान सभा अथवा संसद में जगह नहीं मिलेगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता था कि मेरा नाम इतनी जल्दी पुकारा जाएगा।

अब जो कुछ हुआ है वह राष्ट्रीय चिन्ता का विषय बन गया है और हर कोई सच्चाई की तह में पहुंचना चाहता है और साथ ही यह भी चाहता है कि हम किस प्रकार का उपाय करें कि भविष्य में ऐसी बातें न हों। संयुक्त संसदीय समिति का गठन करते समय आपने भी ठीक इन्हीं बातों पर विचार किया था।

मैं समझता हूं अब हमारे समक्ष लाखों, करोड़ों निवेशकर्ताओं की समस्या है जो बरबाद हो गए हैं, जिनका विश्वास डगमगा गया है और उनका विश्वास पुनः प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। इससे हमारे उद्योग के विकास के लिए निवेश करने की हमारी योजना पर प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय शेयर बाजार विश्व में दूसरे स्थान पर है। शेयरों का कुल मूल्य जो 1991 तक 60,000 करोड़ रुपये के करीब था विगत एक वर्ष में बढ़कर 2,40,000 करोड़ रुपये हो गया जबकि अन्य विश्व बाजारों में इसमें बहुत कम गति से वृद्धि हुई है। इसे अच्छी अर्थ व्यवस्था समझा गया था। वास्तव में मैं समझता हूं अब यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि नशे की स्थिति को स्वास्थ्य का प्रतीक समझा गया था। बाजार में भाव बढ़ गया था और कुछ गलत बातें हो रही थीं तथा जब भी बाजार का मूल्य बहुत अधिक बढ़ा है, सामान्य रहा है अथवा बहुत ही कम हो गया है, हमने वित्त मंत्रालय में हमेशा इस प्रयास में सावधानी बरती है जिस प्रकार जैसे कि रक्तचाप को सामान्य स्तर पर लाने के लिए की जाती है। मैं सोचता हूं कि यह एक ऐसा संकेत

था जिससे कि सरकार को सचेत हो जाना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी बहुरी छानबीन करनी चाहिए थी तथा इसे सामान्य बनाने हेतु उपाय करने चाहिए थे।

जो रिपोर्ट आयी है उसमें कहा गया है कि बैंक तथा संस्थानों द्वारा किए गए हमारे निवेशों का, जिनके लिए कोई प्रतिभूतियां एस०जी०एल० अन्तरण फार्म अथवा बी०आर० नहीं थे, कुल मिलाकर 3,400 करोड़ रुपये से भी अधिक हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि इनके बदले उनके पास वे कोई बी०आर० या एस०पी०एल० अथवा प्रतिभूति नहीं थी। लेकिन इस लेन-देन से, जैसा कि इसे प्रतिभूति घोटाला कहा जाता है, जो पैसा बताया गया है उसको कम नहीं आंका गया है। कितना काला धन पैदा हुआ, कितनी धनराशि बाहर भेजी गई इन आंकड़ों से इसका कोई अनुमान नहीं मिलता है और मैं समझता हूं अभी पूरी बात का पता नहीं चल पाया है।

इसकी एक कार्य प्रणाली जो जानकीरामन समिति की रिपोर्ट से हमें पता चल पाई है, वह यह है कि इन बैंक अंतरणों में पैसा दलालों के हाथ चला गया। मुझे यह बताया गया है, मेरी बात में सुधार किया जा सकता है कि ये सभी चेक खाता में जमा होने वाले (ए०/सी० पेयी) थे। अतः पैसा खाताधारियों के खाते में ही जमा होना चाहिए था, लेकिन यह दलालों के खाते में चला गया। यदि आप आदाता का पैसा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में डाल देते हैं तो यह एक आपराधिक जवाबदेही का मामला है। बैंकिंग प्रणाली में ऐसा होना और इतने वृहत स्तर पर होना मेरी समझ से परे की बात है कि ऐसा किस प्रकार हुआ क्योंकि जब कोई व्यक्ति बैंक में अपने पैसे जमा करता है तो उसे यह पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा उचित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। बैंक प्रक्रिया में एक यह विश्वास रहता है कि जब हम अपने पैसे वहां जमा करते हैं तो इस बात का कोई भय नहीं रहता है कि यह पैसा कहीं और चला जाएगा। जब कोई चेक निर्गत करना है तो उसे यह विश्वास रहता है कि जिसके लिए चेक निर्गत किया गया है यह पैसा उसी के पास जाएगा और कहीं नहीं। यह इतने व्यापक पैमाने पर हुआ कि इससे अनेकों प्रश्न पैदा होते हैं कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ और यह जो आपराधिक मामला बनता है, इसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वादा व्यापार में यू०टी०आई० के 151 करोड़ रुपये के मूल्य के 9.7 करोड़ यूनिटों के लिए जो तीन प्रमाण-पत्र आंध्र बैंक फाइनान्सियल सर्विसज लिमिटेड के पास फेयर-ग्रोथ के अन्तर्गत जमा कराए गए थे, वे असली नहीं हैं। ये जाली कागजात हैं। आंध्र बैंक फाइनान्सियल सर्विसज और फेयर-ग्रोथ इन जाली कागजातों से कैसे लेन-देन कर सकते हैं? फेयर-ग्रोथ के बारे में भी अनेक प्रश्न उठाए गए हैं कि इनमें कौन लोग शामिल थे और उनके इससे क्या संबंध थे। मैं किसी पर कोई दोष नहीं लगाना चाहता परन्तु जब प्रश्न ही उठाये गए हैं तो मैं समझता हूं कि फेयर-ग्रोथ से जुड़े तमाम संबंध और इससे जुड़े व्यक्तियों के नामों का पता चलना चाहिए। इससे संबंधित होने के नाते एक उच्च अधिकारी ने तो इस्तीफा भी दे दिया है। मैं समझता हूं, हमें दस्तावेजों से पता चला है कि उसने अपने शेयर फलां-फलां व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिए हैं और वह व्यक्ति प्रैस में यह सूचना देता है कि ऐसा कोई हस्तांतरण नहीं हुआ और उन्होंने शेयर केवल अपने पास रखे हैं। तब हमें यह बताया गया है कि वे शेयर तीन वर्ष में हस्तांतरित नहीं किए जा सकते; इसमें एक निश्चित समय सीमा है और यह सभी होता रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कार्यवाही की जा रही है। इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए अथवा क्या ऐसा है कि कुछ लोगों पर कार्यवाही का असर ही नहीं पड़ता जबकि कुछ लोगों को जेल

भेज दिया जाएगा; जैसा कि कुछ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और कुछ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, क्या उसी तरह कुछ लोग जेल रेखा से नीचे हैं और कुछ जेल रेखा से ऊपर हैं? ऐसा ही प्रतीत होता है जो प्रमाण सामने आ रहे हैं, इनके समक्ष सरकार को आगे बढ़कर यह कहना चाहिए कि नहीं, ऐसा गलत है। तब कम-से-कम अफवाहें तो नहीं फैलेंगी। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि सामने आकर बताए कि फेयर ग्रोथ और उच्च अधिकारी के वक्तव्य में जो विरोधाभास है, उसमें वस्तुस्थिति क्या है और चूंकि यह आपराधिक मामला है, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

जानकीरमन समिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वाणिज्यिक बैंकिंग सहायक कम्पनियों ने अन्तर-निगमित जमा के रूप में काफी बड़ी रकम प्राप्त की है, पी०एम०एस० के रूप में नहीं। पी०एम०एस० का अर्थ पी०एम० से नहीं, इसका तात्पर्य विभागीय प्रेक्चन योजनाएं हैं। इसी तरह की और भी स्कीमें हैं और दलालों को बिलों के तुरन्त अग्रेषण जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इनमें यही कार्य-प्रणाली अपनायी गई है जोकि मैंने कही है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने की बात करते हुए जानकीरमन समिति के प्रतिवेदन में किसी नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि प्रतिवेदन में यह भी एक कमी है। जब प्रतिवेदन में बात का जिक्र ही किया गया है तब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के नाम का जिक्र होना चाहिए। अब हमें नामों का पता चलता जा रहा है। हमें प्रेस के माध्यम से इनका पता चल रहा है। हर रोज सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की एक सूची छप जाती है। हमारे लिए यह कोई सुखद बात नहीं है कि इस तरह से तस्वीर को देखा जाए। यदि ऐसा ही है तब निश्चित रूप से बैंकों तथा कुछ वित्तीय संस्थाओं के अलावा और भी कई संस्थाएं इसमें शामिल होंगी। इस प्रतिवेदन से तो यह पता चलता है कि 1 अप्रैल, 1991 से 23 मई, 1992 के बीच गत 14 महीनों के, लेन-देन की कुल राशि 9,06,000 करोड़ रुपए थी। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह सारी की सारी गलत है अथवा इन सभी सौदों में भ्रष्टाचार किया गया है। इन लेन-देनों में तुरन्त अग्रेषण वाले लेन-देन 56 प्रतिशत है। यहां पूरे बाजार की सट्टेबाजी करने की तस्वीर दिखाई देती है जबकि सही लेन-देन केवल 5.26 प्रतिशत ही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में क्या सोच-विचार कर रही है क्योंकि जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, वहां इस तुरन्त अग्रेषण की बात से हम वास्तव में काफी पिछड़ गए हैं। देखिए, आज क्या हो रहा है।

एक नजर उन अनुचित कार्यों पर भी डाली जानी चाहिए जो कि आज विदेशी बैंक कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री श्री मनमोहन सिंह की चिंता को समझ सकता हूं क्योंकि जब हम विदेशी बैंकों का जिक्र करते हैं तो उन्हें यह चिंता होने लगती है कि क्या पैसा मिलेगा अथवा नहीं और इसलिए हमें विदेशी बैंकों का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं यह कहने पर विवश हूं कि जब बात इस हद तक बढ़ जाए, तो उसे रिकार्ड में लाया जाना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं है कि उस पर बारीकी में न जाया जाए।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के सम्बन्ध में 72,000 करोड़ रुपए के जो लेन-देन हुए हैं उनमें 71 प्रतिशत लेन-देन तो केवल विदेशी बैंकों द्वारा ही हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि अब इतने अल्प समय में पूरी व्यवस्था में विदेशी बैंकों का कितना दबदबा है।

मैं एक-एक दलाल के विवरण नहीं देना चाहता। इनके बारे में तो पता चल ही चुका है।

चंपक लाल, देवीदास, हर्षद मेहता, एच०बी० दलाल, बी०बी० देसाई आदि जैसे नाम आमतौर पर कहे जाते हैं। लेन-देन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनमें जुड़ा हुआ है। 9,06,000 करोड़ रुपये में से 20 प्रतिशत राशि इनके साथ जुड़ी हुई है। 20 प्रतिशत राशि काफी अधिक राशि होती है। यदि हम प्रत्यक्ष लेन-देन को ही देखें जोकि 3,50,000 करोड़ रुपये का हुआ है, तो हमें पता चलेगा कि अतिशेष राशि का लगभग एक तिहाई हिस्सा इन लोगों के पास चला गया है। इसी कारण उनका दबदबा है।

अब जरा बैंक वार विवरण पर नजर डालते हैं। 9,06,000 करोड़ रुपये के लेन-देन में से 70 प्रतिशत राशि का लेन-देन चार बैंकों द्वारा किया गया है जिनके नाम हैं—सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक आफ अमरीका और ग्रिन्डलेज बैंक। यदि कोई भ्रष्ट लेन-देन नहीं किया जाता, और स्वच्छ लेन-देन किया जाता है तो यह बड़ी अच्छी बात है। आप शायद केवल इस विवाद पर आपत्ति नहीं कर सकते कि इसमें बहुत बड़ी रकम शामिल है। इस समय मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं कह रहा हूं भले ही ऐसी बहुत सी-बातें हैं जोकि की जा सकती हैं।

लेकिन प्रतिवेदन से इस बात का पता चला है कि लेन-देन का मिलान नहीं हुआ। जब सम्पूर्ण लेन-देन का कम्प्यूटर से मिलान करने की कोशिश की गई, एक विशेष पार्टी के बारे में बैंक ने जो लेन-देन बताए जब उनकी संबधित पार्टी के बैंक के अपने लेन-देनों से मिलान करने की कोशिश की गई, और जब उन्होंने बैंक के विवरणों को मिलाने का प्रयास किया तो जिस राशि का मिलान नहीं हुआ—मिलान न होने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ ही गलत है। वह उसमें शामिल नहीं था, मैं इसे समझ सकता हूं। लेकिन बात तो यह है कि जिस राशि का मिलान नहीं हुआ, उसमें से 60 प्रतिशत लेन-देन विदेशी बैंकों से ही था। अब हम कार्य कुशलता की बात

1.00 म० प०

पर आते हैं जोकि इन बैंकों के माध्यम से सामने आनी है क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और इसी तरह के विदेशी बैंक मौजूद हैं। कार्यकुशलता कहां दिखाई देती है? यह लगभग 60 प्रतिशत धनराशि के सही मिलान न होने में नजर आती है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक ब्रिटिश बैंक है। जहां तक इसके चलने की बात है, यह 100 वर्ष अथवा इससे कुछ ही वर्ष कम समय से चला आ रहा है, काफी लम्बे समय से चला आ रहा है, कम-से-कम 60-70 वर्ष तो हो ही गए होंगे। इसने मेट्रोपोलिटन को-आपरेटिव बैंक से भी लेन-देन किया। मुझे बताया गया है कि इसके पास एक करोड़ रुपए की पूंजी है। मैं इसके बारे में नहीं जानता। बताया यह गया है कि इसका एक कार्यालय है। यह भी मुझे पता नहीं है कि क्या इसके कार्यालय में कोई टेलीफोन भी है अथवा नहीं। मुझे पता नहीं है, हो सकता है एक से भी ज्यादा टेलीफोन हों। टेलीफोन है अथवा नहीं, यह कोई प्रमुख बात नहीं है। लेकिन यह बैंक किस तरह से सुव्यवस्थापित है। आप भी देश में बैंकों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी रखते हैं। देश में लगभग 70 बैंक स्थापित हैं। मैट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक के पास 1,944 करोड़ रुपये मूल्य की बैंक रसीदें हैं, लगभग 2,000 करोड़ रुपये की। यह धनराशि कैसे आयी? इसके पीछे क्या राज है? बात तो यही है और क्या देश के बाहर ऐसे कोई संबंध हैं जिन्होंने ऐसा किए जाने के संबंध में यकीन दिलाया है अथवा इसके पीछे कौन-सी प्रक्रिया कारगर है? यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है।

जानकी रमन समिति के प्रतिवेदन में जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह बहुत ही गंभीर है। उदाहरण के लिए केनफाइनान्स ने अपने खातों में 100 रुपये के शेयर की खरीद का मूल्य 90 रुपये दिखा रखा है, 90 रुपये प्रति बांड और शेष राशि 10 रुपये प्रति बांड केनफाइनान्स ने दलालों से

प्राप्त की है। यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि 100 रुपये का एक शेयर खरीदने के लिए दलाल केनफाइनान्स से कहता है, "आप खरीद लीजिए"। केनफाइनान्स ने शायद यह सोचा कि इस कीमत पर तो नुकसान होगा, इसलिए यह वास्तविक मूल्य नहीं है। तब दलाल कहता है कि "ठीक है आप खरीद लीजिए मैं 10 रुपये आपको दे दूंगा। इसे केवल 90 रुपये में ही दर्ज कीजिए—" तो यह सारा का सारा घोटाला ही हुआ है और मैं नहीं जानता कि क्या यह बैंक इस बात में सतर्क रहा है कि शेयरों की खरीद करने में दलाल 10 रुपये अपने हिस्से के रख रहा है। वह यह राशि अपने लिए क्यों रख रहा है? एक सीधे लेन-देन में वह ऐसा नहीं कर सकता। एक दलाल ऐसा नहीं कह सकता कि "मैं आपको राशि दे दूंगा।" उन्हें इस तथ्य के प्रति सजग रहना चाहिए था कि दलाल राशि क्यों दे रहा है और इसमें कुछ न कुछ गलती जरूर है।

जो निष्कर्ष निकाला गया है वह यह है:

> "विक्रय की उन शर्तों में शर्त संख्या 15 का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया जिस पर बोलियां आमन्त्रित की गई थीं जिसमें यह कहा गया था कि शेयरों का विक्रय सामान्य स्टाक एक्सचेंज लेन-देन के जरिए किया जाएगा।"

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने उसका अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने सरकारी स्टाक एक्सचेंज लेन-देनों का अनुपालन नहीं किया और हम यह समझ ही नहीं सकते कि ऐसा उन्होंने किस तरह से किया। यदि उन्होंने इनका अनुपालन नहीं किया, तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने इनका उल्लंघन किया? आखिरकार सरकार के नियम और विनियम मात्र शुभकामना संदेश ही तो नहीं होते। इसलिए यह एक गंभीर उल्लंघन है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के खिलाफ, जिसका नाम रिकार्ड में आया है, अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

एक और बात जो उन्होंने बतायी है वह यह है कि इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश थे कि जब तक कि शेयरों की सूची तैयार नहीं की जाती, शेयरों के बारे में नाम नहीं बताये जाने चाहिए। यह एक बहुत ही समझदारीपूर्ण दिशा निर्देश था, क्योंकि जब किसी शेयर की सूची तैयार की जाती है तो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा इसकी बाजार कीमत का पता चला सकता है कि क्या उन्हें सही मूल्य मिल रहा है अथवा नहीं। इसमें उन्होंने दिशा निर्देशों की खिलाफत की है और कोई भी सूची नहीं बनायी और अपनी ही किस्म की व्यवस्था कर शेयरों का विक्रय किया है। हमें पता नहीं है कि इन लेन-देनों में देश का जनता का कितना नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से कुछ लोगों ने अत्याधिक मुनाफा कमाया, अतः वह हमारी ही हानि हुई है। यदि उन्हें सजा दिलाने के लिए किसी विनियम की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं कि हम आपको पूरे अधिकार दे देंगे और इसके लिए आपको अधिकार है। हम किसी भी कारण से 'टाडा' आदि जैसे क्रूर कानून के पक्ष में नहीं हैं। परन्तु हमें मालूम है कि 'टाडा' को किसानों के विरुद्ध इस्तेमाल में लाया जाता है। इन सभी क्रूर कानूनों को श्रमिकों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। हमारे एक विधायक जनजातियों का मुद्दा उठा रहे थे। वह इस समय 'टाडा' अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या किसी अन्य ऐसे ही कानून के तहत जेल में बंद हैं। हम ऐसे निष्ठुर कानूनों का समर्थन नहीं करते हैं। यदि ऐसे कानून का कोई उपयोग है तो आप ऐसे कानूनों का उन लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं जिन्होंने इस देश को लूटा है, हरेक व्यक्ति पर डाका डाला है। परन्तु इसका इस्तेमाल श्रमिकों और किसानों

के विरुद्ध किया जा रहा है। इससे इस बात का पता चलता है कि उनका इस्तेमाल किस प्रकार हो रहा है।

फिर एक मामला आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का है जो भी धन इसमें निवेश किया गया था या मौखिक तरीका अपनाते हुए इसमें जमा किया गया वह आगे लगा दिया गया। बहुत से समझौते कार्यान्वित नहीं किए गए। इस सम्बन्ध में फेयरग्रोथ, हितेन दलाल वी०बी देसाई, केनफिन इत्यादि सभी नाम जाने माने हैं, तथा सारे धन का दुरुपयोग किया। मैं इसके ब्यौरों से आप पर और सभा पर बोझ नहीं डालूंगा। ये रिपोर्ट में दिए गए हैं। मैं इस लम्बी रिपोर्ट के कुछ पहलुओं को बता रहा हूं।

महोदय, कुछ ऐसे प्रश्न उठे हैं, जिनका उत्तर नहीं दिया गया है। अब हर्षद मेहता जेल में बंद हैं। आपकी नजरों में वह एक अपराधी है। आप कर्रवाई कर रहे हैं और उसके विरुद्ध आपने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। यह व्यक्ति इतना बड़ा झांसा कैसे दे पाया? मैं वित्त मंत्रालय में था, हमने भी लोगों, उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों, किसानों, मजदूर संघों के नेताओं को बजट बनाने से बजट बनाने में हमें सलाह देने के लिए आमन्त्रित किया था। पहले मुझे इस बात का पता चला, शायद वित्त मंत्रालय के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जहां व्यक्ति हर्षद मेहता जैसे को चुना गया। इस बात से इन्कार नहीं किया गया है या यह सूचना गलत हो सकती है। मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि खुफिया विभाग हमारे पास नहीं है। यह गलत हो सकता है। यदि यह गलत है तो गलत ही है।

परन्तु हमें यह बताया गया है कि हर्षद मेहता को इस बात पर अपने विचारों से संक्षेप में वित्त मन्त्रालय के अधिकारियों को अवगत कराने के लिए वित्त मन्त्रालय में बुलाया गया था कि देश में निवेश कैसे बढ़ सकता है। शायद श्री मनमोहन सिंह जी सिर हिलाकर यह कह रहे हैं कि यह बात सत्य नहीं है। परन्तु यह बात बहुत पहले ही दी गई थी और औपचारिक रूप से इसका खंडन नहीं किया गया। हमें गलतफहमी में क्यों रखा गया? यदि यह सत्य है तो मैं पूछना चाहता हूं कि 80 करोड़ लोगों मे से, पूरे देश के लोगों में से, जिसमें विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, केवल हर्षद मेहता को ही कैसे आमन्त्रित किया गया? आप मुझें यहीं टोक सकते हैं ताकि मैं इस बात पर आगे न बोल सकूं।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि हर्षद मेहता को वित्त मन्त्रालय ने आमन्त्रित नहीं किया था, इसलिए बजट के मामले पर कोई चर्चा होने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसा जरूर हुआ है कि योजना आयोग के एक सदस्य ने वित्त सचिव को यह कहते हुए सुझाव दिया कि "यहां एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भुगतान संतुलन की स्थिति के बारे में कोई योजना है।" वित्त सचिव उससे मिले जरूर थे। सम्मेलन या किसी अन्य तरह की कोई चर्चा नहीं हुई।···(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्री मनमोहन सिंह ने यह कह दिया है कि कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था और बजट पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, परन्तु क्या वह व्यक्ति बिना बुलाए वित्त मन्त्रालय में आया? यह बात अधिक महत्त्वपूर्ण है। यदि वह निमंत्रण देने के बाद आता तो उस पर आपका पूरा अधिकार बना रहता। वह बिना निमन्त्रण के आया।···(व्यवधान)···

श्री मनमोहन सिंह : बहुत से लोग आते हैं।...(व्यवधान)...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है। प्रश्न यह उठता है कि : जब वह आया तो बजट पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। क्या उसने उच्च अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया या वह केवल चपरासियों से मिला और वापस चला गया।...(व्यवधान)...

श्री मनमोहन सिंह : मैंने कहा कि वह वित्त सचिव से मिलने आया था।... (व्यवधान)...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं पूछ रहा हूं कि जब वह वित्त मन्त्रालय में आया तो वह केवल एक दर्शक की भांति वहां कमरों को देखने के लिए आया था या क्या उसने वहां पर अधिकारियों के एक समूह से विचार-विमर्श किया था? यह बात महत्त्वपूर्ण है।

रक्षा मन्त्री (श्री शरद् पवार) : वित्त सचिव।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : केवल वित्त सचिव? क्या वह किसी अन्य अधिकारी से नहीं मिला? मनमोहन सिंह जी कृपया इसकी जांच करें। शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है। मैं जानता हूं कि वहां पर रहते हुए भी बहुत-सी बातें आपके ध्यान में नहीं हैं, बहुत-सी बातें प्रकाश में नहीं आई हैं। जब आपने कार्यभार ग्रहण किया तब यह घोटाला आपके ध्यान में नहीं था। यह अब प्रकाश में आया है। यह बात भी सामने आ सकती है। आप कृपया इसका उत्तर दें। क्या वह अधिकारियों के एक समूह से मिला था या नहीं? आप हमें औपचारिक रूप से सूचना दें।

श्री मनमोहन सिंह : मैं समझता हूं मैं सभा में वापस आ गया हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : खैर, दूसरी बात यह है कि जब श्री हर्षद मेहता के यहां 25 फरवरी या कुछ दिन पहले तारीख ठीक नहीं भी हो सकती है, छापा मारा गया था, तो उस समय बरामद हुए कागज-पत्र आयकर के मुखिया, मुख्य आयुक्त (आयकर) श्री नायर के पास थे। यह किसने किया और सभी कागज-पत्र किसी दूसरे अधिकारी को क्यों हस्तान्तरित कर दिए गए थे? इन कागज-पत्रों के पीछे किसका हाथ था? आमतौर पर यह आपका विश्वासपात्र व्यक्ति है और उसने यह काम किया है। आपके सभी कागज-पत्र उसके पास हैं। इस बात का कोई विशेष कारण नहीं है कि कागज पत्र किसी दूसरे अधिकारी को क्यों हस्तान्तरित किए गए। इसके लिए बहुत अच्छा कारण है। यदि उन्हें विश्वास नहीं होता तो वह दूसरा कारण है। परन्तु उससे प्रश्न उठा है। इसके पीछे कौन लोग हैं और ये कागज पत्र किन्होंने हस्तान्तरित किए हैं?

उसके बाद बैंक ऑफ कराड़ के अधिग्रहण और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के बारे में एक प्रश्न पहले ही उठाया गया है। शायद वित्त मन्त्री इसके बारे में कुछ कह चुके हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, यह वित्त मन्त्रालय को क्या संकेत देता है? इस पूरे मामले की जांच करने की आवश्यकता है। इसमें ऐसी कुछ बात है जो चिन्ताजनक हैं। हमें यह बताया गया है कि मार्च के शुरू में ही रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्त मन्त्रालय को लिखा था, जिसमें उन्होंने जो कुछ हो रहा है उस पर अपने तरीके से गंभीर चिंता प्रकट की थी और कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता महसूस की थी। तब से लेकर अब तक वित्त मंत्रालय ने सभी बातों का पता लगाने तक उस पर क्या कार्रवाई की है।

कुछ समय पूर्व वित्त मन्त्री जी ने सभा में जो वक्तव्य दिया था हमने यह देखा कि उसमें विदेशी बैंकों का जिक्र नहीं है। जब उनका एकाधिकार और इसमें उनका बड़े पैमाने पर गहराई तक हाथ होने का प्रमाण है तो यह कैसे संभव है कि वित्त मन्त्री के वक्तव्य में विदेशी बैंकों का नाम रह जाए।

श्री मनमोहन सिंह : यह अनुबन्ध में दिया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अनुबन्ध में उनका जिक्र नही है, वह तो मुख्य हैं। यही तो समस्या है, आप उन्हें पीछे ही रखना चाहते हैं परन्तु वे तो कर्त्ता-धर्ता हैं।

श्री मनमोहन सिंह : बैंकों का नाम उसमें दिया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभा को विश्वास में लेंगे और इसके पीछे वास्तव में जिन लोगों का हाथ है उनके नामों का उल्लेख करेंगे।

मैं एक बात पूछना चाहूंगा। अन्तर बैंक चैकों और लेन-देनों को समाशोधन गृहों से होकर गुजरना होता है। समाशोधन गृह सीधे ही भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन हैं। इनमें से एक बंबई में ही है। देश के बाकी भाग में पांच या छह समाशोधन गृह हैं। आमतौर पर समाशोधन गृहों में लोगों को मालूम होता है कि उनके पास किस बैंक का किस स्तर तक लेने-देन है। आप एक तकनीकी उत्तर दे सकते हैं लेकिन कुल मिला कर यह बात मालूम हो गई है कि उनमें क्या सतर्कता बरती जा रही है और क्या पर्यवेक्षण हो रहा है।

जिन बैंकों का लेन-देन 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ रुपए की सीमा तक था उन्होंने अचानक हजारों करोड़ रुपए का लेन-देन करना शुरू कर दिया। यह बात ठीक है कि रिजर्व बैंक की अपनी ही एक प्रणाली है। अतः यह केवल व्यवस्था की असफलता का प्रश्न नहीं है। मैं उन लोगों के नामों और ब्यौरों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, जिनसे हमने अपने पद छोड़ने के लिए कहा था और उन्हें वापस लाया गया और अन्ततः इन्हीं लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। राष्ट्रीय आवास बैंक में हमने श्री फेरवानी को अपना पद छोड़ने के लिए कहा था और उसे वापस लाया गया, मैं सभी व्यक्तियों के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

श्री मनमोहन सिंह : जब हम सत्ता में आये तो वह उस पद पर थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : परन्तु श्री मार्गबन्धु बाद में आए। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूं कि वह केवल व्यवस्था की असफलता का प्रश्न नहीं है। कुछ व्यक्तियों की विफलता भी इसमें शामिल है और इसे केवल यह कहकर नहीं छिपा सकते हैं कि यह व्यवस्था की असफलता है। जब समाशोधन गृहों में कार्य पूरे जोरों पर था उस समय वहां पर [सावधानी से कार्य करने की हिदायत देने में रिजर्व बैंक की असफलता से यह प्रश्न पैदा होता है कि वह लोग कौन हैं, जिन्होंने सावधानी से कार्य नहीं किया।

इसके कुछ अन्य पहलू भी हैं। औपचारिक तौर पर इसे सदैव नकारा जा सकता है परन्तु समय बीतने के साथ-साथ उद्योग हमेशा ही इस बात का आकलन करना शुरू कर देता है कि क्या नीतियां अपनाई जाने वाली हैं। अन्दरूनी सूचना प्राप्त करने के इनके अपने साधन भी होते हैं। एक बात यह है कि उन्हें यह बात स्पष्ट तौर पर मालूम थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व-बैंक ब्याज की दरों को बाजार दर के समान रखने के लिए दबाव डालने वाले हैं। आमतौर पर

नई नीति का रुझान देख लेने के बाद कि ये ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, शायद तत्पश्चात इस विशेष सूचना के बाद कि उच्च ब्याज दरों और शर्तों पर सरकारी प्रतिभूतियों की नई शृंखला आने वाली है फिर उन्हीं विदेशी बैंकों ने बड़े पैमाने पर अपनी प्रतिभूतियों को मुनाफा कमाने के लिए बेच दिया। कूपन दरों, नई आर्थिक नीति, इसके मूल्यांकन सभी के बारे में सूचना का इस बड़े घोटाले में काफी सशक्त हाथ है।

मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह हो चुका है बल्कि यह निश्चित रूप से जानकारी से अधिक हुआ है। वित्त मंत्री जी अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन विदेशी बैंकों ने नई शृंखला आने से एकदम पहले अपनी प्रतिभूतियों को बड़े पैमाने पर बेचने का निर्णय कैसे लिया। क्या यह इस पैमाने पर पहले भी हुआ है? यदि ऐसा इस पैमाने पर नहीं हुआ तो हम इस निष्कर्ष पर कैसे नहीं आ सकते हैं कि उनको कुछ जानकारी मिली होगी जिससे उन्होंने लाभ उठाया है। यदि उन्होंने संपूर्ण अर्थ व्यवस्था और सरकार की आन्तरिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसा रास्ता अपनाया है, तो क्या स्थिति होगी?

जहां तक आंशिक परिवर्तनीयता के निर्णय का संबंध है, उसके बारे में भी उन्हें पहले से ही मालूम हो गया था, उनको इसकी जानकारी थी। नई सरकार के सत्ता में आते ही दो बार रुपये का अवमूल्यन हुआ। उन्हें मालूम था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष हमारे रुपये के और अधिक अवमूल्यन के लिए दबाव डाल रहा है। बहुत से लोग, जो शायद प्रतिभूति घोटाले में शामिल नहीं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके कई पहलू हैं और मुझे नहीं मालूम कि वे इसके अन्तर्गत आते हैं या नहीं। इन लोगों ने आयात करने के बहाने रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा ली थी। इससे पहले सही मायने में आयात हो रहा है या नहीं, इसकी जांच होती थी। फिर उदार दृष्टिकोण अपनाया गया और विदेशी मुद्रा सुलभ कराई जाने लगी। उसके बाद, उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा कि "अवमूल्यन के कारण अब आयात घाटे का सौदा होकर रह गया है और हम विदेशी मुद्रा वापस कर देना चाहते हैं।" 'जब तक ऐसी स्थिति रहेगी, ये ठीक है। लेकिन मुझसे ऐसा कहा है, मैं फिर से गलत हो सकता हूं। विदेश मंत्री जी सही जानकारी देंगे, कि उन्हें अधिक दर पर विदेशी मुद्रा दी गई। हो सकता है उस समय सरकारी दर यही रही होगी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक की यह नीति रही है कि दर अधिक हो। इस बात को जानते हुए उन्होंने अपनी मांग घटा दी और इस तरह से विदेशी मुद्रा अर्जित की। उसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि कारबार लाभकर नहीं था," इसलिए वे उसे वापस करना चाहते हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या उन्हें बाजार दर की अपेक्षा अधिक दर से यह मुद्रा दी गई थी? हो सकता है मुझे गलत सूचना मिली हो, क्योंकि हमें कई बार ऐसी जानकारी मिलती रहती है। कृपया इसकी जांच कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर रोक लगा दी थी। आप सर हिला रहे हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर रोक लगा दी थी किन्तु बैंकों ने इस पर रोक नहीं लगाई। अतः मैं वित्र मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे न केवल भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों का जिक्र करें, बल्कि यह भी देखें कि क्या बैंकों ने अधिक दर पर विदेशी मुद्रा वापस की। यहां पर भी कुछ मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक निर्देशों का अतिक्रमण हुआ है।

हम यह कहते आ रहे है कि इसके विदेशी मुद्रा पक्ष की विस्तार से जांच नहीं की गई,

हालांकि समाचार पत्रों के द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि निदेशी बैंकों में इसकी विशेष लेखा परीक्षा की जाएगी। मैं नहीं जानता कि क्या वास्तव में विशेष लेखा परीक्षा शुरू हुई है। हो सकता है हाल ही में शुरू हुई हो। लेकिन आपके सामने मामले को अच्छी तरह प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बहुत समय दिया गया था। उन्हें कम से कम उतना समय तो मिला। इस छानबीन के लिए हमें कितना समय मिलेगा यह भी देखना है।

इसका दूसरा पहलू यह है। हम यह जानते हैं कि इस पूरे घोटाले में आम आदमी को नुकसान हुआ है। लेकिन इससे लाभ प्राप्त करने वाले तथा अन्तिम रूप से लाभ प्राप्त करने वाले कौन हैं? लाभ प्राप्त करने वाला कोई न कोई होना चाहिए। लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि अन्तिम रूप से लाभ प्राप्त करने वाला कौन है। हो सकता है, वर्तमान कानून के अन्तर्गत, आप कानूनी तौर पर कोई कारंवाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका यह उत्तर होगा कि "यदि हर्षद मेहता और ये सब लोग इस तरह से घोटाला करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लाभ प्राप्त करने वाले लोग वे हैं, हम नहीं।" यदि हमें पूरा मामला समझना है तो यह पता लगाना जरूरी है कि अन्तिम रूप से लाभ प्राप्त करने वाले लोग कौन हैं। उनका पता लगाने पर ही यह समझा जा सकता है कि यह सारा काण्ड किस प्रकार हुआ और इसके पीछे किनका हाथ था।

इससे हम अन्य मामलों को समझ पायेंगे। मैं इस विषय पर विस्तार से जाना नहीं चाहता। भ्रष्टाचार के संबंध में और भी विस्तृत विवरण है। संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो रहा है, शायद तब हम इस विषय पर विस्तृत से चर्चा कर सकते हैं। अभी मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री चन्द्रशेखर जी ने कहा कि जब देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न उठता है तो यह मामला कुछ भी महत्त्वपूर्ण नहीं लगता, क्योंकि देश के सामने इसके अतिरिक्त और भी मामले हैं। मैं उनकी बातों से सहमत हो सकता हूं। लेकिन प्रश्न भ्रष्टाचार का है, न कि नैतिक आधार का। मैं ऐसा नहीं कहता कि भ्रष्टाचार का प्रश्न नैतिकता के आधार पर है। जब हम राजनीति के क्षेत्र में हैं और जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तब कोई भी व्यक्ति अपनी नैतिक बाध्यता को दूसरे पर थोप नहीं सकता। यही मुद्दा है। इसी मूल बात पर हमें ध्यान देना होगा।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : कोई भी नहीं ? ···(**व्यवधान**)···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने साधारणतया यह बात कही है। ठीक है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं इससे सहमत हूं। मैं यह कहता हूं कि कुल मिलाकर यह निजी भ्रष्टाचार की बात नहीं है। जो कुछ है, वही हो रहा है। ऐसी व्यवस्था में हम ऐसी ही स्थितियों का सामना करेंगे। अन्त में आम आदमी ही ठगा जाता है। यदि वह माचिस की डिबिया भी खरीदता है, तो उस पर वह उत्पाद शुल्क देता है। यदि यह धन नहीं निकाला जाएगा अथवा इस धन को खजाने में नहीं रखा जाएगा तो वह ही ठगा जाएगा। उसने अपने धन को सुरक्षित नहीं रखा था इसलिए वह लुट गया। हमें इस पहलू से इस स्थिति को देखना चाहिए न कि नैतिकता के पहलू से। हमें आम आदमी की देखभाल करनी होगी। यह भी देखना होगा कि हमने अनेक देशों से ऋण लिया है यह युक्तिसंगत नहीं है। लेकिन यह बात साफ लगती है कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं। इस तरह से, जब अधिक धन निकाला जाता है तो इससे हमारी आन्तरिक शक्ति और आर्थिक प्रभुसत्ता पर प्रभाव पड़ता है। यह बात नहीं है। हमें यह प्रमाण मिले हैं कि हर्षद मेहता के विदेशों में खाते हैं और विदेशों से उसके भाई और उसकी माता को काफी धन प्राप्त हुआ है। इसके दस्तावेज मिले हैं।

पहले छापे के दौरान इन दस्तावेजों पर सरकार की नजर पड़ी। अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

एक सज्जन थे, श्री शाह, जो अब गायब हो गए। ऐसा अहसास हुआ था। अब हम उनका नाम अच्छी तरह से जानते हैं। अन्यथा हमारा काम रुक गया था और हमें उनके नाम भी नहीं मालूम थे। नाम भूले जा चुके हैं। कम से कम उनका नाम तो याद है। अतः वे यहां से अब कैसे गायब हो गये ?

और एक व्यक्ति है, श्री भूपेन दलाल। उसका लेन देन हर्षद मेहता से भी अधिक है। उसके साथ क्या हो रहा है ? मुझे यह कहा गया है कि उसके साथ बड़ा सम्मानीय व्यवहार किया गया है। हां, आदर सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस निरीक्षक अपना काम आदर सहित कर सकते हैं। लेकिन यह क्या हो रहा है। वह आजाद घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं किया जा रहा है ? और जब यह बात खुल गई तब ग्रेन्डलेस बैंक से यह क्यों नहीं पूछा गया कि मेहता को ये धन कहां से प्राप्त हुआ ? क्या विदेशी बैंकों को ऐसी कोई सुरक्षा प्राप्त है जिससे हम इस मामले में उस पक्ष की ओर ध्यान नहीं दे सकते ?

इतना धन मिला है। ग्रेन्डलेस बैंक यह बता सकता है कि यह पूरा धन कैनेरी द्वीपों से आया है अन्यथा और कहां से आता ? अतः हम इन्हीं विषयों के प्रति चिन्तित हैं।

मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है। मैंने अपने भाषण के दौरान जनता के हित को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार के संबंध में यह सब कुछ कहा है। हम सबको चुनाव के लिए धन जुटाने संबंधी मामले पर विचार करना होगा। इसी बात पर बड़ा समझौता हुआ है। यहीं से लेन-देन शुरू होता है। आमतौर पर, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं, यह बढ़ता जाएगा। जैसे-जैसे निगमित क्षेत्र बढ़ता जाएगा, सरकार में उसको निहित स्वार्थ भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि सरकार के एक छोटे-से नियम से निगमित क्षेत्र पर कई सौ करोड़ों का प्रभाव पड़ सकता है। अतः जैसे-जैसे वे बढ़ते जाएंगे तो भी यह पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि पहले भी इसी तरह कुछ देकर लाइसेन्स आदि लिया जाता था। लेकिन अब अपने स्वार्थ को सुनिश्चित करने के लिए वे इस ओर ध्यान दे रहे हैं और वे यह देखना चाहते हैं कि उचित स्थान पर उपयुक्त लोग हों। आज देश की राजनैतिक परिस्थिति संभवतः उनके अनुसार चल रही है। वे प्रयत्न कर सकते हैं। और जनता में इतनी शक्ति है कि यह उनका मुकाबला कर सके। यह दूसरी बात है। लेकिन इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और इस पर दबाव भी डाला जाएगा, क्योंकि उनके दांव बहुत ऊंचे हैं और यह जारी रहेगा। यह एक बात है।

दूसरी बात यह है कि जब चुनाव खर्चीले हो जाते हैं, तो उसके लिए पार्टी पैसा जमा करती है। मैं किसी भी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूं। श्री केसरी जी क्यों मुस्करा रहे हैं ? मैं आपकी जिम्मेदारी जानता हूं।

(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : क्या कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बिना निधि के चुनाव आयोजन कर सकती है ? क्या आपने चुनाव के लिए कभी कोई धन नहीं लिया ?

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि हमारी यह धारणा बन चुकी है। (व्यवधान) आइए, हम एक-दूसरे की बुराई किए बिना, एक साथ मिलकर इस पर विचार करें। हम इससे किस प्रकार बच पायेंगे ? एक तो राष्ट्र द्वारा निधि उपलब्ध कराने की बात है। यह दलील दी गई है कि चुनाव के खर्चों की गणना नहीं की जाएगी। हां, इसकी गणना नहीं की जाएगी। परन्तु, यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि लोग धन की कमी के कारण चुनाव हार जाते हैं, परन्तु वे इसकी पर्याप्त उपलब्धता से चुनाव नहीं जीत पाते। इसलिए, यदि कोई मौका हो तो कोई व्यक्ति भारी धन के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकता है। कम से कम, व्यवस्था को बनाए रखने का एक मौका मिलेगा। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उसमें ऐसा मौका नहीं है। हमें उसे एक मौका देना चाहिए। हमें सरकारी कार्यकरण को निश्चित रूप से पारदर्शी बनाना होगा। हमें यह जानने का अधिकार है। स्वीडन में यह पारदर्शिता पाई जाती है जहां वहां की आम जनता किसी भी सरकारी फाइल की मांग करके उसे देख सकती है। अतः यदि हम बड़े पैमाने पर इस मुद्दे के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, तो इसी को यहां लागू किया जाना चाहिए। हमने इस संबंध में काफी तैयारी की है। सरकार को यह बात मालूम होगी। हम इसके आगे कार्यवाही कर सकते हैं। हम आपको अपना पूरा सहयोग देंगे। हम रचनात्मक उत्तरदायित्व को, जिन्हें संसद द्वारा पुनर्जीवित किया जाना है, सैद्धांतिक तौर पर लागू नहीं कर सकते हैं। जब हम ऊंचे पद पर आसीन हो जाते हैं, जब हममें रचनात्मक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त ही नहीं होगा, तो जवाबदेही किस प्रकार की होगी। किसी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है तो यह साबित करना तकनीकी तौर पर बहुत ही कठिन है। परन्तु ऊंचे पद के प्रति जबावदेही कहीं से आनी चाहिए। अन्यथा, बिना सोचे ही, निर्णय लिए जाएंगे और जब कभी लोग मिलेंगे तो वे अपना नाम भूल जाएंगे। लोग बिना स्पष्टीकरण दिए, त्याग पत्र दे दिया करेंगे। हम इसका सामना किस प्रकार कर पायेंगे ? इसलिए इस पहलू पर मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि हम सबको एकजुट होना होगा और इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सभी दलों को मिलकर काम करना होगा। इन शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति देश के वास्तविक हित को ध्यान में रखते हुए सच्चाई का पता लगाने के लिए सरकार के विभिन्न संस्थाओं के साथ काम करेगी।

1.32 म० प०

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री माधवन द्वारा समय-पूर्व सेवानिवृत्ति की अधिसूचना

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री श्री (पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, श्री माधवन, जो प्रतिभूति घोटाले में अब तक दर्ज किए गए दस में से सात मामलों की जांच कर रहे थे, द्वारा समय-पूर्व सेवानिवृत्ति की सूचना का 31 जुलाई को सभा में उल्लेख किया गया था। चूंकि इस कठिन और नाजुक जांच-

कार्य में उनके पास महत्वपूर्ण मामले थे, ऐसी स्थिति में उनकी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के निर्णय से चिंता और शंका पैदा हुई है। इस सम्बन्ध में एक आरोप यह लगाया गया है कि श्री माधवन को मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल करने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया और दबाव डाला। एक अनुमान यह निकाला गया है कि इसी कारण से उन्होंने सेवानिवृत का फैसला लिया है। मैंने इन्हीं के आधार पर तथ्यों का पता लगाया है और उन्हीं के आधार पर मैं बता सकता हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के किसी भी अधिकारी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में चल रही जांच-पड़ताल की गति को धीमी करने अथवा श्री माधवन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया था। हम चाहते थे कि श्री माधवन को जो महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, उसे वह पूरा करते। मैंने पहले भी कहा है और पुनः दोहराना चाहूंगा कि पूरी जांच-पड़ताल और पूछताछपूर्ण रूप से करने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आने दी जाएगी। दोषी व्यक्ति को अवश्य सजा मिल जाएगी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो अथवा समाज या सरकार में उसकी कोई भी स्थिति हो, दोषी व्यक्ति को बचाने का प्रश्न ही नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चर्चा के दौरान कुछ टिप्पणियां की गई थीं कि बैंक घोटाले में कुछ मंत्री भी शामिल हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस पहलू का पता लगाया है और प्राप्त जानकारी के अनुमार मेरा विश्वास है कि मंत्री परिषद् का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मध्याह्न भोजन के पश्चात् हम इस पर पुनः चर्चा कर सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, रायबरेली में मस्जिद में फटे बम, जिसमें बहुत से बच्चे मर गए हैं, की घटना के विषय में माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि वह वक्तव्य देंगे। यह चिंता का विषय है। हम जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय उस विषय पर वक्तव्य कब देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हमने सरकार से सूचना एकत्र करने के लिए कहा है। मंत्री महोदय, क्या आप यह बताने की स्थिति में हैं कि आप वक्तव्य कब देने जा रहे हैं?

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : यह मामला कब उठाया गया था?

अध्यक्ष महोदय : यह मामला उस समय आया था जब हम गैर-सूचीकृत मामलों पर चर्चा कर रहे थे। वे गृह मंत्री महोदय से परामर्श करके वापस आयेंगे। अब सभा पुनः ढाई बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.35 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.35 म० प०

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.30 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे गए पत्र लेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

टेलिकम्युनिकेशन्स कन्स्लटेंट्स इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के मध्य वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : मैं टेलीकम्युनिकेशन्स कन्स्लटेंट्स इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पलट पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 2409/92]

नियम 193 के अधीन चर्चा

3.37 म० प०

[अनुवाद]

सरकारी प्रतिभूतियों में अरबों रुपये का घोटाला—जारी

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : शेयरों में अचानक ही कृत्रिम रूप से आई तेजी और उसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति बाजार में हुए सौदों में इस सभा को झंझोर कर रख दिया है। निःसंदेह इससे आम आदमी और जनता को धक्का पहुंचा है। लेकिन जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने इस सभा में कहा है कि जो कुछ घटित हुआ है, उससे वह भी उतने ही चिंतित हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि इन सौदों के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाएगी और जो कोई भी दोषी पाये जायेंगे, उन्हें सामने लाया जायेगा। चाहे कोई कितनी भी ऊंचे पद पर हो, सरकार उसे छोड़ेगी नहीं।

प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं इस सभा में यह स्पष्ट किया है और सभी दलों के नेताओं की सहमति से संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना स्वीकार किया है। यह समिति जो कि ऊंची संस्था है, इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार और उसकी जांच पड़ताल करेगी। सभा को इस विषय की गम्भीरता का पता चल गया है और अब संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच कर रही है।

प्रधानमंत्री महोदय ने यह स्पष्ट किया है कि नई औद्योगिक नीति से इस देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति में कोई बाधा नहीं आ सकती। अतः औद्योगिक नीति को तेजी से लागू करने के लिए उन्होंने बिना किसी शर्त के तथा बड़े स्पष्ट रूप में घोषणा की है कि वित्तीय संस्थानों की अखंडता को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

वित मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से इस सभा में कहा है कि इन झूठे सौदों की जांच की जानी चाहिए और गलती करने वालों के विरुद्ध तुरन्त सख्त और विधिक कार्यवाही करनी चाहिए और दण्ड दिया जाना चाहिए। अतः सरकार का स्पष्ट रूप से यह विचार है कि जो कुछ भी हुआ है, इसकी जांच की जाए तथा उसमें सुधार के उपाय किए जाएं।

मुझे यह जानकर दुःख हुआ जब श्री जसवन्त सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनका बड़ा संशयी स्वभाव है, और संयुक्त संसदीय समिति केवल संसद को असमंजस्य में डालने वाली स्थिति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए साधनमात्र है ? मैं समझ रहा था कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से घोषणा करने के पश्चात् विपक्ष जांच में सहयोग करने हेतु आगे आएगा।

वित्त मंत्री महोदय का कार्य, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है, एक लेखाकार के कार्य जैसा है। उन्हें यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि वस्तुओं को सूचीबद्ध करना जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा है, किसी लेखाकार का काम नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह जो कुछ करने जा रहे हैं। वह पहले ही उसकी घोषणा कर चुके हैं और उन्हें इस प्रणाली की कमजोरियों की, जिसके देश में इतने भयानक परिणाम निकले हैं, जांच करने के लिए तरीके अपनाने चाहिए थे। यह किसी लेखाकार का काम नहीं है। वह किसी सुधारक का काम है जिसने आगे आकर वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है।

ये सौदे, जिन्हें हम कांड कहते है, शेयर-बाजार में कोई नई बात नहीं है। कभी-कभी उनमें अचानक तेजी आती है। हमें बहुत पहले अनुभव है जो हरिदास मुंदरा के शेयर व्यापार के मामलों में उस समय भी घोटाले हुए थे। उस समय मुख्य न्यायाधीश छागला की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था।

ये सौदों को इस सरकार के समय से ही नहीं बल्कि पहले से ही किए जा रहे हैं। जनता दल में महासचिव, जनता पार्टी के सदस्य और संसद सदस्य श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल ने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रो० मधु दण्डवते को 1 अक्तूबर, 1990 को एक पत्र में लिखा कि किस प्रकार से कुछ बेईमान व्यक्तियों द्वारा शेयरों में कृत्रिम रूप से तेजी लाई गई। श्री हर्षद मेहता और श्री भूपेन दलाल नाम जिन्हें अब लाभ प्राप्त हुआ है, इन सभी व्यक्तियों के नाम का तत्कालीन वित्त मंत्री प्रो० मधु दण्डवते को 1 अक्तूबर, 1990 में भेजे गए उक्त पत्र में उल्लेख किया गया था।

उसके पश्चात् 9 अक्तूबर, 1990 को शेयर-बाजार के सौदों की अनियमितताओं के बारे में एक दूसरा पत्र उन्हें भेजा गया। उस समय घोटाला 100 करोड़ रुपए का था। अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा धोखेधड़ी की जांच-पड़ताल करवाई गई होती तो यह घोटाला 3,192 करोड़ रुपयों का नहीं होता। इस बारे में तत्कालीन प्रधान मंत्री को इस संबंध में क्या स्पष्टीकरण देना है ?

उनके भाषण को, जब वह हमारे वित्त मंत्री महोदय से सिद्ध कर रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहा था। क्या मैं उनसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? मुझे न उसी वक्त उनसे पूछना चाहिए था लेकिन मैं सामान्यतः व्यवधान डालने के पक्ष में नहीं हूं। मैं व्यवधान नहीं डालता क्योंकि जब एक वक्ता अनावश्यक रूप से भाषण करता रहे तो उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। इसीलिए मैं चुप रहा, मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं। उस वक्त उन्होंने कौन-कौन से कदम उठाए। वह आज कठघरे में हैं।

अगर उस वक्त उचित जांच-पड़ताल और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा परीक्षण करवाया जाता तो इसका उसी वक्त पता लगाया जा सकता था।

इस तथ्य का क्या स्पष्टीकरण है कि जीवन बीमा निगम म्यूचुअल फंड ने बैंक ऑफ कराड को 50 करोड़ रुपए दिए? इसकी जानकारी दी गयी थी और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उस वक्त कोई उपाय नहीं किए। उन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है और उसके लिए केवल एक ही उपाय रह गया है कि वह अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें।

शेयरों में कृत्रिम तेजी लाने के मामले में इन सौदों में कुछ धोखेबाज दलालों की सांठगांठ के कारण निःसंदेह राष्ट्रीयकृत बैंक और वाणिज्यिक बैंक और विदेशी बैंक के अधिकारी भी सौदों में शामिल हैं।

इसी जानकी रमन समिति नियुक्ति वर्तमान सरकार ने की थी। जानकी रमन समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कुछ बैंक अधिकारियों के साथ उनकी मिलीभगत और सांठ-गांठ थीं। अभी वी० पी० सिंह जी बता रहे थे कि बाजार में, यदि चैक पर 'आदाता के खाते में दें' लिखा हो, तो वह उस खाते में जाना चाहिए। सही तौर पर, यह बैंक का कानून है। किन्तु कुछ ऐसा वाणिज्यिक व्यवहार बन गया है—शायद व्यवस्था में कोई कमी है—कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक का कोई चैक इन बैंकों में से किसी एक बैंक के पक्ष में दिया गया है और उसके साथ जमा-पर्ची अथवा कोई निर्देश संलग्न है तो चैक में लिखी गई धनराशि, जमा पर्ची में दिए गए नाम के व्यक्ति के खाते में जाती है। यह व्यवहार सही नहीं है। और इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के नाम जारी चैक हर्षद मेहता के खाते में जमा हो रहे थे। यह ऐसी व्यवस्था है जो मैं पसन्द नहीं करता। इस व्यवस्था में कई कमजोरियां अन्तर्निहित हैं। अतः, हमें यह सुनिश्चित करना है कि ये कमजोरियां/कमियां कैसे दूर की जायें। किन्तु तथ्य यह है कि कई बेईमान दलालों ने लाभ उठाया है। यह सच है कि वाणिज्यिक बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और विदेशी बैंकों के साथ मिलीभगत के बिना वे ऐसा नहीं कर सकते थे। यह सब फरवरी, 1991 में आरम्भ हुआ था, जब वर्तमान सरकार सत्ता में नहीं थी। यह फरवरी, 1991 में आरम्भ हुआ था। उस समय श्री चन्द्र शेखर के नेतृत्व वाले मन्त्रिपरिषद् के एक सदस्य श्री शान्ति लाल थे। फरवरी, 1991 में, यह यूको बैंक में आरम्भ हुआ था। अप्रैल, 1991 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन लेन-देन में कतिपय विसंगतियां पाईं और तुरन्त भारतीय स्टेट बैंक को जबाव देने को कहा गया, और एस० जी० एल० लेजर खाते को सही करने को कहा गया। जब भारतीय रिजर्व बैंक उस जबाव से सन्तुष्ट नहीं हुआ तो तुरन्त जुलाई, 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बहुत कठोर निर्देश जारी किए जिनका अनुसरण व्यापारिक बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सभी बैंकों द्वारा किया जाना था। यदि उन निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाता तो शायद इस प्रकार के लेन-देन से बचा जा सकता था। किन्तु व्यापारिक बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और विदेशी बैंकों ने इन निर्देशों का दृढ़ता से पालन नहीं किया। इसीलिए इस तरह के लेन-लेन हो पाए। जब भारतीय रिजर्व बैंक को इन विसंगतियों का पता लगा तब तुरन्त जानकीरमन समिति का गठन किया गया—जानकीरमन समिति ने 2 जून, 1992 को एक रिपोर्ट दी—तुरन्त वर्तमान सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिससे प्रथम विशेष अन्तरिम न्यायालय की स्थापना करके इन दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाये, इन लेन-देन में शामिल व्यक्तियों और दोषी पाए गए व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए तुरन्त एक अभिरक्षक की नियुक्ति की गई।

इस अभिरक्षक ने बहुत से लोगों की सम्पत्ति को भी जब्त कर लिया क्योंकि वे या तो इन लेन-देन में शामिल पाए गए अथवा उनके इनमें लिप्त पाए जाने की आशंका थी। इन विशेष न्यायालयों को कार्य करने की अनुमति दे दी गई है। सी० बी० आई जांच को तेज करने की अनुमति दे दी गई है। एक प्रजातान्त्रिक देश में आप किसी व्यक्ति से तब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते जब तक उसके विरुद्ध किसी प्रकार का प्रमाण अथवा उपयुक्त आरोप न लगा हो। ऐसे व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी लेने के लिए, जिनके बारे में कोई शंका हो, जो शायद इन लेन-देन से जुड़े हों अथवा जिनके इनमें शामिल पाए जाने की आशंका हो, आयकर प्राधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। और बहुत से इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जिनके परिसर की तलाशी आयकर प्राधिकारियों द्वारा ली गई थी। अतः, सरकार आराम से नहीं बैठी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को शक्तियां दी गई हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत वे अनुषंगी बैंकों से जानकारी मांग सकते हैं और वे उस जानकारी का सत्यापन कर सकते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35(क) के अन्तर्गत उन्हें कतिपय दिशा निर्देश देने का अधिकार है। जब बैंकर और इसके ग्राहक, दलाल के बीच कोई लेन-देन होता है तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का प्रत्यक्ष रूप से कोई हाथ नहीं होता है, जैसाकि वित्त मन्त्री ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न लेन-देन की सूक्ष्मता से जांच नहीं कर सकता। भारतीय रिजर्व बैंक के पास निरीक्षण करने का और उचित दिशा-निर्देश देने का अधिकार है। जुलाई, 1991 में दिशा निर्देश दिए गए थे। किन्तु बैंकों ने इनका उचित रूप से पालन नहीं किया था और इसके फलस्वरूप ये लेन-देन हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने तुरन्त नए दिशा निर्देश जारी किए ताकि इन दिशा-निर्देशों का दृढ़ता से पालन किया जा सके और कुछेक नियन्त्रण रखने संबंधी उपाय भी किए गए हैं।

निश्चित तौर पर यह हमारी बैंकिंग व्यवस्था की एक अन्तर्निहित कमजोरी है। हमें यह बात अवश्य माननी चाहिए क्योंकि इन व्यापारिक बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और विदेशी बैंकों के इन खातों की लेखा-परीक्षकों द्वारा सूक्ष्म रूप से जांच की जानी चाहिए थी और एक गैर सरकारी लेखा जांच भी होनी चाहिए जिससे, जैसे ही किसी प्रकार की विसंगतियों का पता लगे, आम जनता को इन लेन-देन की जानकारी कराई जाये। किन्तु ऐसा नहीं किया गया था। वित्त मन्त्री ने घोषणा की है कि अब योग्य लेखा-परीक्षकों द्वारा अनुवर्ती लेखा, बैंकिंग व्यवस्था का आन्तरिक लेखा और सक्षम लेखाकारों से बाह्य निरीक्षण भी करवाया जाएगा। आन्तरिक लेखा-परीक्षकों को इतनी अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए कि यदि उन्हें किसी विसंगति का पता लगे, यदि उन्हें किसी विसंगत लेन-देन का पता लगे तो वे उसे तुरन्त उचित प्राधिकारी के ध्यान में ला सकें।

सरकार ने पहले ही नरसिम्हम समिति का गठन कर दिया है और नरसिम्हम समिति ने सिफारिश की है कि एक योग्य प्राधिकारी द्वारा बाह्य निरीक्षण अवश्य होना चाहिए जो एक स्वतंत्र संस्था होगी ताकि बैंकिंग व्यवस्था के लेन-देन की सूक्ष्म रूप से जांच हो सके और उन पर नियंत्रण भी रखा जा सके। सरकार ने उन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है, स्वयं वित्त मन्त्री ने घोषणा की है कि सरकार एक उचित निकाय की स्थापना करेगी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड को भी इन लेन-देन की सूक्ष्म जांच के लिए और आवश्यकता पड़ने पर इसके रिपोर्ट करने के लिए पहले से अधिक शक्तियां दी गई हैं। अब, सरकार क्या कर सकती है? किसी ने यह नहीं कहा है कि इन सभी लेन-देन में सरकार शामिल है। ये लेन-देन बैंकर तथा दलाल के मध्य हुए हैं। ऐसा कहा गया है कि बैंकरों ने बी० आर्ज० के विरुद्ध ऋण तथा अग्रिम धनराशि मंजूर की थी जो कभी-कभी तो

बलपूर्वक करवाए गए थे और उनके साथ उचित प्रतिभूति भी नहीं थी । एस० जी० एल० को सही समन्वय नहीं किया है । यदि ये सभी लेन-देन व्यवस्था में विसंगतियों के कारण हुए हैं तो अब सरकार सतर्क रहने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती । मैं मानता हूं कि यह सब न केवल वर्तमान सरकार के शासनकाल में हुआ अपितु यह सब काफी पहले ही आरम्भ हो गया था । यदि उसी समय इसकी जांच हो जाती और यह सिद्ध हो गया होता, तो शायद यह इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती ।

अतः, मैं इस सदन के समक्ष यह बता रहा हूं कि हमारी संयुक्त संसदीय समिति है और संयुक्त संसदीय समिति को पूरी स्थिति की जानकारी है और अब सदन सभी मुद्दों की जांच करके अपनी सिफारिश करेगा । अतः, यह अब देश की उच्चतम संस्था के हाथ में है ।

अब, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कह रहे थे कि यह घोटाला नई औद्योगिक नीति से जुड़ा हुआ है और उदारवादी नीति का परिणाम है । संस्कृत में कहावत है 'काको तालियो जुक्ति' यानि, जब कौआ उड़ता है और गिर जाता है तो यह गिरना कौए की वजह से माना जाता है । यह तो बहुत हैरानी की बात है । नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को नौकरशाही नियन्त्रण के पंजे से छुड़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना है । व्यापारिक नीतियों, औद्योगिक नीतियों, वित्तीय नीतियों, धन सम्बन्धी नीतियों को, नई औद्योगिक नीति को समाहित करने, विकास करने और उसे बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया है । इस नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का है ताकि अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो सके ।

कोई कुछ भी कहे किन्तु यह स्पष्ट है कि इस नई औद्योगिक नीति का इस प्रतिभूति घोटाले के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, यह प्रतिभूति घोटाला कतिपय बेईमानी, कतिपय अफसरों के साथ मिलकर हुए कतिपय लेन-देन का परिणाम है । ऐसा कभी भी हो सकता है । किन्तु इस प्रकार समीकरण करना और यह पता लगाना कि नई उदारवादी नीति इसके लिए जिम्मेदार है, यह निराशा, कुण्ठा से उत्पन्न बहस है, क्योंकि विपक्ष के पास नई औद्योशिक नीति के विरोध में कहने को कुछ नहीं था···(**व्यवधान**)···मुझे इस प्रकार के हस्तक्षेप की आदत है किन्तु मैं इसका बुरा नहीं मानता । मैं इसका स्वागत करता हूं···(**व्यवधान**)···

नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार करना है और अर्थव्यवस्था को उदारवादी बनाना है, ताकि अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ताकि इसे कतिपय राज सहायता और अन्य धन-राशि पर निर्भर न रहना पड़े । उचित आन्तरिक नियन्त्रण और बाह्य निरीक्षण की कमी का कारण हमारी बैंकिंग व्यवस्था में कमियां हो सकती हैं और इनका पता लगा लिया गया है । अतः, सरकार व्यवस्था की सुधारों का प्रयत्न कर रही है ।

निश्चित रूप से, इस प्रतिभूति घोटाले ने पूंजी बाजार को प्रभावित किया है । इसके बारे में कोई शंका नहीं है क्योंकि आजकल पूंजी बाजार में बहुत ही मंदा चल रहा है और यदि यह ऐसे ही रहा तो यह शायद हमारे आर्थिक कार्यक्रम को भी प्रभावित करेगा । मैं वित्त मन्त्री से इस पर विचार करने का आग्रह करूंगा कि क्या पूंजी बाजार को मुक्त लेन-देन के लिए खोलना और लोगों को पूंजी बाजार में स्टॉक सम्बन्धी लेन-देन के लिए तैयार करना सम्भव होगा । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का पूंजी बाजार विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक है । 1991 में, हमारे पूंजी बाजार का 91 प्रतिशत विकास हुआ था । अमरीका में, मात्र पन्द्रह प्रतिशत, ब्रिटेन में मात्र

पन्द्रह प्रतिशत और जापान में मात्र एक प्रतिशत विकास हुआ था। अतः, हमारा पूंजी बाजार विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और इस प्रतिभूति घोटाले के परिणामस्वरूप, पूंजी बाजार निश्चित रूप से प्रभावित होगा। यह अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। अतः, मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वे उन तरीकों का पता लगाएं कि जिससे नियमित लेन-देन के लिए पूंजी बाजार खोला जा सके। मेरे विचार में, एक बार नियमित लेन-देन आरम्भ होने के पश्चात् अन्ततः बाजार शक्तियां शान्त हो जाएंगी और आज जिस खराब स्थिति में अर्थव्यवस्था पहुंच गई है वह दूर हो जाएगी।

मैं यह अवश्य कहूंगा कि विपक्ष को अधिक रचनात्मक रुख अपनाना चाहिए था। अब जबकि यह मामला सदन के हाथ में है, तो केवल सरकार को दोषी ठहराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब संयुक्त संसदीय समिति को विभिन्न पहलुओं से सम्पूर्ण लेन-देन की जांच करनी है। प्रधान मन्त्री ने भी सदन के बीचों-बीच यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस जांच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा।

3.00 म० प०

यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उससे ठीक तरह से निबटा जाएगा। इस आश्वासन के पश्चात् विपक्ष के सदस्यों में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहना चाहिए। विपक्ष को आगे संयुक्त संसदीय समिति की कार्यवाही/चर्चा में सहायता करनी चाहिए; वहां पर सभी दलों का प्रतिनिधित्व होगा। यह कहने में कोई औचित्य नहीं है कि संयुक्त संसदीय समिति को इस असमंजस की स्थिति से बचने के लिए बनाया गया है। यह मात्र कुण्ठा से उत्पन्न होता है क्योंकि विपक्ष को इस बात का ज्ञान है कि इस समिति के गठन के पश्चात् अब केवल सरकार नहीं अपितु सम्पूर्ण सदन इस मामले की जांच करेगा।

महोदय, मैं इस सम्मानमीय सदन के समक्ष एक निवेदन करना चाहता हूं। निश्चित रूप से ये लेन-देन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं। किन्तु, इसी के साथ, हमें सत्य का पता लगाना है जिससे पुनरावृत्ति न हो। हमें रोग का पता लगाकर उसका इलाज करना है। हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्या कारण था जिससे इस प्रकार का प्रतिभूति घोटाला हुआ? कई गुप्त बातें उजागर हुईं। किन्तु उचित नियन्त्रण नहीं था। बैंकरों ने भी अपनी भूमिका ठीक प्रकार से नहीं निभाई।

वित्त मन्त्री ने स्पष्ट कहा है कि निश्चित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक ने उतने प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका नहीं निभाई है जितनी निभाई जानी चाहिए थी। यह स्पष्ट अभिस्वीकृति है कि भारतीय रिजर्व बैंक निश्चित तौर पर उस जिम्मेवारीपूर्ण कर्त्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहा है जो केन्द्रीय बैंक होने के कारण इस पर थोपा गया था। किन्तु यदि ऐसा नहीं किया गया है तो इसकी जांच की जानी चाहिए थी। जांच का परिणाम जाने बिना, जो इस सदन तथा जनता के समक्ष उपलब्ध कराया गया है; यह कहना कठिन है कि कौन दोषी है और कौन नहीं है। हम एक प्रजातान्त्रिक देश में मात्र सन्देह के आधार पर आगे कार्यवाही नहीं कर सकते। जांच की जा रही है और हमें इस जांच को सही मानने में आगे बढ़ने देना चाहिए। जांच का परिणाम जो भी हो, यदि रिपोर्ट मिलने के पश्चात् सरकार उचित कार्यवाही नहीं करती है तो तब केवल सरकार ही जवाबदेह होगी। इस समय विपक्ष द्वारा यह कहना कि सरकार की बातों में सच्चाई नहीं है, ठीक नहीं है; अभी इसका समय नहीं आया है।

माननीय प्रधान मन्त्री ने अपने वक्तव्य में एक बार नहीं अपितु कई बार यह स्पष्ट कहा है कि सरकार कुछ नहीं छिपा रही है। उन्होंने यह काफी स्पष्ट शब्दों में कहा था। एक बार सत्य का पर्दाफाश होने के पश्चात् सरकार उचित कदम उठाएगी। मैं निवेदन करता हूं कि तब तक सरकार के विरुद्ध कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए।

सरकार ने जो कदम उठाए हैं मैंने उनके बारे में बताया है। और क्या किया जाना चाहिए? मैं यह प्रश्न आपसे पूछता हूं। मैंने यह प्रश्न इस सदन के समक्ष रखा था। 2 जून को जानकीरमन समिति ने अपनी प्रश्न रिपोर्ट दी थी। सरकार ने तुरन्त 6 जून को अध्यादेश जारी किया और विशेष न्यायालय की स्थापना की तथा दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति को जब्त करने के लिए अभिरक्षक की नियुक्ति की। स्वयं सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच तेज कर दी है। स्वयं सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो और विभिन्न अन्य एजेन्सियों के माध्यम से जांच को और अधिक प्रभाव बनाने हेतु प्रयास किए हैं। एस० ई० बी० आई० की और अधिक शक्तियां दे दी गई हैं। अनुवर्ती खाते बनाए गए हैं ताकि लेखा-परीक्षक स्थिति का जायजा ले सकें। इस मुद्दे को सुस्पष्ट किया जाए ताकि इसे जनता के सामने लाया ज सके।

मैं मानता हूं कि यदि सारे बैंकिंग लेन-देन का कम्प्यूटरीकरण कर दिया जाए तो इसे जनता के सामने अधिक प्रभावी ढंग से लाया जा सकता है और अधिक प्रभावशाली तरीके से निबटा जा सकता है। सरकार भी कदम उठा रही है कि लेन-देन को सुस्पष्ट रूप से तुरन्त उपलब्ध कराया जाए। सरकार और क्या कर सकती है? सरकार पूरी ईमानदारी के साथ सभी प्रयास कर रही है। प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री के आश्वासनों से यह स्पष्ट है कि सरकार गलत काम करने वालों की गतिविधियों को सहन नहीं करेगी। इस सबके बावजूद भी, यदि विपक्ष को सन्देह है तो वे 'निराशा तथा कुण्ठा की भावना' से ग्रसित हैं। मैं कहता हूं कि उन्हें आगे बढ़कर सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।··· **(व्यवधान)**···

मैं मानता हूं कि प्रतिभूति घोटाला श्री वी० पी० सिंह के शासन काल में ही आरम्भ हो गया था। जनता दल के अवर सचिव तथा एक वरिष्ठ सांसद श्री शान्ति लाल ने इस प्रतिभूति घोटाले के बारे में प्रो० मधु दण्डवते को पत्र लिखा था। उस समय यह घोटाला 100 करोड़ रुपयों का था।

मैं जानना चाहता हूं कि श्री वी० पी० सिंह उस समय क्या कर रहे थे। श्री चन्द्र शेखर सरकार के शासन काल के दौरान श्री शान्ति लाल पटेल मन्त्री बने थे। उस सरकार ने कौन से कदम उठाए थे? फरवरी, 1991 में, ये लेन-देन हो चुके थे। जानकी रमन समिति ने कहा है कि अप्रैल, 1991 में भी ये लेन-देन थे। हमारी सरकार उस समय सत्ता में नहीं आई थी। जुलाई, 1991 में ही जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई, भारतीय रिजर्व बैंक ने लेन-देन पर अधिक सख्ती से नियन्त्रण करने हेतु निर्देश जारी किए थे।

अतः, मैं मानता हूं कि जो भी आलोचना की गई है वह गलत है और उसका कोई आधार नहीं है। मैं विपक्ष के सदस्यों से पुनः अपील करता हूं कि वे संयुक्त संसदीय समिति के गठन एवं सरकार द्वारा किए गए उपायों को उसी भावना में लें जिस भावना से इनकी घोषणा की गई है और सरकार ने कुछ नहीं छिपाया है क्योंकि सरकार सत्य का पता लगाने का और उपचारात्मक उपाय करने का प्रयत्न कर रही है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने सोचा था कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस चर्चा में कोई भाग नहीं लेगा। हमने अभी जो भाषण सुना है उसने हमारा कार्य कुछ हल्का कर दिया है क्योंकि उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी के लेन-देन हुए हैं, बुरे परिणाम हुए है ; कमियां रही हैं, बेईमान दलाल हैं, बेईमान अफसर हैं और उन्होंने केवल बेईमान राजनीतिज्ञों के बारे में बात नहीं की है। वे बड़े यत्न से इसके कारणों के बारे में बात से बचे हैं और संयुक्त संसदीय समिति पर निर्भर रहने के अलावा उनके पास कोई सुझाव नहीं है। किन्तु, उनका मत है कि यह नई आर्थिक नीति का परिणाम नहीं है और नई औद्योगिक नीति ने व्यवस्था में बहुत सुधार किया है। औद्योगिक उत्पादन कम हो गया है; कृषि उत्पादन कम हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है और मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। यही वह जबरदस्त सुधार है जो हमारे वित्त आयोग सदस्य ने देखा है। 'हरियाली के अंधे' की आंख से वे हमारे केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों की स्थापना करेंगे ! अपनी महान् विद्वता से मैं नहीं जानता कि उन्हें यह सूचना किसने दी है—उन्होंने पता लगाया है कि एक जनता दल सांसद ने एक पत्र लिखा था।

डॉ० देवी प्रसाद पाल : वह सूचना प्रेस में है। 21 और 23 जुलाई के 'फ्री प्रेस जर्नल' में यह सूचना दी गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसके विपरीत नहीं कह रहा हूं। मैं प्रसन्न हूं कि वे 'फ्री प्रेस जर्नल' पढ़ते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें इसकी प्रति किसने दी है। स्पष्टतया, उनके पास इसकी प्रति है।

डॉ० देवी प्रसाद पाल : प्रो० मधु दण्डवते ने स्वीकार किया है कि उन्हें दो पत्र लिखे गए थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, पहले हमें कहा जाता था कि दूसरों के बीच में हस्तक्षेप करने की हमारी बुरी आदत है। अब इस बुरी आदत में उन्होंने दक्षता हासिल कर ली है।

महोदय, हम इस काण्ड से हैरान नहीं हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार में ऐसे काण्ड बहुत हुए हैं। हमने बहुत से काण्ड देखे हैं। मुझे इस सदन में 1970 से रहने का गौरव प्राप्त है और हमने बहुत से काण्ड देखे हैं। अतः; हम हैरान नहीं हैं। अब, सारा आरोप व्यवस्था की कमजोरी पर लगाया जा रहा है। यह व्यवस्थापरक कमजोरी क्या है ?···(व्यवधान)···कांग्रेस सरकार की सर्वांगीण असफलता को तथा कथित व्यवस्थापरक असफलता के अन्दर लाया जा रहा है। यह व्यवस्थापरक असफलता क्या है ? ऐसा कहा गया है कि बैंकों का कार्य-संचालन उचित प्रकार से नही हुआ है ?

बैंकों की गतिविधियों, उनके कार्य-संचालन, उनके अविवेक, उनकी धोखाधड़ियों को देखने के लिए कोई उचित तंत्र-प्रणाली नहीं है। शायद ऐसा कोई तरीका नहीं है।

यदि मैं माननीय वित्त मन्त्री से पूछता हूं तो वे इसका औचित्य ठहराने के लिए कोई बहाना ढूंढेंगे कि यह इस महान् नीति का परिणाम नहीं है। हमें अमरीकी शब्द भी मांगना पड़ा। हम सामान्य-सा शब्द स्कैन्डल (कांड) का इस्तेमाल करते हैं। वह शब्द यहां नहीं चलेगा। इस देश में उस विकृति की गहनता/व्यापकता दर्शाने के लिए अमरीकी शब्द 'स्कैम' (घोटाला) का इस्तेमाल करना है। यदि यह व्यवस्था की असफलता है तो व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहा

जा सकता। किसी व्यक्ति की कोई भी भूमिका रही हो, यह हर हाल में असफल होगा, किन्तु आप व्यक्तिगत तौर पर आरोप क्यों लगा रहे हैं ? आप कुछ भ्रष्ट अफसरों और भ्रष्ट बैंकरों का भ्रष्ट दलालों पर आरोप क्यों लगा रहे हैं ? आप कह रहे हैं कि यह नियन्त्रण तन्त्र व्यवस्था की असफलता है। वे किसके हाथों में थे ? आपने डॉ० देवी प्रसाद पाल को अपना प्रवक्ता बनाया है और वे सौ करोड़ रुपयों के कथित घोटाले की जांच करवाने में जनता दल की कथित असफलता के बारे में आंसू बहा रहे थे। किन्तु 3,500 करोड़ रुपए के इस कांड के लिए एक आंसू भी नहीं गिराया गया है, जिसमें सैंकड़ों हजारों आम निवेशकर्त्ताओं आम जनता ने अपनी भविष्य निधि में से उधार लेकर कुछ लाभ की उम्मीद में इन शेयर सौदों में निवेश किया है अथवा अपनी उपदान राशि का निवेश किया है। वित्त राज्य मंत्री टी०वी० पर आए थे, टी०वी० पर उनका चेहरा चमक रहा था, "यह हमारी नीति की सफलता है। शेयर बाजार के उछाल को देखो, वह इस लूट में भाग लेने के लिए लोगों को आमन्त्रित कर रहा है।" आज ये लोग दरिद्र हो चुके हैं और इस सरकार को कोई शर्म नहीं है। इस क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में हमारा केन्द्रीय बैंक है। हमारे पास बैंकिंग विभाग है। हमारे पास वित्त मन्त्रालय है। हमारे पास सम्पूर्ण तन्त्र है, किन्तु इसका परिणाम है कि आज लोक निधि के लगभग 4,000 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं; कोई भी इसका पता लगा पाने में समर्थ नहीं है। क्या यह पैसा विदेश में है ? यह धन किसके पास है ? सरकार को हमें और देश को यह बताना है। आज सैंकड़ों लोग दरिद्र हो चुके हैं। किन्तु हमारी सरकार कितनी सहज है। यह किसकी जिम्मेवारी है ? वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और इतनी अन्य जांच संबंधी एजेंसियों के होने का क्या लाभ है, यदि आप पता ही नहीं लगा सकते ? ऐसा कहा जा रहा है कि मधु दण्डवते ने कोई जांच नहीं की है। किन्तु 26 जुलाई, 1991 को, स्वयं भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों को पत्र भेजा था। उस पत्र में 'रेडी फारवर्ड, डबल रेडी फारवर्ड' —जो भी भाषा है, जैसे खोजों के बारे में है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के उस पत्र में इस सबका उल्लेख था। 26 जुलाई, 1991 के पत्र में सब बताया गया है कि बैंक में पर्ची जारी करके रेडी फारवर्ड, डबल रेडी फारवर्ड सेल्ज लेन-देन होते हैं जबकि वास्तव में कोई प्रतिभूति नहीं होती है। आपने जांच क्यों नहीं कराई है ? जुलाई, 1991 से आज तक आपने और कौन-सी नई जानकारी प्राप्त की है ? इसीलिए मैं कहता हूं कि हम कितने अजीब देश में रह रहे हैं, किसी और व्यक्ति पर जिम्मेवारी डालना बहुत आसान है। वित्त मंत्री जी, अथवा भारत-सरकार संयुक्त संसदीय समिति को काम सौंप कर यदि यह सोचती है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है तो हम संयुक्त संसदीय समिति को आपके लिए बचाव का रास्ता नहीं बनने देंगे। यह आपके लिए किसी प्रकार की रियायत नहीं है। इसकी मांग हमने की थी क्योंकि आपके पास इन आरोपों का कोई जवाब नहीं था। अतः, आपको संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति को स्वीकार करना होगा। यह परोपकार नहीं है, यह देश को कोई उपहार नहीं है। हमें आज बताया गया है कि उचित जांच की जा रही है।

मैंने माननीय प्रधान मन्त्री की बात बहुत ध्यान से सुनी थी। वे क्या कर सकते हैं ? वे कहते हैं, "मेरे सभी मन्त्री अच्छे हैं।" आप कैसे जानते हैं क्योंकि, उन्होंने कहा है : "हम अच्छे हैं।" वे कहते हैं "प्रधान मन्त्री कार्यालय जिम्मेवार नहीं है। आप कैसे जानते हैं ? वे कहते हैं : 'मेरे अफसरों ने कहा है कि उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया है। अतः प्रधान मन्त्री कार्यालय अच्छा है।" ऐसा उन्हें कहना ही है। किन्तु वे ऐसा कैसे कह सकते हैं ? हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनके पास कोई व्यक्तिगत सूचना है। उनके पास कोई व्यक्तिगत जानकारी कैसे हो सकती है ? किन्तु इसका

परिणाम यह है कि एक सदस्य चले गए हैं और योजना आयोग के एक सदस्य, हमें बताया गया है कि वे सबसे अधिक सशक्त सदस्य थे, जिन्होंने मारूति, सेल और भी कई जगह प्रभावशाली रूप से काम किया और जो वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक में हर्षद मेहता को लेकर आए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किन्तु वित्त सचिव के अलावा उनकी और किसके साथ बात हुई है ? हम कुछ नहीं जानते हैं ? किन्तु वित्त सचिव के साथ उनकी क्या बात हुई है। विदेशों से धन देश में लाने के बारे में बात हुई थी। क्या चर्चा हुई थी ? इस चर्चा की विषय सूची क्या थी ? वे हर्षद मेहता से मिलने के लिए क्यों तैयार हुए थे ? यह सब नहीं बताया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें समाचार पत्रों एवं विशेषज्ञों से जो पता चला है कि ये सब किस तरीके से किया गया था, मैं उस बारे में बात में नहीं करना चाहता। 8 जुलाई को माननीय वित्त मन्त्री ने सदन के बीचों-बीच जो वक्तव्य दिया था वह सरकार की कार्यवाहियों, संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र के कार्य-संचालन के प्रति काफी आलोचनात्मक था। माननीय वित्त मन्त्री हमें कहते आए हैं हैं कि उन्होंने कार्य-भार सम्भाल लिया है; हमारा वित्तीय क्षेत्र बहुत सुदृढ़ हैं; हमारी बैंकिंग व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। नरसिंहम समिति ने कहा है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है; यह एक बहुत शक्तिशाली बैंकिंग व्यवस्था है; इसके अनुसार भारतीय बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था ने अपना विस्तार करने में एवं कार्य क्षमता बढ़ाने में बहुत प्रशंसनीय विकास किया है। अर्थव्यवस्था में वित्तीय अन्तंवृतियों को बढ़ावा देने और वित्तीय बचतों के विकास को बढ़ावा देने में बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार बहुत महत्त्वपूर्ण है।" महोदय, आज हमें डॉ० देवी प्रसाद पाल ने बताया है कि आपने इस रिपोर्ट का अनुसरण किया है। यह हमें पहले नहीं बताया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कहने के लिए उनके पास कोई प्राधिकार नहीं हो।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : आप कृपया इसका शेष भाग भी पढ़ लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसे पढ़ें। यदि मैंने कोई हिस्स छोड़ दिया है तो उसे आप पढ़ें ··(**व्यवधान**)···आपकी अनुमति से; क्या मैं यहां लिखे हुए अन्तिम भाग को पढ़ सकता हूं :

> "जैसा कि पहले के पृष्ठों में दर्शाया गया है, भारतीय वित्तीय व्यवस्था ने उन 11 महीनों को छोड़कर, पिछले दो दशकों में संसाधन जुटाने, अपना भौगोलिक विस्तार करने एवं कार्य-क्षमता बढ़ाने में कार्य प्रभावशाली कार्य किया है···"

महोदय, इस नई आर्थिक नीति, नई औद्योगिक नीति, नई व्यापार नीति का सम्पूर्ण ढांचा इस बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था के उचित कार्य-संचालन पर निर्भर करता है। अन्यथा, आप इसे नहीं कर सकते हैं।

महोदय, हम वर्षों से कहते आ रहे हैं कि भारत-सरकार को इस बैंकिंग व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या हुआ है ? हम सरकार को चेतावनी देते रहे हैं कि आपके अपने छोटे व्यक्तिगत एवं राजनैतिक स्वार्थों के लिए भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों का उपयोग किया जा रहा है। आप केवल काला बाजारियों, लाभ कमाने वालों, बड़े उद्योग समूहों एवं एकाधिकारवादी घरानों को ही अधिकतम राशि दे रहे हैं। वे इन राष्ट्रीयकृत बैंकों का लाभ उठा रहे हैं। बैंकों का 86 प्रतिशत निवेश औद्योगिक समूहों और एकाधिकार व्यापार गृहों, कर अपवंचकों, कर न देने वालों के पक्ष में कुछ खास उद्देश्यों, खाद्यान्न जमा करने के उद्देश्य से दिया गया है। हम यह कहते रहे हैं। हमने ऋण मेला जैसे बैंकिंग व्यवहार के कई भयानक उदाहरण देखे हैं। हमने देखा है कि किस तरह मंत्रियों ने राजनीतिक कारणों, व्यक्तिगत कारणों से बैंकों को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझा है। चेयरमैन

तथा प्रबन्ध निदेशकों के पदों पर नियुक्तियां कैसे हुई हैं। जो भी मन्त्री होता है वह सर्वे-सर्वा बन जाता है। नियुक्तियां की जाती हैं। हम जानते हैं कि मंगलौर से इतनी नियुक्तियां कैसे हुई हैं। ऐसा कैसे हुआ? श्री चन्द्रशेखर जानते हैं, जो इन ऋण मेलों के बहुत समर्थक थे। आज उन लोगों का इनके बहिष्कार किया जा रहा है। उनका चयन किसने किया था? क्या आपने उनका चयन नहीं किया था? उनका चयन किसने किया है? उन्हें इतने जिम्मेदारी के पद पर किसने नियुक्त किया था! अब यह कहना बहुत आसान है कि वे गलत लोग है; भ्रष्ट लोग हैं और सारी जिम्मेवारी जनता दल सरकार पर डालने की कांग्रेस प्रवक्ता की यह कोशिश एकदम निम्न कोटि को और व्यर्थ है। यदि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो उनकी आलोचना करें। किन्तु यदि लोगों ने अपना निर्णय सुना दिया है तो आप उन पर दोषारोपण नहीं कर सकते। किन्तु, आपके बारे में क्या कहें? आप क्या इस तरह से स्थिति का सामना करेंगे—किसी बैंकर, किसी अफसर और राजनैतिक प्राधिकारियों पर किसी तरह जिम्मेवारी डाल रहे हैं जो प्रधान मन्त्री की चाटुकारिता में लगे रहते हैं और कहते हैं, "हमने बड़े महान कार्य किए हैं, हमने संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति कर दी है, अब और अधिक आप क्या चाहते हैं?" जैसाकि मैंने कहा था, मैं कार्य-प्रणाली की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि यह कार्य संयुक्त संसदीय समिति करेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा व्यवस्था को लगातार नुकसान पहुंचाने के प्रयास के बावजूद हमारा संसदीय प्रजातन्त्र में पूर्ण विश्वास है। यह उनकी संस्कृति है।

जहां तक 8 जुलाई को माननीय वित्त मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का सम्बन्ध है, वे कहते हैं, "मैं स्पष्टवादी रहा हूं।" आप और क्या कर सकते हैं? आप यह सब छिपा कर कैसे रख सकते हैं? अब सब कुछ सामने आ गया है। मैं माननीय मन्त्री से कुछ बातें जानना चाहता हूं। जैसाकि आपने कहा है कि 3,500 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं, यह धन पता नहीं कहां चला गया है? आपका इस समय मूल्यांकन क्या है? आपके अनुसार, इसमें से कितना विदेश गया है? यह धन विदेश किसने भेजा है? शेष धन कहां है? आम जनता का कितना धन गायब हुआ है? मैं माननीय वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं कि उन्होंने शेयर बाजार में आए उछाल का मूल्यांकन कैसे किया था? श्री पी० वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में भारत सरकार, जिसके योग्य वित्त मन्त्री डॉ० मनमोहन सिंह हैं और वे जानते हैं, उनके बुरी संगति में होने के बावजूद, उनके प्रति मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा है। ये बहुत महत्त्वपूर्ण बातें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बैंकों ने शेयर दलालों को किस आधार पर, किस अधिकार के अधीन, किस विचार पर हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे? यह तो 'अरेबियन नाईट' की कहानी जान पड़ती है। एक व्यक्ति जो पांच वर्ष पहले बिल्कुल निर्धन था, अब वह ए० सी० सी० के पांच प्रतिशत, शेयर, अपोलो टायर के पांच प्रतिशत शेयर, और वी० आई० पी० के पांच प्रतिशत शेयरों का मालिक है तथा पांच वर्षों में कुल मिलाकर उसके पास 500 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर हैं। उसने ये 500 करोड़ रुपए पांच वर्षों में बनाए हैं। आयकर विभाग क्या कर रहा है? उसके पास इतनी सम्पत्ति कहां से आई? उसका तस्वीर इस देश के लगभग प्रत्येक आर्थिक जर्नल, जो इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, के पृष्ठ पर थी। ये सभी आर्थिक जर्नल और इस देश के अधिकतर बड़े समाचारपत्र इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने उसे बाजार अर्थव्यवस्था, फ्री अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार में उछाल लाने जो एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का सूचक माना जाता है, के एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया। समाचारपत्रों में ऐसा लिखा जा रहा है कि उसकी एक मोटर कार 45,000 डालर मूल्य की है। यह कैसे प्राप्त कर सका? आयकर विभाग ने इस बारे में क्या पता लगाया है? इस व्यक्ति के बारे में आयकर विभाग ने क्या मूल्यांकन किया है?

महोदय, मुझे याद है मैंने एक दिन पूछा था—कि क्या उनके बारे में एक आयकर संबंधी जांच हुई थी और उनका शायद आयकर प्राधिकारियों के साथ एक समझौता हुआ था और उसके अनुसार उन्होंने 20 करोड़ रुपयों का भुगतान किया था; मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें इतने हजार करोड़ रुपए शामिल हैं— उन्हें 20 करोड़ रुपए कहां से मिले ? इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने 622 करोड़ रुपए एक चैक द्वारा, मैं नहीं जानता एक चैक द्वारा अथवा दो चैकों द्वारा, वित्त मन्त्री मुझे सही कर सकते हैं—भारतीय स्टेट बैंक को दिए थे। इस व्यक्ति को जो एक आम आदमी है, इतना धन कहां से मिला है ? ऐसा कहा जा रहा है—कृपया मुझे सही करें—कि देश के लगभग प्रत्येक बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक से, बैंक आफ इण्डिया, सिटी बैंक से ग्रिन्डलेज बैंक तक, के साथ उनके सीधे सम्पर्क थे।

महोदय, विगत तीन वर्षों से ये महोदय, श्री हर्षद मेहता—यह मेरी सूचना है; यदि मैं गलत हूं तो वे मुझे सही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, मैं न तो कोई दलाल हूं और न ही मेरे पास अपने कोई शेयर हैं; काश मेरे पास कुछ शेयर होते तो मैं बिना दिमाग लगाए आसानी से कुछ धन कमा सकता था—उन्होंने ऐसे लेन-देन किए हैं जो देश के शेयर बाजार में प्रतिदिन होने वाले 6,000 रुपए मूल्य के सौदों के आए हैं और विगत तीन वर्षों से इसके आधे पर इनका एकाधिकार था, इसीलिए, नॉर्थ ब्लॉक में उनका इतना स्वागत किया गया। हमें योजना आयोग के सदस्यों के साथ उनके सम्बन्ध स्थापित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि योजना आयोग के सदस्य उन्हें अपने साथ ले गये और अब उन्हें जाना ही था। फिर, सुना है वित्त सचिव के साथ एक बैठक हुई है, अन्य अफसरों के साथ है या नहीं, मैं नहीं जानता।

आज उसकी सही आलोचना हो रही है और ठीक ही उसका पीछा किया जा रहा है।

03 26 म० प०

(श्री पीटर जी० मरबनियांग पीठासीन हुए)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : श्री सोमनाथ, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सुबह, यह बात हुई थी कि वित्त मंत्री उस श्रीमान् विशेष से मिले थे और माननीय वित्त मन्त्री कहा था कि वे आकर बताएंगे कि वहां पर अफसर उपस्थित थे अथवा नहीं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह विशेष अफसर, जो अपना बचाव नहीं कर सकता, क्योंकि कार्यवाही न करने से अथवा श्री मनमोहन सिंह और श्री नरसिंह राव की चुप्पी से उन पर आरोप लग रहा है। अध्यक्ष महोदय, अफसरों पर ऐसे ही आरोप लगाना उचित नहीं है और यदि एक व्यक्ति पकड़ा जाता है—एक महोदय, जो अब जीवित नहीं है, किसी बैंक के अध्यक्ष थे—माननीय वित्त मंत्री ने उठकर कहा था कि उसे अन्य सरकार ने नियुक्त किया था। प्रशासन चलाने का यह कोई तरीका नहीं है। किसी भी प्रधानमंन्त्री और वित्त मन्त्री द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य देना जिम्मेदारीपूर्ण नहीं है। यदि कुछ होता है, तो उसका उत्तरदायित्व वित्त मन्त्री और प्रधान मन्त्री को समझना चाहिए और यदि वे अपने अफसरों की गतिविधियों में अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं मानते, तो उन्हें सरकार में एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं कहता हूं कि वित्त मन्त्रालय के अफसरों ने जो किया है, मैं उसकी

पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मेरी ओर से उनकी गतिविधियों के लिए अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने की कोई मंशा नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मेरा कुछ व्यक्तिगत मामला नहीं है। किन्तु, मैं जानना चाहूंगा कि उनके सुबह के वक्तव्य से ऐसा महसूस होता है कि वित्त सचिव अकेले ही इस बैठक के के जिम्मेदार थे, उन्हें स्पष्ट रूप से इस सदन के समक्ष आकर यह बताना चाहिए कि वे उस बैठक की जिम्मेदारी लेते हैं अथवा नहीं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं इसी समय ऐसा कर सकता हूं। मेरे विचार में श्री हर्षद मेहता को मिलकर वित्त सचिव ने कोई गलत काम नहीं किया है। यह तो मात्र इसलिए है क्योंकि...

श्री चन्द्र शेखर : कृपया शब्दों का जाल न फैलाएं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं शब्दों का जाल नहीं फैला रहा हूं।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, कल श्री वी० पी० सिंह ने यह आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि वित्त सचिव सदन के समक्ष तथ्यों समेत एक वक्तव्य दें। अध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो वह दोषी है और अन्य व्यक्ति निर्दोष तथा ईमानदार व्यक्ति हैं। आप यह खेल कब तक खेलेंगे और कितने दिनों तक खेलेंगे? इस चरित्र-हनन अभियान के और कितने लोग शिकार होंगे? आज प्रधान मन्त्री ने पन्द्रह दिन बाद आकर कहा है कि इसमें कोई मन्त्री शामिल नहीं है क्योंकि उनके पास सिवाय इसके कोई जानकारी नहीं है कि स्वयं मन्त्रियों ने कहा है। मैंने दस दिन पहले पूछा था कि जब प्रतिदिन प्रेस में एवं संसद में यह कहा जा रहा है कि वे शंका से घिरे हैं, तो यह सरकार कैसे कार्य कर सकती है। अब यह बात मन्त्रियों तक, अफसरों तक आ गई है, सब इसमें शामिल लगते हैं और प्रधान मन्त्री और वित्त मंत्री इस बारे में चुप हैं। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी-चेयरमैन की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। किन्तु सम्पूर्ण रिजर्व बैंक पर शंका की छाया है। आपने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के बारे में कुछ भी क्यों नहीं कहा है? क्योंकि आप उनसे डरते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के विरुद्ध कुछ कहने का आपका साहस नहीं है। मैं यह जानबूझकर कह रहा हूं।

श्री मनमोहन सिंह : मुझे खेद है; मैं इसका दृढ़ता से विरोध करता हूं। मैं किसी से नहीं डरता हूं।

श्री चन्द्र शेखर : आप भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री वेंकटरमण से डरते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं इसका खण्डन करता हूं। श्री चन्द्रशेखर ने जो आरोप लगाए हैं, मेरे विचार में उनका कोई आधार नहीं हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं। वे मेरे बारे में पहले भी कहते रहे हैं कि मुझे गवर्नर की आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके पास कतिपय जानकारी है। अब मैं उन्हें इसी समय चुनौती देता हूं कि वे जो जानते हैं, बताएं। ...(व्यवधान)...

श्री चन्द्र शेखर : ठीक है, मैं बताता हूं। मैं श्री मनमोहन सिंह से जानना चाहता हूं...

श्री मणि शंकर अय्यर (मुईलादुतुराई) : इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार आपने चलाई है।

श्री चन्द्र शेखर : ठीक है, यह अत्यधिक भ्रष्ट सरकार थी क्योंकि मैं आपके संसर्ग में था। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं उनका जवाब नहीं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी के वक्तव्य के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई में एक निर्देश जारी किया था। उस निर्देश का पालन क्यों नहीं किया गया ? रिजर्व बैंक के गवर्नर के निर्देश का सब बैंकों द्वारा उल्लंघन क्यों किया गया और जुलाई से लेकर आज तक माननीय वित्त मन्त्री क्या करते रहे हैं ? मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूं। वित्त मंत्रालय में इस घोटाले के लिए यही आंख मूंदने की नीति, और ये सब गलत खेल रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : आपके शासन के दौरान मिली भगत हुई होगी। मैं आपको इन सब बातों का जबाव दूंगा। मैं इसमें नहीं हूं आप अपने शासन के काण्ड हमारे नाम कर रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर : आप जो भी कहें। मैंने एक विशेष मुद्दा उठाया था। जुलाई में निर्देश जारी किया गया था। विभिन्न बैंकों द्वारा निर्देश का पालन क्यों नहीं किया गया।

श्री मणि शंकर अय्यर : आपकी सरकार ने निर्देश जारी क्यों नहीं किया था ?

श्री चन्द्रशेखर : मैं इस बारे में आपसे बात नहीं करूंगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं भी इस बारे में आपसे बात नहीं करूंगा।

श्री चन्द्रशेखर : मैं जानना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश को लागू न करने के लिए कौन जिम्मेदार है और यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, तो इन महीनों में वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का बैंकिंग विभाग एवं माननीय वित्त मंत्री क्या कर रहे थे ?

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलदाना) : श्री चन्द्रशेखर ने जो आरोप लगाए हैं, वे उनसे भाग रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, क्योंकि यह सरकार कतिपय सौदों में शामिल थी। वे अब इस बात से बिलकुल हट रहे है।

श्री चन्द्रशेखर : मैं अब भी यही कहता हूं।

सभापति महोदय : ऐसा नहीं चल सकता। श्री सोमनाथ चटर्जी आप अपनी बात कह रहे थे। आप रुक क्यों गए। आपको अपनी बात जारी रखनी चाहिए थी। आप सही कह रहे थे। इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों के रूप में हमें सही व्यवहार करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह कह रहा था कि यह व्यक्ति, एक शेयर दलाल किस प्रकार इतना धनी, इतना शक्तिशाली बन गया, जिसके वित्त मंत्रालय, इस सरकार के उच्च पदासीन व्यक्तियों के साथ सीधे सम्पर्क थे। मैं उनसे पूछ रहा हूं और उन्हें विवरण देने दें। मैं नहीं जानता कि नॉर्थ ब्लॉक अथवा साउथ ब्लाक या भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य-प्रणाली क्या है। मैं नहीं जानता और मैं मात्र एक कर दाता हूं।

महोदय, जहां तक इन महोदय का प्रश्न है, हम जानते हैं कि एक या अधिक चैकों द्वारा 622 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया था। जब यह सब सामने आया, तो भारतीय स्टेट बैंक ने हर्षद मेहता को 622 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था। उन्होंने वह चेक दे दिया है। उनके पास वह धन कहां से आया ? जो हमने पता लगाया है वह यह है कि—यदि हमारी बात गलत हो, तो कृपया हमें सही करें—उन्होंने राष्ट्रीय आवासीय बैंक को कतिपय बैंकर रसीदें दी थीं

और भारतीय स्टेट बैंक अथवा कुछ अन्य बैंकों के नाम पर चेक प्राप्त किए किन्तु, पैसा हर्षद मेहता के खाते में आया। डा० देवी पाल पूरी कोशिश से इसे न्यायिक ठहरा रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता है क्योंकि वाणिज्यिक व्यवहार ही ऐसा था। ठीक हैं; अन्यथा यह गैरकानूनी है। किन्तु वाणिज्यिक व्यवहार के अनुसार यह सही है। **(व्यवधान)** मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप नहीं किया था। कृपया बैठ जाएं। मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया उनकी बात में हस्तक्षेप न करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये चेक—जो हर्षद मेहता के नाम पर नहीं थे, वे हर्षद मेहता के खातों में कैसे चले गए?

हुआ यह था कि उन्होंने राष्ट्रीय आवास बैंक को, जो भारतीय रिजर्व बैंक का एक अनुषंगी बैंक है, कतिपय बैंकर रसीदें दी थीं और 622 करोड़ रुपयों के चेक लेकर राष्ट्रीय आवास बैंक से यह वायदा करते हुए कि, वे प्रतिभूति जमा करा देंगे—जो उन्होंने कभी नहीं की, उन्होंने वे बैंकर रसीदें वापस ले ली थीं। आपको यह सब कब पता चला था? आपने क्या कार्यवाही की थी? यह किस प्रकार का व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय आवास बैंक जाता है, जाली रसीदें देता है, किसी के व्यक्ति के नाम पर चेक लेता है, अपने नाम पर जमा कर लेता है फिर राष्ट्रीय आवास बैंक जाता है, बैंकर रसीदें वापस लेता है और गायब हो जाता है? ···**(व्यवधान)**··· ऐसा कई व्यक्तियों के साथ हो सकता है। हमें उन सब व्यक्तियों का पता लगाना है। **(व्यवधान)**···यही बात है। ···**(व्यवधान)**···कुछ और बात प्रकाश में आई है। कृपया मुझे सही करें। मैं कभी यह दर्शाने का प्रयत्न नहीं करता हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं क्योंकि सरकार की कार्य-प्रणाली की जटिलता में तथ्यों को दबाने के इतने प्रयास किए जाते हैं कि तथ्यों को पाना बहुत कठिन हो जाता है।

जहां तक प्रतिभूतियों का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय आवास बैंक ने प्रतिभूतियों पर व्यापार के नाम पर भारतीय स्टेट बैंक से कभी कोई धनराशि नहीं ली है। किन्तु, अचानक, जून के प्रथम सप्ताह में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक से 707 करोड़ रुपयों की मांग की थी। एक बहुत रोचक बात हुई है। 11 जून, 1992 को बम्बई में भारतीय स्टेट बैंक के सैन्ट्रल बोर्ड की एक बैठक हुई थी। मेरे ख्याल से आपके पास वह तिथि पहले ही होनी चाहिए; अन्यथा आप कृपया तिथियां लिख लें। भारतीय स्टेट बैंक की बोर्ड की बैठक में दो व्यक्ति उपस्थित थे। मैं उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं अतः, मैं उनके नाम ले सकता हूं। वे श्री जानकीरमन, जिन्होंने यह जांच की है और श्री के० जे० रेड्डी, अतिरिक्त सचिव (बैंकिंग), जो अब राष्ट्रीय आवास बैंक के स्थानापन्न अध्यक्ष हैं, इन दो महानुभावों ने 'सेबी' की बैठक में भाग लिया, था यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति कोई दायित्व नहीं था, तथापि राष्ट्रीय आवास बैंक के खातों में कुछ समानता लाने के लिए उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक को राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में 707 करोड़ रुपयों का एक चेक जारी करने के लिए कहा। वह चेक भारतीय स्टेट बैंक से निकलकर राष्ट्रीय आवास बैंक के खाते में जमा हो गया। मेरे पास भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री महादेवन द्वारा शायद 15 जुलाई को लिखे गए एक पत्र की प्रति है। उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है :

> "कतिपय प्राप्तियों एवं भुगतानों पर कुछ विवाद था और हमें विरोध के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक को लगभग 707 करोड़ रुपयों का भुगतान करना पड़ा।"

यह धनराशि भारतीय स्टेट बैंक से निकालकर राष्ट्रीय आवास बैंक को क्यों दी गई ? श्री जानकीरमन एवं श्री के० जे० रेड्डी इस पर कैसे सहमत हुए ? किस प्रयोजन हेतु सहमत हुए ? अचानक भारतीय स्टेट बैंक से धन निकाल कर राष्ट्रीय आवास बैंक के कोष की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता क्यों समझी गई जब भारतीय स्टेट बैंक, जो हमारे देश का मुख्य एक्सचेंज क बैंहै, का कोई दायित्व नहीं था ? इससे 707 करोड़ रुपये क्यों लिए गए ? एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्योंकि ऐसी स्थिति बनाने का प्रयत्न किया गया—क्योंकि सब कुछ सामने आ गया, यदि मैं गलती पर नहीं हूं, तो राष्ट्रीय आवास बैंक को 1700 करोड़ रुपयों की जबरदस्त हानि—और इस प्रकार राष्ट्रीय आवास बैंक के खाते की स्थिति में थोड़ा सुधार करने का प्रयत्न किया गया।

यह कांड अगर दुनिया का नहीं तो कम से कम इस देश का सबसे बड़ा कांड है। इस सरकार के केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह माना है कि यह विश्व का सबसे बड़ा कांड है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें बार्सिलोना में कोई पदक मिलने की उम्मीद नहीं है। मैं लिएन्डर पेज रमेश कृष्णन एवं लिम्बाराम को बधाई देता हूं। वहां पर हमारी उम्मीदें इन्हीं पर लगी हैं। किन्तु, गिन्नीज बुक में यह कांड पहले स्थान पर होगा··· (व्यवधान) ···इस बारे में कोई शंका नहीं है। कांडों के इतिहास में हमने अपनी स्थिति स्थायी कर ली है।

मेरा यह आरोप है कि सरकार इस कांड को दबाने का भरसक प्रयत्न करती रही है क्योंकि जुलाई, 991 में आपको इस कांड के बारे में मालूम था। आपने इसे दबा दिया।

श्री मनमोहन सिंह : माननीय सदस्य ने स्टेट बैंक के दो व्यक्तिगत निदेशकों के बारे में कहा है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। चूंकि माननीय सदस्य ने स्टेट बैंक के दो निदेशकों का उल्लेख किया है, मैंने सोचा मैं अब स्थिति को स्पष्ट कर दूं। स्थिति यह है कि राष्ट्रीय आवास बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में 'आदाता के खाते में दिए' चेक जारी किए थे। वे चेक भारतीय स्टेट बैंक ने एक दलाल विशेष के खाते में किसी जमा-पर्ची के बिना, जमा कर दिए जिसके बारे में मेरे मित्र ने उल्लेख किया है। इसीलिए ये भुगतान किए जाने आवश्यक थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भारतीय स्टेट बैंक को 622 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया था। यही स्थिति है।

श्री मुरली देवड़ा (मुम्बई दक्षिण) : किन्तु उन्होंने इसे गलती से दलाल के खाते में जमा कर दिया। ···(व्यवधान)···

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही समस्या है। नरिमन प्वाईट का प्रतिनिधित्व करने का अर्थ यह नहीं है कि वे सभी तथ्य जानते हैं।···(व्यवधान)···

आप नारीमन प्वांइट का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जहां इस देश की सारी गड़बड़ चल रही है।···(व्यवधान,···

कृपया उन्हें हस्तक्षेप करने से मना करें।···(व्यवधान)···समुचित कारण से हस्तक्षेप करें और बिना कारण से हस्तक्षेप न करें।

मैं आपकी अनुमति से यह कह रहा था कि सरकार इन खतरनाक प्रवृत्तियों के बारे में खुल-

कर सामने नहीं आई है। प्रतिभूति-बाजार में खतरनाक दौर चल रहा था। आपको इसकी जुलाई, 1991 में ही जानकारी थी। यह तथ्य कभी सामने नहीं लाए गए। मुझे कुछ पत्रकारों और कुछ समाचार-पत्रों, समाचार-पत्र मालिकों का नहीं—जिन्होंने यह समाचार प्रकाशित किया है, का अवश्य ही आभार प्रकट करना चाहिए। उनके प्रयासों से ही देश को इसके बारे में जानकारी मिली है। महोदय, मुझे याद है और तब वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि प्रारम्भ में समाचार-पत्रों में कुछ दुष्प्रचार किया जा रहा था। फिर सब कुछ स्पष्ट हो गया। कुछ पत्रकारों और संवाददाताओं को बदनाम करने की कोशिश की गई थी तथा मैं उन पत्रकारों और संवाददाओं और समाचार-पत्रों का, जिन्होंने अन्ततः इन बातों को प्रकाशित किया और इस देश की जनता के ध्यान में लाया, बधाई नहीं देता हूं। अब, जब एक बार यह बात प्रकट हो गई है, तो डॉ० देबी प्रसाद पाल द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से एक मामला तैयार किया जाये और कहा जाए कि नयी, आर्थिक नीति को इससे कुछ लेना-देना नहीं है। इसमें तेजी का संकेत किसने दिया और यह तेजी इस आर्थिक नीति का परिणाम है? पूंजीगत-लाभ में रियायत किसने दी? संपत्ति कर किसने समाप्त किया? ऐसा किसने किया? शेयर-व्यापार पर आयकर किसने कम किया? पूंजीगत-लाभ, कर-लाभ, आयकर-लाभ, संपतिकर लाभ किसको दिए गए थे? शेयर बाजार से धन कौन ले रहे थे? प्रतिभूति-बाजार में धन कौन बना रहे थे? उन्हें विशेष लाभ और विशेष रियायतें दी जा रही थीं, ताकि तेजी जारी रहे और आप संसार एवं अमेरिका में अपने मित्रों और पूंजीपति-देशों पर प्रभाव डाल सकें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के वरदान से, आपने अद्‌भूत सफलता हासिल कर ली है। एक कंपनी जो कि पिछले पांच वर्षों से बंद पड़ी हुई है, उसका दस रुपए का एक शेयर 1000 रुपये का बेचा जाता है। हमारे इस देश की अर्थव्यवस्था अद्‌भूत है। उन कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं है, सम्भवतः उनके पास एक मेज और कुर्सी भी नहीं है। श्री रामेश्वर ठाकुर उन कंपनियों को लेखे के उद्देश्य से नहीं खोज पाते, लेकिन उनके शेयर स्टॉक-एक्सचेंजों में उन ऊंची कीमतों पर बेचे जाते हैं, जो कि अकल्पनीय हैं। यहां तक गम्भीर कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित स्थापित कंपनियों ने भी अपने शेयर कल्पनातीत दरों पर बेचे हैं। कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई। वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के पास अगर कोई दिमाग है, तो उसके मन में कोई संदेह नहीं था। यह कैसे हो गया? ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें एक अचानक परिवर्तन क्यों हुआ? आज ही आपने स्वीकार किया है कि यह घोटाला पहले ही 3500 करोड़ रुपए का है। श्री जानकीरमन ने गहराई से अध्ययन भी नहीं किया है, यह घोटाला पहले ही 3500 करोड़ रुपए का है और आपको जो मिला है वह केवल 250 करोड़ रुपये के मुकाबले है, जिसे आप लोगों की मगरमच्छी कहावत के रूप में बयान कर रहे हैं।

हमने बारम्बार यह कहा है कि यह नई आर्थिक नीति संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवाद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व-बैंक गठजोड़ के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण ही नहीं हैं, बल्कि हमारी आर्थिक स्वतंत्रता को छीन लेने का एक ढंग है और इस देश पर एक ऐसी वित्तीय और आर्थिक पद्धति को थोपना है, जो कि केवल उन्हीं के लिए हितकर है और हमारे देश के हित में नहीं है। हमने अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता का वस्तु-विनिमय कर लिया है और सुखा-भास फंस गए हैं। मैंने इस सभा में कहा था, "वित्त मंत्री महोदय, आप यह न समझें कि आप मसीहा हैं। अगर आप मसीहा हैं, तो आर्थिक विश्वासघात के मसीहा हैं। आप इस देश में आर्थिक-सरगर्मी के मसीहा हैं।" मैंने यह कहा था। यह सुखा-भास एक अत्यन्त अनिश्चित सुखा-भास है। सुखा-भास से पीड़ित मत होइये। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है।

महोदय, यह कहना बहुत आसान है कि उन्होंने एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है और हम और अधिक नेकनीयती उनसे चाहते हैं। महोदय, हर्षद मेहता के विरुद्ध आयकर जांच की गई है। दलाल के विरुद्ध यह जांच क्यों नहीं की गई ? वित्त मंत्री के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत नहीं होता। यद्यपि भूपेन दलाल ने बड़ी मात्रा में हेरा-फेरी की है, उसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं किया जा रहा है ?

इन सभी बातों से बढ़कर, अब हम देखते हैं कि सी० बी० आई० जांच के प्रभारी व्यक्त से जांच का काम वापिस ले लिया गया है।

श्री मुरली देवरा : आज ही, प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि किसी से भी जांच कार्य वापिस नहीं लिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, प्रधान मंत्री के वक्तव्य से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने श्री माधवन के इस्तिफे अथवा सरकार की इस पर प्रतिक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि जहां तक त्यागपत्र का संबंध है, प्रधानमंत्री कार्यालय को इससे कुछ लेना-देना नहीं है। इसके सिवाय उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।

सभापति महोदय : घोटाले पर अपनी बात जारी रखिए तथा अन्य मुद्दों को रहने दीजिए। आपने भले ही 40 मिनट से अधिक समय ले लिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जब हमने श्री माधवन के त्यागपत्र का मुद्दा उठाया था, तब अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हम इस पर घोटाले पर बहस के समय चर्चा कर सकते हैं। अब आप श्री माधवन का जिक्र करने पर आपत्ति कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं तो उन्हें उन द्वारा लिया गया समय ही बता रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने तो कुछ समय ही लिया है।

महोदय, संयुक्त संसदीय समिति के बारे में मैं अनेक बातें जानता हूं। यहां मैं एक बार कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री इस देश को एक स्पष्टीकरण देने के ऋणी हैं। मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वह उनका उत्तर देंगे। वित्तीय-संस्थानों, जिनका बड़ी वित्तीय बचतों पर आधिपत्य है, की निराधार खरीद का क्या परिणाम है ? तब क्या होगा जब इन्हें राष्ट्रीय बचत योजनाओं से 'म्यूच्यूल फंडों' की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिन्हें ऊंची ब्याज दरें देने की अनुमति दी गई है, जब वह पैसा नीति निवेशकों को दे दिया जाएगा। परिणाम यह है। ऐसा ही होता है। यह आपकी नयी आर्थिक नीति का परिणाम है। अतः, आर्थिक नीति का घोटाले से कोई संबंध नहीं है अथवा घोटाला तर्क संगत नहीं है, ये सभी श्रमयुक्त प्रयास प्रकट करते हैं। यह लोगों को एक गलत धारणा और आपकी अनुचित नीति को न्यायोचित ठहराने के प्रयास के सिवाय और कुछ नहीं है।

अब बैंकों को यह कहा गया है कि अपने लाभ में वृद्धि करें और लाभांश के द्वारा अपने योगदान को 50 प्रतिशत तक बढ़ायें। वे इतना अधिक पैसा कैसे बना सकेंगे ? वे अपनी आय और लाभ कैसे बढ़ा पायेंगे, जब हमारे उद्योग और अर्थव्यवस्था में मन्दी है ? जब कुल-व्यापार घटता जाता है, तो बैंक अपने अर्जन को कैसे बढ़ा सकते हैं ? अतः, उन्हें आवश्यक संकेत दे दिए गए हैं। आप उन्हें बता दें, "कोई बात नहीं है, मैं जानता हूं कि आप ऐसे व्यापार में प्रवेश कर रहे हैं।

जुलाई, 1991 में, मैंने आपको एक चेतावनी दी थी। लेकिन, मैंने ब्रेक नहीं लगाई थी। आपने इसे बंद कर दिया है अथवा नहीं, यह देखने के लिए मैंने इस पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की। अतः, आप इस पर आगे कार्रवाई कीजिए।" अतः, सार्वजनिक-निधि का निराधार व्यापार के लिए उपयोग किया गया है, ताकि बैंक तीव्रता से धन इकट्ठा कर सके और अत्यधिक लाभ कमा सके और उसमें से सरकार की झोली भरी जा सके। बैंकों के लिए इतना अधिक धन अर्जित करना कैसे सम्भव है? मैं जानना चाहता हूं कि आपने लाभांश की दर कैसे निर्धारित की थी? आप बैंकों से इतना अधिक अतिरिक्त धन रातोंरात एकत्रित करने की कैसे उम्मीद करते थे? इसका कहीं भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। एक भी बैंक को खींचा नहीं गया था। आपने उन्हें सहजपूर्वक बता दिया था, "कृपया ऐसी बातों में संलिप्त न हों। मुझे अपनी प्रतिक्रिया जानने दें।" अब कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई तो आपने क्या किया?

इस सरकार के कार्य करने का यही ढंग है। इस सारे का परिणाम यह है कि अब हमारी वित्तीय व्यवस्था की सत्यनिष्ठा दाव पर है। हमारी बचतों और निवेश तंत्र की साख आज पूर्णतयः समाप्त हो चुकी है। कोई भी ईमानदार निवेशक इस ओर निवेश नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि वह उन छोटी बचतों की ओर वापिस जायेगा, जिनकी जानबूझकर अनदेखी की गई है।

महोदय, मैं केवल दो और पहलुओं का जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि आप भी अधीर हो रहे हैं। एक पहलू तो कूपन-दर के प्रस्ताव का लीक होने के बारे में है। यह एक अति महत्त्वपूर्ण पहलू है। यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है। मैं समझता हूं कि श्री जसवन्त सिंह ने इसके बारे में पूछा है। अब, इसके लिए कौन दोषी है? क्या वित्त मंत्री महोदय सहमत हैं कि कूपन दर में वृद्धि के बारे में यह लीक हुई थी? अगर ऐसा हुआ था, यह बात सामने कैसे आई? मंत्रालय प्रारम्भ में क्या पता निकालने का प्रयत्न कर रहा है? इसके लिए, हमें संयुक्त संसदीय समिति के पता लगाने की इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं है।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : हम आपको एक सही समय पर उत्तर देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी स्रोत से भारतीय स्टेट बैंक को एक संकेत दिया गया था? हम जानना चाहते हैं। अन्यथा, आप इन खरीद को कैसे न्यायोचित ठहराते हैं?

दूसरी बात सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में अपनियोजन के बारे में है। मुझे जानकीरमन समिति के प्रतिवेदन का जिक्र करने से आगे जाने की जरूरत नहीं है, जो कि यह प्रदर्शित कर देगा कि यह कैसे किया गया था। मैं आशा करता हूं कि आपकी अनुमति से मैं जानकीरमन समिति के प्रतिवेदन से उद्धृत कर सकता हूं। यह दूसरे अंतरिम प्रतिवेदन हैं :

> "फरवरी, 1992 में, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग ने भारत सरकार द्वारा 16 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के शेयरों के एक हिस्से की खरीद हेतु पंजीकृत वित्तीय/निवेश संस्थानों, म्यूच्यूल फंडों को पत्र जारी किए थे। बिक्री के प्रयोजनार्थ सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विभिन्न कम्पनी गठजोड़ों के 120 समूहों में शर्तें रखी गई थीं और वे वहां उल्लिखित थीं।"

"जबकि देखने में यह आया था कि शेयरों की दुबारा बिक्री के लिए बोली लगने से पहले ही बैंक (इलाहाबाद बैंक) को तीन दलाल कम्पनियों—मैसर्स स्टीवर्ट एण्ड कम्पनी, मैसर्स सी० मैकरटिच और मैसर्स वाई०एस०एन० शेयर्स एण्ड सिक्यूरिटीज प्राइवेट लि० की कोटेशन्स प्राप्त हो चुकी थीं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन तीनों कम्पनियों के आपस में गहरे व्यापारिक संबंध हैं। अन्ततः 31 मार्च, 1992 को मैसर्स वाई०एस०एन० शेयर्स एण्ड सिक्यूरिटीज प्राइवेट लि० के नाम यह बिक्री हुई, जिसने कि 19 फरवरी, 1992 को अपने पत्र के माध्यम से अपने सारे व्यापारिक कार्य 31 मार्च, 1992 तक सामप्त कर डालने की बात की थी। दलालों की बोली उनके ग्राहकों की ओर से लगाई जा रही थी। दलालों ने बदले में एक बंडल सिटी बैंक को बेचा, था, जिसे उसने 2 अप्रैल, 1992 को अपने एक विश्वसनीय ग्राहक के खाते की खातिर स्वीकार कर लिया।"

फिर उन्होंने यह कहा कि एक भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया और यह सब पूर्णतया बैंक के हित के विरुद्ध गैर-कानूनी रूप से किया गया।

मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह सब कैसे हुआ और इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की है, जब इन्होंने एक निश्चित दिशा-निर्देश जारी कर रखा है, तब कैसे सार्वजनिक क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण कम्पनियों के शेयर-व्यापार कुछेक दलालों के हाथ सौंप दिए गए ? यह सब कैसे हुआ ?

वैसे तो मैं इस प्रकार के शेयरों के बिक्री के खिलाफ हूं, लेकिन फिर भी इन्हें अगर बेचा गया तो मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि इन्हें सही तरीके से बेचा गया। अगर इन्होंने इसे बेचने का निर्णय कर भी लिया तो भी इन्होंने कुछ दिशा निर्देश तो निर्धारित किए थे कि पहले कुछ शेयरों के बंडल तैयार किए जायेंगे। लेकिन यह सब कुछ नहीं किया गया। इस बात का क्या जबाव है। अब जबाव तो यही है कि संयुक्त संसदीय समिति इस मामले की जांच करेगी कि क्या यह सब कुछ व्यवस्था चरमरा जाने के कारण हुआ ?

इस प्रश्न के उत्तर में माननीय वित्त मन्त्री ने कहा है कि इस बड़े घोटाले के संदर्भ में बहुत सारे कागजात पकड़े हुए हैं। बहुत सारे अधिकारी, लगभग 31 अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसमें प्रारंभिक तौर पर शामिल पाए गए सार्वजनिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों की संख्या 11, अन्य बैंकों के अधिकारियों की संख्या 4 तथा गैर अधिकारिक व्यक्तियों की संख्या 50 है। इसका पूरा जबाव यह है कि 31 व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं।

यह मानकर चला जा रहा है कि उन लोगों ने पूरे तंत्र को भ्रष्टाचार के रंग में रंग दिया। उन्होंने व्यवस्था का दुरुपयोग किया। उन लोगों ने देश के साथ 4,000 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की। भारतीय स्टेट बैंक, कैस बैंक, म्यूच्यूअल फंड, युको बैंक, राष्ट्रीय आवासीय बैंक, मेट्रोपॉलिटन को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशकों को पकड़ा जा रहा है कि ये कुछ लोग देश को बर्बाद करने पर लगे हुए थे।

4.00 म० प०

क्या ऐसा संभव हो सकता है कि इन लोगों के ऊंचे संपर्क नहीं रहे हों, जिससे यह सब होते रहने दिया गया, और महीनों चलता रहा।

एक माननीय सदस्य : वर्षों तक।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, वर्षों तक चलता रहा।

कुछेक महीनों को छोड़कर यही कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। इससे इन सभी लोगों को फायदा हुआ है। कांग्रेस की अब तक की, एक के बाद एक, सभी सरकारों ने पूरे तंत्र को दूषित होने दिया। इन लोगों ने देश में भ्रष्टाचार पनपने दिया है और अब भी इसे बढ़ा रहे हैं। ···(व्यवधान)···

अतः इस पूरे मामले, घोटाले या कांड का अनुपात इतना ज्यादा है कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर देने मात्र से देश के प्रति कोई प्रायश्चित नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा। सरकार को कुछ दूसरे प्रकार के भी त्याग करने होंगे। अन्ततः किसे पकड़ा जायेगा ? उस अहस्ताक्षरित सूची में से सभी मंत्रियों का नाम बख्श दिया जाएगा। वे सभी हमसे पूछते हैं कि "क्या मेरा नाम उसमें है ?"···(व्यवधान)···मैं प्रधानमंत्री पर दोषारोपण नहीं कर सकता हूं। मैं कर क्या सकता हूं ? उन्हें अपने मंत्रियों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। उनमें से कुछ का मेज के नीचे का लेन-देन चलता है या किसी को शीघ्र ही धन बटोरने की लालसा हो तो वह कर भी क्या सकते हैं ?···(व्यवधान)···

श्री संतोष मोहन देव : संभवतः वह पश्चिम बंगाल के अनुभव के आधार पर ऐसा कह रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर इससे आपको मदद मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। ···(व्यवधान)···

स्वाभाविक है कि मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता हूं। वह कहना शुरू करेंगे कि "मुझे अपने मंत्रियों से पूछने दें। मुझे उनमें विश्वास करना चाहिए। मैं और क्या कर सकता हूं ?" जब तक वे लोग पकड़ में नहीं आते हैं तब तक तो उन्हें अच्छा माना ही जाना चाहिए। लेकिन उनके अन्दर हो रही घबराहट को हम देख सकते हैं। हमने यहां कई वर्ष बिताये हैं। हमें उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही है।··· (व्यवधान)···मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी मंत्री को अपनी नौकरी गंवानी पड़े।

श्री संतोष मोहन देव : धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी : चूंकि आप अपने भार से स्वयं ही डूब जायेंगे। अन्तिम विश्लेषण की प्रतीक्षा कीजिए।

श्री संतोष मोहन देव : अगर मैं डूबता हूं तो आपको भी साथ ले डूबूंगा। मुझे पूरा विश्वास है।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बाधित नहीं करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इसलिए हम लोग और पूरा देश संयुक्त संसदीय समिति की जांच की प्रतीक्षा करेंगे। मुझे आशा है कि उसके कार्य में ये लोग किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने देंगे। लेकिन साथ ही इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार या मंत्री इन महत्त्वपूर्ण सवालों का जबाब देने से भागते रहें, जिससे कि लोगों के दिमाग में खलबली मची हुई है। अयोध्या मुद्दे के उठ जाने से इन लोगों को खुशी हुई है, क्योंकि इन्हें एक महीने का विश्राम मिल गया और इन्होंने उस

स्थिति का पूरा उपयोग किया है। इस घोटाले को अब नहीं छिपाया जा सकता है। इसके बारे में विस्तृत उत्तर देना ही होगा और कृपया संयुक्त संसदीय समिति या कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की शरण लेने का प्रयास न करें। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि तंत्र चलाने की जिम्मेदारी जब उनकी है और यह तंत्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जायेगी? निर्दोष निवेशकर्ताओं के ऊपर तो यह जिम्मेदारी डाली नहीं जा सकती। इसकी जिम्मेदारी तो निःसंदेह भारत सरकार और वित्त मंत्री के रूप में इन पर जाती है। इसलिए, जब तक लोग आश्वस्त नहीं हो जाते, तब तक इनके लिए एक ही सम्मानजनक रास्ता है कि ये वह कार्य करें, जो कि ये अच्छी तरह जानते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय सभापति जी, देश के इतिहास में आर्थिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा काला अध्याय है, वह है शेयर स्कैम। बोफोर्स के दलालों को भी जिन्होंने बहुत छोटा पिग्मी बनाया, इस प्रकार का यह बड़ा काण्ड है। यदि इस काण्ड से सबसे बड़ा नुकसान किसी को हुआ है तो इस देश की आर्थिक स्थिति को हुआ है और आज पता नहीं चल रहा है कि यह देश कहां से कहां जा रहा है?

जब नयी सरकार आई और वित्त मन्त्री ने अपना पहला बजट पेश किया, उस समय उन्होंने बताया कि—"राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था बर्बादी के कगार पर थी।" विदेश से कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। विदेशी मुद्रा समाप्त हो रही थी, उत्पादन घट गया था, देश के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट है इस प्रकार का चित्र देश के सामने पेश किया गया था और एक मात्रा में सही भी था। हमको ऐसा लगता था कि देश की जब इतनी गंभीर स्थिति है तो देश के प्रधानमन्त्री हैं, वित्त मंत्री हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष हैं, वित्त मंत्रालय के बड़े-बड़े अधिकारी हैं, इनका रिस्पोन्स इनके बारे में क्या रहेगा? इस प्रकार की एक स्वाभाविक बात मन में आती थी। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से यह बात अधिक महत्त्व की है?

जानकी रमन कमेटी की रिपोर्ट आई। उसमें कुछ तथ्य उन्होंने रखे हैं और इसलिए जिन बातों को मेरे पूर्व वक्ताओं ने बार-बार यहां रखा है, उनके बारे में मैं अधिक जिक्र नहीं करना चाहूंगा।

हमारे मराठी में एक कहावत है और कहावत ऐसी है कि—

"मेले मढयाच्या टाकूचे
लोणी खाणारे लोक असतात।"

यानि जो आदमी की लाश होती है, उसको जलाने से पहले उस पर घी, मक्खन डाला जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा घी, मक्खन भी चुराकर लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज देश की इतनी गंभीर आर्थिक स्थिति में जो बैंकों के अध्यक्ष हैं, वित्त मन्त्रालय के बड़े-बड़े अधिकारी हैं या वित्त मन्त्री हैं या रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, शायद उन्होंने वही व्यवहार किया क्योंकि ये जानते थे कि देश की इतनी खराब स्थिति है फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया।

आज की स्थिति की जब मैं पहले की स्थिति से तुलना करता हूं और हमने संसद में आने के बाद देखा और हमें बताया गया कि इसी सदन के, पहली लोक सभा में कांग्रेस के मुद्गल नाम

के एक सदस्य थे और उन्होंने किसी दूसरे से लोक सभा में प्रश्न पूछने के लिए पैसे लिए। इस बात का जब प्रधानमन्त्री पं० नेहरू जी को पता चला कि उनकी पार्टी का एक सदस्य यहां सवाल पूछने के लिए पैसे लेता है तो उन्होंने यह बात सभागृह के सामने रखी और उस लोक सभा के सदस्य मुद्गल साहब की यहां लोक सभा ने सदस्यता समाप्त कर दी। बाद में मूंदड़ा का यह कांड आया। उसमें केवल एक करोड़ छब्बीस लाख रुपए की बात थी। टी०टी० कृष्णामचारी तब के वित्त मंत्री उनसे मिले और बाद में इसके बारे में जांच हो गई और मूंदड़ा साहब और कृष्णामचारी साहब को भी यहां से जाना पड़ा। ये कुछ पुरानी बातें जब हम याद करते हैं तो उसके तुलना में जो चार हजार करोड़ रुपए का घोटाला है, उस घोटाले के बारे में सरकार की स्थिति क्या है ? जब हम यह देखते हैं तो सचमुच रोने की बात है कि देश कहां जा रहा है। इस स्थिति के बारे में हमें विचार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

यह बात ऐसे समय सामने आ रही है कि इस पैसे के मामले में "एम" का बड़ा महत्त्व है और यह "एम" इस कांड के साथ जुड़ा हुआ लगता है। पैसे लेने वाले सदस्य का नाम भी "एम" से था—मुद्गल, बाद में मूंदड़ा कांड में भी "एम" का महत्त्व था और इसकी जांच जिसको सौंपी गई, उनका नाम भी "एम" से था—मोहम्मद छागला। अभी जब यह मामला आया है तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी भी "एम" नाम से हैं। इस प्रकार की कितनी बातें देखने को मिलती हैं। यह भी देखने में आता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेल का एक्सीडेंट हो जाने पर नैतिक जिम्मेदारी ले ली। वित्त मन्त्री भी हंस रहे हैं कि सब जगह यही बात ये लोग बोलते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी होती है। नैतिक जिम्मेदारी होती है तभी तो तत्कालीन रेल मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने, जब एक रेल एक्सीडेंड हो गया तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज कोई इतने बड़े मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : आप राजस्थान और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों को वहां जो साम्प्रदायिक घटना हुई हैं, उसके लिए उन्हें इस्तीफा देने को कहें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, वित्त मन्त्री को मैं समझता था कि आर्थिक मामलों की जानकारी है लेकिन कम्युनल विषय के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, आपने यहां खड़े होकर यह बता दिया। बड़ी आपकी कृपा हुई जो आपने कहा कि राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है शायद ···(व्यवधान)···

मैं कह रहा था कि मनमोहन सिंह जी का नाम भी एम से ही शुरू होता है, उसके बाद मेहता आए, हर्षद मेहता, उनके साथ भी एम अक्षर आता है। फिर कैनबैंक म्युचल बैंक के सम्बन्ध में भी कोई एक नाम, राज्य सभा में कांग्रेस की एक ब्रिगेड है, और उस ब्रिगेड के व्यक्तियों के साथ भी एम नाम जोड़ा गया, मैं यहां अब नाम न लूं तो अच्छा है, नाम लेना अच्छा नहीं है, लेकिन

आप सब लोग उसको जानते हैं, मुरली देवरा जी भी जानते हैं कि वह क्या नाम है, कौन ब्रिगेड के लोग हैं, जो केनबैंक म्युचुअल ट्रस्ट के बारे में है।

सभापति जी, चूंकि में स्वयं मुम्बई का हूं इसलिए मुझे इस बात का बड़ा दर्द है कि मनोहर फेरवानी, जिनका निधन हो गया, उनके नाम के साथ भी एम का मामला चल रहा है। यद्यपि उनका निधन हो गया परन्तु वह निधन भी संदेहास्पद स्थिति में हुआ—वे नेशनल हाउसिंग बैंक के चेयरमेन थे। उनका निधन होने के बाद, पोस्टमार्टम तक भी नहीं किया गया और उस बात को दबाने की कोशिश की गयी, इस प्रकार की अनेकों बातें मुम्बई शहर में हर आदमी जानता है और कह रहा है।···(व्यवधान)···

आप बैठे-बैठे चुपचाप बोल जाते हैं, जरा खड़े होकर कहिए तो पता चले। इस प्रकार यह बात होते-होते माधवन साहब तक आ गयी है, उनके नाम में भी एम का अक्षर शामिल है। मुझे ऐसा लगता है कि यह मामला बहुत गम्भीर हो गया है। इस पर विचार, जो ज्वाइंट कमेटी बनेगी, वह तो करेगी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं।

रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास हम एक मोर्चा लेकर गए थे, हमने रिजर्व बैंक का घेराव किया था। जब रिजर्व बैंक का घेराव किया गया और हम लोग गवर्नर श्री वेंकट रमन साहब से मिले और उनसे बोले कि इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। हमने कहा कि आपकी लीगल जिम्मेदारी है या नहीं, वह तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है, आप नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं, तो वे बोले मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं है। उसके बाद हम मनमोहन सिंह जी से मिले और हमने उनसे भी यही कहा कि क्या आप इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं, उन्होंने भी बोला कि मैं नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, मैं नैतिक जिम्मेदार नहीं हू, मगर आप यह तो बताइए ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : नहीं बोला, वही तो मैं बता रहा हूं कि इस बात की देश में कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने वाला है भी या नहीं, किसी पर नैतिक जिम्मेदारी है भी या नहीं—इस बात का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। अन्यथा 4 हजार करोड़ रुपए का मामला सामने आया है, यह 4 हजार करोड़ की बात जानकी रमन कमेटी की सैकेंड इंटरिमरिपोर्ट में आयी है जबकि अभी उनकी अन्तिम रिपोर्ट आना बाकी है। जिस वक्त अन्तिम रिपोर्ट आएगी अथवा जो ज्वाइंट पालियामेंटरी कमेटी बनेगी, वह सारे तथ्यों को, मामले को बाहर निकालेगी, तब पता चलेगा कि 4 हजार करोड़ रुपए का यह मामला है या कितने रुपये का है—अभी तो हिमनद का एक छोटा-सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति है।

जो कुछ सामने आया है, वह काफी गम्भीर है और इन गम्भीर बातों के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं यह सुझाव मध्यम वर्गीय लोगों के लिये कर रहा हूं उन्होंने ऐसा किया क्यों? वित्त मंत्री जी ने जब यहां बजट पेश किया, उससे पहले मध्यवर्गीय आदमियों को सेविंग्स के जितने

कन्सेशन्स उपलब्ध थे, उन सारे के सारे कन्सेशन्स को निकाल दिया। इससे मध्यम वर्गीय आदमियों को लगने लगा कि मैं बैंकों में 10 परसेंट या 11 परसेंट ब्याज पर पैसा क्यों रखूं, चलो इधर अच्छा है 25 परसेंट, 30 परसेंट या 40 परसेंट डिविडेंड ही सही, मिलता तो है, डिविडेंड पर कोई पाबंदी नहीं है, चाहे जितना डिविडेंड मिले, दूसरी तरफ शेयर की कीमत 4 टाइम्स, 5 टाइम्स और 6 टाइम्स इस तरह से बढ़ती जाती है, इन्हें एक प्रकार से मध्यवर्गीय आदमी को चूंकि हमेशा अपने पैसे की सुरक्षा के बारे में चिन्ता ज्यादा रहती है, तभी तो वह अपने पैसे को बैंकों में रखता है। बैंकों से पैसे निकालने शुरू किए और आपने बेटिंग की ओर ले जाने की बात कही है इसलिए आपने ऐसा बजट पेश किया है। दूसरा, बजट के समय ब्रूम आ गया है, कहां ब्रूम आ गया और फिर यह बूम कहां चला गया ? अब स्थिति यह है कि यह बूम यहां तक चला गया कि हमारे कोंकण रेलवे के बाण्ड्स को खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास हैं, वे यह सोचते हैं कि बॉण्ड्स में पैसे लगाएं या नहीं ? ऐसी गम्भीर स्थिति देखने में आएगी, इसका किसी को पता भी नहीं था। देश में इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है ? बैंकों में जिन लोगों के पैसे जमा हैं, क्या आप उन लोगों के पैसे वापस नहीं देंगे ?

अब कराड़ बैंक के बारे में कहा जा रहा है कि जिनके 30 हजार रुपए तक जमा हैं, उनको तो वापस मिलेंगे। मेरा कहना है कि जो लोग रिटायर्ड हैं, जिन्होंने अपने 50 हजार या 70 हजार रुपए ग्रेच्युएटी के वहां जमा कर रखे हैं, उनको वापस नहीं देंगे ? मेरा निवेदन है और मेरी मांग है कि चाहे को-आपरेटिव बैंक हो, चाहे कराड़ बैंक हो और चाहे कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक हो, उनमें लोगों के जमा पैसे मिलें, इस बात की गारण्टी देनी चाहिए। नहीं, तो कुछ हर्षद मेहता छोटे हैं और कुछ हर्षद मेहता बड़े हैं और इस प्रकार से यह सारी बात चलेगी और लोगों के परिश्रम से कमाए पैसे, उनका धन बेकार चला जाएगा और लोगों में ऐसी भावना पैदा होती जाएगी कि रातोंरात लखपति करोड़पति बना जाये, छटपट, क्विक मनी कमाई जाए, और ऐसी आदत बन जाएगी। इसलिए मैं इसके बारे में 4-5 ठोस सुझाव देना चाहता हूं।

इसमें पहली बात यह है कि यदि सचमुच में वित्त मन्त्री चाहते हैं कि देश के लोगों का फिर से बैंकिंग सिस्टम पर विश्वास बना रहे, तो यह जो सारी जांच होने वाली है और आप वास्तव में जांच में सहयोग देना चाहते हैं, तो आपको और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के गवर्नर को भी सहयोग देना चाहिये और आप दोनों को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए तथा बाहर रहकर उनका सहयोग करना चाहिए, तो आपकी देश के लिए बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी। आप स्वयं भी अपना इस्तीफा दीजिए और वेंकटरमण जी को भी इस्तीफा देने की सलाह दीजिए। देश में आर्थिक क्षेत्र में इतना बड़ा घोटाला चला और उसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

आप तो यहां बैठकर आए दिन यह कहते हैं कि यह गिल्टी नहीं है वह गिल्टी नहीं है। आपको क्या हो गया है ? इतनी सी०बी०आई० की जांच चल रही है। इसके ऊपर जाइंट पालियामेंट्री कमेटी बनाई गई है और आप आए दिन कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में यहां से कह देते हैं कि फलां का दोष नहीं है और फलां का दोष नहीं है। आपको यह कैसे पता है ? आप अपने बारे में तो कह सकते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में आपको क्या पता कि वह गिल्टी है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में सरकार से मेरा निवेदन है कि जिन मंत्रियों ने प्रधान मन्त्री को लिखकर दिया है कि इस शेयर घोटाले से उनका सम्बन्ध नहीं है, उन सबके वे पत्र यहां सदन के पटल पर रखे जाने चाहिए। तभी इस देश के लोगों को भी मालूम होगा कि कौन-कौन से ऐसे मन्त्री हैं जिन्होंने लिखकर दिया है, जाइंट पालियामेंट्री कमेटी की जांच के पहले उन्होंने लिखकर दिया है कि इसमें उनका कोई शेयर नहीं है या कोई सम्बन्ध नहीं है। हमें लोग बीच-बीच में मिलते हैं और वे कहते हैं कि इनका सम्बन्ध है और उनका सम्बन्ध है। इसलिव मेरा निवेदन है कि ऐसे सभी मन्त्रियों को इस सभागार में शपथ-पत्र देना चाहिए जिस प्रकार से न्यायालय में शपथ-पत्र देते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी देना चाहिए कि इस शेयर घोटाले से कोई संबंध नहीं है।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी): इस प्रकार से तो हर एम०पी० को भी देना पड़ेगा।

श्री राम नाईक : अगर इस सभा का ऐसा मत होगा तो हर सदस्य को भी देना चाहिए कि पिछले एक साल में कितने-कितने और कौन-कौन से शेयर खरीदे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : गए दो साल कर दीजिए।

श्री राम नाईक : ठीक गए दो साल कर दीजिए कि किसने कितने शेयर खरीदे हैं। इससे पता चल जाएगा कि कौन कितना श्रीमान है और कितने शेयर खरीदे हैं। केवल अपनी जानकारी मत दीजिए, अपनी पत्नी, भाई की दीजिए, नजदीक के सभी रिश्तेदारों की भी देनी चाहिए। इस प्रकार का एक एफीडेविट जैसा पत्र इस सभाग्रह के सामने रखना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।

प्रधानमन्त्री जी ने यह कहा है और यह सबको ख्याल चाहिए।

[अनुवाद]

वह छिपकर काम करना पसन्द नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

जब उनको यह अच्छा नहीं लगता तो आपको भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। इसलिए आपको इस बारे में सुओ-मोटू डिक्लेयरशन देना चाहिए कि ये-ये हमारी बातें हैं और इस बात को लेकर हम जांच करेंगे और जब जांच होगी तो इससे पता चलेगा कि कौन कहां तक है और किसने आगे क्या-क्या किया?

मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज यहां बैठे हैं। जनता दल के पूर्व वित्त मन्त्री के बारे में कुछ बातें अखबार में आई हैं और उसमें इस प्रकार की बात आई है कि उनको उन्हीं की पार्टी के एक सदस्य ने दो पत्र लिखे थे और यह कहा था कि इसके सम्बन्ध में मैंने वित्त मन्त्री को पत्र लिखा था। उन्होंने कोई जांच नहीं की। वही सदस्य बाद में चन्द्र शेखर जी की सरकार में मंत्री भी थे। यह होते हुए भी कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार का पत्र उन्होंने लिखा था। स्वाभाविक है श्री फर्नान्डीज इस बात के बारे में अपने साथियों की ओर से खुलासा दें कि क्या उन्होंने इस प्रकार से कहा था। उसका सन्दर्भ इस कारण से है कि श्री फर्नान्डीज और वित्त मन्त्री श्री मधु दण्डवते के सम्बन्ध में जब यह बात आई, मेरे पास एक कटिंग है, कांग्रेस के प्रवक्ता श्री गाडगिल ने कहा।

[अनुवाद]

उन्हें सदन को छोड़ देने के लिए कहा जाएगा।

[हिन्दी]

क्योंकि वित्त मन्त्री श्री मधु दण्डवते का सम्बन्ध है, उस समय श्री वी०पी० सिंह प्रधानमन्त्री थे तो...

[अनुवाद]

उन्हें जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए और इसलिए श्री वी०पी० सिंह को भी सदन से इस्तीफा देना चाहिए।

[हिन्दी]

इस प्रकार की मांग कांग्रेस के प्रवक्ता श्री गाडगिल ने की। यदि आप यह बात करवाएंगे, फर्नान्डीज जी, तो एक बात अच्छी होगी कि जिस बात के लिए जो कहते हैं वह सत्य आपने रखा और दोनों करें तो आपको इनको भी कहने का अधिकार रहेगा कि हमारे ऊपर आक्षेप किए, हमने यह बात की है। इसलिए इस बात का खुलासा देश को होने की आवश्यकता है कि ऐसे चार्जेज जब लगाए जाते हैं तो स्पष्टतया सदन के सामने आना चाहिए। यदि इस बात को सामने रखते हुए आप बताएंगे तो श्री गाडगिल की बात आपने मानी, सबने मानी, इस प्रकार की भी बात होगी और श्री गाडगिल की बात मानने के बाद श्री मनमोहन सिंह और प्रधान मन्त्री कैसे कहेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। यह भी होगा।

अन्तिम निवेदन इतना ही करना है कि हम जे०पी०सी० बना रहे हैं और वह कमेटी काम करेगी लेकिन सी०बी०आई० की जो इन्क्वारी है वह उसी प्रकार से चलनी चाहिए, गंभीरता से चलनी चाहिए, नहीं तो आज कमेटी नियुक्त करने में ही दो महीने चले गए और फिर समय चला जाएगा। इसलिए पैरलल इन्क्वारी चलनी चाहिए, सी०बी०आई० को ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी को भी अपना सहयोग देना चाहिए और देश के इतिहास में जो सबसे बड़ा काला अध्याय शुरू हुआ है, हम आज इस प्रकार का संकल्प करें कि दुबारा ऐसा नहीं होंने देंगे। जिन्होंने यह किया है उनको हमेशा याद रहे, इस प्रकार की यह सजा यह सदन दे सकता है।

इस प्रकार की भूमिका के साथ धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, कुछ बैंक अधिकारियों और स्टॉक दलालों के बीच धोखाधड़ीपूर्ण और अविवेकपूर्ण षडयंत्र के कारण भारत के लोगों के साथ इतनी बड़ी रकम का जो घोटाला हुआ है, वह इस देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। इसलिए सत्य की तह तक पहुंचने और वास्तविक दोषियों का पता लगाने हेतु कुछ किया जाना चाहिए। दोषियों को सजा देने और कर-दाताओं को पैसा वापस देने के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। भारत सरकार और प्रधान मंत्री एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने से ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, जिससे संसद की श्रेष्ठता स्थापित होने के साथ-साथ देश की हितों की रक्षा भी प्रभावपूर्ण रूप से हो पायेगी।

महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि दूसरे सदन में संभवतः उसी दिन जब* संयुक्त संसदीय समिति की गठन की बात कर रहे थे। जब श्री जसवंत ने यहां यह कहा था कि "मुझे संयुक्त

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

संसदीय समिति की गठन से हैरानी हुई है : कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक छिपाने का माध्यम मात्र हो ।" इन्होंने जो भी कहा है, सरकार मानती गयी है और फिर भी ये सरकार की मंशा पर शक करते हैं। यह ठीक नहीं है ।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं तथ्य को सही करना चाहूंगा। मैंने यह कहा था कि संयुक्त संसदीय समिति का उपयोग मामले को छिपाने के माध्यम के रूप में किया जाता है तो हम एक बहुत बड़े अवसर को गंवा देंगे। मैंने यह नहीं कहा कि ये इसे माध्यम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग दोनों तरीके से किया जा सकता है ।

श्री मुरली देवरा : मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर मेरे कहे हुए को ये सुधारेंगे। इन्होंने जो भी कहा है, उसका अलग अर्थ नहीं हो सकता है । इन परिस्थितियों में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और हमारा बैंकिंग विभाग क्या कर सकता था ? यह कहने में मैं एक मिनट लूंगा कि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या और कितनी द्रुत कार्यवाही की है । भारतीय रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर, श्री जानकीरमन की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर दी थी । उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसके आधार पर सी० बी० आई० की जांच हो रही है, जो प्रगति पर है। कई गिरफ्तारियां की गई और अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई । खोये हुए रुपये की वसूली के लिए सरकार ने एक कस्टोडियन की नियुक्ति कर दी है । कस्टोडियन उन लोगों की संपत्ति जब्त कर चुका है जिन पर दोषी होने का संदेह है । इसमें 3,000 करोड़ रुपये से ऊपर का घोटाला हुआ है जिसका बहुत बड़ा भाग स्टॉक दलालों के हाथ में गया है, जिन्होंने उन रुपयों को शेयर और प्रतिभूति में निवेश कर दिया । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार इससे ज्यादा और क्या कर सकती थी ।

सभापति महोदय : श्री देवरा, आपने एक व्यक्ति का नाम लिया है और वह नाम रिकार्ड में नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आपने उनका नाम लिया है ।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : मैंने उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहा है । खुराना जी को मुरली देवरा से एलर्जी हो सकती है लेकिन उस नाम से नहीं। फिर भी, मैं इनकी सलाह पर उस नाम को वापस लेता हूं ।

महोदय, मैं हमारे बैंकिंग प्रणाली में जो आज हो रहा है, उसकी तरफ सभा का सिर्फ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। किसी ने भी इस बात को नहीं कहा है जो मैं बता रहा हूं । राष्ट्रीयकृत बैंकों और विदेशी बैंकों 2,35,000 रुपये से ज्यादा की रकम है। उन रुपयों का उपयोग करने की क्या कसौटी है ? भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तीन या चार वृहत निर्देश जारी किये गये हैं। एक तो वैधानिक लिक्विडिटी अनुपात है : यह 38 प्रतिशत था जिसे घटाकर अब 30 प्रतिशत कर दिया गया है। उसके बाद सी० एल० आर० की बात है, जो कि जमा की गई रकम का 100 प्रतिशत है ।

सबसे बढ़कर बात यह है कि कुल जमा का 40 प्रतिशत भाग प्राथमिकता के क्षेत्रों कृषि, लघु-उद्योग, निर्यात तथा इन सब चीजों के वास्ते ऋण देने हेतु नियत किया गया है। जो कुछ भी धन बैंकों के पास उपलब्ध है, उसका लगभग 80 प्रतिशत अथवा 77 प्रतिशत या 78 प्रतिशत भाग इसके अन्तर्गत पूरा हो जाता है। उनके पास क्या बचता है? कुल धन का 25 प्रतिशत उनके पास पड़ा है। बैंक ब्याज की ऊंची दर अदा कर रहे हैं। इसलिए आधारभूत ढांचे पर किया जा रहा खर्च बहुत ज्यादा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आप नहीं गलती कर रहे हैं जो श्री यशवन्त सिंह ने एक बार की थी, जब वह वित्त मंत्री थे।

श्री मुरली देवरा : मैं आशा करता हूं कि जो कुछ उनके साथ हुआ, वह मेरे साथ नहीं होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रणाली से बंधे रहे और वह नहीं बंधे।

सभापति महोदय : कृपया सभा का समय बेकार न करें। समय बहुत सीमित है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : पूरी जमा में से केवल एक भाग को ऋण के रूप में दिया गया है, न कि सारा। कुल जमा में से पहले 39 प्रतिशत एस एल आर तत्पश्चात् 10 प्रतिशत सी आर आर की कटौती की गई थी। जो कुछ भी राशि बची, वही ऋण के रूप में दी गई है। उसमें से 40 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र को जाती है और 60 प्रतिशत बचती है। आपने ठीक नहीं घटाया है।

श्री मुरली देवरा : धन्यवाद। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी पिछले हफ्ते ही धन-हानि की एक और मामला सामने आया है। श्री सोमनाथ चैटर्जी, आपने उसका उल्लेख नहीं किया। श्री जसवन्त सिंह ने भी उसका उल्लेख नहीं किया है। वह है विद्युत वित्त निगम। (**व्यवधान**)। जब यह बड़े-बड़े सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक अथवा अपने बंध पत्रों द्वारा धन प्राप्त करते हैं और बाजार में शामिल होते हैं तो उनके पास काफी धन बेकार पड़ा रहता है। उनके पास करने के लिए क्या होता है? उन्हें इस धन पर ब्याज की दर ऊंची रखनी होती है। मैं जो कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हूं, वह यह है कि इस घोटाले के एक बड़े भाग का वास्तविक कारण ब्याज की ऊंची दर है। यह मैंने अपने बजट के वक्तव्य में तथा पहले भी कहा था।

श्री जसवन्त सिंह ने कहा था कि अन्तर-बैंक लेन-देन की दर 59 प्रतिशत अथवा 60 प्रतिशत थी। यह 102 प्रतिशत तक भी चली गई थी। लेकिन अब यह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब व्यापार नहीं हो रहा है। अब मुम्बई में कोई अन्तर-बैंक लेन-देन अथवा वित्तीय बाजार में कोई लेन-देन नहीं हो रहे हैं। हमें यह सब बातें बार-बार दोहराने की बजाए यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि घोटाले में क्या हुआ, कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं, किसने क्या गलती की है, हम उन गलतियों को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसमें अन्तर्ग्रस्त राशि को वसूल करने के लिए क्या कर सकते हैं और हम इस मामले में दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए क्या कर सकते हैं।

यहां विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने की भी आवश्यकता है और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा। अब भिन्न-भिन्न निगम ब्याज की ऊंची

दर पर ऋण ले रहे हैं, जबकि भारत सरकार से सम्बन्धित अन्य निगम, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ऋण दे रहे हैं। मैंने कहा था कि विद्युत वित्त निगम धन की एक भारी राशि उधार दे रहा था। उनके पास 1,000 करोड़ रु० से अधिक का अधिशेष था, जबकि मुम्बई में, वे बाजार से ऋण ले रहे थे। उससे कौन धन पैदा करेगा? वे जो कि दलाल हैं, क्या वे विदेशी बैंक हैं अथवा स्थानीय बैंक हैं। इसलिए उनको दलालों के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है, जिन्होंने कि यह अनैतिक धन कमाया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए वे न्यायानुमत हैं।

श्री मुरली देवरा : नहीं। वे न्यायानुमत नहीं हैं। यही मैं कह रहा हूं। यह पहली बार है कि जबकि बैंक में केवल खाताधारी के खाते में ही चैक जमा किए जाते हैं—श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह मुद्दा उठाया—राष्ट्रीय आवासीय बैंक ने वह चैक भारतीय स्टेट बैंक के नाम दिया था।

4.34 म० प०

[श्री तारा सिंह पीठासीन हुए]

भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने उसे हर्षद मेहता आदि के खाते में जमा कर दिया था। वह किसकी गलती थी? यह राष्ट्रीय आवासीय बैंक की गलती नहीं थी। वह भारतीय स्टेट बैंक की गलती थी। इसलिए वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट किया था कि इस धन को वापस लेना है। बैंक रसीदों के सम्बन्ध में, कराड़ बैंक के सम्बन्ध में, मैट्रोपालिटन बैंक के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया था। श्री राम नाईक ने कराड बैंक का उल्लेख किया है।

श्री जसवन्त सिंह : कृपया कराड बैंक के संबंध में और बताइए और इसके पीछे कौन है?

श्री मुरली देवरा : मैं नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है। मैं नहीं समझता कि इसके पीछे कोई है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं। पहली बार मेरी जानकारी में ऐसा आया है कि एक बैंक के पास एक करोड़ से कम की प्रदत्त पूंजी है और जबकि वास्तविक सम्पत्ति का मूल्य आज भी कुछ नहीं है—मैं नहीं समझता कि आज भी उनका कोई वास्तविक सम्पत्ति मूल्य है और वे 1100-1200 करोड़ रु० की राशि की बैंक रसीद जारी कर सकते हैं। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। (व्यवधान) मैं आपसे सहमत हूं कि इसकी स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए थी और कुछ हमारी बैंकिंग प्रणाली में कुछ मूल रूप से गलत है। मैं इस विचार से सहमत हूं। जो कुछ भी श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा उस दिन कहा गया था, वही आज श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा अब कहा गया है। लेकिन सरकार की गलती नहीं है। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : क्या जमाकर्त्ताओं की गलती है?

श्री मुरली देवरा : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जमाकर्त्ताओं की गलती है। मैं अब उसके सुझाव पक्ष की ओर आ रहा हूं। मैं केवल यही कहूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक में एक विभाग है जो कि यह सुनिश्चित करता है कि जमाकर्ताओं विशेषकर लघु जमाकर्ताओं की जमा के संबंध में अधिकतम सीमा राशि 30,000 रु० है। कराड बैंक के मामले में भी जिन जमाकर्त्ताओं ने 30,000 रु० की राशि से अधिक जमा किया था, उन्हें भी 30,000 रु० तक ही मिलेंगे। यही बी०सी०सी०आई० के मामले में भी हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक का विभाग लघु जमाकर्त्ताओं इत्यादि द्वारा जमा की जाने वाली राशियों को सुनिश्चित करता है।

अब यह एक लाख अथवा दो लाख रुपये होनी चाहिए। लेकिन पहले यह 30,000 रु० थी। लेकिन मुद्दा यह है कि रुपये का अवमूल्यन हुआ है। इसलिए, भारत सरकार को मेरा सुझाव यह है कि भारत सरकार को लघु जमाकर्त्ताओं के लिए इस बीमा पूर्ति की राशि को बढ़ा देना चाहिए जो कि 30,000 रुपये से अधिक है। (**व्यवधान**)

हर्षद मेहता के मामले में वास्तविक समस्या यह थी कि निवेश तथा वित्तीय लेखा परीक्षा में मिलान नहीं किया गया था। यह क्यों नहीं हुआ था ? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक में कोई उपयुक्त कम्प्यूटर प्रणाली नहीं थी और इसलिए वे इस राशि को 15 दिनों के लिए इस्तेमाल करते रहे थे··· (**व्यवधान**)।

हर्षद मेहता उस धन का उपयोग 14-15 दिनों तक करता रहा था। इसी बीच मिलान होने वाला था और वह उस धन का उपयोग कर रहा था और बाजार से स्टॉक खरीद रहा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए उसे वित्त मंत्रालय में आमंत्रण दिया गया था।

श्री मुरली देवरा : मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था और न ही वित्त मंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया था। मैं अब अपने मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा यह है कि आपने यह कम्प्यूटरीकरण का कार्य बन्द कर दिया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें कार्यकर्ताओं के हित के विरुद्ध होना चाहिए ··· (**व्यवधान**) जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं कार्यकर्ताओं के हित के विरुद्ध नहीं हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनकी छंटनी कर दी जानी चाहिए। बल्कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसलिए यदि यहां उपयुक्त कम्पयूटरीकरण है तो मिलान घण्टे के आधार पर तथा दो घंटे तीन घंटे में भी किया जाएगा और जो कुछ भी धन राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त की गई थी उसका मिलान हो जाता और यह हादसा ही नहीं होता। (**व्यवधान**)

महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक के निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। वास्तविक रूप से जिस बात की आवश्यकता है बाहरी लेखा परीक्षक, न कि ऐसे लेखा परीक्षक जो कि स्वयं भारतीय रिजर्व बैंक का एक हिस्सा हैं। यह ऐसा होना चाहिए जैसा कि विदेशों में होता है। यदि बाहरी चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को आवधिक निगरानी करने के लिए कहा जाए तो यह काफी मददगार सिद्ध होगा। लेकिन इतना ही बहुत नहीं होगा। यह काफी हद तक मदद करेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इसने निवेश करने वाली जनता के विश्वास को पूर्णतः तोड़ दिया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बैंकिंग प्रणाली से एक रुपया भी नहीं लिया गया है। यदि आप अमेरिका अथवा यूरोप के किसी बैंक के सम्बन्ध में एक छोटा-सा समाचार पढ़ें तो आप यह कल्पना नहीं कर सकते कि बैंक के पूरे पैसे का अगले दिन भुगतान कर दिया जाता है। यहां मैं सरकार की सराहना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को अभी भी हमारी बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास है। निश्चय ही, यह हिल गई है। मैं आपसे सहमत हूं। मैं यह कह रहा हूं कि लोगों का विश्वास हिल गया है। इसने हमारे वित्तीय संस्थानों को नुकसान पहुंचाया है; इसने हमारी अन्तर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि इसने जनता के विश्वास को पूर्णतः तोड़ दिया है।

एक अन्य मुद्दा, जिसके बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रणाली में जनता के निवेश के संबंध में गोपनीयता के बजाय पारदर्शित होनी चाहिए। यू०टी०आई० में लघु

निवेशकर्ताओं द्वारा 4,100 करोड़ रु० से ऊपर की राशि एकत्रित की गई है। वित्त मंत्री जी, उन्होंने कोई विज्ञापन नहीं दिया है। इसके बारे में कोई नहीं जानता है। पिछले पखवाड़े की 'दि इंडिया टुडे' में एक सम्पादकीय में स्पष्ट रूप से तथा सही रूप से कहा गया है कि निवेश में पारदर्शिता होनी चाहिए। निवेशकर्त्ता को यह जानने का अधिकार है कि वास्तव में धन कहां निवेश किया जा रहा है। उसे न केवल लाभांश मिलना चाहिए—हां, यदि स्टॉक बाजार की कीमतें चढ़ रही हैं, यदि मुख्य शेयर सम्पत्ति की कीमतें चढ़ रही हैं, तो निश्चय ही उन्हें अधिक लाभांश मिलेगा—लेकिन निवेशकर्ताओं को भी मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी भारतीय स्टेट बैंक है। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। यू०टी०आई० को चाहिए कि वह जनता को दैनिक पत्रों द्वारा यह जानने दें कि बड़े-बड़े निवेश किस तरह से, किस कंपनी, किस मुचुअल फंड इत्यादि में होते हैं। श्री फर्नान्डीज "बी०ई०एस०टी" के यूनियन नेता हैं और श्री राम नाईक यहां के नेता हैं। मैं उनका ध्यान एक तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चार वर्ष पहले, 'बी०ई०एस०टी' बम्बई में एक उप स्टेशन बनाने के लिए अथवा बसें खरीदने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से सात करोड़ रु० की राशि उधार लेनी चाही। भारतीय स्टेट बैंक ने उस सात करोड़ रु० की राशि को अदा करने में एक वर्ष लगा दिया। उन्होंने बी० ई०एस०टी०, जो मुम्बई का परिवहन उपक्रम है, से 40 प्रतिशत अग्रिम की मांग की।

एक तरफ तो उन्होंने श्री हर्षद मेहता तथा श्री भूपेन दलाल जैसे लोगों को 300 से 400 करोड़ रुपया देने में इतनी लापरवाही से काम लिया—मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं—तथा दूसरी ओर 'बेस्ट' जैसी सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के लिए सहयोग करने के लिए वे एकदम तैयार नहीं थे। अब इस बात के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि उन्हें 'बेस्ट' जैसी सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के प्रति अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

नरसिम्हन समिति ने एक और सुझाव दिया है। यह वर्तमान बैंकों के शेयरधारक को कम करने से सम्बन्धित है। (**व्यवधान**)। मैं जानता हूं कि आपको यह बात अच्छी नहीं लगेगी। पश्चिम बंगाल में आप सार्वजनिक क्षेत्र में अपनिवेश कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

मैं जानता हूं कि आप पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं और देश में क्या करवाने की वकालत कर रहे हैं। मैंने पहले भी यह बात कही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही एकमात्र ऐसा बैंक है जिसमें सार्वजनिक शेयर-पूंजी बहुत कम हैं। बाकी सभी राष्ट्रीयकृत बैंक पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंक अपनिवेश क्यों नहीं करते। कामगारों के सम्बन्ध में मैं कुछ और कहना चाहूंगा। मैं टर्की की यात्रा पर गया था। टर्की का सबसे बड़ा बैंक 'टू बैंक' कहलाता है। वापिस आते ही मैंने वित्त मंत्री महोदय को एक नोट भेजा था, उन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की? जब इस बैंक के कर्मचारी अवकाश ग्रहण करते हैं, तो उन्हें उत्पादकता शेयर, बोनस शेयर और ग्रैच्युटी शेयर के चालीस प्रतिशत शेयर आवंटित कर दिए जाते हैं। इससे बैंक की कार्यकुशलता तथा कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में जागरुकता और नियंत्रण बना रहता है। इसलिए ये शेयर आवंटित करने का समय आ गया है। मैं यह चाहता हूं कि अगर आप खुले बाजार में शेयर नहीं बेचना चाहते हैं, तो कर्मचारियों से यह प्रक्रिया आरम्भ कीजिए। परन्तु खुले बाजार में भी एक व्यक्ति अथवा निगम को एक प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं मिलने चाहिएं। (**व्यवधान**) भारत में कार्य कर रहे बैंकों के सम्बन्ध में बहुत

कुछ कहा गया है। परन्तु विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंकों के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप बाहर ज्यादा जाते हैं, हम तो जाते नहीं हैं।

श्री मुरली देवरा : आप हमसे ज्यादा जाते हैं।

[अनुवाद]

हम बता देते हैं। आप बताते नहीं। बस इतनी सी बात है। श्री चटर्जी, क्या आप जानते हैं कि विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंकों में क्या हो रहा है? मैं यह चाहूंगा कि अपना उत्तर देते समय वित्त मंत्री महोदय इस सभा को यह भी बतायें कि विदेशों में भारतीय बैंकों में अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋण कितनी राशि के हैं, विशेषकर जो कि अनिवासी भारतीयों ने लिए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से अनिवासी भारतीय विदेशों में भारतीय बैंकों से डालर, पौंड्स, येन्स तथा डिश मार्क्स जैसी विदेशी मुद्राओं में भारी ऋण प्राप्त करते हैं तथा उनका इन ऋणों की अदायगी का कोई इरादा नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि सबके सब खराब हैं; उनमें बेशक कुछ अच्छे लोग भी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बैंकर्स प्राप्तियों के साथ।

श्री मुरली देवरा : सौभाग्यवश, वहां कोई बैंकर्स प्राप्तियां नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय इस मुद्दे पर प्रकाश डालें।

आज हमारे देश में दो योजनायें चल रही हैं। एक है एफ० सी० एन० और दूसरी है एन० आर० ई०। जब एक अनिवासी भारतीय एफ० सी० एन० खाते में धन जमा कराता है तो उसका धन डॉलर, पौंड्स, डिश मार्क्स जैसी विदेशी मुद्राओं में ही रहता है। परन्तु जब कोई व्यक्ति एन० आर० ई० खाते में धन जमा कराता है तो उसे परिवर्तन जोखिम सहना पड़ता है। अगर आप पिछले चार साल तक का रिकार्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने अपना धन एन० आर० ई० खातों में जमा करवाया था; उन्हें काफी हानि सहनी पड़ी तथा जिन लोगों ने अपना धन एफ० सी० एन० आर० खातों में जमा करवाया था; उन्हें हानि के स्थान पर भारी लाभ हुआ, क्योंकि अमरीका में डॉलरों पर ब्याज दर बहुत कम दी जाती है, जबकि एफ० सी० एन० खातों में डॉलरों पर ब्याज दर बहुत अधिक है। इस दर में कमी करके वित्त मंत्रालय ने एक अच्छा कदम उठाया है; परन्तु मेरा यह निवेदन है कि एन० आर० ई० खातों में जहां कि लोग रुपयों में धन जमा कराते हैं, ब्याज दर बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जब विदेश मुद्रा परिवर्तित होती है तो इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है।

सभापति महोदय : कृपया, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सारी सभा आपसे निवेदन करती है कि उन्हें बोलने के लिए और समय न दिया जाए, क्योंकि वे घोटालों की दुनिया से जुड़े हुए हैं और इस सम्बन्ध में लगभग सभी बातें जानते हैं।

श्री मुरली देवरा : नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के द्वारा उपलब्ध करवाये गये 20 प्रतिशत ऋण ऐसे होते हैं जिन्हें गैर कार्य-निष्पादक कहा जा सकता है तथा जिनकी वसूली की सम्भावनायें बहुत कम होती हैं। यह करोडों की राशि प्रतिवर्ष आगे ले जायी जाती है। अब समय आ गया है कि सरकार इन बैंकों को अपना हिसाब-किताब साफ करने की अनुमति प्रदान करे, सरकार को

इन 20 प्रतिशत गैर कार्य-निष्पादक ऋणों के सम्बन्ध में जांच करवाकर सारा मामला स्पष्ट करना चाहिए। यह ऋण अशोध्य और संदेहास्पद है तथा इनकी वसूली न तो मेरे जीवन काल के दौरान और न ही आपके जीवन काल के दौरान हो पायेगी। इसलिए बैंकों को यह बताने का क्या लाभ है कि वे घाटे में चल रहे हैं। यह उन लोगों का दोष नहीं है जो आज बैंक चला रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नरसिम्हन समिति ने इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिश दी है।

श्री मुरली देवरा : जी हां। अन्त में मैं मुद्रा बाजार के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। आवश्यकता मुद्रा बाजार में सरलता लाने की है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि सरकार ने उन लोगों को रियायतें दी हैं, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं तथा जिन्होंने शेयर बाजार में पूंजी लगाई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी शेयर दलाल अथवा शेयर बाजार के निवेशक बुरे लोग नहीं हैं। कुछ लोग गलत हैं। उन्हें धन कहां से प्राप्त हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में वास्तविक शेयर बाजार अथवा पूंजी बाजार के माध्यम से ही आता है। अगर आप उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो आपको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का गठन करना होगा। उनके शेयर कौन खरीदेगा? संस्थापक 20 से 25 प्रतिशत तक पूंजी निवेश करेगा। टाटा का शेयर केवल 5 प्रतिशत है जबकि बिरला का शेयर 7 से 9 प्रतिशत है।

एक माननीय सदस्य : यह केवल तीन प्रतिशत है।

श्री मुरली देवरा : जी हां, तीन प्रतिशत। बाकी धन लोगों से लिया जाता है तथा शेयर बाजार में लोगों की विश्वसनीयता को बहाल किए जाने की आवश्यकता है। शेयर बाजार में कोई खराबी नहीं है। कुछ लोगों ने शेयर बाजार को तहस-नहस करने की चेष्टा की है; इसका अर्थ यह नहीं कि हम सारे पूंजी बाजार पर आरोप लगायें तथा यह घोषित कर दें कि सारा पूंजी बाजार तथा सभी दलाल खराब हैं। कुछ लोगों पर छापा डाला गया था; तथा अगर ये लोग निर्दोष साबित हुए तो ऐसी स्थिति में सरकार तथा सी० बी० आई० अथवा जो प्राधिकरण इस मामले की जांच कर रहा है। उन्हें यह घोषित करना होगा कि अमुक लोगों पर छापे मारे गए थे, परन्तु उनकी शेयर घोटाले में संलिप्तता प्रमाणित नहीं हो पाई।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनसे मैं एक बात की जानकारी चाहता हूं, क्योंकि वे अपराध बाबत की पूरी जानकारी रखते हैं। अब यह कहा जा रहा है कि दलालों के लाइसेंस तीन करोड़ के लाभ पर बेचे गये। क्या यह ठीक है?

श्री मुरली देवरा : आप ठीक कह रहे हैं। आय बजट पर बहस के दौरान भी मैंने यह बात कही थी। बात यह है कि मुम्बई के स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सीमित कार्ड संख्या में कार्ड हैं। जिन लोगों को शेयर बेचने और खरीदने की अनुमति है; उनकी संख्या बहुत कम है। इस सम्बन्ध में एक सुझाव पहले ही दिया जा चुका है जिसकी वित्त मंत्री महोदय को जानकारी है। वे एक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने जा रहे हैं।

एक समय पर कार्ड की कीमत 20,000 रुपए थी जो कि अब तीन करोड़ रुपये हो गई है। यहां तक कि तीन करोड़ में भी आपको कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही सीमित है। जहां भी कमी और नियंत्रण होगा, वहां कीमत तो बढ़ेगी ही। पश्चिम बंगाल में ऐसा प्रतिदिन हो रहा है। जो श्री बसु ने सीखा है। यहां पर लोग वह नहीं सीखना चाहते। वे जानते हैं कि मेरे इरादे बड़े स्पष्ट हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने कहा है कि कुछ अच्छे दलाल भी हैं। इसी तरह कांग्रेस में कुछ उनके जैसे अच्छे लोग भी हैं।

श्री मुरली देवरा : पिछले वर्ष श्री ज्योति बसु एक सार्वजनिक सभा में भाग लेने के लिए मुम्बई आये। उन्होंने मुझे अपने लिए आने का आयोजन करने का सुअवसर प्रदान किया। मैंने मुम्बई के सभी पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों को आमन्त्रित किया। वे उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे बताया कि वे मेरे से अधिक दक्षिणपंथी तथा पूंजीवादी भाषा में बात करते हैं। वे एक बहुत ही साहसी और व्यवहारिक व्यक्ति हैं।

पश्चिम बंगाल ही एकमात्र राज्य है जहां कि डेरी विकास भी संयुक्त क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है। और कहीं भी, यहां तक कि महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। जब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के डा० कुरियन मुझसे बातचीत कर रहे थे तो हमने धारा के सम्बन्ध में चर्चा की, क्योंकि मुम्बई नगर में 'धारा' की काफी कमी है। उन्होंने बताया कि एकमात्र राज्य जो दुग्ध डेयरी संयुक्त तथा निजी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए तैयार हुआ है; वह पश्चिम बंगाल राज्य है। इसलिए कृपया यह उपदेश यहां मत दीजिए। श्री चटर्जी अब केवल एक ही देश क्यूबा ही जा सकते हैं, उन्हें और किसी देश में अब स्वीकार नहीं किया जायेगा? यहां आपको ताली बजाने की अनुमति है; वहां आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, क्यूबा हमारा मित्र देश है। स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने उसके नेता को दीर्घ नेता की पदवी दी थी। एक मित्र देश के बारे में, सचमुच एक बहादुर देश के बारे में यह भर्त्सना से बोल रहे हैं यह कम से कम रिकार्ड से हटाया जाये।

श्री मुरली देवरा : मैं माफी चाहता हूं, मेरे मन में फिदेल कास्त्रो के प्रति कोई असम्मान नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूं। इन्होंने इकोनोमिक सिस्टम के बारे में कहा जिसको सोमनाथ चटर्जी पार्लियामेंट में प्लीड करते हैं, कलकत्ता में नहीं, उसका स्थान क्यूबा में ही है। इसमें कोई क्यूबा के लिए या फिदेल कास्त्रो के लिए असम्मान नहीं है। मैं प्रशंसा कर रहा हूं, मैं चाहता हूं वे सफल हों। आप भी वहां जाकर सफल होंगे, यहां नहीं होंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने काफी समय ले लिया है।

श्री मुरली देवरा : सरकार को सही पूंजी बाजार के विकास के लिए अवश्य सहायता करनी चाहिए। मैं, सरकार के स्थायित्व के संबंध में कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा, उस बात को भूल जाइये। आप सबने कहा था कि शेयर बाजार तेजी पर है और वे लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। हो सकता है आप की बात ठीक हो अथवा गलत। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पूंजी बाजारों को संरक्षण देना चाहिए। यदि हमारा औद्योगिक उत्पादन घट रहा है, जो कि सच है, तो इसके बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। यदि और अधिक पूंजी बाजार होंगे तो और अधिक उद्योग स्थापित होंगे, और कम्पनियां स्थापित होंगी, इसके लिए और अधिक भूमि को खरीदा जाएगा, और उद्योगों को स्थापित किया जाएगा तथा और अधिक निर्यात किया जा

सकेगा। इसमें गलत बात क्या है ? मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें पूंजी बाजार को उचित प्रवाहमयता प्रदान करनी चाहिए, जिसकी बहुत जरूरत है। अब सरकार को चाहिए कि वह ब्याज दर में अवश्य कमी करे और पूंजी बाजार को अधिक प्रवाहमयता प्रदान करे। यहां तक कि 20% या 25% ब्याज दर पर भी लोगों को कानूनी ढंग से धन नहीं मिल रहा है। यदि ब्याज की दर इतना अधिक है तो आप यह आशा नहीं कर सकते कि आपको रुपया मिलेगा। मैं केवल एक और उदाहरण देना चाहता हूं।

यदि 'सी० एल० आर०' घटेगा तो 'एस एल० आर०' भी घट जाएगा और स्वत: ही धन बाजार में आ जायेगा। एक समय ऐसा भी था जब एक 'फीयट' अथवा अम्बेसडर कार को खरीदने में काफी समय लग जाता था। मुझे याद है, इसी संसद में मेरे मित्र मुझसे, बम्बई के प्रीमियर आटोमोबायल कम्पनी द्वारा आबंटित फीयट कार, लाकर देने के लिए कहते थे। आज प्रीमियर आटोमोबायल कम्पनी इन कारों के उत्पादन को लगभग 20% घटा रही है। आप बजाज आटो लि० से पूछ लीजिए। पहले एक स्कूटर के आबंटन में बारह वर्ष लग जाते थे। श्री दिघे, आपको याद है, हम बम्बई शहर में किसी को एक आटो दिलाने के लिए, बजाज को पत्र लिखा करते थे। आज बजाज का 30% स्टाक बिना बिक्री के पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है ? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके ब्याज का दर अधिक है। जो व्यक्ति एक स्कूटर खरीद सकता था, आज उसकी क्रय शक्ति कम हो चुकी है। वह ऋण नहीं ले सकता। वह ऋण लेने के लिए तैयार है; बैंक भी स्कूटर खरीदने के लिए 9000 अथवा 8000 रुपये देने को तैयार है। लेकिन ब्याज का दर बहुत अधिक है। यदि एच०डी०एफ०सी०, नेशनल हाऊसिंग बैंक तथा 'हुडको' द्वारा दिये जाने वाले ऋण का ब्याज दर अधिक है तो आवास निर्माण कार्य का क्या होगा ? इससे पहले श्री मनमोहन सिंह जी ने जो कुछ कहा था उसमें कुछ सच्चाई है। हमें, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा के परिचालन पर काफी रोक लगानी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं। इसीलिए तो ये 10 प्रतिशत सी०एल०आर० रखा गया है। मैं 'ना' नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब समय आ गया है। मैं दक्षिण कोरिया के अर्थशास्त्री का उद्धरण फिर से दे रहा हूं। उन्होंने कहा था :

> "ब्याज की दर इतनी अधिक होनी चाहिए कि बचत को आकर्षित कर सकें, पर इतना भी अधिक न हो कि इससे निवेश पर प्रभाव पड़े।"

ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति पूंजी निवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उद्योग नहीं लगाएगा; कोई भी व्यक्ति स्कूटर नहीं खरीदेगा; कोई भी व्यक्ति आटोरिक्शे नहीं चला पायेगा और सभी लोग अपने धन को बैंक में जमा करेंगे और 16 अथवा 17 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करेंगे; और यदि कभी इस धन को 'बॉन्ड' में लगाने पर उन्हें कर देना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 'बॉन्ड' कर-मुक्त भी है। मैं, सरकार से फिर एक बार यह सविनय अनुरोध करता हूं कि ब्याज के दर को कम करके, पूंजी बाजार को एवं सामान्य उद्योग को बढ़ावा दें। मुझे विश्वास है कि वे ऐसा करेंगे।

दूसरी बात यह है कि मूल्यों के निर्धारण और व्यवहार में स्पष्टता होनी चाहिए। स्टाक बाजार में क्या हो रहा था ? इसका एक कारण यह है कि इसमें स्पष्टता नहीं है। इसके लिए कुछ दलाल जिम्मेदार हैं। आपकी यह बात ठीक है। अब सेबी सक्षम हो गई है। आपने सेबी को बहुत सक्षम बना दिया है। कृपया यह ध्यान रखिए कि मूल्यों के निर्धारण और व्यवहार में पूर्ण रूप से स्पष्टता हो। दलालों के बारे में ये शिकायतें हैं कि वे शेयरों को एक मूल्य पर खरीदते हैं

और शेयर सुपुर्द करते समय दो, तीन या चार प्रतिशत अधिक मूल्य लेते हैं क्योंकि कोई स्पष्टता नहीं है। मूल्यों के विषय में स्पष्टता का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

तीसरी बात यह है। कृपया जारीकर्ता और निवेशक, (शेयरों के विक्रेता और दूसरा शेयरों के क्रेता) के बीच जो असंगति है, उस ओर ध्यान रखा जाना चाहिए। इनमें उचित समन्वय होना चाहिए। सेबी को निर्देश दिए गए हैं लेकिन सरकार को यह देखना चाहिए कि इन निर्देशों का कड़ा पालन किया जाये।

अन्तिम बात निवेश संपत्ति और दायित्वों की अनुकूलतम उपयोगिता के संबंध में है। यदि संपत्तियां व्यर्थ पड़ी हुई हैं, जैसे कि पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन के मामले में हुआ था जब निगम ने 1800 करोड़ रुपयों का ऋण लिया था, वे जब तक दूसरा विद्युत संयंत्र स्थापित होगा तब तक क्या करेंगे ? वे इस संयंत्र का उपयोग कम से कम तीन, चार या छह महीने तक ही करेंगे। अतः उनको कुछ गारंटी दे दी जानी चाहिए कि उनके निवेश पर पर्याप्त धन अथवा उचित रूप से धन मिलेगा। अन्यथा वे हर्षद मेहता और भूपेन दलाल और अन्य दलालों के पास जाएंगे क्योंकि वे लोग उनको अधिक ब्याज दे सकते हैं, वे लोग अल्पावधि पर अधिक ब्याज दे सकते हैं। अतः इससे निवेश पर असर होगा और यदि विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच एक प्रभावशाली समन्वय स्थापित हो पाये तो अच्छा होगा। भारत सरकार का एक विभाग ऋण ले रहा है और दूसरा विभाग अधिक मात्रा में ऋण दे रहा है। मैंने ऊर्जा वित्त निगम और परमाणु ऊर्जा विभाग के दो उदाहरण दिये हैं। एक निगम अधिक मात्रा में धन जमा कर रहा है और दूसरा निगम अधिक मात्रा में ऋण ले रहा है। महोदय, इस मंत्रीमण्डलीय सचिवालय के बीच, जिसमें विभिन्न मंत्रालय सम्मिलित हैं जो केवल वित्त मंत्रालय से ही सबंधित मामला नहीं है; इसमें विद्युत, ऊर्जा और कोयला आदि भिन्न मंत्रालय सम्मिलित हैं, प्रभावी समन्वय होना चाहिए जो अस्पष्टता की स्थिति को नियंत्रित कर सकेगी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, हम तो कोई ऐसी विश्वास नहीं रख रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस घोटाले में से जो तथ्य बाहर लाने हैं उसके लिए कोई मजबूत कदम अभी उठने हैं।

5.00 म० प०

यह मान लिया कि जॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने की बात तो तय हो गई है लेकिन पिछले दो महीनों में सरकार का जो इस घोटाले को लेकर या अनेक घोटालों को लेकर, चूंकि हम इसे सिक्यूरिटी स्कैम बोलते हैं, लेकिन यह मामला केवल सिक्यूरिटी स्कैम का नहीं है, इसमें अनेक स्कैम अभी हैं। हर्षद मेहता का और स्टॉक मार्केट का, जिसको लेकर अभी हमारे मित्र मुरली देवरा जी ने काफी बातें यहां पर रखीं, वह अपनी जगह पर एक कांड है जिसमें स्टेट बैंक की और कुछ विदेशी बैंकों की अपनी ढंग की सांठ-गांठ है। जिसमें रिजर्व बैंक की जो जिम्मेदारियां हैं, वह न निभाने का उनका अपराध है। जिसमें बैंक के बहुत बड़े अफसरों का, चेयरमैन का, मैनेजिंग डायरेक्टर के स्तर के लोगों का और उसी तरह से रिजर्व बैंक के अफसरों का मेल-मिलाप है। फिर आपको एक दूसरा कांड मिलता है जिसको आप अलग स्कैम या घोटाला कह सकते हैं, वह "फेयरग्रोथ" का है। उसको इसके साथ जोड़ना ठीक नहीं है चूंकि

इन्हें त्रस्त करने वाला कांड "फेयरग्रोथ" है। इनके जो सबसे अधिक लोग फंसे हैं। वह "फेयरग्रोथ" में फंसे हैं। मैं पिछले एक महीने से "फेयरग्रोथ" के शेयर होल्डर्स की लिस्ट लाने के काम में लगा था। मुझे आधी लिस्ट भी अभी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से नहीं मिल पा रही है। आधी लिस्ट बंगलौर के रजिस्ट्रार आफ कंपनीज के पास नहीं है और उसको तो छिपाने का काम कहीं-न-कहीं हो चुका है।

एक माननीय सदस्य : कौन कर रहा है छिपाने का काम ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: छिपाने वाली सरकार है। मैं उस पर भी आऊंगा।

सभापति जी, हम जो भी कहेंगे उसको जिम्मेदारी से कहेंगे और वित्त मंत्री या जो भी मंत्री उस पर जवाब देना चाहें, हम उनके जवाब को जहां काटना है। वहां उसको काटने का काम करेंगे। चूंकि अगर कोई यह समझता हो कि पिछले दो महीनों में सुबूत को मिटाने का काम जो एक ढंग से इन लोगों ने चलाया है, उससे ये लोग बच जाएंगे, तो ये गलत दुनिया में हैं। मुझे नहीं मालूम कि सदन के भीतर यह बयान हुआ या नहीं, लेकिन सदन के बाहर तो निश्चित बयान हो गया आपके प्लानिंग कमीशन के एक सदस्य का हम लोग मंत्रियों की बात करते हैं, वह भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रैंक के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और कब दिया ? जब आपने उनको प्लानिंग कमीशन का मेम्बर बनाया। क्या वित्त मंत्री को मालूम है कि उनका इस्तीफा कल शनिवार की दोपहर तक बंगलौर के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा नहीं है ? इसलिए जिन कांडों या घोटालों की चर्चा यहां हो रही है, उसमे मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम लोग एक कांड की चर्चा नहीं कर रहे। कई घोटाले हैं और मुझे जो परेशानी है वह इस बात की है कि इसमें फंसे हुए जितने लोग हैं, ये सारा अपराधियों का झुंड अब एक हो गया है। वित्त मंत्रालय से लेकर, मैं शुरुआत वहीं से करूंगा। मैं भारत सरकार कह सकता हूं लेकिन भारत सरकार के जो नियम हैं सरकार के कामकाज के, उसमें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय पर इस घोटाले की जिम्मेदारी को लेना अनिवार्य हो जाता है और इसलिए मैं कुछ तकनीकी बातों को यहां पर आपकी इजाजत से रखना चाहूंगा।

चूंकि यहां हम लोग कुछ इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं जैसे यह एक सिस्टम फेल्यौर है—क्या है सिस्टम फेल्यौर—बैंकों का मालिक कौन है--

[अनुवाद]

वित्त मंत्री महोदय, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का मालिक कौन है ?

[हिन्दी]

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप बैंकों के मालिक हो, यह सरकार बैंकों की मालिक है। इसलिये पब्लिक सैक्टर, पब्लिक सैक्टर करके हम किसी ऐसे काल्पनिक जानवर या जन्तु की कल्पना न करें।

[अनुवाद]

भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की मालिक है।

[हिन्दी]

अगर इन 20 बैंकों में अगर कोई घोटाला हो जाता है तो उस घोटाले की जिम्मेदारी

बैंकों का मालिक नहीं लेगा तो कौन लेगा। यहां अब गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की बात है, यह बात।

[अनुवाद]

भारत सरकार में उत्तरदायित्वों का निर्धारण।

[हिन्दी]

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद का जो पहला आदेश था, उसी के आधार पर हम आज तक चल रहे हैं, जो डिमार्केशन राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने 14 जनवरी, 1961 को किया था। आज तक हम लोग उसी पर चलते आये हैं। आप उसको उठाकर देख लीजिए, आपके वित्त मंत्रालय की क्या जिम्मेदारियां हैं। कैसे आप उन जिम्मेदारियों से भाग सकते हो, यह कहकर कि सरकार क्या कर सकती है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आन्तरिक वित्त, प्रतिभूति ठेका विनियमन प्रशासन अधिनियम, 1956।

[हिन्दी]

यह आपकी जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

स्टाक स्क्सचेंजों का विनियमन और विकास।

[हिन्दी]

यह आपकी जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

संयुक्त स्टॉक कम्पनियों द्वारा पूंजी निर्गम पर नियंत्रण।

[हिन्दी]

जिसकी आपको अभी बड़ी परेशानी है।

[अनुवाद]

पूंजी बाजारों से संसाधन जुटाने के लिए नए निवेश और प्रतिभूतियां।

[हिन्दी]

यह भी आपकी जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

निवेश नीति जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा भारतीय साधारण बीमा निगम की निवेश नीति सम्मिलित है।

[हिन्दी]

और फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग है, क्या उसी विभाग में आपका बैंकिंग डिवीजन है या नहीं।

[अनुवाद]

सभी भारतीय बैंक चाहे राष्ट्रीयकृत हो अथवा न हो।

[हिन्दी]

यह आपकी जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

जहां तक भारत में सभी विदेशी बैंकों के संचालन का सम्बन्ध है।

[हिन्दी]

यह आपकी जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक से सम्बन्धित सभी मामले, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सभी मामले जिनमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम सम्मिलित नहीं है।

[हिन्दी]

यह भी आपके विभाग में आता है।

[अनुवाद]

भारत में बैंकिंग से संबंधित अन्य मामले तथा सभी संस्थाओं का प्रशासन, विनियमन तथा 37 से 79 तक की प्रविष्टियों के संबंध में सभी अन्य कानून जो भारत में बैंकिंग से संबंधित है।

[हिन्दी]

इस जिम्मेदारी से आप लोग कैसे भाग सकते हो, किस आधार पर आप भाग सकते हो। कोई भी निजी कम्पनी को हम लोग लें, किसी एक गरीब कर्मचारी को लें, किसी सुपरवाईजर को लें।

[अनुवाद]

कारखाने में ही।

[हिन्दी]

मैं स्वयं ट्रेड यूनियन में काम करने वाला आदमी हूं, बल्कि आपने मुझे बहुत अच्छा याद दिला दिया। ट्रेड यूनियन में काम करते वक्त हमें सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के मालिकों से टकराना पड़ता है, इसलिये कि जिस व्यक्ति पर किसी चीज की जिम्मेदारी दी थी, वह जिम्मेदारी उसने नहीं निभायी। कैसे नहीं निभायी—आपके पास यह जानकारी थी।

आपने यहां पर मधु दंडवते जी का नाम लिया। ठीक है—डाइवर्शनरी यहां पर खूब चलती रहती है, इस सदन से भी अधिक बाहर चलती है और जिस व्यक्ति ने मधु दंडवते को पत्र भेजा था, क्या वह व्यक्ति बाद में आपकी मदद से बनी हुई सरकार में मंत्री नहीं था। क्या

झकमारी किया उसने। मधु दंडवते जी को चिट्ठी, अभी अखबारों के जरिये, कहां से खोज कर आप लाये, पता नहीं, चूंकि आज वे आपकी पार्टी में हैं, लम्बा उनका सफर रहा— यहां से, वहां से, फिर वहां पहुंच गये। उसका आप लोग इस्तेमाल करते हो—उनका नाम शायद शांति लाल पटेल करके है और वे गुजरात के हैं।

यहां उनके रहते हुए, जब हमारी सरकार थी, ··· (**व्यवधान**)···

5.09 म० प०

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**]

उपाध्यक्ष जी, हमारी सरकार 7 अगस्त को अपने खात्मे का फैसला करके बैठी थी, जिस दिन हम लोगों ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, उसके 48 घण्टे में यह बात तय हो चुकी थी कि यह सरकार गयी। 23 सितम्बर को बाकायदा और उसको गिराने में आप दोनों साथ रहे।

श्री मुरली देवरा : आपकी सरकार कैसे बनी थी, यह आपको मालूम नहीं है ?

श्री जार्ज फर्नांडीज : वह हमारी सरकार बनी, हम आज भी प्रयत्न करते हैं कि जहां हम लोगों में विवाद हो, उसे मिटाना होगा, हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए मुझे उसकी चिन्ता नहीं है। तथ्यों को कुबूल करो। मैं महोदय, इनको यील्ड नहीं करता हूं। (**व्यवधान**) तो हमारी सरकार जाने का, 23 सितम्बर को हमारी बात खत्म हो गई। अभी हम देख रहे हैं कि 2 अक्तूबर और 9 अक्तूबर को बोले, दो चिट्ठी शांति लाल पटेल ने मधु दण्डवते को लिखीं। मुझे दण्डवते जी ने, शायद पता नहीं किन-किन लोगों को पत्र भेजा है, उनकी फोटो प्रति भी मुझे भेजी हैं जिसमें उन्होंने यह कहा है कि मुझे इस क्षण याद नहीं है कि वित्त मंत्री रहते हुए कितनी चिट्ठी आई थीं और किसने क्या भेजी थीं, लेकिन अगर मुझे 9 अक्तूबर को वह चिट्ठी मिली तो हमारी सरकार जाने के लिए मात्र 4 सप्ताह बचे थे, हम लोग 7 नवंबर को हटा दिए गए थे, तो मैंने वह चिट्ठी निश्चय ही अपने विभाग के अधिकारियों को भेजी, मेरे पास जो भी चिट्ठी आई, उन्होंने उसके ऊपर जो जांच करनी थी वह निश्चय ही की होगी। वह जांच करके हमारी सरकार जाने के बाद जो सरकार आई, उसके पास निश्चय ही भेजी होगी और उस सरकार में शांति लाल पटेल आप सबकी मदद से कोई मंत्री बनकर बैठे थे। इसलिए दण्डवते जी से क्या पूछते हो। अपने से पूछो, या वित्त मंत्री स्वयं बताएं।

सरकार तो परमानेंट है। सरकार तो कोई ऐसी नहीं है, जैसा कभी-कभी आप समझते हो कि हमारी सरकार नहीं थी। यह कायम स्वरूप की सरकार है न, यह असल में यहां बैठी हुई सरकार है, उसके ऊपर भी कभी-कभी सवार होने का काम करती है जैसा इस मामले में कर चुकी है, तो क्यों नहीं उनसे पूछा जाता है ? दण्डवते जी को क्यों उसमें घसीटने की बात होती है ? मैं जानना चाहूंगा कि दण्डवते जी का जो उत्तर है, वह तो बाहर आया, वह जवाब तो बाहर होगा ही, लेकिन जो जवाब देना जरूरी मैंने समझा, वह मैंने दे दिया क्योंकि राम भाऊ नाईक ने यहां पर छेड़ा और इस संदर्भ में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, चूंकि दण्डवते जी को किसी ने चिट्ठी भेजी थी इसलिए वी०पी० सिंह को इस्तीफा देना चाहिए था, हमने यहां पर इतनी सफाई कर दी।

विट्ठल राव गाडगिल तो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हम कांग्रेस दल के लोगों को जरूर यह सलाह देंगे कि विट्ठल गाडगिल की जो सलाह है जो उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को दी

है, अगर वे वही सलाह अपने ही प्रधान मंत्री को देते, जो वर्तमान प्रधान मंत्री हैं, तो हो सकता है देश का भला हो जाए और इस काण्ड में भी तथ्यों को बाहर लाने में मदद हो जाएगी। क्योंकि आपकी सरकार ने पिछले साल भर में क्या-क्या नहीं छिपाया और उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत परेशानी से कहता हूं कि अगर शुरूआत करनी है, तो नामग्याल से करनी होगी। कटु सत्य है। लेकिन कभी-कभी बोलना जरूरी होता है। अगर चालू करना है, तो वहां से करें, लेकिन हम वहां से नहीं करना चाहते हैं। हम आज यह पूछना चाहेंगे कि बोफोर्स के मामले में इस सदन में कितनी बातें आप लोगों ने छिपाने का काम किया है? सोलंकी के मामले में समूची दुनिया के सामने इस देश को बेइज्जत करने का काम किया। क्या बचा है? और आज इस काण्ड से, जो काण्ड है, जो घोटाला है, आपकी सरकार को ही बचाना घोर संकट का काम हो गया है और आप इस काम को करके स्वयं इसकी जांच करने के लिए जाओगे, कम से कम मैं तो आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं करूंगा। मैं इस सरकार को इसलिए कहता हूं कि अगर सही मायने में तथ्यों को खोजने का काम करना है, तो फिर वित्त मंत्रालय से शुरू करें। आपके सारे जो हर्षद मेहता से मिलने वाले हों या जो बड़े घोटाले वाले हों जिसके ऊपर सी०बी०आई० की जांच थी, सी०बी आई० को प्रोसीक्यूट करने का काम था, उसके प्रोसीक्यूशन को किसने रोका। आपके मंत्रालय से पूछिए, मंत्री महोदय से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए। रत्नाकर की ओर ही इशारा है। इसलिए जो लोग आज यहां पर बैठे हैं वे अपराधी हैं। हर्षद मेहता का कितना स्वागत किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उनको क्या पिलाया, क्या खिलाया, उन्होंने प्रैजेन्टेशन दिया या नहीं दिया, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन उसका स्वागत तो हुआ और वह कोई मामूली स्वागत नहीं था।

[अनुवाद]

राज्य के दर्जे का एक व्यक्ति; राज्य मंत्री के दर्जे का, योजना आयोग के एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य।

[हिन्दी]

वह उसको साथ लेकर पहुंचा देता है और उसके बाद वह बयान देता है कि मेरा अपना कर्तव्य है कि जो बड़े विचार लेकर हिन्दुस्तान में लोग हैं, ऐसे विचारों को समझना और उन्हें सरकार की नीतियों में परिवर्तित करने के लिए मदद करना, यह मेरा कर्तव्य है। यह कब बोले? जब उन्हें मालूम नहीं था कि वे कहां तक फंस गए हैं। जिन्होंने हर्षद मेहता के साथ अपने रिश्ते निकाले, क्या उनसे जे०पी०सी० का काम हो जाएगा? उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताइए। जिन्होंने उस रत्नाकर की कम्पनी को बनाने में जो भी मदद की जरूरत थी, जिस तरह से अपने मित्रों, दोस्तों से उस कम्पनी में शेयर डालने के लिए प्रेरित किया, वे क्या वहां के तथ्यों को बाहर लाने में हमें मदद करेंगे?

केनरा बैंक का म्यूचुअल फंड वित्त मंत्रालय के अफसर ने अपनी पत्नी को वहां डायरैक्टर करके ट्रस्टी करके बिठाया। आपने आदेश दिए या और किसी मंत्री ने आदेश दिए, हम जानना चाहेंगे। क्या आज हम उनसे अपेक्षा करें कि इस कांड के तथ्यों को बाहर लाने में वे मदद करेंगे? वित्त मंत्रालय में कौन मदद करने वाला है? इसलिए मेरी स्पष्ट शब्दों में वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि जो जिम्मेदारी आपकी थी, जो जिम्मेदारी आपके मंत्रालय की थी, उस जिम्मेदारी को निभाने

की बात आपकी तरफ से नहीं हुई बल्कि आपके मंत्रालय के तमाम लोगों ने हर्षद मेहता से लेकर, केनरा बैंक से लेकर, रत्नाकर से लेकर, हर इस काण्ड में, इस घोटाले में जो गन्दा नाम सामने आ जाता है, उन लोगों के साथ उनकी मिलीभगत है। उनको हटा दीजिए। आगे जो इलाज करना है वह हम देख लेंगे।

[अनुवाद]

यदि संयुक्त संसदीय समिति को अपना कार्य करना है तो आप संयुक्त संसदीय समिति से प्रभावी ढंग से कार्य करने की अपेक्षा तब तक नहीं कर सकते जब तक समिति को, उन व्यक्तियों से संबंधित आवश्यक सूचना नहीं दी जाती जो एक तरफ कर्त्तव्य के प्रति अवहेलना करने और दूसरी तरफ षडयन्त्र रचने के दोषी हैं।

[हिन्दी]

उन लोगों के चलते मैं आज यहां पर भविष्यवाणी करता हूं कि जे० पी० सी० का काम उस सच्चाई को खोजने के लिए, जिसका जिक्र आज प्रधान मंत्री ने फिर खड़े होकर किया, वह काम नहीं होना है। हम सबसे पहले वित्त मंत्री का इसलिए इस्तीफा मांगते आए हैं और फिर मांगते हैं कि वित्त मंत्री इस जिम्मेदारी से अपने को अलग नहीं रख सकते हैं। क्या वित्त मंत्री के पास रिजर्व बैंक से बार-बार पत्र नहीं आए ? क्या वित्त मंत्रालय के पास सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया (सेबी) से बार-बार पत्र नहीं आए ? उन पत्रों पर आपने क्या किया ? हो सकता है पत्र इसलिए लिखे होंगे, अपनी बाजू को संभालने के लिए, आपको गुनाहगार बताने के लिए। उसका भी खुलासा होना चाहिये, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या पत्र नहीं आये, चूंकि मेरे पास यहां दस्तावेज हैं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मार्च, 1991 में इस कांड को लेकर सबसे पहले पहल करने का काम किया था, इसका सबूत मेरे पास है, लेकिन इसको लेकर मैं रिजर्व बैंक, जिसको मैं अपराधी नम्बर दो करके मानता हूं, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी यह मान्यता है कि रिजर्व बैंक का इस समूचे कांड में बहुत ही गलत योगदान रहा है, बहुत खतरनाक रहा है और बहुत ही धोखेबाज रहा है।

यहां जब विवाद चल रहा था और जब चन्द्रशेखर जी ने अपनी बात छेड़ी कि आपका डायरेक्टिव था, तब वित्त मंत्री चुप रहे कि डायरेक्टिव नहीं था, वह नहीं करके बोले, तब मैंने यहां अपने बगल में बैठे हुए साथियों से कहा कि डायरेक्टिव नहीं था, और वह इसलिए नहीं बोलेंगे कि डायरेक्टिव नहीं था, क्योंकि

[अनुवाद]

सत्य का गोपन, असत्य का सुझाव।

[हिन्दी]

यह अगर हो जाता है तो वित्त मंत्री का काम उसी के अन्दर हो जाता है। वित्त मंत्री अपनी जगह चुप बैठे रहे, यह नहीं बोले कि डायरेक्टिव नहीं था। कौन सा डायरेक्टिव रिजर्व बैंक का इस मामले में रहा, वित्त मंत्री जी, मुझे बताइये, हम इन्तजार में हैं।

जो सर्कुलर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दिया था और जिसकी आज आपकी तरफ से बात हो रही है, वह सर्कुलर 26 जुलाई का है, इसमें लिखा है कि :

[अनुवाद]

क्या इस बारे में कोई निर्देश है ? तब मुझे फिर से अंग्रेजी सीखनी होगी । मैं अपनी लैटिन भाषा भूल चुका हूं लेकिन मुझे फिर से अंग्रेजी सीखनी होगी।

[हिन्दी]

कहां है ? इसमें क्या लिखा है ? किस के कामों पर पर्दा डालने के लिए तमाशा चलाया गया है। इसमें लिखा है :

[अनुवाद]

यह हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है । यह रिजर्व बैंक के लिए बहुत चिन्ताजनक बात है कि कुछ बैंक प्रतिभूतियों के लेने-देने में लगे हुए हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

जो हमें करना चाहिए, वह हम कर रहे हैं। इस मामले में हम को बहुत चिन्ता है। असली प्यार के शब्द इसमें आगे हैं। चार प्यार उन्होंने लिखे हैं :

"(1) उन दरों पर तत्काल वायदा सौदा (विक्रेता द्वारा पुनः खरीदना "बॉय बैक") किया गया जो किसी भी तरह बाजार दरों के अनुरूप नहीं था;

(2) एक विनिर्दिष्ट प्रतिभूति में अधिक विक्रय की स्थिति से निपटने के लिए दोहरे तत्काल वायदा सौदे;

(3) प्रतिभूतियां/एस जी एल खातों में पर्याप्त शेष रखने की बजाय बैंक रसीद (बी०आर०) एस जी एल फॉर्म जारी करके लेन-देन की बिक्री;

(4 बैंक के हितों को सुरक्षित किए बिना दलाल ग्राहकों की ओर से बैंक रसीद (बी० आर०) एस जी एल रसीद जारी करना।

आपको इस बात की जानकारी होगी कि दीर्घावधि प्रत्याभूति बाजार में विभिन्न कमियों से निपटने के लिए बैंकों की सहायता करने और उन्हें अपने अल्पावधि नकद घाटे/अतिरिक्त धन का प्रबंधन करने में सहायता करने के लिए हमने उन्हें आपस में (न कि उनके गैर-बैंक ग्राहकों के साथ) सरकारी प्रतिभूतियों में 'बाय-बैंक डील' पुनः खरीद समझौते करने की अनुमति दी। हमें यह आशा थी कि विक्रय बैंक तभी यह सौदा करेंगे जब उनके पास पर्याप्त प्रतिभूतियां होंगी (चाहे वह वास्तव में दो हो अथवा एस०जी०एल० खाते में हो) और यह प्रतिभूतियां बाजार से संबंधित दरों पर हों तथा इन सौदों के बारे में उनके खातो में पूर्णतः उल्लेख हो—

कुछ बैंक तत्काल प्रतिभूतियों की अधिक बिक्री की स्थिति में आ गए प्रतीत होते हैं और उन्होंने एक विशेष प्रतिभूति की अधिक बिक्री की स्थिति से निपटने के लिए दोहरा तत्काल वायदा सौदे किए और अन्य बैंकों ने भी इस मामले में उन्हें सहायता दी···"

हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बैंक बिक्री सौदा आदि न करें। नीति बनाते हुए आपको निम्नलिखित मार्गनिर्देशों का पालन करना चाहिए।

[हिन्दी]

अन्त में कहते हैं—जो प्यार की बात आपने कही—

[अनुवाद]

यदि बैंक बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रतिमूर्तियों के लेन-देन संबंधी नीति की एक प्रति हमें दी जाए तो हमें प्रसन्नता होगी।

[हिन्दी]

इसलिए चुप बैठे। जहां उन्होंने कहा, उनको मालूम नहीं था। ...(व्यवधान).... वही तो, मैं कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले एक और घटना घटी है। वह भी इस रिपोर्ट में है। बैंकर्स की जो कॉपी है, वही मैं पढ़कर सुनाता हूं। यह 6 मई की इंडियन-बैंकर्स-एसोसिएशन की चिट्ठी है और आज जुलाई चल रहा है।

[अनुवाद]

"हमें प्रसन्नता होगी; आपसे अनुरोध है; कृपया नहीं कीजिए; कृपया ऐसा कीजिए।"

[हिन्दी]

यह जो प्यार की बात बैंकों ने कही है, उसके पहले यह 6 मई को इंडियन बैंकर्स एशोसिएशन की चिट्ठी है।

[अनुवाद]

यह सभी सदस्य बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को लिखी गई और इसकी एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को की गई जो कि भारतीय बैंक एसोसिएशन के सदस्य नहीं भी हैं।

[हिन्दी]

चिट्ठी भेजी जाती है। उस चिट्ठी में बैंक रिसीट्स के बारे में जो कुछ लिखा है, मैं उसके लिए सदन का समय नहीं लूंगा। मगर उनकी एक शिकायत है, आप लोग जो जिस तरह से बैंकर्स रिसीट का इस्तेमाल करते हो, यह ठीक नहीं है। आप बैंकर्स रिसीट का फॉरमैट बनाइए, क्योंकि आज तक इसका फॉरमैट भी नहीं है। उसमें सिरीयल नम्बर नहीं है। मैं चाहता हूं कि बैंकर्स रिसीट के बारे में सदन बहुत गौर करे। अभी मुरली देवरा जी ने एक बात कही और बहुत मार्के की बात कही, उन्होंने कहा कि यह केवल हिन्दुस्तान में है। जब किसी ने टोककर पूछा कि वहां भी बैंकर्स रिसीट होगी, तो बोले कि नहीं, वहां बैंकर्स रिसीट नहीं है। बैंकर्स रिसीट एक कागज का टुकड़ा है। एक प्लेन-पेपर के ऊपर यह लिख कर देते हैं कि दो सौ करोड़ मिला, सिक्योरिटीज बाद में पहुंचाई जायेंगी और वह दो सौ करोड़ रुपया हर्षद मेहता की जेब में, उसको एकान्ट में जाता है। कोई रिसीट नहीं, कोई एकाउन्ट नहीं, कोई चीज नहीं।

बैंक-आफ-कराड की बात आप लोग करते हो, बैंक-आफ-कराड में बैंकर्स-रिसीट को आधार पर ट्रांजैक्शन हो गई। वह बोगस ट्रांजैक्शन्स मात्र नहीं थी, वह बैंक के अपने रैग्युलर रजिस्टर एकाउन्ट्स, बैलेंस-शीट में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। मेरे पास बैंक-आफ-कराड के तीन साल के

यहां पर बैलेंस शीट्स हैं। राइट-अप-टू-दि-लैटैस्ट-बैलेंस-शीट, जो कि हाथ से लिखी हुई है, कराड से इसको लाया हूं। उनके एकाउन्ट्स में सारे बैंकर्स रिसीट का, जिक्र कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा।

एक बात और, बम्बई में हमाम स्ट्रीट कार्यालय में राजे नाम का एक मैनेजर बैठता था। राजे ने मराठी में बयान दे दिया बम्बई में और सीबीआई में किस भाषा में दिया, वह तो आप बता पायेंगे, प्रधान मंत्री जी बता पायेंगे या जिन्होंने देखा हैं, वे बता पायेंगे। मराठी में जो बयान दिया और जो अखबारों में छपा है, वह है—"साहेब आम्हाला जे सांगत होते ते आम्हा करत होतो—मतलब, साहब जो हमको कहते थे, वह हम करते थे। महाराष्ट्र में साहेब एकथ माणसाला म्ह टले जाते, मतलब कि महाराष्ट्र में अकेले एक व्यक्ति को ही साहब करके नहीं पुकारा जाता है और फिर कुछ लोगों ने अफवाह चलाई, लेकिन उसमें तथ्य नहीं है। परसों मेरे ऊपर एक आपत्ति आई, मराठी पत्रकार कुछ मेरे पास थे और एक वकील मराठी मित्र आए और बोले साहब, तो पता चला कि कौन साहब है। तो वह जैसे कमरे में आए, बोले—कैसे हैं साहब। वह हमको साहब बोले, तो यह पत्रकार तत्काल उठकर बोले कि अब पता चला कि राजे का साहब कौन था। लेकिन सवाल यह नहीं है राजे का जितना काम था वह बैंक आफ कराड़ के किसी भी लेजर में एक कागज के टूकड़े पर वह काम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बैंक आफ कराड़ का और विदेशी बैंक का रिश्ता था, एटेंचर्ट का, बैंक आफ कराड की बैलेंस शीट में पैड आफ केपिटल जो है वह है 40 लाख, (व्यवधान) मैं माफी मांगता हूं पैड आफ केपिटल 30 लाख 72 हजार का बैंक का बैलेंस शीट है, वह बैलेंस शीट हर साल छपा जाता है। एक बैलेंस शीट पर शरद पवार का भी बड़े मुस्कराते हुए, बल्कि खूब हंसती हुई तस्वीर भी छपी हुई है। मैं किसी पर कोई लांच्छन लगांने की बात नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं समझता हूं कि आप नाम बताने का साहस किए बिना सूचना दे रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : मनमोहन सिंह जी, इसमें नाराजगी की क्या बात है, अगली दफा इनका फोटो भी आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वित्त मंत्री जी, आप इतनी जल्दी क्यों चिड़ गए, हमने कोई ऐसी बात नहीं कहीं है वह कहने में अभी समय है। मैं इसलिए इस बात को छेड़ रहा हूं विदेशी बैंक और इस बैंक के बीच में जब 12 सौ करोड़ रु० का बैंकर्स रसीट का व्यवहार होता है, तो वह व्यवहार हम बिना कोई घोटाला कर रहे हैं। हम हिन्दुस्तान के बैंकिंग नियमों को तोड़ कर इस धन्धे को कर रहे हैं। ये जानकारी के बगैर नहीं हुआ, मैं यह आपको समझा रहा हूं। आप किसी भी बैंक में जाइए और दूसरे किसी बैंक के पास, आप दूसरे बैंक को कुछ पैसा भेजने का काम आपको करना है, यह बोलिए, वह डायरेक्टरी निकालेंगे, उस बैंक की क्या स्थिति है तत्काल देखेंगे, हिन्दुस्तान में किस बैंक की क्या पूंजी है, किस बैंक के पास कितनी दौलत है, किस बैंक की क्या शक्ति है, क्या यह बातों की जानकारी आपस में बैंक नहीं रखते हैं और स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक 135 साल से हिन्दुस्तान में रही हुई यह बैंक, हजार-करोड़ का डिपोजिट लेकर

बैठी हुई यह बैंक, क्या इस बैंक को मालूम नहीं था कि बैंक आफ कराड़ क्या चीज है ? बैंक आफ कराड़ के बैलेंस शीटमें यह हिसाब-किताब नहीं हो रहा है, क्या यह मालूम नहीं था ? तो फिर किसने इस काम को कराया, यह कौन था।

इसीलिए मैं पूछता हूं कि अगर वह साहब उस बैंक के चेयरमैन मिस्टर कनाड़े हों, तो वित्त मंत्री जी, कनाड़े को इस क्षण तक आप लोगों ने ऊंगली नहीं लगाई है।

[अनुवाद]

यह शर्मनाक मामला नहीं है। यह अपराध है। यह एक अपराधिक कार्य है।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : वित्त मंत्री महोदय, आप चुप क्यों हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्री कानडे मुक्त घूम रहे हैं। वह अभी भी अपने घर में मजे से रह रहे हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा कहना चाहिए या नहीं, वह एक शराबी-कबाबी व्यक्ति हैं। वह अभी भी एक सम्मामनीय व्यक्ति हैं।

[हिन्दी]

राजे को जेल में डाला, उनको क्या-क्या कहा, राजे ने मुझसे बात की है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, गिरफ्तारी के पहले इन्होंने मुझसे बात की है, इन्होंने हमको नाम भी बताए हैं। (व्यवधान)

मैं नाम नहीं बताऊंगा।···(व्यवधान) बहुत जल्दी मत हंसिएगा। (व्यवधान)

आप चाहते हो कि मैं नाम बोलूं ?

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : ठीक समय पर बोलूंगा। तो राजे से मेरी बात हो गई। राजे मुझे 19 तारीख को मिलने वाले थे, राजे की और मेरी बात हो गई 18 तारीख को, 19 तारीख को राजे और मैं फिर मिलने वाले थे और उसी रात को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तीन सप्ताह जेल में रहा, क्या सौदा हुआ, वह बात भी खुल जाएगी। अब राजे आ गए हैं, बाहर आ गए हैं, लेकिन यदि "साहब" उस बैंक का चेयरमैन हो तो उसकी गिफ्तारी नहीं हुई है। एक और आदमी इस काण्ड के सन्दर्भ में पकड़ा गया, स्टेनचार्ट और बैंक आफ कराड़ से जिनका नाम बहुत जुड़ा हुआ है, भूपेन दलाल। भूपेन दलाल बादशाही ढंग से रहा। (व्यवधान)

भूपेन दलाल के बारे में मैंने इस सदन में एक शब्द कहा था, जब हर्षद मेहता की चर्चा हो रही थी, अनपार्लियामेंट्री है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा था कि हर्षद मेहता-हर्षद मेहता क्या कह रहे हो, भूपेन दलाल तो उसका बाप है, मैंने कहा था। अगर पार्लियामेंट्री नहीं है तो उसका अर्थ आप लगा सकते हैं, भूपेन दलाल कितना बड़ा काण्ड चलाने वाला आदमी है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हर्षद मेहता का गुरू होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं गुरू तो बहुत अच्छे होते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, उस भूपेन दलाल की गिरफ्तारी होती है, 15 दिन बाद रिहा कर दिया जाता है और जेल से आने के बाद भूपेन दलाल मुझसे मिलता है। (व्यवधान)

ठीक है, इतनी जल्दी हां-हूं मत करो। (व्यवधान) और भूपेन दलाल मुझसे कहता है,

कोई बात नहीं, मेरे साथ सब ठीक था, कोई परेशानी नहीं रही, यहां तक कि सीबीआई ने मेरा इस्तेमाल किया दूसरों की चोरी पकड़ने के लिए, यह मुझे कहता है। भूपेन दलाल उस बैंक के कार्यालय में जहां से बीआर का काण्ड चलता था, वहां बैठता था।

श्री मुरली देवरा : आपको तो स्काटलैंड यार्ड भेजना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : स्काट लैंड यार्ड क्या मुझे आधा सीबीआई दे देंगे तब भी आप सब को भेज दूंगा यहां से। **(व्यवधान)**

तो उपाध्यक्ष जी, भूपेन दलाल का और स्टेनचार्ट और बैंक आफ कराड़ का इतना रिश्ता है कि उसका बेटा बैंक आफ कराड़ का डायरेक्टर है, भूपेन दलाल का बेटा। **(व्यवधान)**

उसका नाम है एमबी दलाल, मिलन दलाल, वह उसका डायरेक्टर है। **(व्यवधान)**

भूपेन दलाल इस बैंक के सारे कांड में एक प्रमुख खिलाड़ी है, केनरा बैंक का चेयरमैन है, सब लोगों से बड़ा खूबसूरती का व्यवहार होता है।

एक और नाम है और वह है टी बी रूया का, काटन वाला रूया नहीं, किलबर्न वाला रूया, किलिक निक्सन वाला रूया और भूपेन दलाल का पार्टनर रूया है। सारी दलाली में बहुत अहम भूमिका इसने अदा की हुई है, लेकिन रूया को हाथ नहीं लगाया जाता, वह आराम से अस्पताल में पड़ा है, बोलता है कि मैं इतने सौदे करा चुका हूं कि कोई मुझे हाथ लगाने के लिए नहीं आएगा। **(व्यवधान)**

अब उपाध्यक्ष जी, जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दोनों को जोड़ दो। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे इस काण्ड से जुड़े हुए लोगों को कहीं भी पकड़ने के बाद किसी भी तरह से उन्हें जमीन पर उतार कर उनके सारे तथ्यों को बाहर निकालने की बात आज सरकार नहीं कर रही है, इसलिए मैं ये तथ्य आपके सामने रख रहा हू। मैं एक और उदाहरण देता हूं कि कैसे छिपाने का काम हो रहा है। कैनफिना म्युचुअल ट्रस्ट है, मैं नाम दोहराने के काम में नहीं जाऊंगा कि कैसे सरकारी लोगों के नुमाइंदे उसमें बैठते हैं या घर के लोग बैठते हैं। लेकिन कैनफिना ने एक मुकदमा दायर किया, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या थे कैनफिना के, श्री के० एन० कामथ, उनके जरिए मुकदमा दायर किया। उसमें कहा, हितेन दलाल के आग्रह करने पर बहुत सख्ती करने पर इस काण्ड से फ्राडूलेंट ट्रांजेक्शन्ज, यह एफ०आई०आर० में लिखा है, उनके शब्द हैं, हमने एक मीटिंग बुलायी। 30 मई, 1992 को मीटिंग होती है और मीटिंग में मौजूद लोग थे—हितेन दलाल, अभय नरोत्तम, भूपेन दलाल, टी० बी० रुइया। अब ये चार नाम आते हैं। ** वह आदमी है जो सभी कांग्रेस के नेताओं को सम्भाल कर रखने का काम करता है।···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

केनरा बैंक, केनफिना में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे :

1. श्री जे० वी० सेठी, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही—वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

जिसने इस काण्ड के बाद भाषण दिया, विश्व विद्यालय के छात्रों के सामने और कहा कि जब देश तरक्की करता है तो ऐसे कांड होते रहते हैं।

ये उनके शब्द हैं, किसी ने यहां कहे होंगे, उन्होंने वहां बताया। वर्ना अंगुली उठती नहीं है।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मी नारायण, कार्यकारी निदेशक, केनरा बैंक

श्री एम० वी० कामथ, उप महाप्रबंधक, केनरा बैंक

श्री ए० पी० राव, केनफीना के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक

श्री एम० अशोक कुमार, कार्यकारी उपाध्यक्ष केनफीना

[हिन्दी]

अब ये नौ नाम एफ० आई० आर० में आते हैं। जब यह मामला अदालत में आ गया तो उनमें से एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि यह सूची पूरी नहीं है, और भी लोग थे, उनके नाम क्यों नहीं लिखे हैं। जज ने वकील से पूछा कि क्या यह बात सही है, वकील ने उनसे पूछा कि क्या यह बात सही है तो उन्होंने कहा कि हां, यह बात ठीक है। जो चार लोग और थे वे हैं—अजय कुमार क्यान, उत्सव पारिख, पल्लव सेठ और आनन्द जैन।···(**व्यवधान**)···अब यह चार नाम क्यों छिपाये गये। जब मीटिंग थी, मीटिंग में जब इतने लोग मौजूद थे, मीटिंग में अमुक लोग मौजूद थे करके एफ० आई० आर० को दायर करते हो तो ये चार नाम क्यों छिपाये। आनन्द जैन रिलायंस का, अम्बानी का सारा हिसाब-किताब देखता है। यह तो आप मानते हैं। पल्लव सेठ वह आदमी है जिसने बहुत से लोगों के पैसे को स्टॉक मार्केट में पहुंचाने का काम किया है···

श्री मुरली देवरा : बताइये किसके पैसे को।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वहां पर भी आऊंगा···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (मुंबई दक्षिण) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अपने भाषण में एक * और उन्होंने कहा कि वह बंबई में राजनीतिज्ञों को संरक्षण देते हैं। उन्होंने 'कांग्रेस दल' के लिए ऐसा कहा। मैं पिछले ग्यारह सालों से बंबई में कांग्रेस दल का अध्यक्ष हूं और मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं अपनी संसद सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा क्योंकि मैंने ऐसा पिछले 20 वर्ष से भी नहीं देखा है···वह किसी के बारे में यूं ही ऐसा नहीं कह सकते हैं। किसी बात की सीमा होती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने आपका नाम नहीं लिया।

श्री मुरली देवरा : आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। मैं 11 साल से वहां अध्यक्ष हूं, मैंने 20 वर्ष से * को नहीं देखा, आप कहते हैं कि कांग्रेस को पैसा देते हैं, अब आप किसी और जैन की बात कर रहे हैं···(**व्यवधान**)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : हिन्दी में एक मुहावरा है 'चोर की दाढ़ी में तिनका'।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, चोर की दाढ़ी में लट्ठ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, ये चार लोगों का नाम नहीं देने का कारण है जिसको लेकर आपको इतनी आपत्ति है कि इन लोगों के रिश्ते राजनैतिक नेताओं के साथ हैं···

श्री दत्ता मेघे : सभी पार्टियों के साथ···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपने कह दिया कि सभी पार्टियों के साथ, आप कबूल करते हैं कि हमारी पार्टी के साथ भी हैं। आप गलत नहीं कह रहे हैं, आप जानते हैं। मैंने जो नाम लिये उनके व्यवहार के बारे में, उनके रिश्तों के बारे में आपको जानकारी है। यह मैं गम्भीरता से कह रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : उपाध्यक्ष महोदय व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था और हमें इस बार में पीठासीन अधिकारी के विनिर्णय के बारे में पता नहीं है। क्या कृपया आप श्री जॉर्ज फर्नान्डीज के भाषण में से झूठे आरोप निकाल देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि नियमों के विरुद्ध कोई आरोप हैं तो वह हम निकाल देंगे।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, तथ्यों का विवरण आरोप नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा यह कहना है कि चार लोगों के नामों को उस एफ० आई० आर० से स्प्रेस करने का काम किया गया और स्प्रेस करने वाला व्यक्ति था कैनफिन के मैनेजिंग डायरेक्टर और उसकी वजह यह थी कि इन चार लोगों के जो रिश्ते हैं वह इन लोगों के साथ रिश्ते हैं जिनका इन्हें प्रोटेक्शन है। उनको बचाने का काम हुआ है यानि संरक्षण और इसलिए ये नाम नहीं दिये गये हैं। बल्लभ सेठ का नाम आने वाले दिनों में इस सदन में सुनेंगे बहुत मजबूती से सुनेंगे···इसलिए कि वल्लभ सेठ···

श्री दिग्विजय सिंह : हम दूसरे नाम सुनना चाहते हैं···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या आप एक दूसरे को जल्दी गिराना चाहते हैं। हम तो जरा आहिस्ता-आहिस्ता गिराना चाहेंगे और आप लोग जल्दी में हैं कि लोग गिर जायें···

श्री दिग्विजय सिंह : और नाम बतायेंगे, अभी चार नाम बताये हैं, और नाम बताने के लिए आग्रह कर रहे हैं···

श्री राम नाईक : ये नाम बताना चाहते हैं। अब नाम बतलाये जायेंगे तो मिनिस्टर हैं, वे मिनिस्टर नहीं रहेंगे और फिर इनका नम्बर लग सकता है···(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ये इतने खुश हैं कि तालियां बजा रहे हैं···

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : यदि एक मैम्बर स्पीच कर रहा है, ये टोकाटाकी करते हैं तो इनको दखल देने का कोई राईट नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुल्तानपुरी ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही है। जब तक प्रमुख वक्ता उनकी बात नहीं मानता अन्य सदस्यों को व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अब उपाध्यक्ष जी, कैसे ? इस प्रयास में रिजर्व बैंक अपना योगदान देता रहा है। अब उसका यह आखिरी सबूत देखिये, यह डायरेक्टिव दिया। इनकी तरफ से बात चली। मेरे पास कराड बैंक के रानाडे का लिखा हुआ पत्र है इसमें कहा गया है—सीक्रेट। एडीशनल चीफ आफिसर श्री वी० रंगराजन हैं। इसमें तारीख नहीं है मगर यह पत्र 26-7-1992 के पत्र के बाद भेजा हुआ पत्र है जिसमें यह स्पष्ट लिखा है :

[अनुवाद]

"क्या मैं आपका ध्यान तत्कालीन उप-गवर्नर, श्री ए० घोष के 26 जुलाई, 1991 के अर्धशासकीय पत्र की ओर आकर्षित कर सकता हूं ·· (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय. मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य ने आपकी अनुमति ली है और क्या जो पत्र वह सभा में पढ़ रहे हैं वह प्रमाणिक है? मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : यह प्रमाणित होना चाहिए।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : मैं इसे प्रमाणित करूंगा और फिर इसे सभा पटल पर रखूंगा।
(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, नियमों में सुस्थापित प्रक्रिया है। उन्हे नियमों का पालन करना चाहिए (व्यवधान) हम उनके सभी आरोप चुपचाप सुन रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की बातों की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्हें पत्र की तारीख भी पता नहीं है (व्यवधान) यह सही नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : वह किसी फोटो कॉपी का उल्लेख कर रहे हैं जिस पर कोई तारीख नहीं है और उसका कोई नम्बर नहीं है। यह इस प्रकार नहीं चल सकता है। (व्यवधान) यह पत्र क्या है ? आप किसका उल्लेख कर रहे हैं ? (व्यवधान) महोदय, इस बारे में मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष जी, स्पीकर साहब का यहां रूलिंग है कि आप रैफर कर सकते हैं, कोट नहीं कर सकते हैं। इस हाउस में ट्रेडिशन है रैफर करने की।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : और रैफर करना ही पढ़ना होता है। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष जी, चेयर से स्पीकर साहब की रूलिंग है कि रेफर कर सकते हैं, क्वोट नहीं कर सकते। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, यदि कोई सूचना मिलती है तो कांग्रेस सदस्य नियमों और विनियमों द्वारा उस पर आपत्ति क्यों करते हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, हम इसका विरोध करते हैं। हम किसी बात को दबाना नहीं चाहते लेकिन प्रश्न यह है कि इस सभा को सभा की प्रक्रिया तथा नियमों के अनुसार कार्य करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पत्र रखने की प्रक्रिया अध्यक्ष के निदेशों के निदेश संख्या 118(1) में दी गई है। इसमें कहा गया है :

> "यदि कोई गैर-सरकारी सदस्य सभा पटल पर कोई पत्र अथवा दस्तावेज रखना चाहे तो वह पहले से उसकी एक प्रति अध्यक्ष को देगा ताकि वह यह निश्चय कर सकें कि क्या पत्र अथवा दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाये। यदि अध्यक्ष सदस्य को पत्र अथवा दस्तावेज को पटल पर रखने की अनुमति दे दे, तो सदस्य उसे उचित सभय पर सभा-पटल पर रख सकेगा।"

श्री राम नाईक : आपने जिन नियमों का उल्लेख किया है वह मेरे मामले में लागू नहीं होता।

श्री दिग्विजय सिंह : भारतीय जनता पार्टी गलत नियमों के लिए प्रसिद्ध है··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, इस सदन में अगर हम तथ्यों को नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : आप रूल तो फॉलो करिए।

[अनुवाद]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं उस पत्र का उल्लेख कर रहा हूं जिसे मैं प्रमाणित करूंगा और इसे सभा पटल पर रखूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, मैंने जो स्टैण्डर्ड एंड चार्टर्ड बैंक और बैंक ऑफ कराड़ का मामला आपके सामने रखा कि कैसे हर कानून को तोड़ा जाता था, किसी भी प्रकार के नियम को नहीं माना जाता था, बैंक की बैलेंस शीट और बैंक के लेशर तक इस बी० आर० के कांड के बाहर रखे थे और रिजर्व बैंक ने अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाया या नहीं निभाया, यह मैं आपके सामने रखने के लिए इसको क्वोट कर रहा हूं या इसका रेफरेंस दे रहा हूं, जो भी शब्द उसके लिए इस्तेमाल करें।

उपाध्यक्ष जी, बैंक के चेयरमैन को पत्र जाता है और उस पत्र में··· **(व्यवधान)**···इसमें तारीख नहीं है उसके पीछे भी वजह है। चूंकि कवर अप आप कैसे चला रहे हैं जो इससे सम्बन्धित लोग हैं, रिजर्व बैंक कैसे अपने को कवर अप कर रहा था, मैं उसके लिए ये सुबूत आपके सामने रख रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगे ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : मैं कुछ और समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल भी बोल सकते हैं। अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 4 अगस्त, 1992/13 श्रावण, 1914 (शक) के 11.00 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केंद्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53